शुक्रवार, 26 अगस्त 1994

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मू
हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा

विषय - सूची

दशम माला, खंड 35 ग्यारहवां सत्र, 1994 / 1916 (शक)

अंक 24 शुक्रवार, 26 अगस्त, 1994 / 4 भाद्र, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बंधी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	461 से 465	2-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	466 से 480	23-36
अतारांकित प्रश्न संख्या	4489 से 4688	36-187
जम्मू में हुए विस्फोट की घटना के बारे में		187-190
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में		191-196
बोफोर्स तोप सौदे के बारे में		196-204
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
(एक) मुम्बई विस्फोट जांच श्री एस. बी. चव्हाण		205
(दो) 25 अगस्त, 1994 को जम्मू में हुए विस्फोट की घटना श्री एस. बी. चव्हाण		301-302
सभा पटल पर रखे गए पत्र		229-238
विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां (1993-94) - एक समीक्षा - सभा पटल पर रखी गई		238

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

राज्य सभा से संदेश 238

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक 239

राज्य सभा द्वारा यथापारित - **सभा पटल पर रखा गया**

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति 239

गैर- सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का कार्यवाही - सारांश - सभा पटल पर रखा गया 240

प्राक्कलन समिति 240

(एक) पैंतालीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही- सारांश - **प्रस्तुत** 240

(दो) की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण - **सभा पटल पर रखा गया** 240

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत** 240

नियम 377 के अधीन मामले 241-244

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें महामारी तथा कुपोषण से बचाने की आवश्यकता 241

श्री के. प्रधानी

(दो) असम में फालतू भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन लोगों में वितरित करने की आवश्यकता 241

श्री द्वारका नाथ दास

(तीन) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर जंक्शन और गिडनी के बीच रेलगाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करने तथा गिडनी स्टेशन पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता 242

श्री रूप चंद मुरमु

(चार) आंध्र प्रदेश में विजयवाडा में टी. वी. स्टूडियों को शीघ्र चालू करने और वहां टी. वी. कैमरा यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता 242

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

(पांच) सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क की मरम्मत करने हेतु शीघ्र उपाय करने की आवश्यकता 243

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी

(छह) आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड को पुनः चालू करने की आवश्यकता 243

श्री शरद दिघे

(सात) डुमरियागंज (उत्तर प्रदेश) में 132 कि. वा. के विद्युत सब-स्टेशन को शीघ्र पूरा करने हेतु धनराशि जारी करने की आवश्यकता 244

श्री रामपाल सिंह

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक 244-259

राज्य सभा द्वारा यथापारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अर्जुन सिंह 245-246

श्री चन्द्रजीत यादव 246

श्री राम विलास पासवान 248

श्री इन्द्रजीत गुप्त 251

श्री अनादि चरण दास 251

श्री तेजनारायण सिंह 252

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी 252

श्री सोमनाथ चटर्जी 253

श्री ए. अशोक राज 254

श्री जी. एम. सी. बालयोगी 255

श्री सैयद शहाबुद्दीन 255

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 255

खंड 2 से 43 तथा 1

पारित करने हेतु प्रस्ताव

श्री अर्जुन सिंह 256

विधेयक - पुरःस्थापित 259-269

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 371 में संशोधन) 259

श्री काशीराम राणा का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक
(नये अध्याय 24 का अंतःस्थापन) 260

श्री काशीराम राणा का संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 51 क में संशोधन) 260

श्री मोहन सिंह (देवरिया) का पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण
(ईसाई धर्म में संपरिवर्तित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
के लिये विधेयक) 261

श्री जार्ज फर्नान्डीज का संविधान (संशोधन) विधेयक
(आठवीं अनुसूची में संशोधन) 261

श्री एम. कृष्णास्वामी का संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 41 में संशोधन) 262

श्री चित्त बसु का संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए अनुच्छेद 16 क का अंतःस्थापन) 262

श्री चित्त बसु का संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 73 में संशोधन) 262

श्री चित्त बसु का संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 356 में संशोधन) 263

श्री मोहन सिंह (देवरिया) का एक समान प्राथमिक शिक्षा विधेयक 263

श्री मोहन सिंह (देवरिया) का युवा कल्याण बोर्ड विधेयक 264

श्री काशीराम राणा का संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 330, आदि में संशोधन) 264

श्री रमेश चेन्नित्तला का बेकारी भत्ता संदाय विधेयक 264

श्री रमेश चेन्नित्तला का बीडी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 4 क का अंतःस्थापन) 265

श्री रमेश चेन्नित्तला का चलचित्र (संशोधन) विधेयक
(धारा 5 ख में संशोधन) 265

श्री सैयद शहाबुद्दीन का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
(धारा 20 में संशोधन) 266

श्री सैयद शहाबुददीन का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
(धारा 3 में संशोधन) 266

श्री आर. अन्बारासु का पिछडा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व) विधेयक 266

श्री राम निहोर राय का भगवान बुद्ध राष्ट्रीय सर्जनात्मक विश्वविद्यालय विधेयक 267

श्री पी. जी. नारायणन का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन) 267

डा० पी. वल्लभ पेरूमान का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16 क, आदि का अंतःस्थापन) 268

श्री मोहन सिंह (देवरिया) का मंत्रियों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा विधेयक 268

श्री चित्त बसु का युवा आयोग विधेयक 269

प्रो० के. वी. थामस का आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक - **वापस लिया गया** 269-301

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो० रासा सिंह रावत 269

डा० एस. पी. यादव 272

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 274

श्री याइमा सिंह युमनाम 276

श्री उद्धव बर्मन 278

श्री बलराज पासी 279

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 283

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 287

श्री नवल किशोर राय 289

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी 291

श्री मृत्युन्जय नायक 294

श्री तेजनारायण सिंह 295

श्री श्रीकांत जेना 297

श्री राजेश पायलट 299

प्रो० के. वी. थामस	301
वेदाई उल्लेख	**302-312**
श्री पी. वी. नरसिंह राव	304
श्री जसवंत सिंह	305
श्री शरद यादव	306
श्री सोमनाथ चटर्जी	308
श्री चन्द्रजीत यादव	309
श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन	310
श्री शा-भनाद्रीश्वर राव वाड्डे	311
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	311
डा० सत्यनारायण जटिया	311
ष्ट्रीय गीत - धुन बजाई गई	**312**

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

शुक्रवार, 26 अगस्त, 1994 / 4 भाद्र, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म॰ पू॰ पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अत्यधिक दुःख के साथ मुझे सभा को यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी श्री एन॰ पी॰ केशरवानी का निधन हो गया है।

श्री एन॰ पी॰ केशरवानी 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वे 1974-77 के दौरान मध्य प्रदेश के विधान सभा के सदस्य थे।

वे अधिवक्ता थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारम्भ नागपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता के रुप में किया। इसके अलावा उन्होंने अन्य संगठनों–बिलासपुर के भूमि विकास बैंक के निदेशक तथा 1968-72 के दौरान मुगेली नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय सांसद के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाहियों में काफी रुचि ली तथा सरकारी आश्वासनों संबंधी के सदस्य के रुप में भी कार्य किया।

श्री केशरवानी का देहावसान 64 वर्ष की आयु में 8 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर अत्यधिक दुःख प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने में सदन मेरे साथ है।

हम अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर का मौन धारण करेंगे।

11.03 म॰ पू॰ तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.05 म॰ पू॰

[अनुवाद]

जर्मनी से वित्तीय सहायता

***461. श्री सुधीर सावंत :**

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार हाल ही में 460 मिलियन ड्यूश मार्क की वित्तीय सहायता देने के लिए राजी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जर्मनी द्वारा यह सहायता किन-किन शर्तों पर दी जाएगी ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सहायता का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच 28.7.1994 को हस्ताक्षरित किए गए करार के तहत, जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार भारत सरकार को 460 मिलियन ड्यूश मार्क के बराबर वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हुई है।

(ख) 460 मिलियन ड्यूश मार्क की कुल वित्तीय सहायता में से, 245 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याजे दर पर आसान शर्तों के ऋण के रूप में जिसकी पुन:अदायगी 10 वर्षों के ऋण स्थगन काल सहित 40 वर्ष की अवधि में की जाएगी, 70 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि अनुदान के रूप में और शेष 145 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि 2.2 प्रतिशत से लेकर 4. 4 प्रतिशत तक के वार्षिक ब्याज-दर पर मिश्रित वित्तीय सहयोग ऋण के रूप में दी जाएगी।

(ग) इस सहायता का उपयोग कोयला खनन, उर्वरकों, स्वास्थ्य, लघु सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत, जल आपूर्ति तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र में किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुधीर सावंत : उत्तर में कहा गया है कि जर्मनी से भारत सरकार को 460 मिलियन ड्यूश मार्क मिलेंगे। यह निधि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इस्तेमाल होती है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर भारत सरकार निधि लेती है, फिर राज्य सरकार को देती है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन्स अलग होती हैं। क्या यह निधि आप राज्य सरकार को दे रहे हैं कोई राज्य सरकार इसका इस्तेमाल करेगी तो क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन्स यही होंगी या अलग से होंगी ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को विदेशी सहायता प्राप्त होती है। इसका एक भाग केन्द्रीय क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है तथा एक भाग राज्य क्षेत्र में इस्तेमाल

होता है। यह निश्चय ही सत्य है कि जिन शर्तों पर भारत सरकार को सहायता उपलब्ध होती है, यह आवश्यक नहीं है कि उन्हीं शर्तों पर इस सहायता को राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की सुविधा प्राप्त नहीं होती। उदाहरणार्थ विभिन्न कारणों से हम पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता नहीं मांगते। अत: हम विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं तथा इसे मानक शर्तों पर राज्य सरकारों को देते हैं क्योंकि शेष धनराशि अन्य राज्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है। अत: यह निश्चय ही सत्य है कि राज्यों को जिन सहायता हेतु निर्धारित शर्तों जिन पर ऋण दिए जाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वे एक समान हों। वस्तुत: व्यापक नीतिगत कारणों से ही ऐसा हुआ है।

[हिन्दी]

श्री सुधीर सावंत : राज्य सरकार को दे रहे हैं, पता नहीं चला है। राज्य सरकार के सामने दूसरी प्राब्लम यह आती है जब उस निधि का इस्तेमाल होता है तो राज्य सरकार को पहले खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद क्लेम करके वह राशि मिलती है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में खारला डेवलपमेंट में ई॰ सी॰ ने 36 करोड़ रुपये देने हैं, तीन साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि उन्होंने फेज-1 पूरा नहीं किया। इससे जो फारेन असिस्टेंस हमें मिलती है, वह नहीं मिल पाती है। विदेशी सहायता राज्य सरकार इस्तेमाल कर रही है उसके लिए केन्द्र सरकार का मानिटरिंग मेकेनिज्म है या नहीं, या राज्य सरकार को केन्द्र शासन वह राशि खर्च करने के लिए मदद कर रहा है, उसके लिए कोई मेकेनिज्म है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, हम विदेशी सहायता से वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखते हैं। वास्तव में हम इस वर्ष अधिकतर उन राज्य सरकारों से गहन चर्चा करने की योजना बना रहे हैं जहाँ परियोजना निष्पादन ठीक ढंग से नहीं जा रहा है। इस प्रकार हम परियोजनाओं पर नियमित रूप से निगरानी रखते हैं। जब भी कोई समस्या होती है, उसे हम राज्य सरकारों की जानकारी में लाते हैं।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के संबंध में है। हम इस विदेशी सहायता को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसका वास्तव में संवितरण हो चुका हो। हम राज्यों को कुछ अग्रिम सहायता देने की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं परंतु केन्द्रीय सरकार की भी कुछ सीमाएं हैं। स्वयं केन्द्रीय सरकार वित्तीय स्रोतों की भारी कमी से ग्रस्त है। इसलिए इन परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अग्रिम सहायता प्रदान करने की हमारी भी सीमाएं हैं।

[हिन्दी]

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : भारत सरकार ने जर्मनी संघीय गणराज्य के साथ 28.7.94 को समझौता किया है उसके लिए जो सहायता राशि भारत सरकार को जर्मन सरकार दे रही है, वह कब तक भारत सरकार को प्राप्त हो जायेगी ? जिन-जिन मदों में इस राशि को खर्च किया जाना है जैसे

कोयला खनन, उर्वरक, स्वास्थ्य, लघु सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत, जल आपूर्ति तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में खर्च होना है, उसके लिए इस राशि को खर्च करने के लिए क्या इससे सम्बन्धित प्रोजेक्ट्स तैयार किये गये हैं ताकि इस राशि का समुचित उपयोग किया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, किसी प्रकार का करार करने से पहले संभावित परियोजनाओं के अवलोकनार्थ जर्मन संघीय गणराज्य से एक मिशन आता है ताकि प्रोटोकोल में उन्हें किसी विशेष वर्ष के लिए रखा जाना तय किया जा सके। इस वर्ष के समझौते में भी परियोजनाओं एवं सेक्टरों की एक निर्देशात्मक सूची है। आज हमारे पास पर्याप्त प्रस्ताव हैं और यद्यपि इनकी बाद में विभिन्न परियोजना समझौतों द्वारा पुष्टि हो चुकी है, फिर भी इस समय सभी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं सम्बंधी प्रोटोकोल सूची प्रस्तुत है। .....व्यवधान.....

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, देश में पिछड़े क्षेत्र इसलिए हैं कि वहां पर जलपूर्ति, विद्युत और लघु उद्योगों का अभाव है तो माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि किस सहायता का अधिक भाग देश के पिछड़े क्षेत्रों में जैसे मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड की योजनाओं पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करेंगे ताकि वहां का पिछड़ापन दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता लेते समय इस बात पर उचित ध्यान दिया गया है कि समुचित क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ राज्यों जो वास्तव में बहुत पिछड़े हैं और जहां लोगों को रोजगार में लगाये जाने जैसी समस्या है, मैं परियोजनाओं का क्रियान्वयन उतना प्रभावशाली नहीं है जितना होना चाहिए। यदि परियोजनाओं का क्रियान्वयन कारगर न हो तो यह विदेशी सहायता प्रदान करने हेतु बने संपूर्ण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर यह है कि परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता लेते समय सरकार इस दृष्टि से उचित ध्यान देती है कि व्यापक क्षेत्रीय संतुलन बना रहे किन्तु इस संतुलन को बनाए रखना संभव नहीं होता क्योंकि विभिन्न कारणों से कुछ राज्यों में अपेक्षित नियोजन क्षमता नहीं होती है।

डा. बी. जी. जावाली : विशेषकर जर्मनी से और शायद अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से लिया गया ऋण राज्यों को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उस धन राशि पर राज्य सरकारों से कोई ब्याज लिया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि इस धनराशि का उचित उपयोग हो रहा है कि नहीं यह देखने के लिए क्या सरकार की कोई निगरानी एजेन्सी है क्योंकि हम अक्सर यह सुनते हैं कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि नाहक ही बर्बाद हो जाती है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि आर्थिक कार्य विभाग में एक निगरानी तन्त्र है। हम इन परियोजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की निगरानी अवश्य करते हैं। जहां तक सहायता के लिए शर्तों का संबंध है इसके लिए मानक शर्तें हैं और उस पर ब्याज लिया जाता है।

रबड़ के पेड़ से उत्पादन

***462. श्री पी॰ सी॰ थामस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी बाजारों में रबड़ के पेड़ से प्राप्त अनेक उत्पादों जैसे लकड़ी, लेटैक्स, बीज, और बीज के तेल की मांग का कोई आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश में रबड़ के बीज के तेल का कोई वाणिज्यिक उत्पादन होता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार रबड़ के बीज के तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने तथा विदेशी बाजार में इन वस्तुओं के निर्यात की संभावना के संबंध में अनुसंधान करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत ने रबड़ की लकड़ी, रबड़ के बीज और उसके तेल जैसे रबड़ बागान के सह-उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशी बाजारों में पूरी संभावना का अभी पता नहीं लगाया है क्योंकि देश में इन उत्पादों की अत्यधिक मांग है। वर्ष 1993-94 में रबड़ बीज के तेल का वाणिज्यिक उत्पादन केवल 4500 एमटी हुआ जिसकी खपत देश में ही हो गई और इस समय उसके निर्यात की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है। किन्तु, रबड़ की उपचारित लकड़ी के निर्यात की कुछ संभावना है, बशर्ते अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विनिर्देशन प्राप्त कर लिए जाएं।

श्री पी॰ सी॰ थामस : अध्यक्ष महोदय, यदि रबड़ की लकड़ी का रासायनिक रुप से शोधन किया जाय तो इसको भी तीक जैसी अन्य लकड़ियों की तरह फर्नीचर निर्माण या ऐसे ही किसी अन्य काम में उपयोग में लाया जा सकता है। उचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, जैसा कि जापान द्वारा किया गया है, रबड़ की लकड़ी को कागज उद्योग के लिए लुग्दी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मलेशिया जो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, 80 प्रतिशत रबड़ की लकड़ी का निर्यात करता है और इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि यदि यह स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खरा उतरता है तो कुछ शोधित रबड़ की लकड़ी के निर्यात की संभावनायें भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न मत पढ़िए।

श्री पी॰ सी॰ थामस : महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर का उल्लेख कर रहा हूँ। यद्यपि यह उल्लेख किया गया है कि रबड़ की लकड़ी के निर्यात की संभावनायें हैं फिर भी दुर्भाग्यवश अभी भी रबड़ की लकड़ी के निर्यात की अनुमति नहीं है। यह अभी भी निषेधात्मक सूची में है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि रबड़ की लकड़ी के निर्यात की भारी संभावनाओं पर विचार करते हुए - क्योंकि अन्य देश इसका निर्यात कर रहे हैं - और मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से भी यही पता चलता है कि रबड़ की लकड़ी के निर्यात की संभावनायें हैं, अतः इस पर विचार करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रबड़ की लकड़ी के निर्यात को निर्यात की सकारात्मक सूची में रखने पर विचार करेगी, ताकि इसका निर्यात किया जा सके।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत इमारती लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो वस्तुएं निर्यात की जा सकती हैं उनमें संसाधित इमारती लकड़ी और इमारती लकड़ी से बनी हस्तशिल्प और ऐसे ही अन्य उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। रबड़ की लकड़ी पर भी यही सिद्धान्त लागू होता है। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार रबड़ की लकड़ी के 124 लाख घन मीटर के उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग, जो छोटी-मोटी टहनियों की लकड़ी है, का घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस लकड़ी के शेष भाग का पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग होता है।

हमारी जानकारी के अनुसार अन्य देशों में भी इस लकड़ी का उपयोग पैकिंग सामग्री के रूप में ही होता है। इस लकड़ी का जो भाग हस्तशिल्प के लिए प्रयुक्त हो सकता है वह हो ही रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य की उपचारित लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों का निर्यात किया गया है।

श्री पी॰ सी॰ थामस : महोदय, मेरी राय में मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़े पूरी तरह से सही नहीं हैं, मैंने रबड़ बोर्ड से आंकड़े प्राप्त किये हैं, रबड़ बोर्ड के अनुसार देश में 34 लाख टन घन मीटर रबड़ की लकड़ी उपलब्ध है, अतः माननीय मंत्री ने जिस मात्रा का उल्लेख किया है वह सही नही है। रबड़ की लकड़ी का केवल लुगदी के रूप में ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यदि रबड़ की लकड़ी का उचित ढंग से रासायनिक उपचार किया जाय तो इसका प्रयोग बढ़िया किस्म के फर्नीचर तथा कई अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। 26 कारखाने पहले ही इस कार्य को कर .

अध्यक्ष महोदय : भारत सरकार की नीति यही है कि लकड़ी का निर्यात नहीं किया जाएगा।

श्री पी॰ सी॰ थामस : महोदय, उस नीति को बदलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस कार्य को करना नहीं चाहते क्योंकि वनों को भी बचाना है।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, यह वन से सम्बंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमें बहस नहीं करनी चाहिए।

श्री पी. सी. थामस : देश में 27 कारखाने रबड़ की लकड़ी सम्बंधी इस कार्य को कर रहे हैं और रबड़ बोर्ड ऐसे 24 और कारखाने स्थापित करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। इसमें रोजगार की बहुत अधिक संभावनायें हैं और बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि .

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री पी. सी. थामस : मैं अपील करना चाहता हूं फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, महोदय मैं एक बार पुनः अपील करता हूं कि जैसे इमारती लकड़ी के निर्यात को अनुमति दी गई है उसी प्रकार रबड़ की लकड़ी के निर्यात को अनुमति दिए जाने पर सरकार विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अनुमति देंगे ? इसे ही प्रश्न कहेंगे।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उपचारित रबड़ की लकड़ी का निर्यात किया जा सकता है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में बड़े पैमाने पर रबड़ के उत्पादन के लिए कोई पहल कर रही है। इस दृष्टि से विदेशी बाजारों द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं।

महोदय, उत्पादन के अभाव में विदेशी बाजारों में अब तक बिक्री की सम्भावनाओं का पता नहीं लगाया गया है। विदेशी बाजारों में इसकी मांग काफी होने के बावजूद भी उत्पादन कम होने के कारण सम्भावनाओं के बारे में सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। अतः, सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, अब तक रबड़ का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप होता रहा है। लेकिन कुछ वर्षों से रबड़ की खेती में काफी वृद्धि हुई है। इसकी खेती 50 हजार हेक्टेयर से बढ़कर अब 500 हजार हेक्टेयर भूमि में होती है। रबड़ बोर्ड की स्थापना इसी उद्देश्य से की गयी है। रबड़ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य रबड़ की और अधिक भूमि में खेती करने हेतु किसानों का मार्ग निर्देशन करना है।

श्री पी. सी. चाको : महोदय, वाणिज्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार रबड़ के पौधो की लकड़ी का प्रयोग पैकिंग करने और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

दुर्भाग्यवश, आपने अधूरी सूचना दी है। स्थिति में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है। मलेशियन रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में खोज से यह पता चला है कि रासायनिक उपचार के जरिये रबड़ की लकड़ी को इतना मजबूत बनाया जा सकता है जिससे कि उसका उपयोग फर्नीचर और मकान निर्माण के काम में लाया जा सके। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस महत्वपूर्ण सम्भावना वाले क्षेत्र की पूर्णरूप से उपेक्षा की गई है।

मैं माननीय मंत्री से एक विशिष्ट प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रबड़ की लकड़ी पर आधारित उत्पादों के निर्माण में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन प्रदान करेगी क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से उपेक्षित रहा है।

मैं सरकार से इस संबंध मे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : रबड़ बोर्ड पहले ही विभिन्न प्रसंस्करण एककों को सहायता दे रही है। मैं कोशिश करुंगा कि रबड़ बोर्ड रबड़ के उपचार तथा रबड़ की लकड़ी के उपयोग से सम्बन्धित सभी सूचनायें प्राप्त करे। साथ ही, मैं यह भी कोशिश करुंगा कि इन प्रसंस्करण एककों को सभी संभव सहायता दी जा सके।

मुद्रा-प्रसार में वृद्धि

***463. प्रो. प्रेम धूमल :**

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुद्रा-प्रसार में वृद्धि को नियंत्रित रखने हेतु कोई पहल की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने प्रभावी मुद्रा-प्रसार संबंधी नीति को आयोजित किए जाने के लिए राजकोषीय विद्याविशेष और भारतीय रिजर्व बैंक की क्षमता दोनों को सुदृढ़ किए जाने हेतु प्रमुख सूत्रपात का निर्वहन किया है। चालू वित्तीय वर्ष से बजट में यह प्रस्तावा किया गया है कि तीन वर्षों की अवधि में तदर्थ सरकारी कोष हुंडियों की सरकार की सुलभता को पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 1994-95 में बजट घाटे को 6,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया जा रहा है। सामान्यत: समग्र रूप से वर्ष तक निवल तदर्थ सरकारी कोष हुंडियों का निर्गमन इस राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक के साथ यह भी सहमति व्यक्त की गई थी कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय निवल तदर्थ सरकारी कोष हुंडियों का निर्गमन निरन्तर दस कार्य दिवसों से अधिक के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है, तो रिजर्व बैंक स्वयंमेव तदर्थ सरकारी कोष हुंडियों के स्तर को कम करने के लिए बाजार में सरकारी कोष हुंडियों का विक्रय करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में घोषित अपनी ऋण संबंधी नीति के भाग के रूप में मुद्रा-प्रसार की वृद्धि की सीमाओं के अन्तर्गत रखे जाने के अनेक उपायों की शुरूआत भी की है :-

(i) सुनिश्चित वाणिज्यिक बैंकों की समय अवधि संबंधी देयताओं और निवल मांग की 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत नकद प्रारक्षित भण्डार अनुपात में उर्ध्वगामी परिशोधन;

(ii) प्रारक्षित मुद्रा-भण्डार की वृद्धि को धीमा किए जाने के विचार को ध्यान में रखते हुए निर्यात ऋण पुनः वित्तपोषण सुविधाओं में कमी करना;

(iii) सूत और कपास, तिलहनों, वनस्पति तेलों और दालों के बदले में बैंक अग्रिम राशियों पर ऋण नियंत्रण को कठोर बनाना।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को 4 और 5 प्रतिशत तक सीमित करने की बात की थी। पिछले तीन वर्षों में लगातार ये बढ़ती जा रही है। इस वर्ष 7.6 प्रतिशत हो गया है। इसी कारण मूल्य वृद्धि भी होती है। फिस्कल डिसिप्लिन की आवश्यकता को मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में माना है, परंतु केन्द्र सरकार विभिन्न मंत्रालय और प्रदेश सरकारों में अनप्रोडक्टिव ऐक्सपेण्डीचर आनुपातिक खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं या नहीं, इसका कोई जिक्र भी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में नहीं किया है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके इन कदमों को उठाने के बाद केन्द्र के मंत्रालयों में अनप्रोडक्टिव ऐक्सपेण्डीचर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए और उसमें क्या सफलता मिली है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : यह प्रश्न व्यय के बारे में नहीं वरन् सरकार के अनुत्पादक मुद्रा प्रसार से संबंधित है। यदि माननीय सदस्य धन राशि के बारे में समग्र स्थिति जानना चाहते हैं तो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकार का घाटे का बजट 12 अगस्त, 1994 की स्थिति के अनुसार व्यय से राजस्व 917 करोड़ रुपये अधिक था जबकि 1993-94 की इसी अवधि के दौरान यह राजस्व से व्यय 21,750 करोड़ रुपये अधिक था। बजट स्थिति में अब काफी सुधार हुआ है।

जहां तक वर्तमान वित्त वर्ष का संबंध है तो केन्द्रीय सरकार को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया कुल ऋण मात्र 624 करोड़ रुपये हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह राशि 15,951 करोड़ रुपये थी।

महोदय, वित्त वर्ष में 5 अगस्त, 1994 तक आरक्षित धन में मात्र 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इसमें 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मुद्रा-प्रसार में विकास की दर भी धीमी रही। वित्त वर्ष में 5 अगस्त तक विकास दर 1993-94 में 6.6 प्रतिशत से घटकर 1994-95 में 6.4 प्रतिशत रह गयी। अतः विकास दर में कमी आयी।

अतः, मुद्रा सम्बंधी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों से तो स्थिति बहुत बढ़िया पेश की है और अभी पिछले सप्ताह से बहुत प्रचार चल रहा है कि मुद्रा-स्फीति भी सिंगल डिजिट में आ गई हैं। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये प्रोविज़नल ऐस्टीमेट के आधार पर किया जा रहा है। मुद्रा-स्फीति वास्तव में जब आप अंतिम आंकड़े जारी करेंगे तो 10.8 प्रतिशत होने की संभावना है। मंत्री महोदय ने जो कदम उठाए हैं, उनका जिक्र आपने अपने उत्तर में किया है। मैं जानना चाहूंगा कि इनके साथ क्या उत्पादन में इन कदमों को लेने में कमी नहीं आएगी। कहीं मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए आप ऋण सुविधाओं को और कठोर करने तो नहीं जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अब तक हुए उत्पादन के रुख से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष न्यूनतम पांच प्रतिशत की दर से विकास होगा औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में भी काफी वृद्धि हुई है। हमारे पास अप्रैल 1994 के आंकड़ उपलब्ध हैं। औद्योगिक उत्पादन में आठ प्रतिशत की दर विकास हुआ है जो कि उपयुक्त है।

सीमा शुल्क राजस्व और उत्पाद शुल्क राजस्व के आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष औद्योगिक कार्य-निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में व्यापक सुधार होगा।

रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से मुद्रा स्फीति में कमी आएगी लेकिन इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को कोई नुकसान नहीं होगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मुद्रा-प्रसार वृद्धि एक सीमा में रखे जाने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं, इन्हीं उपायों में विभिन्न कपास, तिलहन, वनस्पति तेलों आदि उत्पादों को जो अग्रिम ऋण दिया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। इन कठोर प्रतिबंधों के कारण एक असर तो यह पड़ा है कि बाजार में इन चीजों के दाम बढ़ गये हैं और मूल्य सूचकांक भी आगे गया है। इसके अतिरिक्त मुद्रा-स्फीति को जैसे आप रोकना चाहते हैं, वह संभव नहीं हो सका हैं भले ही आप दावा करते रहें कि वह दो अंकों से घटकर एक अंक में आ गयी है। मैं यह भी मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बजट घाटा 6 हजार करोड़ रुपये तक सीमित करने की बात उन्होंने कही थी, उसमें भी आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, इसलिए इन कदमों पर क्या आप पुनर्विचार करेंगे अथवा वर्तमान स्थिति क्या है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैंने पहले ही कहा था कि इस वर्ष 1994-95 के बजट में 6,000 करोड़ रुपये के घाटे के लिए प्रावधान है। वस्तुतः 12 अगस्त, 1994 तक बजट में घाटे के बजाय

बचत के लिए अवकाश था। अब तक की प्रगति से मुझे विश्वास है कि हम बजट घाटे को 6,000 करोड़ रुपये तक सीमित रख सकेंगे।

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मेरे दूसरे पार्ट का जबाव नहीं आया कि आपने जो प्रतिबंध लगाये हैं उसके कारण इन चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रहीं हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसे रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : चयनात्मक ऋण नीति का उद्देश्य कीमतों को बढ़ने से रोकना है तथा व्यापारियों और निर्माताओं द्वारा जमाखोरी को हतोत्साहित करना है। इस दृष्टि से चयनात्मक ऋण नीति सफल रही है। इससे कीमतों में वृद्धि नहीं होगी वरन् मूल्य वृद्धि की गति में कमी आनी चाहिए

श्री विजय एन॰ पाटील : एक तरफ तो सरकार ने उर्वरकों पर राज सहायता कम करके वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश की है तथा दूसरी तरफ बैंकों के कुप्रबन्ध पर उचित नियंत्रण नहीं किया है। सरकार ने बैंकों को घाटे की स्थिति से उबारने के लिये 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

सरकार बैंकों के प्रबंध को ठीक करने के लिये क्या कर रही है जो कि चैक तथा दूसरी चीजों पर वसूल की जा रही दरों को बढ़ा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से ही सम्बद्ध होना चाहिये।

श्री विजय एन॰ पाटील : मंत्री महोदय ने कपास, तिलहन, खाद्य तेल तथा दालों के लिए देय बैंक ऋण पर और अधिक नियंत्रण करने का उल्लेख किया है। यह सभी कृषि उत्पाद तथा आवश्यक वस्तुएं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन पर लगाए गए नियन्त्रणों को और अधिक कठोर बनाने पर फिर से विचार करेगी तथा वित्तीय घाटे को नियन्त्रित करने के लिये और कदम उठाएगी ?

श्री मनमोहन सिंह : चयनात्मक ऋण नियन्त्रण उपाय वित्तीय घाटे को नियन्त्रित करने के लिये नहीं है बल्कि अत्यंत आवश्यक वस्तुओं, जिनकी कीमतें काफी अधिक बढ़ गई हैं, के प्रति देय ऋण की वृद्धि पर नियन्त्रण करना है। इनसे न सिर्फ वित्तीय घाटा कम होगा अपितु छोटी-मोटी जमाखोरी तथा बड़े पैमाने पर की गयी जमाखोरी को भी रोका जा सकेगा जिसके परिणामस्वरूप कीमतें कम होंगी।

डा॰ मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मौद्रिक अर्थशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति में संतुलन किया जाना चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण हेतु अत्यधिक मुद्रा को जारी किया जाना रोकने के लिये इस तरह के कदम, उठाए हैं ? मुद्रास्फीति की दर भी नहीं बढ़नी चाहिये क्योंकि यह लुके-छुपे की जानी वाली डकैती है जिसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जाया जा सकता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वह हमेशा बताते रहते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : यह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है तथा मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि मुद्रास्फीति सबसे खराब किस्म का कर है और इसीलिये इसको कम करने के लिये हर सम्भव प्रयास करना चाहिये।

जहाँ तक मुद्रा स्फीति में मुद्रा आपूर्ति की सहायक भूमिका का प्रश्न है इस वर्ष मेरे द्वारा वर्णित सभी 'चर' चाहे वह बजट घाटा हो, या रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया कुल उधार हो या आरक्षित धन की वृद्धि हो या चाहे मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि ही क्यों न हो इन सबकी वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही है। इसी के साथ-साथ आपूर्ति सम्भावनाओं की वृद्धि के ही संकते सभी ओर से प्राप्त हो रहे हैं।

इस वर्ष जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था कम से कम 5 प्रतिशत की दर से विकसित होनी चाहिये। अप्रैल महीने के दौरान हुए औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों से पता चलता है कि देश औद्योगिक मंदी से बाहर आ गया है और इसी माह में औद्योगिक उत्पादन 8 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। सभी तरह से हमारे राजस्व में आशातीत वृद्धि हो रही है। सम्भवतः इस वर्ष कुल मांग और कुल पूर्ति में बेहतर तालमेल हो सकता है और इसीलिए मैं आशा करता हूं कि मुद्रा स्फीति का दबाव और भी कम हो जायेगा।

[हिन्दी]

दुर्घटना-प्रवण खानें

***464. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :**

श्री लाल बाबू राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्घटना-प्रवण खानों की पहचान कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन कोयला-खानों के विरूद्ध इस बीच कोई कार्यवाही की गई है, जहां 1989 से 1993 तक की अवधि के दौरान विनाशकारी दुर्घटनाएं हुई थीं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित जांच न्यायालय द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केवल दो कोयला कंपनियों अर्थात् भारत कोकिंग कोल मिलिटेड (बी० सी० सी० एल०) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई० सी० एल०) में दुर्घटना प्रवण खानों की पहचान की गयी है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ऐसी खानों की संख्या क्रमशः 10 और 12 है।

(ग) और (घ) 1989-93 के दौरान, किसी भी कोयला खान में कोई भी विनाशकारी दुर्घटना अर्थात् ऐसी दुर्घटना जिसमें दस अथवा अधिक व्यक्ति मारे गये हों, नहीं हुई। तथापि, जिन कोयला कंपनियों की कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में पत्र जारी करके अभियोजन और अन्य कार्रवाइयां की गयी हैं जिनमें उल्लंघनों, कार्य अनुपतियां वापस लिये जाने, सुधार नोटिस जारी किये जाने और रोजगार को प्रतिषिद्ध किये जाने वाले आदेशों के अधिरोपण का उल्लेख किया गया है।

(ङ) इस समय सरकार द्वारा नियुक्त केवल एक जांच न्यायालय है जो न्यू केन्डा कोलियरी में हुई दुर्घटना की जांच-पड़ताल कर रहा है। चूंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जांच कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गयी है अतः रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई भी निर्धारित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाटक : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989 से 1993 के दौरान गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या के आधार पर भारत कोकिंग कोल लि० की दस कोयला खान तथा ईस्टर्न कोल फील्ड्स की 12 कोयला खानें दुर्घटना वाली खानों के रूप में पहचानी गई हैं।

माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि इन खानों में हुई दुर्घटनाओं के खिलाफ कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। यही नहीं वर्ष 1993-94 के लिए सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे भी कम रहे। कोयला खानों में गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

अतः आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह खान महानिदेशक से पुरानी कोयला खानों के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर एक व्यापक सर्वेक्षण कराएंगे तथा कोयला तथा कोयला खान प्रबन्ध मंडल के साथ दोषियों को दंड दिए जाने तथा भविष्य में दुर्घटनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई जानकारी भयंकर दुर्घटना के बारे में है। उनको मैं यह बताना चाहता हूं कि साधारणतः वह दुर्घटनायें जिनमें दस से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनको ही भयंकर दुर्घटना कहा जाता है। इसीलिए उस अवधि में ऐसी कोई भयंकर दुर्घटना नहीं हुई है।

1994 में एक दुर्घटना हुई थी .....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों का ही जवाब देंगे न कि व्यवधानों का।

[व्यवधान]

श्री पी॰ ए॰ संगमा : मैं यह स्वीकार करता हूं कि देश में हुई सभी दुर्घटनाओं, जैसे छोटी-मोटी दुर्घटनायें, भयंकर दुर्घटनाएं, जानलेवा दुर्घटनायें तथा बड़ी भयंकर दुर्घटनायें, की संख्या काफी ज्यादा है। पर यह सच नहीं है कि इनमें वृद्धि हो रही है। सच यह है कि इनकी संख्या कम हो रही है .....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से व्यवधान मत करिये।

श्री पी॰ ए॰ संगमा : हालांकि संख्या में कमी हो रही है लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा है। 1986 में देश में एक हजार तीन सौ सैंतालीस दुर्घटनायें हुई थीं। 1991 में यह घटकर नौ सौ इकतालीस रह गई; 1992 में नौ सौ इकतालीस रह गई; 1992 में नौ सौ पचहत्तर तथा 1993 में नौ सौ इक्यावन दुर्घटनाएं हुई। मैं इसलिए में सहमत हूं कि संख्या काफी ज्यादा है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने पहले प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दिया है फिर भी मैं अपना दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ रहा हूं।

कोयला खान बचाव नियम 1985, उन सभी खानों पर लागू होता है जिनमें भूमि के नीचे 100 से अधिक मजदूर कार्य करते हैं। ऐसी खानों में बचाव केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेदारी वहां के खान प्रबंधकों की है। लेकिन जिन खानों में भूमि के नीचे 100 से कम मजदूर काम करते हैं वहां दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार के पास कौन से नियम और उपाय हैं ? क्या ऐसी खानों में बचाव केन्द्र कायम करने की जिम्मेदारी खान प्रबंधकों की है या नहीं ?

क्या खानों में स्थापित बचाव केन्द्रों पर पर्याप्त बचाव उपकरण उपलब्ध हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी॰ ए॰ संगमा : यह सच है कि हरेक खान में एक सुरक्षा सेल कार्य कर रहा है। वहां न सिर्फ सुरक्षा सेल है बल्कि श्रमिक निरीक्षक भी हैं जो कि एक नयी संकल्पना है। हरेक खान में एक त्रिपक्षीय समिति होती है जो कि समय-समय पर सम्बद्ध प्रबंध द्वारा किये गये कार्यों का पुनरीक्षण करती है। इसलिए श्रमिकों की भागीदारी काफी अच्छी रही है। यह कारगर योजना है। इसलिए सुरक्षा सेलों के अलावा श्रमिक निरीक्षकों की भी नियुक्ति की जाती है तथा किए जाने वाले सुरक्षा उपायों में श्रमिकों को पूरी तरह शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह मिसलीडिंग है। कैंडा खदान

की दुर्घटना के बाद इसी सदन में कोयला मंत्री ने घोषणा की थी कि हरेक खदान के लिए सेफ्टी आडिट्स नियुक्त होंगे। उन सभी सेफ्टी आडिट्स की रिपोर्ट आ चुकी है और हमने उसको गौर से देखा है।

ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में 105 खदान हैं और सभी खदानों में सेफ्टी वायलेशन होता है। सब विभागों के डी॰ जी॰ एम॰ एस॰ वहां पर कुछ काम नहीं करते हैं। इतना वायलेशन होते हुए भी वे खदानें चल रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इसी महीने में समसुन्दरपुर कोयलरी में एक सेफ्टी मैनेजर की मौत हो गयी, जिसके कारण वह खदान बंद करनी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री हाराधन राय : अमृतनगर कोयलरी में स्टेनिंग लोगिंग के कारण वहां आग लग गयी, जिसके कारण इस खदान को भी बंद करना पड़ा। बसरा कोयलरी में पानी के कारण सेफ्टी वेंटीलेटर की व्यवस्था मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। तथा वायलेशन कर रहा है, जिसके कारण खदान आग पकड़ लेती है। साइट फॉल व छत फॉल के कारण वहां के मजदूर घायल हो जाते हैं व कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

हमारे पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की 55 खदानों में प्रोडॅक्शन बंद कर दिया गया है जिसके कारण वहां माइन्स, कोयला व मजदूर बरबाद हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सेफ्टी आडिट पर तथा दोषी आफिसर्स को सजा देने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है ?

अध्यक्ष महोदय : आडिट रिपोर्ट पर आपने क्या एक्शन लिया है ?

[अनुवाद]

श्री पी॰ ए॰ संगमा : वास्तव में यह प्रबंधकों का काम है। कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया इन उपबंधों का पालन करने के लिए जिम्मेवार है। हमारा कर्तव्य समय-समय पर निरीक्षण करना और त्रुटियों के बारे में प्रबंधकों को बताना और उन्हें यह बताना है कि उन्हें इन त्रुटियों को ठीक कर लेना चाहिए। यदि कोई दुर्घटना होती है तो हम जांच करवाते हैं। इस बारे में मानीय सदस्य ने कहा कि उन्हें कोयला मंत्री से पहले ही जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है .....व्यवधान.....

मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कोयला, धातु और तेल की कुल मिलाकर 2373 खानें हैं जो जहां तक सुरक्षा का संबंध है खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास सम्पूर्ण देश के लिए केवल 147 निरीक्षक हैं। इस प्रकार हमारे पास जन शक्ति की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : इन लोगों की संख्या में वृद्धि कौन करेगा ?

श्री पी॰ ए॰ संगमा : मैं यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप हर बात का बोझ वित्त मंत्रालय पर नहीं डाल सकते।

श्री पी॰ ए॰ संगमा : वह मेरी समस्या है। किन्तु निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त न होने के बावजूद वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर वर्ष पांच हजार से अधिक निरीक्षण किये जाते हैं। मेरे पास इन सभी वर्षों के दौरान किये गये निरीक्षणों की सही संख्या के पूर्ण आंकड़े हैं। किन्तु पिछले पांच या छह सालों में किसी भी वर्ष पांच हजार से कम निरीक्षण नहीं किये गये हैं। इस तरह निरीक्षण तो किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जो बातें कहीं हैं वह डिफिकल्टी जायज है। चूंकि मैंने भी उस मंत्रालय में कुछ दिन काम किया है।

अध्यक्ष महोदय : तो आपने भी वह काम नहीं किया।

श्री राम विलास पासवान : मैंने तो पूरे डी॰ जी॰ एम॰ एस॰ को सस्पैंड कर दिया था। दिल्ली में डायरैक्टर और डिप्टी डायरैक्टर, दोनों को चार बजे भोर में जाकर सस्पैंड कर दिया था क्योंकि खुल्लमखुल्ला सेफ्टी का वॉयलेशन होता है। जब मैं मंत्री था तो एक बार धनबाद की माईन्स में डेढ़ किलोमीटर नीचे चला गया था। नीचे आदमी झुलस रहा था। वहां न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न लाइट की व्यवस्था थी और न ही सेफ्टी की कोई व्यवस्था थी। लेबर मिनिस्टर सिर्फ लेबर की प्रोबल्म देखता है और कोल और माइन्स मिनिस्ट्री उसकी असली मालिक होती है। वह मैनेजमैंट को देखती है। मैनेजमैंट और लेबर मिनिस्ट्री का हमेशा टकराव होता है।

अध्यक्ष महोदय : मरने वाले लोगों के लिए सरकार एक है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से वही सवाल पूछना चाहता हूं। हमने अपने समय में कोल मिनिस्ट्री, माइन्स मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री, तीनों का कोओर्डिनेशन कर दिया था और जिसकी जो रिसपौसीबिलिटी थी वहां उसकी समीक्षा होती थी। जो भी पदाधिकारी या मैनेजमैंट गलत पकड़े जाते थे, उनके खिलाफ कार्यवाही होती थी। क्या उसी तरह का मैनेजमैंट अभी चल रहा है क्योंकि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि अभी वैसा कोओर्डिनेशन नहीं है ? इसलिए कोल मिनिस्ट्री अलग फैसला लेती है, माइन्स मिनिस्ट्री अलग लेती है और लेबर मिनिस्ट्री अलग लेती है। यदि इस तरह का कोओर्डिनेशन नहीं है तो पिछले एक साल में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

श्री पी॰ ए॰ संगमा : महोदय, यह सच है कि निरीक्षण तथा प्रबंध दोनों ही के बारे में काफी सुधार किये जाने की जरूरत है और इस बारे में काफी ध्यान देना होगा किन्तु इन सब बातों से बढ़कर जो बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह श्रमिकों को शिक्षित करना और उन्हें भी शामिल करना है। जब मैं कोयला मंत्री था तब मैं स्वयं कई बार भूमिगत खानों में गया। पहले जब मैं श्रम मंत्री था तो मैंने देखा कि श्रमिकों को इस बात की कोई अधिक जानकारी नहीं थी कि उन्हें अपना बचाव किस प्रकार

करना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत ही रोचक है। हमारे यहां एक विशेष उपस्कर होता है–मैं उस उपस्कर का नाम तो नहीं जानता–जो जीवन रक्षक उपस्कर होता है जिसमें आक्सीजन भी होती है जो श्रमिकों को अपने साथ ले जाना होता है, जो उन्हें खान के अन्दर फंस जाने की स्थिति में एक घंटे से अधिक समय तक जीवित रख सकता है। अब ऐसे भी मामले हैं जब कि श्रमिकों ने ही इस उपस्कर को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया क्योंकि वे इसे आवश्यक नहीं समझते।

14 और 15 मई, 1993 को हुये पिछले राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन में श्रमिकों को शिक्षित करने पर बल दिया गया था क्योंकि अपने से बेहतर उनकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम श्रमिकों को भी सुरक्षा उपायों में शामिल कर रहे हैं। हमने प्रत्येक खान में एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित की है और श्रमिक निरीक्षकों की नियुक्ति की है। इसलिए शिक्षा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया है।

जहां तक सजा से सम्बन्धित प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है हमने इसके लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की है। मेरे पास सभी आंकड़े मौजूद हैं। 1989 में इन लोगों की संख्या 239 थी। 1990 में जब श्री राम विलास पासवान श्रम मंत्री थे 197 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। 1991-92 में यह संख्या 219 और 1992-93 में 948 थी।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1991 से लेकर अब तक नार्दन कोल फील्ड सिंगरौली में कुल कितने श्रमिक दुर्घटना होने की वजह से मरे ? उनमें नियमित श्रमिकों एवं बिहारी श्रमिकों की संख्या क्या थी तथा उन श्रमिकों के परिवार वालों को कितनी-कितनी सहायता दी गई ? क्या उन श्रमिकों के आश्रितों को नौकरी पर रखा गया ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप इसे बाद में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

बैंकों में ग्राहक-सेवा

***465. +श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक-सेवा का स्तर घटिया होने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए बैंकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गैर-सरकारी और विदेशी बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक-सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को ग्राहकों से समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। आम तौर पर ये शिकायतें पास बुक को अद्यतन करने में विलम्ब/अद्यतन करने से इंकार करने, चैक बुक जारी करने, बिलों और लिखतों के नकदीकरण/वसूल करने, ड्राफ्ट् जारी करने, कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, सेवा प्रभार वसूल करने आदि से संबंधित होती हैं।

सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक इन शिकायतों को संबंधित बैंकों के पास उचित कार्रवाई करने/शिकायतों को दूर करने/टिप्पणियां करने के लिए भेजता है। जहां कहीं आवश्यक होता है वहां भारतीय रिजर्व बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से संबधित बैंकों में आगे जांच करने के लिए अधिकारी भेजता है।

बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 1990 में भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एम॰ एन॰ गोईपोरिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था ताकि वह बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव दे सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट में व्यापक सिफारिशें की हैं जिनमें ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। समिति की स्वीकार की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान : अध्यक्ष महोदय, हम सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खराब सेवा से दुःखी हैं। परन्तु खराब और अकुशल सेवा के बावजूद भारतीय बैंक एसोसिएशन ने बैंकों को सेवा प्रभारों में वृद्धि करने का परामर्श दिया है। सेवा प्रभारों में यह वृद्धि 20 प्रतिशत से 400 प्रतिशत के बीच है। बाहर के चैकों के समाहरण पर सेवा प्रभारों में 233 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। कुछ बैंकों ने इन सेवा प्रभारों को लागू कर दिया है जबकि कुछ बैंकों ने नहीं किया है। बैंकिंग उद्योग में इस बारे में पूर्ण भ्रम की स्थिति है कि बढ़े हुए सेवा प्रभारों को लागू किया जाए अथवा नहीं और यदि लागू किया भी जाए तो उन्हें कितना बढ़ाया जाए। कुछ बैंक मुख्यालय से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैंकों में धन जमा करने वाले और बैंकों से ऋण लेने वाले, दोनों ही शोर कर रहे हैं। व्यापार, उद्योग और छोटी रकम जमा करने वालों की लगभग सभी एसोसिएशनों ने इन प्रभारों में हुई वृद्धि के विरूद्ध

शिकायत की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन सेवा प्रभारों में वृद्धि किस आधार पर की गई है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय या विभिन्न बैंकों द्वारा कोई लागत विश्लेषण किया गया है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सेवा प्रभारों में अंतिम बार जुलाई 1990 में संशोधन किया गया था। उस के बाद से सेवा प्रदान करने की लागत में वृद्धि हुई है और बैंक सेवा प्रभारों में संशोधन करने का विचार करते रहे हैं। बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की लागत का आकलन करने और ऐसी सेवाओं के लिए बैंकमार्क शुल्क की अनुशंसा करने के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन ने 1993 में लागत निर्धारण ग्रुप का गठन किया था। इस ग्रुप में विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और सहकारिता क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधि शामिल थे। इस एसोसिएशन की प्रबंधक समिति ने जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के बैंकों के मुख्य कार्यकारी शामिल थे, कई महीनों तक अनेक बैठकें करके उक्त ग्रुप की सिफारिशों को संतुलित बनाया था। अत: माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर यह है कि लागत-निर्धारण का कार्य वास्तव में भारतीय बैंक एसोसिएशन ने किया था। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रभारों में भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा घोषित वृद्धि को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। भारतीय बैंक एसोशिएशन इस मामले पर एक बार फिर विचार कर रही है।

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान : महोदय, एक ओर तो बैंकों में सेवाओं में गिरावट आ रही है और दूसरी ओर यह सूचना है कि 25,000 बैंक कर्मचारी अपने कार्य के समय यूनियन गतिविधियों में लगे रहते हैं। बैंकों के मुख्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों में तो आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं परन्तु बैंकों की शाखाओं में कर्मचारियों की कमी है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो केवल एक अधिकारी, एक लिपिक और एक चपरासी ही बैंक का कार्य चला रहे हैं। वे अधिकतर ग्रामीण शाखाओं का काम निपटाने की स्थिति में नहीं होते।

महोदय, ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए ग्राहक शिकायत कक्ष का भी गठन किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है और मैं यह पूछना चाहूंगा कि कितनी शिकायतें छह माह से अधिक समय से लम्बित पड़ी हैं। अपने प्रश्न के दूसरे भाग में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा बैंकों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों की यूनियनों से चर्चा की गई है ?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के बारे में माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। इन सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में निरंतर शिकायतें मिलती रही हैं और इन सेवाओं के बारे में मैं स्वयं भी बहुत नाखुश हूं। मैंने इस संबंध में अपने स्तर पर अनेक बार यूनियनों के साथ भी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। भारतीय रिजर्व बैंक भी इस मामले के बारे में चिंतित रहा है तथा इस प्रश्न पर विचार करने के लिए भारतीय स्टेट

माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस सर्विस सैक्टर में, बैंकिंग सैक्टर में विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों को ला रहे हैं ? यदि ला रहे हैं, तो उनकी सेवा के मुकाबले यह राष्ट्रीयकृत बैंक किस प्रकार से सेवा की प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे ? अगर उसका मुकाबला करने के लिए आप कम्प्यूटराइजेशन और मकैनाइजेशन करने जा रहे हैं तो वर्तमान समय में बैंक में जो आपका स्टाफ है, अगर वह सरप्लस होगा तो उसके लिए कोई कार्य योजना आपके पास है ?

इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, मेरे प्रश्न का 'ख' भाग है, आपने स्वीकार किया है कि श्री एम॰ एन॰ गोइपोरिया, पूर्व अध्यक्ष सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, के माध्यम से कमेटी बैठाई थी, इस कमेटी ने सेवा में गुणात्मक सुधार करने के लिए सुझाव दिए थे। इन में से कुछ को आपने स्वीकार किया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को लागू करने के लिए कहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। मेरा प्रश्न यह है, वे कौन से सुधार थे, जिनको आपने स्वीकार किया है और कौन से ऐसे सुधार के विषय थे, जिनको आपने अस्वीकृत किया है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, इस सूची में सैंकड़ों सिफारिशें हैं। मैं इसे माननीय सदस्य को सुलभ करा दूंगा। यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़ दूंगा पर इसमें बहुत समय लगा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे भेज सकते हैं।

श्री सत्य देव सिंह : महोदय, प्रश्न का पहला भाग बड़ा महत्त्वपूर्ण है .....व्यवधान.....

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, बैंक काउंटर पर तैनात के समक्ष यदि कोई सर्वाधिक अनपेक्षित व्यक्ति हैं तो वह भद्र पुरुष जिन्हें सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, वे हैं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थी । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन लाभार्थियों को ग्राहक जैसा माना जाता है क्योंकि ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जबकि उनके आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिये गये कि प्रयोजक एजेंसी ने इससे पहले किसी चूककर्ता का नाम प्रायोजित किया था और इस कारण नये आवेदक को जिसे पिछले आवेदक से कोई सरोकार नहीं है इस लाभ से वंचित रखा जाता है हालांकि बैंक को इसकी सिफरिश की जा चुकी है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय मैं मानता हूं कि हमें समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के कार्यकरण के बारे में तथा बैंकों द्वारा स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति की सहायता करने में उदासीनता बरतने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन इस समस्या का कोई समान रूप से एक ही ढंग से समाधान नहीं किया जा सकता है। इसमें तत्कालीन मन:स्थिति भी अपना महत्व है। हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक-सेवा अपेक्षित स्तर की नहीं है। मेरे विचार से इसके लिये यूनियनें और प्रबंधक दोनों ही दोषी हैं। सरकार और रिजर्व बैंक इस संबंध में चिंतित हैं और इसके समाधान के लिए हमने कई उपाय किए हैं। परन्तु फिर भी मैं यह मानता हूं कि ग्राहक सेवा उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी।

बैंक के भूतपूर्व चेयरमैन श्री गोइपोरिया की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने ग्राहक सेवा में सुधार के बारे में बड़ी संख्या में सिफारिशें की हैं। वास्तव में, इनमें से अनेक सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे बैंकों में ग्राहक सेवा उतनी अच्छी नहीं है जितनी की वह होनी चाहिए। मैंने स्वयं इस बारे में बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की थी।

बैंकों ने हाल ही में अपनी सेवाओं की गुणवत्त में सुधार लाने के लिए कम से कम 400 शाखाओं को कम्प्यूट्रीकृत करने का निर्णय लिया है। 36 ग्राहक सेवा केन्द्र विद्यमान हैं। लेकिन मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि ये ग्राहक सेवा केन्द्र अधिकांशत: डाकघर सिद्ध हुए हैं। वे ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त होने के बाद उन्हें विभिन्न बैंकों को भेजते हैं। अत: वे उतनी दक्षता से कार्य नहीं कर रहे हैं जैसी कि उनसे अपेक्षा है।

पिछले वर्ष मैंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों को सुझाव दिया प्रत्येक बैंक का ओमबड्समैन जैसी एक संस्था होनी चाहिए ताकि यदि लोगों की बैंकों के खिलाफ कोई शिकायत है तो वह उस ओमबड्समैन के पास जा सकें जो तत्पश्चात उसकी समुचित जांच करेगा। मैं समझता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक ने लोकपाल की तरह की एक संस्था बनाने का निर्णय पहले ही ले लिया है जो शिकायतें प्राप्त करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक भी इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, बैंकों के मुख्य कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों में बहुत अधिक कर्मचारी हैं। क्या मंत्रालय इस पहलू पर विचार कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को इसका उत्तर देने के लिए नहीं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। वे स्वयं इस बात से बिल्कुल असंतुष्ट हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो सर्विस सैक्टर है, जो सेवा का भाव है, उसका बिल्कुल अभाव है।

19 जुलाई, 1969 को आपने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और 15 अप्रैल, 1980 को बाकी 6 बैंकों का किया। आज यहां पर आपने जो मौखिक स्वीकारोक्ति की है या जो आपने लिखित उत्तर दिया है, उसमें आप बड़ा हिस्सा भूल गये हैं बैंकों में ग्राहक सेवा के अन्दर जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो दोष हैं, उसके पीछे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है। हमारे प्रश्न के "ख" भाग में था, "यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये बैंकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?" इसका कोई भी उल्लेख आपने अपने रिटिन उत्तर में नहीं किया है।

जब आपने नैशनलाइजेशन किया था तो उसके कुछ सामाजिक उद्देश्य थे। वह सामाजिक उद्देश्य आज खत्म हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में भ्रष्टाचार इस सीमा तक आगे बढ़ा हुआ है, जिसका हिसाब नहीं है और आम आदमी वहां से प्रभावित हो रहा है। मेरे प्रश्न के "क" भाग में मैं आपके

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पहले सवाल के जवाब में कहा था, सर्विस चार्ज में जो बढ़ोतरी हुई थी, उसको वापिस ले लिया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। फिर उनहोंने कहा है, भविष्य के लिए यह विचाराधीन है, इसलिए इसके बढ़ने की आशा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में लोग चैक से जो छोटे-छोटे ट्रान्जैक्शन्स करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में भिजवाते हैं, उन पर इस दौरान काफी बोझ बढ़ गया है क्या मंत्री जी इस पर दोबारा विचार करेंगे ? क्या आप 500 या 100 रुपये की राशि निश्चित करेंगे कि इस राशि के ऊपर किसी प्रकार की बढ़ोतरी न की जाए ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय सर्विस चार्ज ऐसी मद है जिसके बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं किया जाता है। इसके बारे में इंडियन बैंक एसोसिएशन निर्णय करती है। जिसमें सरकारी बैंकों, निजी बैंकों तथा सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सर्विस चार्ज में पिछली बार संशोधन जुलाई 1990 में किया गया था। तब से लागत बढ़ी है। और बैंकों से यह भी आशा नहीं की जा सकती कि वह यह सब स्वयं वहन करें। कुछ बैंक घाटे में चल रहे हैं। उन्हें कभी न कभी सर्विस चार्ज बढ़ाकर इसे पूरा करना ही पड़ेगा। परन्तु मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव को मानता हूं कि सर्विस चार्ज तय करते समय आदिवासी क्षेत्रों तथा दूसरे पिछड़े क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इंडियन बैंक एसोसिएशन को इस आशय की सूचना भेज दी गई है।

श्री पृथ्वीराज डी॰ चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं गोइपोरिया समिति की रिपोर्ट के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस समिति ने कई सिफारिशें और महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं जो बैंकों के सेवा-स्तर में सुधार के बारे में हैं। किंतु सच तो यह है कि अन्य बैंकों की तुलना में कुछ बैंकों ने बहुत ज्यादा प्रगति की है। माननीय मंत्री से मेरा यह प्रश्न है कि बैंकों द्वारा इन सिफारिशों का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय में कौन सा तंत्र विद्यमान है ? क्या मंत्री इसके मूक दर्शक बने रहेंगे और इस संबंध में बैंकों द्वारा पहल किये जाने की प्रतीक्षा करेंगे जैसी कि भारतीय स्टेट बैंक ने 'ओयबड्समस' की नियुक्ति करके की है ? क्या आप कोई विशेष कार्यवाही करेंगे जैसी कि आपने उन बैंकों में, जहां बैंक अधिकारी दूसरे बैंक से आते हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति करके की है।

क्या आप बैंक सेवा स्तर की जांच हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी की गुणवत्ता जांच प्रबंधक के रूप में नियुक्ति करेंगे ?

श्री मनमोहन सिंह : सरकार के पास ऐसा कोई सरल तरीका नहीं है जिससे ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सके। अंततः स्वयं हमारे बैंकों में ही ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए ताकि वे ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहें। बढ़ती स्पर्द्धा तथा ग्राहक के पास अपनी पसंद

के बैंक चुनने की बेहतर सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुझे यकीन है कि बैंक कुछ समय बाद बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रति अधिक सचेत हो जायेंगे। यह जरूरी नहीं है और मेरे विचार से यह सरकार के लिये व्यावहारिक भी नहीं होगा कि वह बैंकों में सरकारी समितियों के रूप में ऐसे ग्राहक सेवा अधिकारी नियुक्त करे। बैंकों को स्वयं ही उपयुक्त कदम उठाना होगा। हम यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नशीली दवाओं की समस्या संबंधी समिति

*466. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या से निपटने के लिए समिति वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा हेतु बनाई गई उच्च समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) उच्च स्तरीय समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी।

[अनुवाद]

कालीन उद्योग में बाल श्रमिक

*467. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेस ऑन एक्सपोर्ट आफ कार्पोट्स लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कालीन उद्योग, विशेष रूप से मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी जैसे प्रमुख कालीन-केन्द्रों में कितने बच्चे काम कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को कालीन उद्योग में कार्य कर रहे बच्चों की शिक्षा और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में बाल-श्रमिक प्रथा को समाप्त करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) वह समाचार अन्य बातों के साथ-साथ, कालीन उद्योग के बाल श्रमिकों की शैक्षणिक और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक कल्याण निधि स्थापित करने के प्रस्ताव; कालीन निर्माताओं के इस विचार कि कालीन केन्द्रों में कुछ गांवों में बाल श्रम समाप्त कर दिया गया है; और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आरंभ की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, से संबंधित है। उस समाचार में यह भी कहा गया था कि 3 जिलाधीशों को बालकों की शैक्षणिक और कल्याण आवश्यकताओं के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

(ग) कालीन उद्योग में नियोजित बालकों की संख्या के संबंध में अलग से डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या मिर्जापुर में 50,510 और वाराणसी (भदोही सहित जो अब तक पृथक जिला है) में 46,702 है।

(घ) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता

"हब और स्पोक" व्यवस्था

***468. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया "हब और स्पोक" व्यवस्था के अंतर्गत उड़ानों का परिचालन कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस व्यवस्था के अंतर्गत किन-किन मार्गों को शामिल किया गया है,

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत विशेषत: कड़ाई से समय-सारिणी का पालन करने के संबंध में इंडियन एयरलाइन्स का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया की ओर से इंडियन एयरलाइंस निम्नलिखित सेक्टरों पर उड़ानें प्रचालित करती है :–

बंबई-अहमदाबाद-बंबई	सप्ताह में एक बार
बंबई-हैदराबाद-बंबई	सप्ताह में तीन बार
दिल्ली अमृतसर-दिल्ली	सप्ताह में दो बार
दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली	सप्ताह में दो बार

इन उड़ानों पर विमान और कर्मीदल इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं किन्तु उड़ानें एअर इंडिया की उड़ान संख्या से प्रचालित की जाती हैं।

(ग) से (ङ) प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण जो या तो एअर इंडिया को अंतराष्ट्रीय सैक्टर पर लंबी दूरी की उड़ानों में विलंब के कारण अथवा इंडियन एयरलाइन्स के कर्मीदल/विमान की अनुपलब्धता के कारण, अनुसूची के अनुसार कई हज और स्पोक उड़ानें प्रचलित नहीं की जा सकी। तथापि, दोनों एयरलाइनें उड़ानों में विलंब/रद्दीकरण की संख्या कम करके बेहतर आन-टाइम निष्पादन करने के लिए प्रयत्नरत है।

विदेशी ऋण की अदायगी

*469. डॉ॰ महादीपक सिंह शाक्य :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को विदेशी ऋण की अदायगी हेतु आगामी वर्षों के दौरान लगातार अधिक राशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान ब्याज सहित ऋण की किस्त के रूप में अदायगी के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राशि के भुगतान हेतु अधिक विदेशी ऋण और स्वदेशी संसाधनों का प्रतिशत निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार घरेलू प्रयासों के माध्यम से संसाधनों के जुटाए जाने को विदेशी ऋणों के रूप में उनका प्रतिस्थापन नहीं मानती। तथापि, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपलब्ध कुल निवेश परिव्ययों और आंतरिक संसाधनों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशी संसाधनों को जुटाना पड़ता है। भविष्य के ऋण-परिशोधन भुगतान न केवल विगत के ऋणों पर बल्कि चालू और भविष्य में लिए जाने वाले ऋणों पर भी निर्भर करता है। इस लिए, भविष्य की यथार्थ ऋण परिशोधन अनुसूची को निर्दिष्ट करना कठिन है, बल्कि आज की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋणों पर मूलधन और ब्याज की वापसी अदायगी के प्रति ऋण परिशोधन संबंधी भुगतान पर देश की देयताएं 1994-95 में 7997 मिलियन अमरीकी डालर, 1995-96 में 8915 मिलियन अमरीकी डालर और 1996-97 में 10531 मिलियन अमरीकी डालर हैं। इन ऋण-परिशोधन संबंधी बाध्यताओं का वित्त पोषण निर्यातों की वृद्धि और अन्य विदेशी मुद्रा उपार्जनों सहित हमारे भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी लेखा दोनों ही के अनेक घटकों पर निर्भर करेगी। सरकार अपनी पुनर्भुगतान संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं करती।

(ग) और (घ) सरकार देश की विदेशी ऋण देयताओं के प्रति जागरूक है और देश की ऋण ग्रस्तता तथा ऋण परिशोधन के संभावित बोझ के स्तर पर लगातार निगरानी रखती है। विदेशी ऋणों के संबंध में संविदा करते समय सदैव इस बात का ध्यान रखा जाता है कि देश के ऋण-भार और ऋण परिशोधन संबंधी देयताएं इस प्रकार के ऋणों को चुकाने में अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो जाएं। सरकार ने आर्थिक सुधारों का एक कार्यक्रम पहले से ही आरम्भ किया हुआ है जिसका उद्देश्य दीर्घावधिक पुनर्निर्माण के साथ स्थिरता लाना है। ये सुधार देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे तथा हमारी निर्यात उपार्जन क्षमता सहित विकास की प्रक्रिया का पुनरूद्धार करेंगे ताकि ऋणों की वापसी अदायगी करने की हमारी क्षमता में वृद्धि हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि ऋण-परिशोधन का यह भार ऐसे ऋणों को चुकाने में अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न बढ़ने पाए।

विश्व बैंक द्वारा ऋण रद्द किया जाना

*470. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को दिए जाने वाले 75 करोड़ डालर के विद्युत ऋण को राज्य विद्युत बोर्डों के घटिया कार्यानिष्पादन के कारण रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऋण के रद्द होने से प्रभावित होने वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) विश्व बैंक से ऋण न मिलने से प्रभावित होने वाली परियोजनाओं को चालू रखने हेतु सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राज्य बिजली बोर्डों की उन परियोजनाओं के ब्यौरे जिनके ऋण विश्व बैंक ने रद्द किए हैं, कारणों का उल्लेख करते हुए नीचे दिए गए हैं :–

क्रम सं॰	परियोजना/ कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	आरम्भ होने की तारीख	बन्द होने की तारीख	रद्द की गई राशि मिलियन अमरीकी डालर	रद्द किए जाने का कारण
1.	केरल विद्युत परियोजना, के॰ एस॰-ई॰ बी॰, केरल	5.3.86	31.3.94	35/(93-94)	मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव आने के कारण बचतें
2.	कर्नाटक-I के॰ ई॰ बी/के॰ पी॰ सी॰ एल॰ कर्नाटक	28.12.87	31.12.95	250/(93-94)	राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उन ऋणों के प्रसंविदाओं को

					क्यारों सहित अनुपालन न किया जाना जिसके आधार पर ऋणों का प्रबंध किया गया था और जिन्हें राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया था।
3.	कर्नाटक-II के॰ ई॰ बी/के॰ पी॰ सी॰ एल॰, कर्नाटक	27.7.88	31.12.96	218/(93-94)	तदैव
4.	चंद्रपुर तापीय विद्युत-एम॰ एस॰ ई॰ बी॰, महाराष्ट्र	20.2.86	31.3.94	80/(94-95)	तदैव
	जोड़:			583	

(घ) कर्नाटक विद्युत परियोजना-I और कर्नाटक विद्युत परियोजना-II के मामले में कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र को शामिल करते हुए इन परियोजनाओं को पूरा करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। चन्द्रपुर तापीय विद्युत परियोजना के मामले में विश्व बैंक के ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन करने की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य सरकार इस विषय पर विश्व बैंक से बातचीत कर रही है।

[अनुवाद]

चाय बागानों में बाल श्रमिक

*471. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में चाय बागानों में अनुमानतः कितने बच्चे कार्यरत हैं ;

(ख) ये आंकड़े किस प्रकार एकत्र किए जाते हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इन बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) जबकि देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या से संबंधित प्रामाणिक आंकड़े दस वर्षीय जनगणना में उपलब्ध हैं परन्तु बाल श्रमिक जन संख्या का उद्योग-वार अलग से ब्यौरा नहीं है। अतः चाय बागानों में नियोजित बाल श्रमिकों

को अनुमानित संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है। तथापि 1981 की जनगणना के अनुसार पशुधन, मछली पकड़ने, वानिकी, शिकार करने, बागानों आदि में नियोजित कुल बालकों की संख्या 7,04,000 है (जिसमें चाय बागानों में कार्यरत बाल श्रमिकों के आंकड़े सम्मिलित हैं)। देश भर में नियोजित कुल बाल श्रमिकों का यह 6.3% है। 1971 की जनगणना के अनुसार उपर्युक्त व्यवसायों के संबंध में बाल श्रमिक आंकड़ा, 8,85,000 था जो कुल बाल श्रमिक जन संख्या का 8.25% था।

(ग) चाय बागानों में कार्यरत बालकों की शिक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण हेतु कोई अनन्य उपाय नहीं किये गये हैं। तथापि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, सहायता अनुदान योजनाओं और अंतराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गयी परियोजनाओं में बागानों सहित कामकाजी बालकों हेतु शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अतिरिक्त पोषाणाहार का प्रावधान है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत आरंभ कार्यक्रमों के अंतर्गत बालकों को उनकी अनौपचारिक शिक्षा के दौरान 100 रुपये प्रतिमाह बजीफे का एक अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है।

निर्यात के लिए प्रोत्साहन

***472. श्री मोहन रावले :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विभिन्न राज्यों से निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन एवं सहायता की मंजूरी के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों एवं सुझावों तथा उन पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श पर आधारित सुझावों के प्रत्युअत्तर में केन्द्र सरकार ने एक योजना तैयार की थी जिसके आधार पर अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य के किसी एक अभिकरण/निर्यात निगम को निर्यात घराने का दर्जा देने के लिए नामित किया है चाहे उसका निर्यात निष्पादन/निर्यात स्तर कुछ भी रहा हो।

2. राज्य सरकारों एवं योजना आयोग के परामर्श से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई है। अभी तक 20 राज्य सरकारों ने वर्ष 1994-95 के दौरान ई पी आई पी पार्कों की स्थापना करने में रूचि दिखाई है।

3. कुछ राज्यों ने विदेशी डाकघर खोलने का भी अनुरोध किया है। डाक विभाग इन्हें निरन्तर आधार पर खोल रहा है।

4. व्यापार के लिए अन्तरदेशीय परिवहन सुविधा में सुधार के बारे में राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर केन्द्र सरकार राज्य सरकार के उद्यमों तथा निजी क्षेत्र द्वारा इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी देता रहा है।

5. त्रिपुरा, मुरादाबाद आदि जैसे निर्यातोन्मुख नगरों में ढांचागत बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने संबंधी सुझाव भी मिले हैं, इस संबंध में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, उठाए जाने वाले निश्चित कदमों का पता लगा रहे हैं।

6. राज्य सरकारों से ऐसे भी सुझाव मिले हैं जिनमें उन्होंने ऐसे प्रावधान करने का अनुरोध किया है जिसके जरिए निर्यात से अर्जित राशि का एक निर्धारित प्रतिशत राज्य सरकारों को निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने, निर्यात संवर्धन एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाला निर्यात प्रोत्साहन के तौर पर विशेष सहायता के रूप में, उपलब्ध कराया जा सके। इस बारे में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय तथा योजना आयोग को लिखा गया है और राज्य सरकारों को भी विस्तृत विवरण/योजनाएं भेजने के लिए कहा गया है।

सहकारी बैंक

*473. **श्री राम कापसे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज की दर के संबंध में समय-समय पर निर्धारित मार्गनिर्देशों का सहकारी बैंकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार को उक्त मार्ग-निर्देशों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने सहकारी बैंकों द्वारा लिए जाने वाले उधारों के संबंध में कोई ब्याज दरें निर्धारित नहीं की हैं। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को जमाराशियों तथा अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में समय-समय पर अनुदेश/निर्देश जारी किए जाते हैं। सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के इन अनुदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों/निर्देशों के अनुपालन की निगरानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सहकारी बैंकों के निरीक्षण के दौरान की जाती है। जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों/निर्देशों का उल्लंघन नाबार्ड के ध्यान में आता है या इस संबंध में नाबार्ड को जब कभी कोई शिकायत सीधे या सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है, तो नाबार्ड उसे सुधार/उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित सहकारी बैंकों के साथ उठाता है।

सीमाशुल्क की वसूली

*474. श्री एस॰ बी॰ सिद्नाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान सीमाशुल्क की वसूली में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीमाशुल्क की अधिकतम वसूली के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान सीमाशुल्कों से प्राप्त राजस्व में संशोधित अनुमानों से 1.82% की कमी रही है। यह मामूली सी कमी दो मुख्य कारणों से हुई है जिसमें से एक है वर्ष 1994-95 के बजट में घोषित शुल्क रियायतें जिनके कारण वर्ष 1994 के मार्च के महीने में वसूलियों पर प्रभाव पड़ा है और दूसरा आयातों के मूल्य में संभावित स्तर की तुलना में थोड़ी सी कमी रहना है। वर्ष 1993-94 पहले ही समाप्त हो चुका है। तथापि, सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक राजस्व वसूली करने के लिए कई कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

बौद्ध पर्यटक

*475 श्री भीम सिंह पटेल :

श्री के॰ प्रधानी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशी बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम/योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में प्रतिवर्ष आने वाले ऐसे पर्यटकों की वास्तविक संख्या क्या थी ;

(ङ) विश्व-मानचित्र पर देश के किन-किन स्थानों को बौद्ध पर्यटक स्थलों के रूप में रखा गया है ;

(च) क्या सरकार का विचार कुछ और स्थानों को बौद्ध पर्यटन विश्व मानचित्र पर लाने का है ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सरकार ने भारत में विदेशों से बौद्ध पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए एक दोहरी नीति तैयार की है, पहली जापान, मलेशिया, सिंगापुर और बैंकाक स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से विस्तृत विपणन और प्रचार अभियान शुरू करना और दूसरी उत्तर प्रदेश और बिहार में भगवान बुद्ध के जीवन और काल से सीधे जुड़े हुए अभिनिर्धारित बौद्ध यात्रा परिपथों के साथ-साथ मौजूदा आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।

2. सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) के साथ 9.244 बिलियन जापान येन के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के लिए संरक्षण और पर्यटन की विकास योजना हेतु 3734 मिलियन जापानी येन की राशि का जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) के साथ एक ऋण करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

3. बौद्धगया, नालंदा, राजगीर और सारनाथ में बौद्ध विरासत स्थलों के लिए संकल्पना योजना तैयार करने हेतु यू एस ए की नेशनल पार्क सर्विस (एन पी एस) की नियुक्ति की गई है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान जिन प्रमुख देशों से ऐसे पर्यटकों ने भारत की यात्रा की उन देशों के नाम तथा पर्यटकों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :–

	1991	1992	1993
इंडोनेशिया	4209	4918	4593
जापान	46655	60137	49616
श्रीलंका	70088	71935	76898
थाइलैंड	11354	12620	12806
चीन (ताइवान)	1081	2199	2676

(ङ) से (ज) भगवान बुद्ध के जीवन और काल से सीधे जुड़े हुए बौद्ध केन्द्रों/स्थलों के नामों में शामिल हैं–बिहार में बौद्धगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली तथा उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा और श्रावस्ती।

[अनुवाद]

भारतीय माल पर आयात शुल्क

*476. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री रवि राय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने, भारत को अपने माल पर शून्य आयात-शुल्क संबंधी लाभ से वंचित रखने के लिए "माड्यूलेशन और ग्रैजुएशन" प्रणाली अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यूरोपीय संघ द्वारा लागू की जा रही अधिमान संबंधी नई सामान्य योजना से कृषि उत्पादों का शुल्क-मुक्त आयात समाप्त हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) यूरोपीय समुदाय वर्ष 1995 से 2004 तक लागू अपनी सामान्यीकृत अधिमानता योजना को संशोधित करने की प्रक्रिया में लगा है। यूरोपीय आयोग द्वारा मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ एवं निर्णय के लिए भेजे गए मसौदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, "टैरिफ मॉड्यूलेशन" और "ग्रेजुएशन" संबंधी प्रस्ताव शामिल है। मॉड्यूलेशन प्रस्ताव के अनुसार, निर्धारित धनराशि, टैरिफ कोटा या टैरिफ की उच्चतम सीमा टैरिफ माड्यूलेशन द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों (उत्पाद या उत्पाद-समूह) को संवेदनशीलता का पता लगेगा। पात्र उत्पाद संवेदनशील और गैर संवेदनशील क्षेत्रों (उत्पादों) में वर्गीकृत किए जाएंगे और ये अधिमानता शुल्क के विभिन्न दरों के अध्यधीन होंगे। नई "ग्रेजुएशन" नीति के तहत, ऐसे निर्यातक देश, जिन्होंने कुछ क्षेत्रों में कुछ व्यापार-विशेषज्ञता हासिल कर ली हो, उन्हें उन क्षेत्रों में जी एस पी नहीं दी जाएगी। ग्रेजुएशन लागू करते समय विशेषज्ञता मानदंड के साथ-साथ विकास संबंधी कारक को ध्यान में रखा जाएगा।

नए प्रस्तावों से कई लाभग्राही देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। वस्त्र एवं चमड़ा जैसे क्षेत्रों में भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। कृषि-उत्पादों के लिए निःशुल्क पहुंच से इन्कार करने के संबंध में यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में कोई संकेत नहीं है। सरकार भारत के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय आयोग और साथ ही यूरोपीय समुदाय के सदस्य राज्यों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आवास बैंक

***477. श्री छेदी पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विभिन्न जमा-योजनाओं के अंतर्गत कितनी जमा राशियां एकत्र की गई ;

(ख) उक्त बैंक ने आवास सुविधाओं के विस्तार हेतु कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की ; और

(ग) इस बैंक द्वारा मध्यम वर्ग और कमजोर वर्गों के लिये शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि समय-समय पर चलाई गई अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उसने निम्नलिखित जमाराशि जुटाई है :-

(i) "गृह ऋण खाता योजना" नामक ऋण से जुड़ी एक योजना जुलाई, 1989 में लागू की गई थी जिसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों, कुछ अनुसूचित बैंकों और मान्यता प्राप्त कुछ आवास वित्त कम्पनियों के मार्फत चलाया जा रहा है। कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा योजना के अन्तर्गत 31.3.1994 तक 358.29 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई है।

(ii) जुलाई, 1990 में 9% पूंजी लाभ बाण्ड योजना चलाई गई थी जिसे 30 सितम्बर, 1992 को बन्द कर दिया गया। योजना के तहत 159.73 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। चूंकि बाण्डों की परिपक्वता अवधि 3 वर्षों की थी, अत: इन बाण्डों का शोधन प्रारम्भ हो गया है।

(iii) दिनांक 1.10.1991 को स्वैच्छिक जमा योजना लागू की गई थी और 31.1.1992 को उसे बंद कर दिया गया। इस योजना के तहत 154.55 करोड़ रुपए कुल राशि एकत्रित की गयी थी जिसमें से 40% राशि को (अर्थात् 61.82 करोड़ रुपए) राष्ट्रीय आवास बैंक विशेष निधि में योजना के अनुसार अन्तरित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक ने पात्र संस्थाओं को जून, 1994 तक 2006.64 करोड़ रुपए की संचयी पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय आवास बैंक, अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त कम्पनियों और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनके द्वारा संवितरित पात्र आवास ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र आवास ऋणों को कवर करने वाले राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में भी अंशदान करता है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाई जाने वाली भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के लिए भी राष्ट्रीय आवास बैंक पुनर्वित्त प्रदान करता है। भूमि विकास और आश्रय परियोजना के मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कल्पना की गई है कि निर्मित मकानों के 75% का आकार 50 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए या 3 लाख रुपए प्रति आवास इकाई से अधिक इसकी लागत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के पात्रता मानदंडों को मध्यम वर्ग के हित में बनाया गया है। इसके साथ ही कमजोर वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवास बैंक आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को ऋण सहायता प्रदान करता रहा है।

[अनुवाद]

वित्तीय क्षेत्र में सुधार

*478. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अपनी रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की धीमीप्रगति के संबंध में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बाल-श्रमिक

*479. **श्री श्रीकान्त जेना :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों की न्यूनतम आयु-सीमा और उनके नियोजन संबंधी व्यवसाय विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) राज्यों, में सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के नियोजन में विभिन्न श्रम-कानूनों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने वाले सरकारी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) श्रम-कानूनों और उनके क्रियान्वयन में खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) (क) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बालक की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। इसके अतिरिक्त बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, में उपर्युक्त प्रावधान करके, कतिपय अन्य अधिनियमों में अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 में भी "बालक" की परिभाषा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत की गयी परिभाषा के समरूप बनाने के लिए, संशोधन किया गया है। बागान श्रम अधिनियम, 1951 जो कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है, को छोड़कर, यह सभी अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होते हैं। अतः बाल श्रमिक की आयु सीमा राज्य दर राज्य अलग-अलग नहीं है।

बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 से संलग्न अनुसूची के दो भाग हैं, भाग-क और भाग-ख। उन व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं, जिनमें बाल श्रम प्रतिषिद्ध है, का उल्लेख क्रमशः इस सूची के भाग क और ख में किया गया है। इस अनुसूची में केवल केन्द्र सरकार ही संशोधन कर सकती है न कि राज्य सरकारें। उन क्षेत्रों में जहां बाल श्रम प्रतिषिद्ध नहीं है उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किया जाना होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है। इन श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन राज्य सरकारों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। प्रभावी प्रवर्तन के लिए, प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक 600 से अधिक निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रम संबंधी श्रम कानूनों के प्रवर्तन की समीक्षा की जाती है। कानूनों में पायी गयी कमियों को, जहां कहीं कानून के अन्तर्गत अनुमत होता है, राजपत्र में औपचारिक अधिसूचनाएं जारी कर दूर किया जाता है।

(घ) बाल श्रमिकों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कतिपय कमियों को दूर करने हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के कतिपय उपबंधों में संशोधन करने और अन्य अधिनियम बनाने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्रीलंका के साथ व्यापार

*480. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत तथा श्रीलंका के बीच व्यापार संतुलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत तथा श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में मुख्य समस्यायें क्या है;

(ग) श्रीलंका के साथ व्यापार में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान इन दोनों देशों के बीच व्यापार के मामले में किस हद तक सुधार होने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत तथा श्रीलंका के बीच व्यापार संतुलन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	श्रीलंका को निर्यात	श्रीलंका से आयात	करोड़ रुपये में व्यापार संतुलन
1991-92	429.43	28.22	(+) 401.21
1992-93	718.30	39.86	(+) 678.44
1993-94	897.48	62.19	(+) 835.29

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस की रिपोर्ट

(ख) से (घ) भारत तथा श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार के संचालन में कोई प्रमुख समस्या नहीं है।

दोनों देशों के बीच परस्पर व्यापार की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं :

(i) श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर करना

(ii) सरकारी तथा व्यावसायिक स्तर पर आवधिक रूप से वार्ताओं का आयोजन

(iii) श्रीलंका की लौंग पर आयात शुल्क घटाकर मूल्यानुसार 25% कर देना

(iv) व्यापार मेलों में भागीदारी और व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान।

(v) भारत अन्य देशों तथा श्रीलंका के साथ ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क), अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और सार्क वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का एक सदस्य भी है।

(vi) भारत और श्रीलंका एशियाई निर्बाधन संघ तन्त्र के सदस्य भी हैं।

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार के वर्तमान ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति 1994-95 के दौरान बने रहने की संभावना है।

विदेशी बैंक

4489. श्री प्रमोथेस मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जुलाई, 1994 को बिजिनेस स्टैंडर्ड, नई दिल्ली में "फोरेन बैंक्स हैव टु बियर द ब्रंट आफ आर॰ बी॰ आई॰ पेनाल्टी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ विदेशी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध झटपट विदेशी सहायता प्राप्त कर ली है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या कानपुर स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारतीय कानून की परिधि के बाहर पुनः अपने धन का अपव्यय किया है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(छ) भारतीय मुद्रा बाजार और देश के कानूनों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने उन 9 विदेशी बैंकों समेत 20 बैंकों को

कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाओं (पी॰ एम॰ एस॰) संबंधी परिचालन और कुछ प्रतिभूति लेनदेन आरंभ किये थे। वसूल किये जाने वाले ब्याज की कुल रकम तथा साथ ही साथ बैंकों को जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों के लिये दण्डात्मक ब्याज के रूप में लगाये जाने वाले ब्याज की कुल रकम लगभग 147 करोड़ रुपए बैठती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि इस कार्रवाई के अलावा उसने ऊपर उल्लिखित 20 बैंकों सहित 35 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, 6 अगस्त, 1994 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से आगमी नोटिस तक 10 प्रतिशत वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात को बनाये रखने के लिये दी गयी छूट भी वापस ले ली है।

(ग) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बाल श्रमिक

4490. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बाल श्रमिकों के शोषण की वर्तमान राज्यवार स्थिति के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधान के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान इस अधिनियम की अवहेलना के लिए नियोक्ताओं के विरुद्ध कितने दर्ज किए गए तथा 30 जून, 1994 तक इन मामलों की स्थिति क्या थी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

विभिन्न श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए, निरीक्षक नियुक्त कर दिये गये हैं। राज्य सरकारों को प्रत्येक तिमाही में रिपोर्ट भेजना आवश्यक है। श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अभी तक 600 से अधिक निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के अधिकारियों, जो अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रम से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन की समीक्षा करते हैं, के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) राज्यों सरकारों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी रिपोर्टों के अनुसार, 1993-94 में 38,630 निरीक्षण करवाये गये हैं और 1,596 अभियोजन चलाए गये हैं तथा 494 सिद्धिदोष पाये गये। जून, 1994 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में विभिन्न मामलों की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

4491. श्री राम निहोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने वैयक्तिक लघु उद्यमियों के लिये एकक-विशिष्ट योजनाएं बनाने हेतु परामर्शदाताओं को रखने के लिए विकासशील देशों से हाथ मिलाया है ताकि उनकी निर्यात क्षमताओं का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान कितने वैयक्तिक एककों को प्रत्यक्ष सहायता दी जायेगी तथा उपरोक्त योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक एकक को कितनी ऋणराशि दिये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने महिला उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाये जाने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) 'महिला उद्यम निधि' के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि नियत की गयी है; और

(छ) इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारत के छोटे उद्यमों से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने विकासशील देशों की व्यापार एजेंसी (डीइसीटीए) के साथ सहयोग किया है। डीइसीटीए एक निर्यात विकास एजेंसी है जिसका निधियन भारत में निर्यात विकास कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए ब्रिटिश सरकार ओवरसीज डेवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया है। उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत, डीइसीटीए अलग-अलग उन लघु औद्योगिक एककों की एकक विशेष योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करेगा जो निर्यात क्षमताओं का मूल्यांकन करेंगे, नीतिगत समझौतों और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने, नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने का सुझाव देगा और बाजार में पहुंच बढ़ायेगा।

(ग) शुरू-शुरू में डीइसीटीए के सहयोग से निर्यात विकास कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान सिडबी द्वारा 25 लघु उद्योग एककों को कवर किया जाना प्रस्तावित है। अब तक गहन अध्ययन और योजनाओं के लिये 9 एककों की सूची बनाई गई है।

(घ) से (छ) सिडबी महिला उद्यमियों को लघु उद्योग क्षेत्र में एकक स्थापित करने योग्य बनाने के लिये विशेष योजनाएं परिचालित कर रहा है। सिडबी द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान अपनी महिला उद्यम निधि (एम यू एन), महिला विकास निधि (एम.वी.एन) और महिला उद्यमी योजना (डब्ल्यू इ एस)

के अन्तर्गत और 31 मार्च, 1994 तक पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत भी मंजूर और संवितरित सहायता निम्नानुसार है :–

योजना	संख्या	(रु. लाख में)	
		स्वीकृतियां	संवितरण
महिला उद्यम निधि	1006	669	465
महिला विकास निधि	60	231	150
महिला उद्यमी योजना	1608	6241	4590
सामान्य योजनाएं	6643	8302	5462

(एस) × = मंजूरी

(डी) × = संवितरण

चूंकि उपर्युक्त योजनाएं असीमित समवावधि वाली योजनाएं हैं। सभी पात्र प्रस्ताव को वर्ष 1994-95 के दौरान सहायता प्रदान की जायेगी। तदनुसार, एम यू एन और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत महिला उद्यमियों की वर्ष 1994-95 के दौरान सहायता के लिये कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पूंजी निवेश

4492. श्री दत्ता मेघे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम ने महाराष्ट्र के अपने उद्यमों में कितनी धनराशि का निवेश किया और इस समय ये उद्यम कहां-कहां हैं ;

(ख) क्या निगम ने महाराष्ट्र में अपने एककों के विकास के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) महाराष्ट्र राज्य में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए पूंजी योजना निवेश के वर्ष-वार और एककवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(लाख रुपयों में)

एकक	1991-92	1992-93	1993-94	जोड़
होटल औरंगाबाद अशोक का नवीनीकरण	1.14	2.10	11.45	14.69
बम्बई हवाईअड्डे पर शुल्क मुक्त दुकानों का नवीनीकरण/निर्माण करना।	2.10	30.48	100.91	133.49
				148.18

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1994-95 में, महाराष्ट्र राज्य में कोई नई योजना परियोजना स्थापित करने के लिए किसी विशिष्ट योजना/स्कीम की परिकल्पना नहीं की गई है।

पोर्टफोलियो प्रबंधन नियम

4493. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने पोर्टफोलियो प्रबंधन नियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने पोर्टफोलियो प्रबंध योजनाओं (पी एम एस) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी हिदायतों/मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किया है। इन बैंकों के नाम हैं : सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, विजया बैंक और कारपोरेशन बैंक।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों के साथ इस मामले को उठाया है। पहले चार बैंकों को इस आशय के कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं कि पोर्टफोलियो प्रबंध योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकार की गयी निधियां और अभिनियोजित निधियों को जमाराशियां क्यों नहीं माना जाना चाहिए और 9 अगस्त, 1991 से 26 जून, 1992 की अवधि के लिए न्यूनतम औसत दैनिक शेष का हिसाब करते समय उसे मांग तथा सावधि देयताओं में क्यों न शामिल किया जाये। बैंकों को इस आशय के भी कारण बताने के लिए कहा गया था कि उन्हें न्यूनतम शेष पर दिया गया ब्याज भी उनसे क्यों वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा 6 अगस्त, 1994 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से अगले नोटिस तक, दस प्रतिशत वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने के लिए इन बैंकों को दी गयी छूट वापस ले ली गयी है। यह कार्रवाई पहले चार बैंकों से संबंधित है।

कारपोरेशन बैंक के मामले में, अनियमितताएं उनकी जानकारी में लाई गई हैं और कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंकड़े मंगाए गये हैं। इन सभी मामलों में, बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के विपरीत पोर्टफोलियो प्रबंध योजना के तहत गारंटीशुदा प्रतिफलों पर धन स्वीकार किए थे। इन मार्गनिर्देशों में कहा गया था कि पी एम एस की प्रकृति निवेश/परामर्शदात्री/प्रबंधकीय होनी चाहिए जिसके लिए फीस ली जाए और या पूर्णत: ग्राहक से जोखिम पर होनी चाहिए तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिफल की कोई पूर्ण निर्धारित गारंटी नहीं होनी चाहिए।

(ङ) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक

की विशिष्ट पुर्वानुमति के बिना भविष्य में नया पी एम एस या इस प्रकार की कोई योजना लागू नहीं करेगा।

महाराष्ट्र में बेरोजगारी

4494. डा॰ गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक महाराष्ट्र में कितने बेरोजगार थे और वे किस-किस वर्ग के थे ;

(ख) क्या सरकार ने उन बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) रोजगार एवं बेरोजगारी पर वर्ष 1987-88 (43वें राउंड) में राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किये गये नवीनतम व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर, योजना आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में वर्तमान साप्ताहिक स्तर पर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 10.91 लाख थी, ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लिंगवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(लाख में)

पुरुष		स्त्री		कुल
ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	
3.33	5.21	1.19	1.18	10.91

(ख) से (घ) 8वीं योजना (1992-97) में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। तद्नुसार योजना में सापेक्षिक रुप से उच्च रोजगार सम्भावना वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि पर बल दिया गया है। राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य के अनुरूप रोजगार एवं विकास नीति बनाती हैं। अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में रोजगार, राज्य के विकास के नमूने व उसकी गति पर निर्भर करता है जिसके लिए राज्य सरकार मुख्य रूप से उत्तरदायी है। संघ सरकार, रोजगार अवसर के सृजन हेतु केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रक विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों द्वारा, राज्य सरकारों के प्रयास में मदद करती है।

[अनुवाद]

बीड़ी रोधी कानून

4495. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीड़ी कानून के कार्यान्वयन के पश्चात बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की स्थिति पैदा होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में बीड़ी मजदूरों के रोजगार की सुरक्षा के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह महसूस किया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधान से फिलहाल बीड़ी उद्योग में रोजगार स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इंडियन ओवरसीज बैंक

4496. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक ने कुछ लघु खाताधारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की है और उन्हें लगभग एक दशक तक अपने खाते के संचालन को बंद रखने की छूट दी गई जबकि संबंधित खातों पर लगने वाले ब्याज पर ऋण स्थगन की अपेक्षा की गई थी ;

(ख) क्या बैंक और इसके मुख्यालय ने अपनी शाखाओं के ऐसे अनुरोध पर कोई कार्यवाही नहीं की है और बैंक की नान-परफार्मिंग परिसम्पत्तियों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा, आदेश जारी किए जाने के कारण जनवरी 1993 के बाद अदालती कार्यवाही शुरू कर दी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकों द्वारा मुकद्दमेबाजी पर अधिक व्यय न किए जाने और मामलों का न्यायालयों से बाहर सुलझाने को सुनिश्चित करने हेतु इंडियन ओवरसीज बैंक के ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा मंगाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों क ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि वे मुकद्दमे का आश्रय अंतिम उपाय के रूप में केवल तब लेते हैं, जब अदालत से बाहर उनकी देयराशियों को वसूल करने के उनके प्रयास असफल हो जाते हैं। इण्डियन ओवरसीज बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने बल्लीगंज शाखा से संबंधित एक मामले को छोड़कर 1993 के दौरान छोटे खाताधारकों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन योजना

4497. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के बीड़ी कारखानों से कितना उपकर वसूल किया गया है और इस अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने बीड़ी उद्योग में नियोजित अंशदाताओं सहित कर्मचारी भविष्य निधि के सभी अंशदाताओं के लिए एक उपयुक्त पेंशन योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है। पेंशन

योजना तैयार करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पहले ही राज्य सभा में पेश किया गया है। योजना में मृत्यु, स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता, अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति इत्यादि अकस्मिकताओं में मासिक पेंशन का भुगतान करने हेतु व्यवस्था है।

विवरण

वर्ष	गुजरात में एकत्र उपकर	भीलवाड़ा क्षेत्र में* किया गया व्यय (रुपये हजारों में)
1	2	3
1991-92	164	6473
1992-93	146	6912
1993-94	168	9063

* भीलवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा शामिल हैं। उपयुक्त कालम 3 के अनुसार विभिन्न योजनाओं पर किया गया व्यय बीड़ी कर्मकारों के बारे में है और संयुक्त रूप से सभी तीनों राज्यों से संबंधित हैं क्योंकि राज्यवार बजट आबंटन नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के विरूद्ध रिपोर्टें

4498. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को नेशनल क्लीयरिंग सेंटर, नरिमन पाइंट, मुम्बई से अधिक मूल्य के चेक चुराने के बारे में मुम्बई स्थित अधिकारियों के विरूद्ध रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह प्रथा भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के बिना वर्षों से चली आ रही है ;

(ग) क्या सरकार ने अधिकारियों द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही के लिए कारणों का पता लगाया है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे एक ऐसे सम्भावित धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहे हैं जिसमें अलग-अलग तारीखों पर नरिमन प्वाइंट बम्बई स्थिति राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष (एन सी सी) से बम्बई स्थिति विभिन्न बैंकों के लिए आहरित कुछ चेकों को चोरी से निकाला गया था। यह एन सी सी बम्बई का सर्वप्रथम धोखाधड़ी का मामला है जिसका पता 30 जुलाई, 1994 को चला था। धोखाधड़ी के पीछे/धोखाधड़ी से लाभान्वित संदिग्ध श्रेणी III के तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

धोखाधड़ी की जांच के लिए सी बी आई, बम्बई के पास एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक ने कपटपूर्ण ढंग से निकाले गए चेकों की मार्फत निकाली गई निधि के संचालन का पता लगाने के लिए बम्बई में संबंधित बैंक शाखाओं का अचानक निरीक्षण प्रारम्भ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सदस्य बैंकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्रवाई, यदि कोई हो, का निर्णय लेने के लिए एन सी सी का प्रणाली संबंधी निरीक्षण भी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सभी कार्यालयों को अनुदेश जारी करते हुए आगाह किया है कि वे समाशोधन लिखतों की इस प्रकार की कपटपूर्ण हेराफेरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

लघु उद्योगों को ऋण

4499. **श्री जी॰ गंगा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से कितने आवेदन प्राप्त हुए और इस बारे में कितनी राशि स्वीकृत की गई ;

(ख) क्या उद्योग में रूग्णता को रोकने के लिए उक्त बैंकों ने आवेदकों/लघु उद्योगों को समय पर ऋण का भुगतान किया ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभागीय अधिकारियों को पुरस्कार

4500. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली के कलक्टर ने 1991 के दौरान विभागीय अधिकारियों के लिए पुरस्कार मंजूर किये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अपेक्षित सतर्कता स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी इन अधिकारियों को पुरस्कार न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार पुरस्कार वितरण में विलंब करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ; और

(घ) इन अधिकारियों को भुगतान में हुए विलंब के कारण ब्याज सहित पुरस्कार कब तक वितरित कर दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बैंकिंग प्रणाली

4501. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित अध्ययन में यह स्वीकार किया गया है कि इस क्षेत्र में सुधारों की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय समायोजन की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक का संबंध है, इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन के संबंध में अन्य कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसा कोई अध्ययन प्रायोजित नहीं किया है। फिर भी, वित्त मंत्रालय ने श्री डी॰ खटखटे को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसकी इस समय जांच की जा रही है।

यूनिट स्कीम, 1964

4502. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बैंक और नान-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की अपने यू॰ एस॰-64 की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इससे कितना लाभ प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) बैंक तथा नान-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा जुलाई, 1994 के दौरान तथा अगस्त, 1994 में अब तक खरीदे गए यू॰ एस॰-64 का क्या मूल्य था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू॰ टी॰ आई॰) ने यह सूचित किया है कि उसने विनिर्माण कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित कार्पोरेट क्षेत्र को यूनिट योजना, 1964 के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री 16 अगस्त, 1994 तक चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सजग निर्णय किया है। यह निर्णय कार्पोरेट क्षेत्र को योजना में अल्पावधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिशेष निधियां लगाने से रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप योजना के निवल परिसंपत्ति मूल्य में मंदी होने से छोटे निवेशकों को हानि होती है।

(ग) जुलाई, 1994 माह के दौरान कार्पोरेट क्षेत्र को बेची गई यूनिटों का अंकित मूल्य 3319 करोड़ रुपए की कुल बिक्री में से 3005 करोड़ रुपए हो गया। अगस्त, 1994 (16 अगस्त तक) में कार्पोरेट क्षेत्र को की गई बिक्री कुल 300 करोड़ रुपए में से 112 करोड़ रुपए हुई थी।

अस्पतालों पर कर

4503. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों के फोरम की ओर से अस्पतालों को उद्योग के रूप में मान्यता दिए जाने तथा अस्पतालों में अन्तर्राष्ट्रीय मानक की स्वास्थ्य-सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए कर ढांचे में विवेकपूर्ण परिवर्तन करने से सम्बन्धित अनुरोध प्राप्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विजया बैंक

4504. **श्री पी॰ कुमारासामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 1990 में विजया बैंक की विस्तृत जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विजया बैंक की वित्तीय समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान पाई गई प्रमुख अनियमितताओं को विजया बैंक की जानकारी में लाया गया था ताकि वे अनियमितताओं को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक से यह भी कहा था कि वह निधियों के प्रबंधन और निवेश तथा ऋण पोर्टफोलियों में गुणात्मक सुधार करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के साथ बैंक के निदेशक बोर्ड के सामने रिपोर्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें।

भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक की अनुपालन रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है और 1991 की वार्षिक वित्तीय समीक्षा में इस पर टिप्पणी की गई है।

इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं का उत्पादन

4505. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए संसाधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष निधि बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन से विदेशी-मुद्रा अर्जन

4506. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन और पर्यटन से विदेशी-मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धि रही है ;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटकों के आगमन के वर्ष के अन्त के लक्ष्य और पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय क्रमश: 2.57 मिलियन पर्यटक और 7000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान 1.87 मिलियन पर्यटक भारत आए और उनसे हुई अनुमानित विदेशी मुद्रा आय 4573 करोड़ रुपये थी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की तैनाती

4507. श्री प्रेम चन्द राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बैंक आफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के परिणामस्वरूप न्यू बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बड़ी संख्या में बिहार तथा कुछ अन्य निकटवर्ती राज्यों के आंतरिक भागों में सुदूरवर्ती स्थानों पर तैनात किया गया था ;

(ख) क्या इनमें से कुछ कर्मचारियों ने मानवीय तथा करुणामूलक आधार पर स्थानांतरण हेतु पंजाब नैशनल बैंक को आवेदन-पत्र दिये थे और कुछ मामलों में ये आधार गंभीरतापूर्वक विचारणीय थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन प्रभावित कर्मचारियों द्वारा अपने अभ्यावेदनों के साथ प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने उनके अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) पंजाब नैशनल बैंक में ऐसी कितनी क्षमा-याचिकाएं लंबित हैं ; और

(च) उन पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया का इसके साथ समामेलन किये जाने के परिणामस्वरूप उन जगहों पर, जहां पंजाब नैशनल बैंक के भी प्रशासनिक कार्यालय हैं, भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिय के कई प्रशासनिक कार्यालयों के बंद हो जाने के कारण उसके अधिशेष अधिकारियों और लिपिकीय कर्मचारियों को पुर्नअभिनियोजित करना आवश्यक हो गया था। इसके परिणामस्वरूप कुछेक अधिकारियों को बिहार और अन्य करीबी राज्यों में स्थानांतरित किया गया है। तथापि, बैंक ने सूचित किया है कि किसी भी लिपिकीय कर्मचारी को बिहार स्थानांतरित नहीं किया गया है। बैंक ने आगे सूचित किया है कि कुछ अधिकारियों/लिपिकों ने अपने खराब स्वास्थ्य और अन्य अनुकम्पा के आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध किया है। इन अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार किया गया है और प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर बैंक के अंचल प्रबंधक को यह सलाह दी गई है कि उन्हें उन स्थानों पर अभिनियोजित (डिप्लॉय) किया जाये जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। बैंक ने सूचित किया है कि फिलहाल निर्णय लिये जाने के लिए ऐसी कोई याचिका लम्बित नहीं है।

दोहरा कराधान

4508. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत ने अभी तक किन-किन देशों के साथ समझौते किए हैं और ये समझौते किन-किन तारीखों से लागू हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दोहरे कराधान से बचने संबंधी भारत के करार

क्र॰ सं॰	देश का नाम	कर-निर्धारण वर्ष, जिससे करार लागू है
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	1993-94
2.	आस्ट्रिया	1963-64
3.	बंगलादेश	1993-94
4.	बेल्जियम (मूल)	1975-76/1976-77
	बेल्जियम (प्रोटोकोल)	1988-89/1989-90
	बेल्जियम (संशोधित)	अभी अधिसूचित किया जाना है।
5.	ब्राजील	1994-95

1	2	3
6.	बुल्गारिया	अभी अधिसूचित किया जाना है
7.	कनाडा	1987-88
8.	चीन	अभी अधिसूचित किया जाना है।
9.	साइप्रस	अभी अधिसूचित किया जाना है।
10.	चेकोस्लावेकिया	1986-87
11.	डेनमार्क	1990-91/1991-92
12.	फिनलैण्ड	1985-86
13.	फ्रांस (मूल)	1970-71/1971-72
	फ्रांस (संशोधित)	अभी अधिसूचित किया जाना है।
14.	जर्मन संघीय गणराज्य (मूल)	1958-59
	जर्मन संघीय गणराज्य (प्रोटोकोल)	1984-85
	जर्मन जनवादी गणराज्य	1985-86
15.	ग्रीस	1984-85
16.	हंगरी	1989-90
17.	इंडोनेशिया	1989-90
18.	ईटली (मूल)	1978-79
	ईटली (संशोधित)	अभी अधिसूचित किया जाना है।
19.	जापान (संशोधित)	1991-92
20.	कीनिया	1985-86
21.	लीबिया	1983-84/84-85
22.	मलयेशिया	1973-74
23.	मारीसस	1983-84
24.	मंगोलिया	अभी अधिसूचित किया जाना है।
25.	नेपाल	1990-91
26.	नीदरलैण्ड	1990-91
27.	न्यूजीलैण्ड	1988-89
28.	नार्वे	1988-89

1	2	3
29.	फिलीपींस	अभी अधिसूचित किया जाना है।
30.	पोलैण्ड	1991-92
31.	रोमानिया	1989-90
32.	सिंगापुर (संशोधित)	1995-96
33.	दक्षिण कोरिया	1987-88
34.	स्पेन	अभी अधिसूचित किया जाना है।
35.	श्रीलंका (संशोधित)	1981-82
36.	स्वीडन (संशोधित)	1990-91
37.	सिरिया	1983-84
38.	तंजानिया	1982-83/83-84
39.	थाईलैण्ड	1987-88/88-89
40.	संयुक्त अरब अमीरात	1995-96
41.	संयुक्त अरब गणराज्य	1969-70/70-71
42.	यू. के. (संशोधित)	1995-96
43.	संयुक्त राज्य अमरीका	1992-93
44.	सोवियत संघ (अब रूस पर लागू)	1991-92
45.	जाम्बिया	1979-80

असम में सहकारी बैंक

4509. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कुछ सहकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और इन बैंकों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना घाटा हुआ ; और

(ग) सरकार द्वारा इस घाटे को कम करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि अद्यतन उपलब्ध विवरणों के अनुसार, अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं का प्रबंध करने वाले असम राज्य सहकारी बैंक का लाभ 1991-92 में 15.62 लाख रुपए और 1993-93 में 20.25 लाख रुपए था। सिबसागर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जो असम का केवल एक डी सी सी बी है जिसको 1989-90 में 3.65 लाख रुपए, 1990-91 में

4.71 लाख रुपए और 1991-92 में 15.66 लाख रुपए का घाटा हुआ।

असम राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (ए० एस० सी० ए० आर० डी० बी०) लि० जो राज्य में दीर्घकालिक मियेश ऋण आवश्यकताओं का प्रबंध करता है, गत दो वर्षों से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हानि उठा रहा है :

(लाख रुपए)

वर्ष	उठायी गयी हानि	संचयी हानियां
1991-92	41.34	40.90
1992-93	59.62	100.60

प्राथमिक स्तर पर, सभी 21 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों (पी एल डी बी) की संचयी हानियां 1992-93 के अन्त में 65.90 लाख रुपए बैठती हैं।

(ग) ए० एस० सी० ए० आर० डी० बी० की वित्तीय सक्षमता, परिचालन दक्षता और प्रबंधकीय सक्षमता में सुधार लाने के लिए, एक विकासात्मक कार्य योजना (डीएपी) तैयार की गई है और डी ए पी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और असम राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार को उनके पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए पी एल डी बी की शेयर पूंजी में योगदान करना होगा। नाबार्ड पी एल डी बी की शेयर पूंजी में योगदान करने के लिए एन आर सी (एल टी ओ) फण्ड से राज्य को ऋण मंजूर करने पर विचार करेगा।

चमड़ा रसायनों पर शुल्क

4510. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित चमड़ा रसायनों पर समान शुल्क को माफ करने से ऐसे रसायनों के स्थानीय निर्माताओं के लिए काफी अलाभकारी स्थिति पैदा हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे रसायनों के स्वदेशी निर्माताओं से उनके एककों के रूग्णता की स्थिति में पहुंचने और परिणामत: उनके भावी विस्तार और निवेश को अवरूद्ध करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्वदेशी चमड़ा और रसायन उद्योग को पोषित करने और उसे विदेशी निर्माताओं की प्रतियोगिता के मुकाबले में तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार को दिनांक 1.3.94 की अधिसूचना सं० 45/94 सीमाशुल्क के तहत रिआयती शुल्क दर पर आयात के लिए अनुमत कुछेक चमड़ा रसायनों पर प्रोतसन्तुलनकारी शुल्क लगाने के संबंध में लैदर केमिकल्ज मैन्युफैक्चरर्ज एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि इससे ऐसे रसायनों के स्थानीय

विनिर्माताओं को हानि हुई है। टैरिफ निर्धारित करते समय, घरेलू उद्योग और विनिर्माताओं के हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है।

जामनगर विमानपत्तन

4511. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जामनगर विमानपत्तन पर असैनिक विमानों के रात्रि में उतरने संबंधी सुविधाएं हाल ही में बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस विमानपत्तन पर रात्रि में असैनिक विमानों के उतरने संबंधी सुविधाएं जारी रखने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) जामनगर विमानपत्तन भारतीय वायु सेना का है, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण कर रहा है। हवाई यातायात प्रबंध भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है और निगरानी घंटे भी उनके ही द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जामनगर विमानपत्तन पर रात को विमान उतारने की सुविधा के लिए इंडियन एयरलाइन्स से कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इंडियन एयरलाइन्स में ठेका श्रमिक

4512. **श्री प्रकाश बी॰ पाटील** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा हैदराबाद हवाई अड्डे में नियुक्त किए बड़ी संख्या में ठेका श्रमिकों ने उनकी सेवा को नियमित किए जाने के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ,

(ख) क्या श्रम आयोग ने इस संबंध में पहले ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

एन टी सी मिलों के कर्मचारियों को पेंशन

4513. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) के कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार ने एन टी सी की मिलों में कार्यरत अंशदाताओं सहित, ई पी एफ के सभी अंशदाताओं के लिए एक पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना में अधिवार्षिता, सेवा निवृत्ति, मृत्यु आदि की आकस्मिक परिस्थितियों में मासिक पेंशन की भुगतान करने की व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग

4514. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग के कार्यकरण में सुधार लाने सम्बन्धी उपाय सुझाने हेतु सरकार ने कितने आयोगों तथा समितियों की नियुक्ति की है ;

(ख) उन आयोगों/समितियों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त आयोगों/समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग के कार्यकरण में सुधार करने संबंधी उपायों को सुझाने के लिए केवल एक ही ऐसी समिति का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) हथकरघा आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति का गठन 18.8.1993 की अधिसूचना के अंतर्गत किया गया था। तथापि, सलाहकार समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

भुगतान प्रपत्रों को भुनाना

4515. श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री अमल दत्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में गत दो वर्षों के दौरान रिफन्ड आर्डरों, चैकों, डिवीडेन्ड वारन्टों और अन्य भुगताना प्रपत्रों को धोखेबाजी से भुनाने में कितने व्यक्ति लिप्त पाए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन मामलों में प्रभावित ग्राहकों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे विभिन्न कम्पनियों/संस्थानों द्वारा जारी ब्याज/लाभांश अधिपत्रों, वापसी

आदेशों आदि को बेईमान व्यक्तियों द्वारा बीच में ही उड़ा लेने के संबंध में वर्ष 1993 की अन्तिम छमाही के दौरान कम्पनियों/निवेशकों से शिकायतें मिली थीं। इन बेईमान व्यक्तियों ने जाली नाम से बेनामी खाते वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में खोल कर इन्हें भुनाया था। भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के 18 बैंकों में पहली अप्रैल, 1992 से 30 अक्तूबर, 1993 की अवधि के दौरान 214 खातों में धोखाधड़ी पूर्ण ढंग से राशि निकाली गई। इन लेन देनों के संबंध में बैंक-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से कहा गया है कि एक बार यदि किसी बैंक को यह यकीन हो जाता है कि किसी ग्राहक के प्रति उनके किसी कर्मचारी ने अनियमितता/धोखाधड़ी की है तो उस बैंक को उस कर्मचारी की जिम्मेदारी निश्चित करनी चाहिए और उचित दावों का भुगतान करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंकों ने अब तक 7.30 लाख रुपए के दावों का समाधान कर दिया है। बैंकों ने दूसरे दावों का समाधान करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार धन वापसी आदेशों, ब्याज/लाभांस वारंट आदि के धोखाधड़ी पूर्ण ढंग से निकासी का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की सं.	क्या कर्मचारी अपराधी पाया गया	चूककर्ता कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	30	केवल एक मामले में कर्मचारी शामिल पाया गया	पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4	नहीं	–
3.	इलाहाबाद बैंक	3	नहीं	–
4.	आंध्रा बैंक	3	नहीं	–
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	14	हां	दो शाखा प्रबंधकों को निलम्बित किया गया है–तीन अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है
6.	बैंक आफ इंडिया	28	नहीं	–
7.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10	नहीं	–
8.	केनरा बैंक	11	केवल एक मामले में	बैंक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है

1	2	3	4	5
9.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	56	हां	गिरगांव शाखा के प्रबंधक/सहायक प्रबंधक, जावेरी बाजार शाखा के सहायक प्रबंधक को निलम्बित किया, नूल बाजार शाखा के प्रबंधक को स्थानांतरित किया गया।
10.	कारपोरेशन बैंक	4	नहीं	–
11.	देना बैंक	1	नहीं	–
12.	इंडियन बैंक	19	नहीं	–
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2	नहीं	–
14.	पंजाब नैशनल बैंक	15	4 खातों में शामिल होने का संदेह है	सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कर दी गई है
15.	सिंडिकेट बैंक	4	नहीं	–
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	6	नहीं	–
17.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2	नहीं	–
18.	विजया बैंक	2	नहीं	–
	योग :	214		

चैकों की भाषा

4516. श्री हराधन राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में चैक जारी करने हेतु अनुदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बैंकों ने ऐसे चैक जारी किए हैं; और

(ग) ऐसे चैक इस समय किन-किन भाषाओं में उपलब्ध हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इस समय चैक द्विभाषिक रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

सोने की जब्ती

4517. डा॰ रमेश चन्द तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान देश के प्रमुख विमान पत्तनों पर तस्करी का कितना सोना पकड़ा गया;

(ख) इसका मूल्य कितना है ;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया ; और

(घ) सरकार ने सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोना और चांदी पकड़ा जाना

4518. श्री काशी राम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1993-94 के दौरान कितनी मात्रा में तस्करी का सोना और चांदी पकड़ी गयी और इसका मूल्य कितना है ;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) सरकार ने सोने और चांदी की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में पकड़े गये तस्करी के सोने और चांदी की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मद का नाम	मात्रा (कि॰ ग्रा॰ में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
सोना	7.099	30.53
चांदी	507.800	29.43

(ख) इस संबंध में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उनके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति दी गयी है।

(ग) सोने और चांदी की तस्करी सहित तस्करी संबंधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए तस्करी-रोधी एजेन्सियां सतर्क हैं। धातु खोजी यंत्रों और एक्स-रे मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के कार्य में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाये रखा जा रहा है।

खानों में दुर्घटनाएं

4519. श्री गया प्रसार कोरी :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कई प्राणाघातक दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ दुर्घटनाएं खानों में सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित न करने से हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी दुर्घटनाएं के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को किसी प्रकार से उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जापान को लोह अयस्क का निर्यात

4520. श्री राम पूजन पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान को किए जाने वाले लोह अयस्क के निर्यात में कमी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) जापान को लोह अयस्क का निर्यात घरेलू जरूरतों की पूर्ति के बाद बेशी उपलब्ध लोह अयस्क की मात्रा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रुग्ण एककों को ऋण

4521. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1994 के 'फाइनेंसियल एक्सप्रेस' में बैंक्स टू हार्डन स्टान्स अगेन्स्ट फन्डिंग सिक यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ द्वारा स्वीकृत केवल 20 प्रतिशत अर्थक्षम योजना ही सफल हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अधिक सफलता न मिलने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए) के उपबंधों के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के पास भेजा जाना अपेक्षित है ताकि ऐसी कंपनियों के संबंध में ऐसे उपचारात्मक और दूसरे उपायों का निर्धारण किया जा सके जिन्हें करना आवश्यक हो। जहां एस आई सी ए की धारा 17 (2) या धारा 18 (4) के तहत बाइफर द्वारा किसी कंपनी के लिए पुनरूद्धार की योजना स्वीकार की जाती है, सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थायें मंजूरशुदा योजना के अनुसार सुविधायें प्रदान करती हैं। दूसरे मामलों में बैंक/वित्तीय संस्थायें आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करती हैं और अलग-अलग मामलों के आधार पर परिचालन "जारी रखने" की अनुमति देती हैं।

(ग) और (घ) बाइफर ने सूचित किया है कि 31 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार पुनरूद्धार के लिए स्वीकृत/मंजूर किए गए 454 मामलों की तुलना में जिन रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का सफलतापूर्वक पुनरूद्धार किया गया, उनकी संख्या 103 है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

4522. श्री बोला बुल्ली रामय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई॰ एस॰ आई॰ सी॰), बंगलौर क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक ने उद्योगों को कर्मचारी राज्य बीमा के दायित्व के बेहतर पालन हेतु अपने कर्मचारियों के प्रति अधिक उत्तरदायी होने का निर्देश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा के दायित्वों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उद्योगों को किस सीमा तक उनका पालन करने के लिए कहा गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित विद्युत प्रयोग करने वाले 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखाने और विद्युत प्रयोग न करने वाले 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानें/प्रतिष्ठान, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बंगलौर ने नियोजकों को अंशदान का समय पर भुगतान करके नये कर्मचारियों के संबंध में घोषणा प्रपत्र और अंशदान आदि के संबंध में विवरणियां प्रस्तुत करके, जैसा कि अधिनियम/योजना के अंतर्गत विहित है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों का पालन करने का अनुरोध किया है।

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलाजी

4523. श्री पी॰ सी॰ चाको :

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार का राज्य में नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलाजी की शाखा खोलने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। केरल सरकार ने तिरुअनंतपुरक (केरल) में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की एक शाखा की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। तथापि, प्रस्ताव पर विचार करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति अपनी सहमति दें :–

(1) जब तक संस्थान का स्थाई भवन नहीं बन जाता, कम से कम तब तक लगभग 2000 वर्ग मीटर किराये-रहित आवास की व्यवस्था।

(2) निफ्ट की स्थाई कैम्पस के लिए लागत रहित 2 से 2.5 हैक्टेयर भूमि की व्यवस्था।

(3) गैर-आवर्ती लागत तथा आवर्ती लागत के एक तिहाई भाग की सांझेदारी।

मैग्नम मल्टीपल्स प्लस '93 स्कीम

4524. डा॰ लाल बहादुर रावल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 'मैग्नम मल्टीपल्स प्लस 93 स्कीम' के माध्यम से कुल कितनी धनराशि एकत्र की ;

(ख) 1993 के दौरान और जून, 1994 तक पृथक-पृथक कितनी धनराशि का निवेश किया गया, तथा बकाया धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) अब तक कितना लाभ अर्जित किया तथा अभी तक लाभांश की घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या निवल परिसम्पत्ति मूल्य 17.16 रुपये है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार उन्हें इस मूल्य पर खरीदने का है ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) बाजार में इसके कम मूल्य के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस 93 स्कीम के तहत भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि (एस० एम० एफ०) द्वारा कुल 967.83 करोड़ रुपए की रकम एकत्र की गयी।

(ख) एस० एम० एफ० ने बताया है कि दिसम्बर, 1993 और जून, 1994 तक लाभ समेत निवेश की गयी रकम, क्रमश: 1,021.23 करोड़ रुपए और 1,049.48 करोड़ रुपए बैठती है। एस० एम० एफ० ने यह भी बताया है कि नीतिगत मामले के तौर पर, कार्पस मनी का 3% से 5% हिस्सा मुद्रा बाजार लिखतों में रखा जाना होता है।

(ग) 30 जून, 1994 तक 124.02 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य, निवेशकों को आकर्षक वृद्धि की सुविधा प्रदान करना है जिसे वसूली के पश्चात् पुन: निवेश किया जा सके और इस प्रकार से उन्हें संचयी लाभ प्राप्त होता है। पूंजी संबंधी वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी वार्षिक लाभांश का वितरण नहीं किया गया है।

(घ) 30 जून, 1994 को निवल आरक्षित मूल्य (एन० ए० वी०) की रकम 17.16 करोड़ रुपए बैठती है।

(ङ) और (च) प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार, एन० ए० वी० संबंधी मूल्यों पर यूनिटों की पुन: खरीद 1 मार्च, 1996 से आगे ही शुरु होगी। फिलहाल, मैग्नमों को, बाजार में एन० ए० वी० के लिए डिस्काउंट बताया जा रहा है। अत: निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, एस० एम० एफ०, सेबी के परामर्श से बट्टागत कीमत पर मैग्नमों की पुन: खरीद कर रहा है।

(छ) एस० एम० एफ० ने सूचित किया है कि कम बाजार कीमत के निम्नलिखित कारण हैं :-

(i) खासकर गौण बाजार में पारस्परिक निधि स्कीमों के प्रति निवेशकों का कम आकर्षण

(ii) सप्लाई के रूप में चल निधि का उच्च स्तर जो मांग के अनुरूप नहीं है।

चीन और म्यांमार के साथ सीमावर्ती व्यापार

4525. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात सदस्य राज्यों द्वारा पूर्वोत्तर परिषद की 37वीं बैठक में म्यांमार और चीन के साथ व्यापार और पारागम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खोलने की मांग की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि

जनवरी, 1994 में हस्ताक्षरित भारत म्यांमार सीमा व्यापार करार को कार्यान्वित करने संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है। दिसम्बर, 1991 में हस्ताक्षरित भारत-चीन सीमा व्यापार करार को मूर्तरूप दिया जा चुका है।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

4526. श्री शरद दिघे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अगस्त, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि लगभग उन 246 मुक्त बंधुआ मजदूरों को राहत नहीं दी गई जिन्हें गुजरात के बेडी बन्दरगाह से मुक्त कराया गया था, क्योंकि उन्हें मुक्त कराने वाले जिला प्राधिकारियों का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं हो सका था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार की सत्यता की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ;

(घ) क्या सरकार ने बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को दी जाने वाली राहत की प्रक्रिया में इन दोषों को दूर करने के लिए कोई उपाय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ङ) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बेदी बंदर, जाम नगर में पोत से जिला प्राधिकारियों ने 512 अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार छुड़ाये थे जिनमें से तमिलनाडु के 418 अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकारों, जो अपने मूल निवास स्थानों को वापिस जाने के इच्छुक थे, को 5,96,165/- रुपये मजदूरी के बकाया के रूप में दिये गये थे और उनको अपने मूल निवास स्थानों को जाने की यात्रा हेतु 86,000 रुपये रेलवे टिकटों हेतु भी प्रदान किये गये थे। यह पूरी लागत संबंधित पोत मालिकों/ठेकेदारों आदि द्वारा वहन की गयी थी। शेष 94 श्रमिकों, जो वापिस जाने के इच्छुक नहीं थे, को उनकी पसंद का वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया गया और उनको कुल 1,17,795/- रुपये की उनकी मजदूरी वापिस की गयी। यह राशि भी पोत मालिकों/ठेकेदारों द्वारा वहन की गई थी। जिन कंपनियों और व्यक्तियों को इन श्रमिकों को नियोजित करते पाया गया था उनके विरुद्ध संगत अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत पुलिस शिकायतें दर्ज की गयी हैं।

बंधित श्रमिकों की पहचान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है जो बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत ऐसा करने हेतु सक्षम हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को उनकी विद्यमान एजेंसियों के माध्यम से आवधिक सर्वेक्षण करवाने का सुझाव देती रही है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

4527. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री हरि केवल प्रसाद :

प्रो॰ रासा सिंह रावत :

श्री खेलन राम जांगडे :

श्री प्रवीन डेका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आर्थिक सहायता के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त किए ;

(ख) स्वीकृत तथा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान उद्योगों के लिए स्वीकृत तथा आवंटित की गई आर्थिक सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखबारी कागज़ का आयात

4528. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने 1993-94 के दौरान कुल कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया है ;

(ख) क्या सरकार को अखबारों से राज्य व्यापार निगम द्वारा उक्त अवधि के दौरान अखबारी कागज की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अखबारों को प्रोत्साहन देने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें राज्य व्यापार निगम से उक्त अवधि के दौरान अखबारी कागज का आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं हो पाया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) एस टी सी ने वर्ष 1993-94 के दौरान (लगभग) 23,000 एम टी अखबारी कागज का आयात किया।

(ख) से (घ) 1.4.1992 से पूर्व, एस टी सी अखबारी कागज के आयात के लिए सरणीयन एजेन्सी

था। किन्तु 1.4.1992 से अखबारी कागज के आयात का सरणीयन समाप्त कर दिया गया है और इसके बाद से एस टी सी इस पद के आयात के लिए सरणयन एजेन्सी नहीं है। असरणीकृत प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को यह अनुमति है कि वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स आफ इंडिया (आर एन आई) द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्रों के आधार पर अखबारी कागज का सीधे आयात कर सकते हैं।

रेशम उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान

4529. श्री साईमन मरान्डी :

श्री एन॰ जे॰ राठवा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने रेशम उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं ;

(ख) इन संस्थानों में प्रति वर्ष कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे और संस्थान शुरू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) इस समय देश में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 19 रेशम उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान (जिनमें रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय भी शामिल हैं) कार्य कर रहे हैं जिसके राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्रम संख्या	राज्य	संस्थानों/विद्यालयों की संख्या
1.	असम	1
2.	बिहार	3
3.	गुजरात	1
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	जम्मू व कश्मीर	2
6.	कर्नाटक	4
7.	केरल	1
8.	मध्य प्रदेश	1
9.	महाराष्ट्र	1
10.	उड़ीसा	1
11.	राजस्थान	1
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	प॰ बंगाल	1
	कुल :	19

वर्ष 1993-94 के दौरान इन संस्थानों विद्यालयों में कुल 3,682 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था।

(ग) और (घ) जी हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की 8वीं योजना के प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ दो और संस्थानों असम और मेघालय प्रत्येक में एक-एक संस्थान की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क

4530. श्री वी. एस. विजयराघवन :

प्रो. के. वी. थामस :

श्री पी. सी. चाक्को :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को एर्णाकुलम तथा त्रिवेंद्रम में निर्यात सवंर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) एर्णाकुलम में 26.51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) विकसित करने का विचार है जबकि त्रिवेन्द्रम में ऐसे पार्क के लिए 18.90 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। पहले को बहु-उत्पाद पार्क बनाने की योजना है और दूसरा मुख्यत: इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित मदों के विनिर्माण के लिए है।

(ग) इन प्रस्तावों पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड

4531. श्री अनंतराव देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय विमान सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन॰ टी॰ सी॰ एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का ऋण

4532. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू॰ बी॰ ए॰ बी॰ ओ॰) लि॰, कलकत्ता को आधुनिकीकरण योजनाओं हेतु कुल कितना ऋण दिया गया ;

(ख) क्या भारतीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू॰ बी॰ ए॰ बी॰ ओ॰) लि॰ की इकाईयों की आधुनिकीकरण योजनाओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण दिए जाने में किए गए असाधारण विलम्ब के कारण समय पर क्रियान्वित नहीं किया जा सका ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट-स्वामी) : (क) आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए एन॰ टी॰ सी॰ (डब्ल्यू॰ बी॰ ए॰ बी॰ एंड॰ ओ॰) लि॰, कलकत्ता को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

(ख) और (ग) एन॰ टी॰ सी॰ (डब्ल्यू॰ बी॰ ए॰ बी॰ एंड॰ ओ॰) लि॰, कलकत्ता ने वर्ष 1991 में आई डी॰ बी॰ आई॰ को तीन योजनाएं प्रस्तुत की थीं। तथापि, आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ ने इस लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया क्योंकि एन॰ टी॰ सी॰ ने पिछली बकाया राशि नहीं लौटाई थी तथा एन॰ टी॰ सी॰ (डब्ल्यू॰ बी॰ ए॰ बी॰ एंड॰ ओ॰) लि॰ सहायक कम्पनी का मामला भी बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ को भेज दिया था जिसमें उसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित कर दिया था।

[अनुवाद]

इंडियन ओवरसीज बैंक

4533. डा॰ पी॰ वल्लाल पेरूमान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक में अस्थायी अथवा नियमित आधार पर संदेशवाहक के रूप में कितने व्यक्ति भर्ती किए गए ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा आरक्षित घोषित की गई रिक्तियों और वास्तविक में भरी गई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित भर्ती किए गए कई व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और इन रिक्तियों पर नई भर्ती करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा दी गई सूचना निम्नलिखित है :-

वर्ष	कुल भर्ती किए गए संदेशवाहक	आरक्षित रिक्तियां		भरी गई रिक्तियां	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1991	195	59	7	59	7
1992	155	22	1	20	1
1993	151	32	6	32	6

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्र

4534. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड एन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया ने आन्ध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों की तकनीकी अथवा वित्तीय व्यवहार्यता संबंधी कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों से इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड एन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) ऐसे कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है/अस्वीकार किया गया है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आई. सी. आई. सी. आई.) ने सूचित किया है कि उसने आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र की विद्युत प्लांटों के लिए अलग से कोई तकनीकी या वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन नहीं किया है। अलबत्ता, वित्तीय सहायता देने संबंधी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आई. सी. आई. सी. आई. ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और/या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. के साथ मिलकर गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का वित्तीय और वाणिज्यिक मूल्यांकन किया था।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण योजनाएं

4535. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम दिए जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 10% समाज के कमजोर वर्गों को देना होता है। इस संबंध में कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। संबंधित बैंक को 10% का लक्ष्य अखिल भारत पर प्राप्त करना होता है। अलबत्ता, इस संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन की सतत निगरानी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस० एल० बी० सी०) की बैठकों में नियमित रूप से की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए एस० एल० बी० सी० कागजातों में उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 91, मार्च, 92 और मार्च, 93 के अंत (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार राज्य में कुल ऋणों की तुलना में सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का बकाया हिस्सा क्रमश: 17.88%, 18.20% और 21.32% था।

संचालन एजेंसी

4536. **श्री तारा सिंह :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उन कुछ उपक्रमों जिनके मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित हैं, के लिए संचालन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त कतिपय वित्तीय संस्थाएं उन्हें अर्थक्षम बनाये जाने संबंधी योजनाओं को पूरा करने में बोर्ड को सहयोग नहीं दे रही है ;

(ग) क्या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय इस मामले पर मौन साधे हुए हैं और ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित जानकारी संबंधित वित्तीय संस्थाओं को नहीं दे रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ग) जी, नहीं। (ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारी भविष्य निधि बकाया

4537. श्री चित्त बसु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के बकाया की एक बड़ी राशि की वसूली मुश्किल है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य निधि बकाया की पूर्ण वसूली को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये स्थगन आदेशों, प्रतिष्ठानों की बंदी, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्यवाहियों आदि के कारण क॰ भ॰ नि॰ बकाया की 171.45 करोड़ रुपए की धनराशि की उगाही तत्काल नहीं हो सकती है।

(ग) भविष्य निधि की बकाया राशि की उगाही के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8 ख, 8 छ और 14 आदि के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कानूनी और दांडिक कार्रवाई पहले ही की जा रही है।

पूर्वोत्तर राज्यों को विदेशी सहायता

4538. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ; और

(घ) विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता

4539. श्री नवल किशोर राय :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कतिपय निगमों को निर्यातोन्मुखी कंपनी का दर्जा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन निगमों को कोई प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वार्षिक ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन निगमों को वार्षिक रुप से इस प्रकार के प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां। इसे 30 मार्च, 94 तक संशोधित निर्यात आयात नीति (92-97) और क्रियाविधि पुस्तिका के अनुच्छेद x 11 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

		निर्यात घराने	व्यापारिक घराने	चोटी के व्यापारिक घराने	सर्वोच्च व्यापारिक घराने
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	3	1	-
2.	आसाम	1	-	-	-
3.	बिहार	2	-	-	-
4.	चंडीगढ़	1	-	-	-
5.	दिल्ली	193	26	3	1
6.	गोवा	5	4	-	-
7.	गुजरात	20	1	-	1
8.	हरियाणा	15	2	1	-
9.	हिमाचल प्रदेश	1	-	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	6	-	-	-
11.	कर्नाटक	24	4	1	-
12.	केरल	29	2	-	-
13.	महाराष्ट्र	300	39	6	-
14.	मध्य प्रदेश	5	3	-	-
15.	उड़ीसा	2	-	-	-
16.	पंजाब	33	3	1	-
17.	पांडिचेरी	1	-	-	-
18.	राजस्थान	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6
19.	तमिलनाडु	107	6	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	97	4	–	–
21.	पश्चिम बंगाल	97	11	3	2
	योग :	971	108	16	4

(ग) और (घ) ऐसे जो दर्जा धारकों को उपलब्ध प्रोत्साहन तथा सुविधाएं हैं :

(1) सामान्य सीमाशुल्क के तहत क्रियाविधि पुस्तिका के परिशिष्ट-35 में उल्लिखित मदों के आयात के लिए विशेष आयात लाइसेंस।

(2) दिनांक 1.4.1994 से निर्यात घरानों, व्यापार घरानों, स्टार व्यापार घरानों तथा सुपर स्टार व्यापार घरानों को इस बात की भी अनुमति है कि वे अपने-अपने कार्यालय प्रयोग के लिए एक बार की सुविधा के रूप में सामान्य सीमाशुल्क के भुगतान पर कार का आयात कर सकते हैं। उक्त शुल्क का दर्जा धारक के विदेशी मुद्रा आय विनिमय (ई ई एफ सी) खाताओं में से मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

(3) सीमाशुल्क की वाणिज्यिक दरों पर मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान करके सोने एवं चीनी का आयात।

(4) विदेशों में निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए बाजार विकास सहायता।

(5) सीमाशुल्क एवं अन्य अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले लदान-पूर्व निरीक्षण से छूट।

(6) शुल्क छूट योजना और ई॰ पी॰ सी॰ जी॰ योजना के तहत निर्यात-मदों के विनिर्माण के लिए क्रमशः आयात शुल्क से मुक्त कच्चे माल/पूंजीगत माल के लिए बैंक गारन्टी के बजाए कानूनी वचन-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा।

(ङ) निम्नलिखित हकदारी-दर के अनुसार या तो एफ ओ बी आधार पर अथवा निवल विदेशी मुद्रा (एन॰ एफ॰ ई॰) आधार पर विशेष आयात लाइसेंस :–

निर्यातक श्रेणी	पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में निर्यात के प्राप्त एफ॰ओ॰बी॰ मूल्य पर हकदारी-दर	पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में निर्यात पर अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पर हकदारी-दर
निर्यात घराना	3%	5%
व्यापार घराना	4%	7.5%
स्टार व्यापार घराना	5%	10%
सुपर-स्टार व्यापार घराना	10%	15%

(ii) कारों के एक बार आयात हेतु हकदारी निम्नानुसार है–

निर्यात घराना	–	1 कार
व्यापार घराना	–	2 कारें
स्टार व्यापार॰ घराना	–	3 कारें
सुपर स्टार व्यापार घराना	–	5 कारें

(iii) बाजार विकास सहायता के लिए हकदारी निम्नानुसार है :–

	हवाई भाड़ा	डी॰ ए॰	प्रचार
विनिर्माता लघु उद्योग निर्यात घराना	25%	30%	–
व्यापारिक घराना, स्टार व्यापारिक घराना/बड़ी औद्योगिक इकाइयां/वाणिक निर्यात घराना	25%	12.5%	–
आई टी पी ओ/ई पी सी के जरिए प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी के लिए	50%	25%	25% 10,000 से अनाधिक

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

4540. डा॰ छत्रपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु स्थापित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यवार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य उद्योग और अन्य उत्पादक कार्यों के विकास हेतु के उद्देश्य से और विशेष तौर पर छोटे और सीमांतिक किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधायें प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के उद्देश्य से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुक्रम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) की स्थापना की गई थी।

(ख) आर आर बी द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में जुटायी गई जमाराशियां और संवितरित ऋण संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं।

विवरण

देश के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मार्च, 91, मार्च, 92 और मार्च, 93 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कुल जमाराशियों और वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान ऋणों के संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपए में)

राज्य	के अंत की स्थिति के अनुसार जमाराशियां			संवितरित ऋण		
	मार्च, 91	मार्च, 92	मार्च, 93	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	16812.37	20678.53	25079.05	1957.96	3440.74	3842.42
हिमाचल प्रदेश	6160.71	7600.05	9389.06	660.26	862.41	1035.49
जम्मू एवं कश्मीर	6419.30	7667.45	9738.56	72.10	46.91	131.96
पंजाब	7860.98	9698.71	11935.12	2093.81	2705.49	2346.51
राजस्थान	29707.88	36494.32	43710.29	3053.79	4211.77	4546.52
अरूणाचल प्रदेश	329.23	421.75	501.81	109.56	182.48	193.64
असम	11663.99	13504.56	15232.33	765.41	522.86	1261.17
मणिपुर	214.09	270.18	344.55	16.19	14.71	9.77
मेघालय	1436.16	1879.41	3648.35	106.08	99.37	152.56
मिजोरम	902.73	1011.50	1275.23	135.72	67.39	115.44
नागालैंड	66.96	69.17	123.20	0.06	1.61	3.03
त्रिपुरा	4768.75	5850.23	5973.57	212.53	227.61	236.28
बिहार	69038.52	77869.17	88067.20	6468.92	4473.13	3958.08
उड़ीसा	17455.28	21313.04	28089.78	2702.06	4731.36	4417.04
पश्चिम बंगाल	36439.57	43775.54	51052.76	4995.51	5534.69	4402.39
मध्य प्रदेश	39197.54	43510.54	49103.27	4039.69	4660.47	3243.05
उत्तर प्रदेश	144080.51	165326.95	196147.72	18477.53	19470.74	16665.06
गुजरात	8640.54	10594.20	13633.84	2438.96	3111.31	3376.94
महाराष्ट्र	12274.20	13929.51	16292.15	2279.81	2276.65	2141.24
आन्ध्र प्रदेश	40007.89	47297.31	54678.54	12059.42	21412.25	24814.06

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	29738.08	37850.69	44720.01	5468.18	12656.74	19381.17
केरल	10751.00	13813.76	16784.43	3668.03	14862.00	17177.00
तमिलनाडु	4956.74	6356.55	8013.23	2968.05	5212.20	6338.72
अखिल भारत	498923.02	586783.12	693534.05	74749.63	110784.89	119790.44

[अनुवाद]

मंगलौर विमानपत्तन

4541. श्री ए. अशोकराज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर विमानपत्तन का आधुनिकीकरण और हवाई पट्टी का विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है ; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की धावन पथ के पुन: अभिमुखीकरण और हवाई अड्डे का उन्नयन करने की योजना थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर्याप्त भूमि को अधिग्रहण करना चाहता था अत: उसे राज्य सरकार के पास 50 लाख रुपए जमा करवा दिए थे। इनमें से 44 लाख रुपये उच्च तीव्रता धावन पथ प्रकाश और सूक्ष्म पहुंच पथ सूचकों की व्यवस्था करने पर खर्च किए गए। अब परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में, कर्नाटक सरकार मंगलौर में प्राइवेट हवाई अड्डे का विकास करने के लिए उत्सुक है जिसके लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहा है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंक में जमा राशि

4542. डा. साक्षीजी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अनिवासी भारतीयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में 1993-94 और 1994-95 के दौरान अभी तक कुल कितनी राशि जमा की गई ; और

(ख) उत्तर प्रदेश में अनिवासी भारतीयों द्वारा किन-किन बैंकों में सर्वाधिक राशि जमा की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी अनिवासी लेखा (एफ. सी. एन. आर. ए.) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफ. सी. एन. आर. (बी) विदेशी मुद्रा अनिवासी साधारण गैर-प्रत्यावर्ती (एफ. सी. ओ. एन.) अनिवासी गैर प्रत्यावर्ती रुपया जाना (एन. आर. (एन. आर.) आर. डी.) और अनिवासी विदेशी रुपया लेखा (एन. आर. ई. आर. ए.) जैसी योजनाओं में कुल बकाया जमा राशि 1,6317 बिलियन अमरीकी डालर है। वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान अनिवासी भारतीय जमा राशि का निवल प्रवाह 0.94 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम में पेंशन योजना

4543. **श्री बलराज पासी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवारत तथा 1 जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में उनके द्वारा ब्याज के निश्चित प्रतिशत के साथ भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान की वापसी करने की स्थिति में उन्हें पेंशन के भुगतान हेतु एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1986 से पेंशन की ग्राह्यता मापने का क्या आधार है ;

(ग) सेवा निवृत्ति की तिथि की अनदेखी करके निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन देने में क्या आपत्ति है ;

(घ) क्या सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रस्तावित पेंशन योजना, अथवा भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत रहने के लिए, विकल्प देने की छूट मिलेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान किए जाने को सिद्धान्त रूप में सरकार द्वारा मान लिए जाने के अनुसरण में, भारतीय जीवन बीमा निगम ने पेंशन स्कीम का एक प्रारूप अग्रेषित किया है जिसके आधार पर 1.11.1993 को या इसके पश्चात् निगम की सेवाओं में आने वाले कर्मचारियों को केवल पैंशन प्रदान की जाएगी, और जो कर्मचारी 31.10.1993 को निगम में सेवारत हैं उन्हें या तो पेंशन स्कीम का विकल्प स्वीकार करने अथवा अंशदायी भविष्य निधि स्कीम में बने रहने की अनुमति दी गयी है। पेंशन स्कीम के प्रारूप में 1.1.1986 को अथवा उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को भी शामिल किए जाने की कल्पना की गयी है बशर्ते वे कतिपय शर्तों को पूरा करते हों। भारतीय जीवन बीमा निगम के इसके लिए अंतिम तारीख पहली जनवरी, 1986 का चयन किया था क्योंकि इस तारीख से ही केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारियों के संबंध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तारीख को अपनाया था। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भेजा गया पेंशन स्कीम का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सहायता

4544. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को विशेष सहायता के रूप में कोई अतिरिक्त धन जारी किया है अथवा जारी करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह धन किस उद्देश्य हेतु प्रदान किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) हाल ही में एन॰ टी॰ सी॰ को वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार के पास रुकी हुई 30 करोड़ रु॰ की राशि में से विशेष वित्तीय सहायता रिलीज की गई है। एन॰ टी॰ सी॰ ने अप्रैल, मई और जून, 1994 के वेतन का भुगतान करने के लिए इस रिलीज का उपयोग कर लिया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते

4545. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के समतुल्य वेतन और भत्ते मिलते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को संबंधित प्रायोजक बैंकों के वेतनमानों के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

टायरों का निर्यात

4546. श्री बीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष टायरों का देश-वार कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्रा तथा मूल्य दोनों के रूप में आटोमोबाइल टायरों तथा ट्यूबों के निर्यात निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	मात्रा हजार की सं० में	मूल्य (करोड़ रु० में)
1991-92	14534.3	231.4
1992-93	34307.2	564.9
1993-94	31187.9	674.6

देशवार निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :-

(भारत से टायरों के निर्यात

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	देश	1991-92	193-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	21.4	103.9	78.3
2.	अर्जेन्टिना	0.6	2.4	4.1
3.	बंगलादेश	25.6	37.6	45.4
4.	ब्राजील	0.1	2.3	2.4
5.	बर्मा	0.1	–	4.5
6.	कनाडा	1.6	7.0	9.7
7.	चीन गण० (ताइवान)	0.5	1.5	5.4
8.	मिस्र	13.3	26.5	21.9
9.	घाना	0.1	1.0	4.9
10.	हांगकांग	2.0	7.6	8.4
1	2	3	4	5
11.	ईरान	3.6	10.3	9.9
12.	केनिया	0.3	2.0	1.4
13.	मैक्सिको	4.2	2.7	8.8
14.	नेपाल	5.7	4.5	3.8
15.	नाइजीरिया	17.5	31.4	19.2

1	2	3	4	5
16.	ओमान	0.7	3.2	5.7
17.	फिलिपिन्स	1.4	5.5	8.0
18.	सिंगापुर	10.8	55.9	57.8
19.	श्रीलंका	3.4	5.3	17.8
20.	तंजानिया	6.6	9.2	16.3
21.	यूएई	7.6	14.1	41.6
22.	यूके	1.5	3.8	6.8
23.	यूएसए	74.9	151.2	187.7
24.	युगान्डा	2.3	3.3	7.4
25.	वनेजुएला	0.2	0.8	1.1
26.	वियतनाम एस० आर०	–	5.3	19.0
27.	जाम्बिया	0.2	5.5	0.7
28.	अन्य	25.2	61.1	76.6
	योग	231.4	564.9	674.6

स्रोत : तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

4547. श्री तेजसिंह राव भोंसले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपने आवेदनपत्रों को मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के माध्यम से भेजना आवश्यक हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को श्रमिक संघों द्वारा ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है, से राशि वसूलने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एन० टी० सी० के कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान 40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी तथा वर्ष 1994-95 के लिए 84 करोड़ रु० की राशि उद्दिष्ट की गई है।

(ख) एन० टी० सी० की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अनुसार एन० टी० सी० के कामगारों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए अपने आवेदन पत्र मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के माध्यम से भेजें। तथापि, जहां कहीं भी आवश्यक होता है, वहां संबंधित औद्योगिक संबंध और प्रबन्ध के अनुसार विभिन्न सहायक निगमों के प्रबन्धकों द्वारा मजदूर संघों के साथ करार किए जाते हैं जैसा कि महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में हैं तथा जिसमें यह व्यवस्था होती है कि मदों की कटौती के मामले में प्रबन्धकों के लिए यह बाध्य होता है कि संबंधित मजदूर संघों के साथ करार करें तथा कामगार ऐसे आवेदन पत्र ऐसे मजदूर संघों के माध्यम से भेजें।

(ग) से (ङ) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों को देय अनुग्रह राशि के कुछ अंश को बम्बई में एन० टी० सी० मिलों के मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को अदा किया जा रहा है। यह राशि संबंधित कामगार द्वारा प्राधिकार के औपचारिक पत्र के आधार पर ही काटी जा रही है। मुख्यतः यह मामला अलग-अलग कामगार तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधि के बीच होता है।

[अनुवाद]

रूस को निर्यात की निगरानी

4548. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष में अथवा आगामी वर्ष से रूस को किए जाने वाले निर्यात पर निगरानी रखने हेतु तंत्र बनाने के लिए स्विच व्यापार सहित संदिग्ध सौदों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार किया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क), (ख) तथा (ग) द्विपक्षीय करारों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए भारत-रूस द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक सम्बन्धों में स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों में यह सहमति हुई है कि भारत से रूस को निर्यात विशेषकर ऋण पुनर्भुगतान प्रणाली पर सावधानी से निगरानी की जाए। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ उस व्यापार का निषेध होगा जो द्विपक्षीय करार में निषिद्ध है और जिससे दोनों पक्ष बचना चाहते हैं। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हो गए हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां विकसित की जाएं कि माल एवं सेवाओं के निर्यात के वस्तुवार ब्यौरे समय से उपलब्ध हो जाएं और कारोबार द्विपक्षीय करारों के अनुसार ही किए जाएं। भारतीय पक्ष से ऋण पुनर्भुगतान निर्यात की निगरानी करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही दोनों पक्षों की सरकारों और व्यापारिक समुदाय के सामान्य लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

आयात आधारित परियोजनाएं

4549. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के कारण आयात आधारित परियोजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) परियोजनाओं पर पड़ने वाले अवमूल्यन के प्रभाव को अलग से नहीं देखा जा सकता। जबकि अवमूल्यन आयात को खर्चीला बनाता है, परियोजनाओं पर पड़ने वाला वास्तविक प्रभाव परियोजनाओं की आयात-उन्मुखता, घरेलू स्थानापन्नों की उपलब्धता और आयात की समग्र लागतों पर निर्भर करता है। जो आयात-टैरिफों में कमी होने के परिणामस्वरूप कम हो सकती है। 1990-91 से 1993-94 तक पिछले तीन वर्षों में, जहां अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन लगभग 43 प्रतिशत तक हुआ है, पूंजीगत माल के लिए औसत आयात-भारित टैरिफ दरें उल्लेखनीय रूप से कम हुई हैं, जो 1990-91 में 90 प्रतिशत से ऊपर थी वही घटकर 1993-94 में 40 प्रतिशत से भी कम हो गई। इस प्रकार आयात आधारित परियोजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकती। इस देश में बहुत सी परियोजनाएं हैं और उपर्युक्त घटकों का प्रभाव प्रत्येक परियोजना के लिए भिन्न-भिन्न होता है और इसलिए आयात-आधारित परियोजनाओं पर अवमूल्यन, प्रतिकूल अथवा अन्यथा पड़ने वाले समग्र प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

भारीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4550. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम में श्रेणी I, II, III और IV के पदों के लिए कुल कितने कर्मचारी भर्ती किए गए और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से भर्ती किए गए ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों हेतु कितना कोटा निर्धारित किया गया है और उक्त भर्ती में उनके लिए निर्धारित कोटे को किस सीमा तक पूरा किया गया है ;

(ग) इन श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार रिक्तियों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम को कोई निदेश जारी किए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय आधार पर श्रेणी-1 के पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण किया जाता है। अन्य श्रेणियों के लिए इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी राज्य-वार सूचियों के आधार पर आरक्षण किया जाता है। कतिपय भर्ती केन्द्रों में उपयुक्त अभ्यार्थियों के न मिलने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के न भरे जाने की स्थिति में पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं। जैसा कि जीवन बीमा निगम ने सचित किया है पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की भर्ती का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	भर्ती किए गए कुल अभ्यार्थियों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति से संबंधित भर्ती किए गए अभ्यार्थियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनु. जनजाति
1990-91	10458	1702	922
1991-92	11476	1818	757
1992-93	11379	2000	844

[अनुवाद]

इंडिया डेवलपमेंट बाण्ड

4551. श्री जगमीत बीर सिंह ब्रोड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों की ओर से इंडिया डैवलपमेंट बाण्ड्स की संपार्श्विक प्रतिभूति के विरुद्ध भारत में अनुसूचित बैंकों से ऋण के बारे में आयकर प्राधिकारियों द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार को दिनांक 24.11.93 को लिखित एक शिकायत प्राप्त हुई कि भारतीय आयकर प्राधिकारी अनिवासी भारतीयों और समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा गिरवी रखे गए इण्डिया डैवलपमेंट बांड्स की संपार्श्विक प्रतिभूति के विरुद्ध भारत में अनुसूचित बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाली भारतीय फर्मों और कम्पनियों से इण्डिया डेवलपमैंट बांड्स धारकों के नाम व पते पूछ रहे हैं। यह कहा गया कि ऐसा करना अनिवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा के प्रेषण और विदेशी मुद्रा बांड्स में निवेश (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत दी गई उन्मुक्ति के विरुद्ध था।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निवेदक (शिकायतकर्ता) को भेजे गए दिनांक 16.12.1993 के अपने पत्र में जिसकी प्रतियां आयकर प्राधिकारियों को भी भेजी गई थीं, यह स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित बैंक एक बार यदि लिखित रूप में यह प्रमाणित कर दें कि ऋण अनिवासी भारतीय, समुद्रपारीय निगमित निकाय अथवा न्यासीय क्षमता में इंडिया डेवलपमैंट बांड्स धारित करने वाले बैंक से संबंधित इंडिया डेवलपमैंट बांड्स की संपार्श्विक प्रतिभूति के विरुद्ध अथवा किसी भारतीय नागरिक को उपहारस्वरूप दिए गए ऐसे इंडिया डेवलपमैंट बांड्स की संपार्श्विक प्रतिभूति के विरुद्ध लिया गया है तो भारतीय आयकर प्राधिकारियों पर इस संबंध में आगे जांच-पड़ताल करने पर रोक लग जाती है। तत्पश्चात् 21-3-94 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने और आगे यह स्पष्ट किया कि फिर भी आयकर प्राधिकारी बैंक से ऋण लेने वाले भारतीय निवासी द्वारा बैंक अथवा प्रतिभूति धारक को संपार्श्विक प्रतिभूति की व्यवस्था करने तथा उसे प्रदान किए जाने के संबंध में दिए गए प्रतिफल, यदि कोई हो तथा इस व्यवस्था की शर्तों के बारे में पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

छोटी इलायची

4552. श्री के॰ मुरलीधरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में छोटी इलायची की औसत उत्पादकता ग्वाटेमाला में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में 37 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारत में इलायची की औसत उत्पादकता जो वर्ष 1989-90 के दौरान 53 किग्रा॰ प्रति हेक्टेयर के स्तर पर थी, वह बढ़कर 1993-94 के दौरान 110 किग्रा॰ प्रति हेक्टेयर के स्तर पर आ गई, जबकि ग्वाटेमाला में हाल ही के वर्षों में अनुमानित उत्पादकता लगभग 200 किग्रा॰ प्रति हेक्टेयर रही।

(ख) भारत में कम उत्पादकता के कारण ये हैं –(1) जीर्ण शीर्ण और खर्चीले बागानों का आधिक्य; (2) सूखा, बाढ़, आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का बार-बार आना; (3) कीटों और बीमारियों की समस्याएं ; और (4) अलग-अलग कृषि जलवायु दशाओं के लिए उपयुक्त उन्नत किस्मों का अभाव।

(ग) छोटी इलायची की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड ने अल्पावधि और दीर्घावधि कार्यक्रम लागू किए हैं जैसे–रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, पुराने और जीर्ण-शीर्ण बागानों में पुनर्रोपण, सिंचाई संवर्धन तथा फसल-पश्चात सुधार और फील्ड अधिकारियों द्वारा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना। इनके अलावा, मसाला बोर्ड के भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान ने केरल के लिए आई सी आर आई-I और आई सी आर आई-II नामक दो उच्च पैदावार वाली किस्में रिलीज की हैं। कर्नाटक क्षेत्र के लिए एस के पी-14 नामक एक और किस्म रिलीज की गई है।

विश्व बैंक की बैठक

4553. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय विकास निधि के तत्वाधान में भारतीय व्यापारियों और कुछ प्रमुख पश्चिमी निवेशकों की एक बैठक का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में मुख्यतः किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। भारत किसान मंच ने भारत के विकास में गहरी रूचि रखने वाले निवेश बैंकों, उभरती हुई बाजार निधियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए सरकार और भारतीय उद्योग एवं बैंकिंग प्रणाली के एक वरिष्ठ शिष्टमण्डल के लिए खुला मंच प्रदान किया। बैठक के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि निजी क्षेत्र के निवेशक घरेलू और विदेशी, तीन वर्ष पहले तैयार की गयी नीतियों की प्रक्रिया के पूरी तरह समर्थक हैं। घरेलू और विदेशी निवेशकों ने सरकार के उस कौशल की समान रूप से प्रशंसा की जिससे इसने नीतियों में बड़ा परिवर्तन किया और निजी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोला। उन्होंने सरकार की उक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की क्षमता में भी विश्वास प्रकट किया। कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने बताया है कि उन्हें अब पूर्वी एशियाई देशों की अपेक्षा भारत में निवेश करना और कार्य करना आसान लग रहा है। सरकार के आर्थिक सुधार संबंधी लक्ष्य को मजबूत करने के सहमतिजन्य, लोकतांत्रिक तरीके को भी विचार-विमर्शों में विशेष महत्व दिया गया।

कर्नाटक में पर्यटन को प्रोत्साहन

4554. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान मंजूरी और वित्तीय सहायता के लिए भेजी गई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है ;

(ग) अभी तक मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रयोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) 1993-94 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने, कर्नाटक राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 177.44 लाख रु॰ की धनराशि की दस परियोजनाओं/स्कीमों की मंजूरी दी थी। मंजूर की गई परियोजनाओं का विवरण यहां नीचे दिया जा रहा है :-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मंजूर की गई धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	8 पर्यटक केन्द्रों पर जन-सुविधाएं बिदर, बीजापुर, बादामी, पट्टादकल, लक्कुण्डी, ऐहोल, सुदमाना, गोकर्ण	25.68
2.	बसवकल्याण में सुलभ शौचालय परिसर	3.21
3.	हनुमंत नगर में वाटिका	24.70
4.	मैसूर में गोल्फ कोर्स का स्तरोन्नयन	37.30
5.	मैसूर में गोल्फ कोर्स का स्तरोन्नयन	37.30
6.	मैसूर में सेंट फिलोमेना के चर्च की परिप्रदीप्ति	20.00
7.	कुर्ग पर्व	2.85
8.	महामस्तकाभिषेक पर्व	10.61
9.	पट्टादकल पर्व	4.44
10.	प्रचार सहायता	9.65

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग को दो प्रस्ताव यानी गुलबर्गा तथा धारवाड़ में यात्री निवासों का निर्माण के बारे में मिले हैं।

इंडियन एयरलाइंस

4555. डा० विश्वनाथम कनिथी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयरटैक्सी संचालन के बाद देश में कितने प्रतिशत लोग इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों से यात्रा करते हैं ;

(ख) इंडियन एयरलाइंस के कितने प्रतिशत विमानों का उपयोग होता है ;

(ग) इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड यदि कोई है तो क्या है ; और

(घ) इंडियन एयरलाइंस के विमानों की औसत सीट क्षमता कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा प्रचालन शुरू करने के बाद वर्ष 1993-94 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों से यात्रा करने वाले व्यक्ति लगभग 75% हैं।

(ख) जून, 1994 में इंडियन एयरलाइंस के विमानों की उपयोगिता का प्रतिशत नीचे दिया गया है :-

विमान	उपयोगिता
ए-300	60%
ए-320	77%
बी-737	78%

(ग) इस सम्बन्ध में कोई अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) जून, 1994 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में क्षमता उपयोगिता का औसत लगभग 71% था।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

4556. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उन अध्यक्षों को बदलने का है जिनका कार्यनिष्पादन/कार्यकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है जैसा कि 1 अगस्त, 1994 के "जनसत्ता" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन बैंकों की पहचान कर ली है जो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तृत पुनर्गठन करने के संबंध में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 27 जुलाई, 1994 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों को एक-एक परिपत्र जारी किया है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों के चयन और उनकी नियुक्ति करने के संबंध में अपनाये जाने वाले मानदंड बताए गए हैं। प्रायोजक बैंकों से कहा गया है कि वे मार्गनिर्देशों के संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों की उपयुक्तता की समीक्षा करें।

(ग) और (घ) देश में कार्य कर रहे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 172 को हानि हो रही है। मार्च, 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार हानि की यह राशि 327.76 करोड़ रुपए थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानियों को रोकने और सामान्य रूप से उनकी अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(i) सितम्बर, 1992 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके नये ऋणों के 40% से अनधिक ऋणों को गैर लक्ष्य समूह के ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने की अनुमति दी गई थी। इसे अब बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

(ii) सभी प्रयोजक बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा की गई सभी एस एल आर सावधि राशियों और अल्पावधिक जमाराशियों पर कम से कम 13.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करें।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखे गए चालू खाता बकाया राशि पर ब्याज दरों को अप्रैल, 1993 से 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दें।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 15 लाख रुपए से अनधिक परिव्यय वाले लघु और अति लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए शत प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता आहरित करने की अनुमति दी गई है।

(v) लघु सड़क परिवहन परिचालकों का वित्तपोषण करने के लिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है।

(vi) इसके साथ ही अल्पावधि में उनकी अर्थक्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1993 में कुछ उपायों की घोषणा की थी। इन उपायों में गैर-लक्ष्य समूह वित्तपोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर-निधिबद्ध कारबार बढ़ाना, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र बाध्यता से मुक्त करना जिनका 1992-93 के दौरान 2 करोड़ रुपए से कम का संवितरण था और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उत्पाद केन्द्रों आदि जैसे स्थानों में पुन: स्थापित करना और ऐसी संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति देना शामिल है जिनके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपाजिट लाकर स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है।

(vii) व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया गया है। पांच वर्षों में अर्थक्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने विकास कार्य योजनाएं तैयार की हैं।

[अनुवाद]

रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता

4557. श्री रमेश चेन्नितला :

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत और मलेशिया के बीच व्यापार गलियारा

4558. श्री शरत् पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया की सरकार ने बेहतर व्यापार संवर्द्धन हेतु भारत के साथ व्यापार गलियारा बनाने का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या "सार्क" देशों के साथ भी ऐसी ही व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दुबई से सोने की तस्करी

4559. डा॰ परशुराम गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुबई से देश में सोने की तस्करी के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान कितनी मात्रा में तस्करी का सोना पकड़ा गया है ; और

(ग) सरकार ने दुबई से सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान पकड़े गए सोने की कुल मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

मात्रा	मूल्य
2339 किलोग्राम	95.75 करोड़ रुपये

(ग) सभी सुगम्य क्षेत्रों में तस्करी रोधी कार्यकलापों को तेज कर दिया गया है। दुबई सहित संवेदनशील हवाईअड्डों से आने वाली उड़ानों की जांच की जाती है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ट तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु कानून

4560. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि और निर्माण कार्य में लगे कामगारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कोई नया कानून अधिनियमित करने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कानून कब तक अधिनियमित किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव मुख्य रूप से मजदूरी दावों को जल्दी निपटाने, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियों में वृद्धि किये जाने आदि से संबंधित हैं। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव मुख्य रूप से लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कल्याण सुविधाओं के प्रावधान, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियों में वृद्धि किये जाने आदि से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) सरकार का विचार कृषि और निर्माण कर्मकारों के रोजगार तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अलग से केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने का है। इस समय इन विधानों के अधिनियमन हेतु कोई समय सीमा बता पाना कठिन है।

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर और बाल श्रमिक

4561. श्री एन॰ डेनिस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बन्धुआ मजदूरों और बाल श्रमिकों संबंधी बुराई पर अंकुश रखने के लिए अखिल भारतीय बंधुआ मजदूर और बाल श्रमिक सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा अपनी विद्यमान एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। भारत की जनगणना 1991 में बाल श्रमिकों के बारे में भी जानकारी शामिल है।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

4562. श्री महेश कनोडिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक निर्माता कंपनियां वर्तमान श्रम कानूनों और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कानूनों और सुरक्षा उपायों के उल्लंघन हेतु कितनी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान श्रम कानूनों और सुरक्षा उपायों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों के कार्यकरण की समीक्षा की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठनों से ऋण

4563. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौते के अन्तर्गत 1994-95 के लिए विदेशी ऋण लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और इसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठनों से पहले कितना ऋण प्राप्त हुआ है जिसकी अदायगी केन्द्रीय सरकार को अभी करनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा सदस्य देशों को कोई ऋण नहीं दिया गया है। फिर भी, 1992 में भारत द्वारा गन्ने से संबंधित प्रस्तुत की गई दो परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा आवश्यक वस्तुओं हेतु सामान्य निधि के दूसरे खाते से वितपोषित करने के लिए पहले प्रायोजित की गई थीं। बाद में, एक परियोजना इसकी कार्यान्वयन पद्धति में प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण वापस ले ली गयी थी। दूसरी परियोजना को आवश्यक वस्तुओं हेतु सामान्य निधि की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नया रूप दिया जा रहा है।

तांबे पर ग्रेड शुल्क

4564. श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा॰ राजा चेल्लैया समिति रिपोर्ट ने तांबे पर ग्रेड शुल्क लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उक्त सिफारिश को लागू किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। चेल्लैया समिति ने यह सिफारिश की है कि तांबे के कैथोडों तार-शालाओं और तार-छड़ों आदि के लिए आयात शुल्क को धीरे-धीरे करके 1997-98 तक 20 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए। तांबे से बनी वस्तुओं के बारे में शुल्क को धीरे-धीरे कम करके 30 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए।

(ख) से (घ) चेल्लैया समिति के अनुसार की गई सिफारिशों को 1997-98 तक कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जहां तक तांबे का सम्बन्ध है, सरकार ने वर्तमान में तांबे और इससे बनी वस्तुओं पर आयात शुल्क ढांचे को एक समान बनाकर 50 प्रतिशत की दर लागू की है।

[हिन्दी]

राजस्व टिकट

4565. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 पैसे के राजस्व टिकट के स्थान पर एक रुपए की राजस्व टिकट लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये आदेश किस तिथि से प्रभावी होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि पहले राजस्व टिकट शुल्क 20/- रुपए से अधिक के सभी सौदों पर देय था, इसलिए यह महसूस किया गया था कि राजस्व टिकटें लगाना सौदों के सुचारू प्रवाह के लिए बाधा थीं। तद्नुसार स्टाम्प शुल्क लगाए जाने हेतु इस सीमा को बढ़ाकर 500/- रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ाई गई सीमा को मद्दे-नजर रखते हुए, स्टाम्प शुल्क की दर को भी बढ़ाकर एक रुपया कर दिया गया है।

(ग) इन आदेशों को 13 मई, 1994 से लागू किया गया था।

[अनुवाद]

पंजाब में लघु क्षेत्र के उद्योगों को आर्थिक सहायता

4566. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में गंभीर समस्याओं का सामाना कर रहे लघु क्षेत्र के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4567. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दयनीय स्थिति में हैं और उनमें से कुछ कार्यकारी पूंजी के अभाव में बंद होने के कगार पर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) असम राज्य में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और सभी घाटे में चल रहे हैं। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित समिति की सिफारिशों के आधार पर व्यापक पुनर्संरचना के लिए सरकार ने जो 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चयन किया है, प्रागज्योतिश गानोलिया बैंक उनमें से एक है, तथापि, संरचनात्मक और व्यवस्थित ढंग से अपने परिचालनों को ठीक करने के लिए सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकासशील कार्ययोजनाएं तैयार करनी होंगी ताकि युक्तियुक्त समयावधि में दीर्घावधिक अर्थक्षमता प्राप्त की जा सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के घाटे को रोकने और उनकी अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सरकार के परामर्श से कदम उठाए हैं। हाल ही में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: गैर लक्ष्यगत समूह वित्तपोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर निधिबद्ध कारबार को बढ़ाना, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र आवश्यकताओं से मुक्त करना जिनका वर्ष 1992-93 के दौरान संवितरण 2 करोड़ रुपए से कम था और उन्हें घाटे में चल रही शाखाओं को मण्डियों, तालुकों/जिला मुख्यालयों कृषि उत्पाद केन्द्रों आदि स्थानों पर पुन: स्थापित करने तथा उन संस्थानों के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलने, जिनके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर हैं, की अनुमति देना। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपाजिट लाकर स्थापित करने की भी अनुमति दी गई है।

अमरीका द्वारा निवेश

4568. **श्री डी॰ वैंकटेश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीकी संबंध दो देशों के बीच नये आर्थिक रिश्तों के कारण आई अधिक स्थिरता के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी सरकार के बंधपत्रों में किए गए निवेश से अप्रत्याशित रूप से मजबूत हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारत में अमरीकी निवेश में किस हद तक सुधार हुआ है और भारत में किन-किन परियोजनाओं में निवेश के लिए अमरीकी निवेशकों ने अपनी सहमति दी है ;

(घ) क्या 1994-95 के दौरान अमरीकी निवेश के बारे में कोई आंकलन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्मों से 1991 से 1994 (जुलाई तक) की अवधि के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्न प्रकार हैं :-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	वित्तीय अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित निवेश
1991	53	1858.50
1992	154	12315.00
1993	151	34618.80
1994 (जुलाई तक)	98	9871.56

जिन परियोजनाओं को 1994 में अनुमोदन प्राप्त हुआ है, वे ऊर्जा, रसायन, इलैक्ट्रानिक्स आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। तथापि, न तो स्तरों की मात्रा को बता पाना और न ही विदेशों द्वारा किए जाने वाले निवेश के क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर पाना सम्भव है क्योंकि यह विदेशी निवेशकों के अवबोधन और हितों पर निर्भर करेगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

4569. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या रुकावटें हैं ;

(ख) चालू योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र में अर्धशहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी एककों के लिए संस्थागत ढांचा सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों द्वारा शुरू किए गये कृषि आधारित सहकारी औद्योगिक उद्यमों के लिए क्या-क्या विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए जायेंगे और चालू योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र में एककों के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) व्यापक पुनर्संरचना के लिये महाराष्ट्र राज्य बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) नामत: औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक और ठाणे ग्रामीण बैंक को चुना गया है। इन बैंकों से कहा गया था कि युक्तियुक्त अवधि के भीतर अर्थक्षमता हासिल करने के लिए वे विकास कार्य योजनाएं (डी ए पी) तैयार करें। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करके और 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमान तैयार करके,

जिसके भीतर ये स्थिर अर्थक्षमता प्राप्त कर लेंगे, इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्रायोजक बैंक के परामर्श से विकास कार्य योजनाएं तैयार की हैं।

(ख) चालू योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र में अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी एककों की संस्थागत पुनर्संरचना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डी सी सी बी) और राज्य सहकारी बैंक (एस सी बी) के लिये नाबार्ड द्वारा जारी मार्गनिर्देशों पर आधारित विकास कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इन विकास कार्य योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी डी सी सी बी एक या दो वर्ष के भीतर वर्तमान अर्थक्षमता और लगभग 6 वर्ष में स्थिर अर्थक्षमता प्राप्त करें। कार्य योजना के महत्वपूर्ण मदों का संतोषजनक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और नाबार्ड से निरंतर मिलने वाली वित्तीय और अन्य सहायता के लिये पूर्व शर्त के अनुरूप नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों और राज्य सहकारी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) किया जाना है।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के लिये महाराष्ट्र में कृषि संसाधन योजनाओं के लिये इसके द्वारा 6.00 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आइ आर डी पी) के हिताधिकारियों के लिये क्रमशः 6.21 करोड़ रु., 8.00 करोड़ रु. और 7.63 करोड़ रु. का पुनर्वित्त का भी आवंटन किया गया है जिसके 50 प्रतिशत हिताधिकारी दिशानिर्देश के अनुसार अ. जा./अ. ज. जा. के होने चाहिए।

[हिन्दी]

मंत्रालयों में खर्च

4570. श्री राज नारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे मंत्रालयों की कोई सूची बनाई है, जिन्होंने स्वीकृत बजट और अनुपूरक अनुदानों से अधिक धनराशि खर्च की है ;

(ख) यदि हां, तो इन मंत्रालयों के नाम क्या हैं तथा अनुदानों से कितनी धनराशि अधिक खर्च की गई है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत बजट/अनुपूरक अनुदानों की सीमा से ज्यादा खर्च किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने मामले की जांच की है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ; और

(च) निर्धारित सीमा से अधिक खर्च पर अंकुश रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों का क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) और (ख) जिन मंत्रालयों विभागों ने एक वर्ष में स्वीकृत प्रावधान से अधिक धनराशि खर्च की है उनके नाम विनियोग लेखों

में दिए हैं, जिन्हें संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। विगत वर्ष के जिन विनियोग लेखों को लोक सभा (जो 10 मई, 1994 को थी) के पटल पर रखा गया था वे वर्ष 1992-93 के लिए थे। विनियोग लेखों से पता चला कि अनुदानों के अन्तर्गत अधिक धनराशि खर्च हुई जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में अधिक धनराशि खर्च करने के कारण अतिरिक्त संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जो लोक सभा के पटल पर 5.8.1994 को रखे गए और सदन द्वारा 9 अगस्त, 1994 को पारित किए गए। वर्ष 1992-93 में अधिक धनराशि खर्च किए जाने के कारण विनियोग लेखों में संलग्न विवरण में उल्लिखित पृष्ठों पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) विनियोग लेखों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है तथा लोक लेखा समिति (पी० ए० सी०) द्वारा की गई सिफारिशों पर आगे कार्रवाई की जाती है।

(च) सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली में दिए हुए अनुदेशों में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि इस प्रकार का कोई खर्च नहीं किया जाएगा जो कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए संसद में विधि द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान या विनियोग से अधिक हो। मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

विवरण

(हजार रुपए)

मंत्रालय/विभाग	अनुदान संख्या	स्वीकृत प्रावधान		अधिक खर्च		अधिक धनराशि खर्च किए जाने के कारणों के लिए कृपया विनियोग लेखा 1992-93 की निम्नलिखित पृष्ठ सं० देखें
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	
1	2	3	4	5	6	7
कृषि और सहकारिता	1-कृषि प्रभारित	–	367,40,00	–	19	22-23
आर्थिक कार्य	25-आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत	549,68,00	–	4,77,08	–	84-85

1	2	3	4	5	6	7
व्यय	33-पेंशन	682,80,00	–	15,87,72	–	119-120
	स्वीकृत					
भूतल परिवहन	75-सड़कें					
	स्वीकृत	–	542,39,00	–	6,46,17	280–281
गृह मंत्रालय	95–दादरा और					
	नगर हवेली					
	स्वीकृत	–	14,08,00	–	2,58	392
	97-चण्डीगढ					
	स्वीकृत	238,82,00	–	1,11,77	–	399–400

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

4571. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने आरम्भ काल से लेकर अब तक कितनी रुग्ण कपड़ा मिलों का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) अब तक ऐसी कितनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया है ;

(ग) क्या इन मिलों के राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद इनके कार्यनिष्पादन में सुधार आया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) एन॰ टी॰ सी॰ को 1968 में निगमित किया गया था तथा तब से इसने 125 मिलों को अधिग्रहीत किया है। इनमें से एक मिल के प्रबन्ध की अवधि को 22.6.1988 से आगे नहीं बढ़ाया गया था। तदनन्तर, पश्चिम बंगाल में 4 मिलों को दो में मिला दिया गया था। इस प्रकार इस समय एन टी सी के अन्तर्गत 122 मिलें (107 राष्ट्रीयकृत तथा 15 अधिग्रहीत मिलें) हैं। राष्ट्रीयकृत मिलों में दो ऐसी मिलें हैं शामिल हैं जिनको अधिग्रहण के बाद पुन: शुरू नहीं किया गया था।

(ख) से (घ) पिछले कुछ वर्षों में एन टी सी के अन्तर्गत अधिकतर राष्ट्रीयकृत मिलों को चालू रखने के लिए विविध मात्राओं में निधियों का निवेश किया गया है। जिस समय इन मिलों का अधिग्रहण किया गया था, कि तुलना में तकुआकरण में वृद्धि हुई है। तथापि, कुछ मिलों में गैर-किफायती कार्यकलापों को बन्द करने के परिणामस्वरूप करघाकरण में कमी आई है। एन टी सी की मिलें अन्य बातों के

साथ-साथ पुरानी तथा अप्रचलित मशीनों, अपर्याप्त आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी, कम क्षमता उपयोग, उच्च मानव-मशीन अनुपात आदि के कारण घाटे हुए हैं।

उड़ीसा में पर्यटन विकास

4572. श्री अनादि चरण दास :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री के. प्रधानी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अब तक उड़ीसा सरकार से राज्य में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटन हेतु किन-किन स्थानों का विकास किया जाएगा ;

(ग) अब तक स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उनको निपटाने में शीघ्रता लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान, वित्तीय सहायता देने के लिए उड़ीसा सरकार से चार प्रस्ताव मिले हैं। तथापि, वर्ष 1994-95 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) इन स्कीमों की अवस्थितियां तथा ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

	स्कीमों के नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1.	गोपालपुर में पर्यटक परिसर	38.23
2.	पारादीप में पर्यटक परिसर	32.50
3.	जगन्नाथ मंदिर का प्रदीप्तिकरण	10.00
4.	निम्नलिखित पर मेलों और उत्सवों के लिए सहायता	
	(क) समुद्रतट उत्सव	5.00
	(ख) बाली यात्रा	12.05
	(ग) उद्यान उत्सव	0.50
	(घ) कोणार्क उत्सव	3.24

(घ) सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात बीमा

4573. श्री गुरुदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात को बीमाकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) एक राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) शुरू करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसे ई सी जी सी ऑफ इंडिया लि० द्वारा चलाया जाएगा। एन ई आई ए योजना के तहत निम्नलिखित मामले शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते वे वाणिज्यिक आधार पर ई सी जी सी के अंतर्गत न आते हों :–

(i) सभी प्रस्ताव उन देशों को अल्पावधि ऋण देने संबंधी सभी प्रस्ताव जो फिलहाल कठिनाई महसूस कर रहे हैं और जहां दीर्घावधि निर्यात कार्य-योजना के एक भाग के रूप में हमारी वहां उपस्थिति जरूरी है ;

(ii) उन देशों को किये जाने वाले निर्यात जिनको विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक दृष्टिकोण से इस योजना के अधीन लाने की कोई संभावना न हो, लेकिन निर्यात कार्य-योजना के रूप में वाणिज्यिक/वित्तीय कारणों से ई सी जी सी द्वारा निर्धारित कुछ देशों को एक्सपोजर सीमा के बाहर यह योजना लागू की जाएगी।

(iii) ऐसी अधिक मूल्य की परियोजनाएं जिनमें मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण शामिल हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली लगाने संबंधी क्रिया-विधि के तहत भारतीय बोली लगाने वाले प्राप्त कर सकें और जिनके स्थानीय वित्त पोषक घटक है तथा ऐसी अन्य परियोजनाएं जो परियोजना निर्यात संबंधी सरकारी नीति के अंतर्गत आती हैं।

(iv) ऐसे निर्यात जिनके संबंध में ई सी जी सी द्वारा विशुद्ध रूप से राजनयिक दृष्टिकोण के आधार पर यह योजना लागू होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4574. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक में आज तक कितने डिस्पेन्सरी सुपरवाइजर कार्यरत हैं और इनमें से कितने सुपर वाइजर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से हैं ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की इस श्रेणी में नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप नियमों में ढील देकर इन आरक्षित पदों को भरने के भारतीय रिजर्व बैंक के सभी प्रयास विफल रहे हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिस्पेन्सरी सुपरवाइजरों के कुछ पद अनारक्षित किए गए थे ;

(च) यदि हां, तो इन पदों को अनारक्षित करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं ;

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन आदेशों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में चार डिसपेंसरी सुपरवाइजर हैं और इनमें से कोई भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों का नहीं है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि फार्मासिस्ट के पद से डिसपेंसरी सुपरवाइजर के पद में पदोन्नति के लिए ये मानदंड/पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं : उम्मीदवार की मैट्रिकुलेशन/एस एस सी परीक्षा की न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता होनी चाहिए ; वह पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए और फार्मासिस्ट के रूप में उसका 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और चूंकि यह तकनीकी पद है इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त मानदंडों में कोई छूट नहीं दी है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्योंकि विचार किए जाने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई कर्मचारी पात्र नहीं था इसलिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से उन्होंने 1989 में डिसपेंसरी सुपरवाइजर का पद भर लिया था। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थान को आगे लाया गया था।

(च) से (ज) उठाए गए मुद्दों की भारतीय रिजर्व बैंक जांच कर रहा है।

शहरी सहकारी बैंक

4575. डा॰ कृपासिन्धु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक सहकारी बैंकों को रुग्ण लघु इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये बैंक इन दिशानिर्देशों को किस सीमा तक लागू कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्पाद शुल्क में छूट

4576. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास के काम में लाई जा रही वस्तुओं के उत्पादन-शुल्क पर कोई छूट दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) छूट समाप्त होने की अंतिम तारीख क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ स्थानों पर पुनर्वास कार्य पूरा न होने के कारण छूट की तारीख को आगे बढ़ाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में आए भूकम्प से प्रभावित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए दान दी गई सभी वस्तओं या प्राप्त नकद दान में से खरीदी गई वस्तुओं के लिए सरकार ने दिनांक 19.10.1993 की अधिसूचना संख्या 97/93-केन्द्रीय उत्पादक शुल्क के द्वारा उत्पाद शुल्क से छूट दी थी।

(ग) 30 जून, 1994 ।

(घ) और (ङ) मामला विचाराधीन है।

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क

4577. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कमी की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ कंपनियां, विशेष रूप से फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, बजाज ऑटो, बी॰ पी॰ एल॰ और क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड उपरोक्त छूट का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दे रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है ;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उपरोक्त कंपनियों द्वारा कितनी राशि के शुल्कों/करों का भुगतान किया गया ;

(च) उपरोक्त कंपनियों द्वारा पृथक-पृथक रूप से कितनी राशि के करों/शुल्कों की अपवंचना की गयी ; और

(छ) उपरोक्त कंपनियों की ओर बकाया करों/शुल्कों की पृथक-पृथक राशि क्या है तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) ऐसी कुछेक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स/इलेक्ट्रिक वस्तुओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिन पर हाल ही के बजट में उत्पाद शुल्क में कमी की गयी थी :-

1.	ऑडियो तथा वीडियो मैगनेटिक टेपें	– मात्रानुसार दरें 30%
2.	वी. सी. आर./वी. सी. पी. आदि सहित टी. वी. कम्बीनेशन सेट। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष (85.28)	25% से 20%
3.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं 85.18-माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि 85.19 -कुछेक किस्म के रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट प्लेयर आदि 85.20 -कुछेक किस्म के मैगनेटिक टेप/रिकार्डर आदि 85.22 - रिकॉर्ड प्लेयरों/वी. सी. आर./वी. सी. पी. आदि के पुर्जे	25% से 20%
4.	85.21 वी. सी. आर./वी. सी. पी.	मात्रानुसार दरें 25% से 15%
5.	टी. वी. कैमरे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष (85.25)	– 25% से 20%
6.	कम्प्यूटरों के पुर्जे, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष (84.73)	– 25% से 20%
7.	वैक्यूम क्लीनर फ्लोर पॉलिशर गीजर शेवर्ज हेयर ड्रायर्ज ग्रिलर्ज आइसक्रीम चरनर्स	– 25% से 20%

घरेलू चूल्हे (माइक्रोवेव चूल्हों से भिन्न)

रेक्टेंगुलर बिवरेज जग (हॉट)

8. कुकिंग रेंज और माइक्रोवेव चूल्हे – 30% से 20%

9. शीर्ष सं० 85.09, 85.10 और 85.16 – 25% से 20%

के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं (घरेलू उपकरणों को छोड़कर)

10. कुछेक किस्मों के लैम्प – 35%/40% से 15%

11. घरेलू वाशिंग मशीनें – 30% से 20%

(ग) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अमरनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री

4578. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक कुल कितने तीर्थ यात्रियों ने अमरनाथ मंदिर की यात्रा की है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने तीर्थ यात्रियों ने इस मंदिर के दर्शन किये ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों में और 18 अगस्त, 1994 तक अमरनाथ मंदिर गए तीर्थयात्रियों की संख्या नीचे दिए अनुसार थी :–

वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या
1991	15599
1992	54638
1993	56000
1994 (18 अगस्त, 1994 तक)	37000

पंजाब और सिंध बैंक

4579. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार दिल्ली/नई दिल्ली जोन (जोनों) में पंजाब और सिंध बैंक की किन-किन शाखाओं का कार्यनिष्पादन जमा, अग्रिम नान-फंड व्यापार, लाभदेयता और हाउस-कीपिंग के मामले में उत्कृष्ट रहा है ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त शाखाओं में जमा, अग्रिम नान-फंड व्यापार, लाभ का शाखा-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पंजाब और सिंध बैंक के प्रबंधक मंडल ने प्रबंधकों/अधिकारियों को उपरोक्त अवधि के दौरान उनके कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कृत किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान किन्हीं प्रबंधकों/अधिकारियों को निलम्बित/दण्डित भी किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पंजाब एंड सिंध बैंक की दिल्ली और नयी दिल्ली अंचलों की उन शाखाओं के नाम जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान जमाराशियों, अग्रिमों, गैर-निधि आधारित कारबार, लाभप्रदता और हाऊसकीपिंग के मामले में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया है और जमाराशियों आदि के संबंध में उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पंजाब एंड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली में स्थित उनकी चार शाखाओं को कारबार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1992-93 के वास्ते बैंक की विशेष पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है। इन शाखाओं के नाम ये हैं : (1) शाखा कार्यालय, रोशनारा रोड, (2) विस्तार काउंटर, शालीमार बाग, (3) ग्रीन पार्क विस्तार काउंटर और (4) विस्तार काउंटर, खालसा कालेज, विश्वविद्यालय परिसर।

(ङ) और (च) बैंक ने आगे सूचित किया है कि नयी दिल्ली अंचल के उनके एक वरिष्ठ प्रबंधक को कदाचार के कारण निलंबित किया गया था। इसका कारण यह था कि वे अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन काम कर रहे सभी व्यक्तियों को उनकी ड्यूटी के प्रति निष्ठा सुनिश्चित नहीं करा सके थे।

विवरण

उन शाखाओं के नाम जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्कृष्ट काम किया

क॰ जमाराशियों में **(लाख रुपए में)**

	की स्थिति		
	मार्च, 1992	मार्च, 1993	मार्च, 94
	(1)	(2)	(3)
	मार्च	मार्च	मार्च
अंचल कार्यालय, नई दिल्ली			
ग्रीन पार्क	1101	1792	2077
पश्चिम बिहार	1004	1355	1728
नेहरू प्लेस	1686	2641	5072
हेम कुंट कालोनी	953	1494	1404

	(1)	(2)	(3)
जनपथ	3024	3667	5559
डिफेंस कालोनी	1068	1168	1390
अंचल कार्यालय दिल्ली			
आनंद विहार	814	1086	1461
रोशनआरा रोड	679	1254	1181
एक्सटेंशन काउंटर शालीमार बाग	109	188	276
एक्सटेंशन काउंटर युनिवर्सिटी कैंपस	523	653	725
कृष्णा नगर	863	1085	1272
(ख) अग्रिमों में			
अंचल कार्यालय, नई दिल्ली			
आसफ अली रोड़	461	469	1161
ग्रीन पार्क	441	413	585
एच ब्लाक	6186	6634	8245
जी ब्लाक	2998	3648	4145
नेहरू पैलेस	2222	3404	4284
जनपथ	1701	4098	2752
आईबीडी	11647	11800	15450
अंचल कार्यालय, दिल्ली			
आनंद बिहार	65	62	124
रोशन आरा रोड़	725	762	944
कृष्णा नगर	83	127	165
(ग) गैर निधि आय में			
अंचल कार्यालय, नई दिल्ली			
आसफ अली रोड़	1.67	3.55	10.72
डिफेन्स कालोनी	1.06	2.94	8.88
ग्रीन पार्क	2.28	8.67	14.27
जनक पुरी	1.58	4.74	9.88
कीर्ति नगर	1.32	2.15	4.69

	(1)	(2)	(3)
मोतिया खान	1.30	2.66	5.33
पश्चिम बिहार	2.00	6.33	12.23
एच० ब्लाक	30.00	39.13	69.81
जनपथ	12.00	20.94	40.65
नेहरू पैलेस	37.46	31.21	66.28
आई बी डी	33.00	74.00	200.30
अंचल कार्यालय दिल्ली			
आनंद बिहार	1	4	8
रोशनआरा रोड़	4	5	14
कृष्णा नगर	2	3	5
(घ) लाभ में			
अंचल कार्यालय, नई दिल्ली			
आसफ अली रोड़	25.27	35.81	63.02
डिफेंस कालोनी	47.25	27.37	108.97
ग्रीन पार्क	39.34	20.32	64.34
कीर्ति नगर	0.56	5.93	13.81
राजेन्द्र पैलेस	25.36	2.65	32.53
बसंत बिहार	18.52	15.58	42.71
एच० ब्लाक	66.65	124.14	167.12
नेहरू पैलेस	51.92	97.20	201.04
अंचल कार्यालय, दिल्ली			
आनंद बिहार	23	10	32
रोशनआरा रोड़	37	15	.30
कृष्णा नगर	10	5	9

(ङ) बकाया में (हाऊस कीपिंग)

अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

मायापुरी

जनकपुरी

डिफेंस कालोनी

सफदरजंग इन्कलेव

अंचल कार्यालय, दिल्ली

आनंद बिहार

रोशनआरा रोड़

एक्सटेंशन काऊंटर

युनिवर्सिटी कैंपस

कृष्णा नगर

एक्सटेंशन काऊंटर

शालीमार बाग

साबुन पर उत्पाद शुल्क

4580. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के बजट में कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाए जाने के बावजूद कपड़ा धोने के साबुन बनाने वाले उद्योग अपने उत्पादों के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं से उत्पाद शुल्क वसूल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कपड़ा धोने के साबुन के ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ाकर सरकार के पास उसी अनुपात में उत्पाद शुल्क जमा न कराकर और साथ ही उपभोक्ताओं को धोखा देते हुए उत्पाद शुल्क की वसूली की है ;

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) धुलाई साबुनों पर दिनांक पहली मार्च, 1994 की बजट अधिसूचना संख्या 12/94 के॰ उ॰ शु॰ के अनुसरण में 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाता है। कपड़ा धोने तथा अन्य साबुनों को उत्पाद शुल्क की अदायगी से सामान्य छूट केवल तभी दी जाती है जब उनका विनिर्माण खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के स्वामित्व वाले कारखाने अथवा किसी लघु एकक द्वारा किया गया हो।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के रेस्तराओं को लीज पर दिया जाना

4581. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में भारतीय पर्यटन विकास निगम होटल शृंखला अपने होटलों से कामगारों और स्टाफ से अपना पिंड छुड़ाने के लिए वार्षिक ठेका के आधार पर विभिन्न होटलों को लीज पर देने के लिए निविदाएं निमंत्रित कर रहा है ;

(ख) क्या अपने अधिकारियों और मोटी रकम पाने वाले कार्यपालक अधिकारियों के बीच आपसी कलह के कारण निगम के प्रबंध मंडल ने खान-पान व्यवसाय चलाने में अपने आपको अयोग्य सिद्ध कर दिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार निगम की खान-पान व्यवस्था को सुधारने के लिए अयोग्य प्रबंधकों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने का है जैसाकि दिल्ली में अन्य होटल शृंखलाओं में किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने कुछ रेस्तरां प्राइवेट पार्टियों के पट्टे पर देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। तथापि

संबंधित कर्मचारियों को नागर पर्यटन विकास निगम की उसी इकाई या किन्हीं अन्य इकाइयों में लगाया जाएगा।

(ख) जी, नहीं, कुछ रेस्तराओं को पट्टे पर देने का मुख्य लक्ष्य है–विशेष रेस्तरां को विपणन-नीति के रूप में प्रारंभ करना, ताकि अधिक मेहमानों को आकृष्ट किया जा सके तथा अतिरिक्त व्यापार आय बढ़ाया/बढ़ाई जा सके।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहतूत का उत्पादन

4582. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मुख्यत: किन-किन स्थानों पर शहतूत का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) सरकार ने गुजरात में विशेषत: जनजातीय क्षेत्रों में शहतूत के उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या प्रोत्साहन दिए हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहतूत के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अब तक कितना लक्ष्य पूरा हो गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) शहतूती रेशम का उत्पादन मुख्यत: गुजरात के सूरत, बलसार, भरुच, बादोतरा, खेड़ा, पंचमहल, अहमदाबाद, महसाना तथा साबरकांठा जिलों में होता है।

(ख) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में शहतूती रेशम के उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहना/आर्थिक सहायता संबंधी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :–

(1) मल्टी-एंड रेशम रीलिंग एककों की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(2) द्विफसलीय कोसा तथा अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों को प्रोत्साहन बोनस का भुगतान करना।

(3) छोटे और सीमान्त किसानों को कीटपालन किट की सप्लाई करना।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रेशम कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को कीटपालन उपस्कर का निशुल्क वितरण करना।

(5) इमदादी लागत पर शहतूती कलमों की सप्लाई करना।

(ग) गुजरात में शहतूती कृषि के एकड़ क्षेत्र तथा अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न अनुसार हैं :–

वर्ष	शहतूती रोपण (हेक्टेयर)	अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन (मी. टन)
1991-92	276	09
1992-93	531	09
1993-94	551	10
1994-95	586	12

(घ) गुजरात में वर्ष 1993-94 तक शहतूती कृषि के एकड़ क्षेत्र तथा अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन की उपलब्धि क्रमशः 106 हेक्टेयर तथा 367 क्रिगा. है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता का दुरुपयोग

4583. श्री बी॰ श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शहरी विकास हेतु गठित विभिन्न नगर विकास प्राधिकरणों को केन्द्र सरकार के जरिए विश्व बैंक से ऋण मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन प्राधिकरणों को दिये गये विश्व बैंक ऋण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा इस ऋण के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना अर्थात् उत्तर प्रदेश शहरी विकास नामक परियोजना (जिस पर 21.12.1987 को हस्ताक्षर किए गए) उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन है। अन्य बातों के साथ-साथ यह परियोजना संस्थागत मजबूती, शहरी सुविधाओं और आधारभूत संरचना विकास में सहयोग करेगी। इस परियोजना के लिए आई॰ डी॰ ए॰ ऋण का वर्तमान मूल्य 120.9 मिलियन अमरीकी डालर है। पिछले तीन वर्षों में संवितरण (मिलियन अमरीकी डालर) इस प्रकार रहा है :-

1991-92	1992-93	1993-94
16.5	12.6	8

(ग) इस विभाग में निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वायु-सेवाएं

4584. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेवाओं को सुदृढ़ करने, विमानों के बेहतर उपयोग, विमान सुरक्षा और विमान परिचालन की अर्थक्षमता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान खर्च किए जाने हेतु सरकार ने कितनी धनराशि नियत की है ; और

(ग) उक्त उपायों के फलस्वरूप विमानन क्षेत्र में आय और व्यय की स्थिति में सुधार के संबंध में सरकार का क्या अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अधिकारियों को पुरस्कार

4585. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 तथा 1986 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के अन्तर्गत कर अपवंचन विरोधी कितने मामले दर्ज किये गये और ऐसे कितने मामलों का निर्णय विभाग के पक्ष में हुआ ;

(ख) क्या पुरस्कार संबंधी नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में अधिकारी निर्णय दिये जाने के पश्चात् पुरस्कार के लिए हकदार होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय के और वसूली के बाद पुरस्कार रोकने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन मामलों की कब तक समीक्षा की जायेगी तथा अधिकारियों को पुरस्कार कब तक दे दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एशियाई विकास बैंक ऋण

4586. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भविष्य में ऋण दिए जाने के मामलों को सामाजिक प्रतिबंधिताओं के साथ जोड़ने के एशियाई विकास बैंक के प्रस्ताव को आरम्भिक विरोध के पश्चात् स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) एशियाई विकास बैंक के सामाजिक खण्डों को स्वीकार करने के पीछे क्या तर्काधार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारत नीतिगत/प्रचालनात्मक विषयों को किसी भी शर्त से जोड़ने संबंधी अपनी शंकाओं को निरन्तर प्रकट कर रहा है। सामान्य पूंजी वृद्धि-IV का विषय, जो पिछली पूंजीगत वृद्धियों से भिन्न था, उसे कतिपय नीति विषयक प्रदेशनों और प्रचालनात्मक निर्देशों से सम्बद्ध किया गया था। जब यह विषय अप्रैल, 1994 में निदेशक मंडल की बैठक में विचारार्थ रखा गया तो भारत ने अन्य 13 विकासशील देशों सहित इसमें भाग नहीं लिया। इसके पश्चात इस पर एशियाई विकास बैंक के गवर्निंग बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा भारत से प्राप्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किए जाने के लिए वे नितिगत मामले फिर से उठाए गए तथा अन्य विकासशील देशों द्वारा की गयी कार्रवाई को महत्व देते हुए भारत ने अंतिम चरण में प्रस्ताव का समर्थन किया।

तमिलनाडु में सहकारी बैंक

4587. श्री पी॰ कुमारा सामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का विचार तमिलनाडु सरकार के साथ राज्य में सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) "नाबार्ड" द्वारा इसके प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु राज्य भूमि विकास बैंक (टी एन एस एल डी बी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है जो राज्य में सहकारी बैंकों की दीर्घावधिक ऋण संरचना को पूरा करता है। तमिलनाडु सरकार और टी एन एस एल डी बी द्वारा मसौदा समझौता ज्ञापन स्वीकार कर दिए जाने पर समझौता ज्ञापन को निष्पादित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सहकारी बैंकों को अर्थक्षमता प्राप्त करने में सहायता करना और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण के प्रवाह को नियमित करने हेतु उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना है। समझौता ज्ञापन में प्रस्तावित कुछ पहलु अर्थक्षमता, राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी अंशदान को बढ़ाना, वसूली कार्यनिष्पादन, घाटे में कमी, प्रबंधन और संगठन, लेखापरीक्षा प्रणाली और प्रक्रिया और निगरानी से संबंधित हैं।

(ग) नाबार्ड ने एम ओ यू की संबंधित शर्तों का अनुपालन किए जाने की शर्त पर राज्य सरकार को शेयर पूंजी ऋणों के माध्यम से 14 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। ऋण देने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा यथा आवश्यक अतिरिक्त पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

4588. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 5 अगस्त, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विदेशी कार्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई ;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशी कार्यालयों पर कुल कितना खर्च हुआ ; और

(ग) स्योल, जोहानसबर्ग, ताशकंद और तेल अवीब में प्रस्तावित कार्यालय कब से कार्य करने लगेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विदेश स्थित कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख देशों से वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के पर्यटक आगमन में अर्न्तवार्षिक वृद्धि की प्रतिशत्ता नीचे दी गई है :-

पर्यटक कार्यालय	मुख्य शामिल देश	पर्यटक आगमन 1991-92	1993-94	वार्षिक वृद्धि की प्रतिशता
1	2	3	4	5
1. न्यूयार्क और लास एंजेल्स	संयुक्त राज्य, मैक्सिको ब्राजील और अर्जेन्टीना	139205	173516	11.6
2. टोरांटो	कनाडा	39931	50895	12.9
3. लंदन	यू. के.	220748	297731	16.1
4. जेनेवा	स्विट्ज़रलैंड	29956	31027	1.8
5. मैड्रिड	स्पेन और पुर्तगाल	19387	26763	17.5
6. पेरिस	फ्रांस	72726	72074	-0.5
7. फ्रैंकफर्ट	जर्मनी, पौलेंड आस्ट्रिया, इज़राइल, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी और सी. आई. एस.	138420	170601	11.0

1		2	3	4	5
8.	स्टाकहोम	स्वीडन, नार्वे डेनमार्क, फिनलैंड और आयरलैंड	32181	38863	9.9
9.	एमस्टर्डम	नीदरलैंड और बेल्जियम	35508	43924	11.2
10.	मिलान	इटली और ग्रीस	51958	45038	–6.9
11.	दुबई	सउदी अरब, तुर्की ईरान और सीरिया	49788	40765	–9.5
12.	बहरीन	जोर्डन, कुवैत बहरीन, यू० ए० ई०, ओमान, यमन, मिश्र, सूडान, इथोपिया, केन्या तन्जानियां, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका	137435	127821	–3.6
13.	सिडनी	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और फिज़ी	29759	39769	15.6
14.	टोक्यो	जापान, चीन ताईवान, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया	65127	78339	9.7
15.	सिंगापुर	सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपीन्स और इंडोनेशिया	47372	61375	13.8
16.	कुवालालम्पूर	मलेशिया	30266	37706	11.6
17.	बैंकाक	थाइलैण्ड	12199	14784	10.1

(ख) पिछले तीन वर्षों में विदेश स्थित कार्यालयों पर किए गए खर्च के आंकड़े नीचे दिए गए है :-

वर्ष	खर्च (रु. लाखों में)
1991-92	3397.08
1992-93	4748.66
1993-94	4999.20

(ग) सियोल, जोहेन्सबर्ग, ताशकन्द और तेल अवीव में पर्यटक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

बीड़ी श्रमिक

4589. श्री प्रकाश बी. पाटील : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी श्रमिक संघों ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उनके उत्पादों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन शुरु कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे श्रमिक संघों को बातचीत के लिए बुलाया है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम उत्पादन के विकास हेतु धनराशि

4590. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को अपने यहां रेशम उद्योग के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार विशेष रूप से कर्नाटक को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) रेशम उत्पादन के विकास के कार्यक्रम मुख्यत: राज्य रेशम उत्पादन विभागों द्वारा बनाए तथा क्रियान्वित किए जाते हैं तथा इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों की वार्षिक योजनाओं में सीधे आवंटन किया जाता है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, यह केन्द्रीय रेशम बोर्ड के देश व्यापी एककों के नेटवर्क के माध्यम से रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए आवश्यक अनुसंधान तथा विकास, विस्तार, प्रशिक्षण

तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। चूंकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड को उसके देशव्यापी क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस लिए इसके राज्यवार ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है।

तम्बाकू संबंधी प्रतिबंधात्मक विधान

4591. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित तम्बाकू संबंधी प्रतिबंधात्मक विधान के विरोध में कर्नाटक और अन्य राज्यों के तम्बाकू उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड ने किसानों पर ऐसे प्रतिबंधात्मक विधान के प्रभाव को प्रकाश में लाने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) तम्बाकू के प्रयोग से स्वास्थ्य को होने वाली हानि को देखते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर और साथ ही अभिज्ञात सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था होगी। सरकार को प्रस्तावित कानून के पक्ष और विपक्ष में अनेक अभ्यावेदन मिले हैं। तम्बाकू बोर्ड ने भी इस विषय पर एक संकल्प पारित करके उसे समुचित विचार-विमर्श हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया है। सरकार प्रस्तावित कानून को अन्तिम रुप देते समय सभी हितों और सरोकारों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगी।

विदेश जाने वाले कार्यकारी अधिकारियों के विदेशी मुद्रा भत्तों में वृद्धि

4592. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य कार्यकारी तथा अन्य अधिकारियों को उनकी विदेश यात्रा के दौरान वर्तमान में प्रतिदिन विदेशी मुद्रा में देय मनोरंजन आदि भत्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों में होने वाले खर्चों में वृद्धि को देखते हुए इन भत्तों को बढ़ाने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मुख्य कार्यकारी तथा अन्य अधिकारियों को उनकी विदेश यात्रा के दौरान वर्तमान में प्रतिदिन विदेशी मुद्रा में देय भत्तों की

दर क्रमशः 500 अमरीकी डालर और 350 अमरीकी डालर से अधिक नहीं होती है। मुख्य कार्यकारी तथा अन्य अधिकारियों को प्रति यात्रा मनोरंजन भत्ता क्रमशः 5000 अमरीकी डालर और 2000 अमरीकी डालर देय होता है।

(ख) से (घ) हाल ही में प्रतिदिन भत्ता में संशोधन किया गया है। इस समय मनोरंजन भत्ता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि देय राशि पर्याप्त है। तथापि, कम्पनियां मनोरंजन व्यय के लिए अतिरिक्त राशि के अनुरोध सहित भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करने हेतु स्वतंत्र हैं। अनुरोधों की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है।

चाय का निर्यात

4593. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के देश-वार निर्यात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत से चाय का निर्यात

मात्रा : मिलियन किग्रा॰ में

मूल्य : करोड़ रुपए में

देश	1991-92 (वास्तविक)		1992-93 (वास्तविक)		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
रूसी परिसंघ			49.51	269.33	55.17	366.36
कजाकिस्तान			7.79	37.96	3.06	21.42
उक्रेन			0.97	6.22	0.84	5.64
अजरबैजान			0.01	0.05	-	-
अन्य सी आई एस देश			0.01	0.03	0.11	0.64
कुल सी आई एस देश	107.59 (*)	574.25 (@)	59.29	313.59	59.18	0.64

(*) अनुमानित (@) भूतपूर्व सोवियत संघ से संबंधित

1	2	3	4	5	6	7
ब्रिटेन	24.16	135.51	29.78	168.65	24.19	133.96
आयरलैन्ड	2.64	15.85	2.52	15.57	1.80	10.29
नीदरलैन्ड	4.65	24.90	3.39	24.63	1.93	13.94
जर्मनी	5.15	60.09	6.08	66.42	5.78	63.58
पोलैन्ड	11.62	46.17	14.98	65.81	18.57	102.99
स॰ रा॰ अमरीका	3.17	20.72	4.38	32.39	8.03	45.91
कनाडा	0.47	3.52	1.06	6.28	0.70	3.96
यू॰ ए॰ ई॰	6.94	46.32	5.45	40.85	14.25	115.17
ईरान	17.56	105.66	17.02	96.31	5.31	32.60
सऊदी अरब	3.91	27.94	4.93	39.74	1.61	14.83
ए॰ आर॰ ई॰	8.12	36.62	12.93	55.10	2.73	13.85
मोरक्को	0.80	3.24	0.66	4.28	1.36	9.32
अफगानिस्तान	1.93	9.28	0.70	2.79	0.67	2.88
जापान	1.82	19.43	3.03	32.07	2.10	25.48
पाकिस्तान	0.40	1.63	2.28	9.19	0.77	3.49
आस्ट्रेलिया	0.82	3.84	0.74	3.79	0.80	4.60
अन्य देश	14.70	77.30	12.47	81.24	14.39	88.79
योग	216.45	1212.27	1180.69	1058.70	161.17	1080.10

पटसन मिलों का निजीकरण

4594. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में चल रही कतिपय पटसन मिलों का निजीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी पटसन मिलों का निजीकरण करने का विचार किया गया है ;

(ग) इन पटन मिलों के निजीकरण से कितने श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) उन श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या वैकल्पित कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्राचीन सिक्कों का जब्त किया जाना

4595. श्री पंकज चौधरी :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर कस्टमस (प्रीवेंशन) विंग ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कुछ प्राचीन सिक्के जब्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जब्त किए गए सिक्कों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस जब्ती से प्राचीन सिक्कों के संग्रह और व्यापार में लिप्त किसी गिरोह का पता चला है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने 22.6.94 को दो यात्रियों से प्रारम्भ में 6656 प्राचीन सिक्के पकड़े थे। इसके पश्चात् शहर में ली गई तलाशी में 34,149 और प्राचीन सिक्के पकड़े गए थे।

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल से इस कार्य में किसी गिरोह का हाथ होने का पता नहीं चला है।

(ङ) दो यात्रियों सहित तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

विदेशी मुद्रा

4596. श्री सुधीर सावन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में विदेशों में जाने के इच्छुक पासपोर्ट-धारकों को बैंक कर्मचारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करने में अनियमितताओं/दुर्विनियोजन की बात आई है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा के मूल्य और इसमें शामिल व्यक्तियों के ब्यौरे सहित 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सोने का आयात

4597. श्री सत्यदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अनिवासी भारतीयों को सोना बेचने की एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक की अनिवासी भारतीयों के लिए लागत एवं स्वीकार्य शुल्क के विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर भारत में सुपुर्दगी के उद्देश्य के परेषण आधार पर सोने के आयात के लिए एक योजना प्रस्तावित है। यह योजना संबंधित यात्रियों द्वारा सोने के प्रत्यक्ष आधार पर वहन की आवश्यकता का भी निवारण करेगी।

स्वापक औषधों का अवैध व्यापार

4598. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में एक कार्यशाला/सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सुझाव दिए गए ; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यशाला/सम्मेलन में दिए गए सुझावों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारत ने दिनांक 18.7.1994 से 22.7.94 तक नई दिल्ली में सार्क देशों के मध्यवर्ती कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इस आर्यशाला में 10 विदेशी उम्मीदवारों तथा भारत से 25 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चूंकि यह एक प्रशिक्षण कार्यशाला थी जहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया था। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिस पर कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो।

[अनुवाद]

बोनस

4599. श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन की मांग करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) केंद्रीय सरकार को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के लिए केरल सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोबर का आयात

4600. श्रीदत्ता मेघे :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1994 के "जनसत्ता" में "नीदरलैंड से गोबर और लीद का आयात होगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ऐसे आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(घ) देश में पशु-मल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ख) जी, हां। चालू निर्यात एवं आयात नीति के तहत आयात लाइसेंस पर आयात को छोड़कर गोबर या पशुमल के आयात की अनुमति नहीं है। इस समय, गोबर या पशु मल आयात करने का कोई विचार नहीं है।

पंजीकृत भर्ती एजेंट

4601. श्री लाल बाबू राय : क्या श्रम मंत्री 13 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7511 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान पंजीकृत भर्ती एजेन्टों द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित सूचना प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में पर्यटन विकास

4602. डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :

श्री अन्ना जोशी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श के उपरोक्त प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं/योजनाओं का, उनके स्थलों सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई ;

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गयी उन पर्यटन परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो सरकार के समक्ष विचाराधीन है ; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए आठ स्थानों का चयन किया है। ये स्थान हैं :-

1. कारला, जिला पुणे ;
2. तरकरली, जिला सिंधुदुर्ग ;
3. विजयदुर्ग, जिला सिंधुदुर्ग ;
4. पनहाला, जिला कोल्हापुर ;
5. गगनबनवाड़ा, जिला कोल्हापुर ;
6. केलशी, शिक्षा रतनागिरि ;
7. कुडाल, जिला सिंधुदुर्ग ;
8. अलेफाटा, जिला अहमदनगर

महाराष्ट्र सरकार के विशेष अनुरोध पर, 1994-95 के वर्ष के दौरान पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त आठ स्थानों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शामिल किया गया है। अब तक, महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं मिला है।

[अनुवाद]

चालू खाता घाटा

4603. श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तथा वर्ष 1990-91 में चालू खाता घाटे का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान ऋण सेवा अनुपात क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1990-91 और 1993-94 के दौरान चालू खाता घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(मिलियन डालर)

	1990-91 (प्रा॰ अ॰)	1993-94 (अं॰ अ॰)
1. निर्यात	18477	22700
2. आयात	27914	23900
3. व्यापार संतुलन	-9437	-1200
4. परोक्ष (निवल)	-242	970
5. चालू खाता	-9679	-230

प्रा॰ अ॰ = प्रारम्भिक अनुमान

अं॰ अ॰ = अन्तिम अनुमान

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान चालू प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण सेवा अदायगियां 25.1 प्रतिशत आंकी गई हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के घाटे

4604. श्री अनन्तराव देशमुख :

श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतिश कुमार :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की प्रत्येक इकाई को कितना-कितना घाटा/लाभ हुआ ;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) घाटे में चल रही इकाइयों को लाभप्रद बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) एन टी सी के अधीन प्रत्येक मिल की निवल हानि/लाभ को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) मिलों में अन्य बातों के साथ-साथ अप्रचलित मशीनें, आधुनिकीकरण की कमी, कार्यशील पूंजी की कमी तथा कम क्षमता उपयोग के कारण घाटे हुए हैं।

(ग) वस्त्र अनुसंधान संघों ने एन टी सी की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 2005.72 करोड़ रु. के निवेश वाली योजनाएं तैयार की थीं। श्रम मंत्रालय की एन टी सी संबंधी विशेष त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की है कि एन टी सी मिलों के साथ-साथ उसकी अधिग्रहित मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है जैसा कि वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा प्रस्तावित किया गया है बी आई एफ आर द्वारा इसको स्वीकार करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को औपचारिक रूप देने हेतु कार्रवाई की जा रही है ताकि सर्वांगीण सुधार योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।

विवरण

क्रम सं.	मिल का नाम	निवल हानि/लाभ (लाख रु. में)
1	2	3
1.	दयालबाग टैक्सटाइल मिल	–273.96
2.	सूरज टैक्सटाइल मिल	–105.86
3.	बिजय टैक्सटाइल मिल	–247.62
4.	खरड़ टैक्सटाइल मिल	–68.82
5.	उदय पुर टैक्सटाइल मिल	–56.29
6.	अजुध्या टैक्सटाइल मिल	–1113.29
7.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल	–381.63
8.	एडवर्ड टैक्सटाइल मिल	–452.68
9.	पानीपत वूलन मिल	–352.14
10.	हीरा मिल	1148.90
11.	स्वदेशी काटन मिल	–971.25
12.	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल	–596.70
13.	बुरहानपुर ताप्ती मिल	–317.88
14.	बंगाल नागपुर काटन मिल	–990.94
15.	इंदौरा मालवा युनाइटेड मिल	–1536.68
16.	कल्याणमल मिल	–1198.44
17.	बिक्रम टैक्सटाइल मिल	–435.77
18.	बिजली काटन मिल	–294.31

1	2	3
19.	स्वदेशी काटन मिल मऊनाथभंजन	–72.00
20.	रायबरेली टैक्सटाइल मिल	–137.51
21.	स्वदेशी काटन मिल, नैनी	–652.10
22.	मयुर मिल	–1523.57
23.	न्यू विक्टोरिया मिल	–1738.12
24.	लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल	–959.34
25.	स्वदेशी कॉटन मिल, कानपुर	–1958.20
26.	बर्शी टैक्सटाइल मिल	–9.32
27.	अपोलो टैक्सटाइल मिल	–589.24
28.	भारत टैक्सटाइल मिल	–603.67
29.	दिग्विजय टैक्सटाइल मिल	–725.89
30.	जूपीटर टैक्सटाइल मिल	–1268.83
31.	न्यू हिंद टैक्सटाइल मिल	–1329.27
32.	मुम्बई टैक्सटाइल मिल	–1197.34
33.	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल	–105.99
34.	चालीस गांव टैक्सटाइल मिल	–25.50
35.	धुले टैक्सटाइल मिल	–350.22
36.	नांनदेद टैक्सटाइल मिल	–265.43
37.	इंडिया यूनाइटेड मिल नं॰ 1	–1340.03
38.	इंडिया यूनाइटेड मिल नं॰ 2	–1135.02
39.	इंडिया यूनाइटेड मिल नं॰ 334	–1391.81
40.	इंडिया यूनाइटेड मिल नं॰ 15	–677.96
41.	इंडिया यूनाइटेड मिल हाई वर्क्स	–413.52
42.	माडल मिल्स, नागपुर	–1099.16
43.	आर॰ एस॰ आर॰ जी॰ स्पि॰ मिल्स॰	–430.37
44.	आर॰ बी॰ बी॰ ए॰ स्पि॰ मिल्स	–262.83
45.	स्वाम राम प्रसाद मिल्स	–334.10
46.	विदर्भ टैक्सटाइल मिल	–427.49

1	2	3
47.	राजकोट टैक्सटाइल मिल्स	–327.93
48.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	–896.97
49.	पेटलैड टैक्सटाइल मिल्स	–539.78
50.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल	–1071.64
51.	अहमदाबाद जुपीटर टैक्स० मिल	–1425.10
52.	जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स	1111.00
53.	राजनगर टैक्सटाइल नं० 132	–1327.84
54.	बीराम गांव टैक्सटाइल मिल्स	–681.80
55.	न्यू मानकचौक टैक्सटाइल मिल्स	651.97
56.	हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स	–521.77
57.	नेथा टैक्सटाइल मिल्स	–89.29
58.	नटराज टैक्सटाइल मिल्स	–147.60
59.	अनंतपुर टैक्सटाइल मिल्स	–31.47
60.	तिरूपति टैक्सटाइल मिल्स	–93.03
61.	जल्लमा टैक्सटाइल मिल्स	–65.47
62.	अन्नानून टै स्पि० एंड विही० मिल्स	–44.03
63.	केरल टैक्सटाइल मिल्स	95.94
64.	विजयमोहनी टैक्सटाइल मिल्स	–12.52
65.	कन्नानू स्पि० एंड विही० मिल्स माहे	47.07
66.	अदोनी टैक्सटाइल मिल्स	–14.02
67.	अल्गप्पा टैक्सटाइल मिल्स	72.01
68.	मैसूर स्पि० एंड विह० मिल्स	–525.95
69.	मिनर्वा टैक्सटाइल मिल्स	–389.72
70.	एम० एस० के० मिल्स गुलबर्गा	–350.52
71.	पावर्ती टैक्सटाइल मिल्स	–95.93
72.	आजमजाही टैक्सटाइल मिल्स	–336.13
73.	ओमपराशक्ति टैक्सटाइल मिल्स	130.42
74.	कम्बोडिया टैक्सटाइल मिल्स	117.23

1	2	3
75.	कृष्णामाणी टैक्सटाइल मिल्स	–41.08
76.	रंगविलास टैक्सटाइल मिल्स	–66.98
77.	पंकज टैक्सटाइल मिल्स	–155.87
78.	पायोनीर टैक्सटाइल मिल्स	102.70
79.	बलरामवर्मा टैक्सटाइल मिल्स	–38.69
80.	कालेश्वर "बी" यूनिट	86.86
81.	कोयम्बटूर मुर्गन टैक्स० मिल्स	–313.46
82.	सोमासुन्दरम टैक्स० मिल्स	–35.67
83.	कालेश्वर "ए" यूनिट	–273.81
84.	कोयम्बटूर स्पि. एंड वि. मिल्स	–18.52
85.	श्री शारदा मिल्स	–8.96
86.	श्री भारती मिल्स	–213.45
87.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	–298.48
88.	मनिन्द्रा टैक्सटाइल मिल्स	बंगाल टैक्सटाइल के साथ मिला दिया
89.	लक्ष्मीनायारण मिल्स	–219.85
90.	आरती काटन मिल्स	–136.22
91.	बंगाल फाइन टैक्स० मिल्स नं० 2	–93.00
92.	कनोरिया इंडस्ट्रीज	बंगाल फाइन नं० 2 के साथ मिला दिया
93.	सोदेपुर टैक्सटाइल मिल्स	–87.86
94.	एसोसिएट्ड टैक्स० मिल्स	–152.06
95.	बिहार कोआपरेटिव मिल्स	–136.38
96.	उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स	–112.84
97.	सेन्ट्रल कॉटन मिल्स	–385.83
98.	बंगाल फाइन मिल्स नं० 1	–298.28
99.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	–301.17
100.	महालक्ष्मी टैक्स० मिल्स	–357.80
101.	रामपुरिया काटन मिल्स	–419.18
102.	बंगेसरी कॉटन मिल्स	–176.11
103.	ज्योति विवि० मिल्स	–125.42

1	2	3
104.	गया कॉटन मिल्स	–222.18
105.	बंगाल लक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	–231.65
106.	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स	–1727.50
107.	अथर्टन मिल्स	–1627.23
बंबई में अधिग्रहीत मिलें		
108.	एलफिन स्टोन टैक्सटाइल मिल	–872.02
109.	फिनेल मिल	–341.65
110.	गोल्ड मुहर	–387.17
111.	जैम मैनु० मिल	–1278.78
112.	कोहिनूर मिल नं० 1.2	–1232.55
113.	श्रीमधुसूधन मिल	–873.67
114.	न्यू सिटी मिल	–26.38
115.	पोद्दार मिल	–172.74
116.	पोद्दार प्रोसेस मिल	–305.38
117.	सीताराम मिल	–632.92
118.	टाटा मिल	–580.09

विमान की उड़ान-योग्यता

4605. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पायलट्स गिल्ड ने एयर इंडिया के सभी एयरबस विमान चालकों को यह निदेश दिया है कि यदि विमान के रख-रखाव संबंधी इंजीनियर द्वारा विमान को उड़ान-योग्यता का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है तो इन उड़ानों का प्रचालन न किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का एयर इंडिया की उड़ानों की समय-पाबन्दी तथा प्रचालन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) इंडियन पायलट्स गिल्ड द्वारा दिए गए ऐसे किसी निर्देश की रिपोर्ट एयर इंडिया को नहीं मिली है। सांविधिक विनियमों के अनुसार, प्रत्येक उड़ान से पूर्व उपयुक्त रूप से योग्यता प्राप्त एवं अनुमोदित विमान अभियन्ता द्वारा विमान को उड़ान-योग्यता प्रमाण-पत्र दिया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स के टिकटों की बिक्री

4606. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के टिकट तथा बिक्री कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स के टिकटों की बिक्री का पूर्णतः निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या टिकटों की बिक्री का पूर्णतः निजीकरण करके इंडियन एयरलाइंस के संभावित लाभ का कोई अध्ययन कराया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के टिकट और विक्रय कार्यालय में कुल 977 यातायात कर्मचारी लगाए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

4607. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष आयात लाइसेंस के प्रति विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सूची में शामिल वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन वस्तुओं के आयात की अनुमति कब तक दे दी जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) जी, हां। सार्वजनिक सूचना सं० 223 (पी एन)/92-97 दिनांक 26.7.1994 के अनुसार, निर्यात घरानों/व्यापारिक घरानों/छोटी के व्यापारिक घरानों/सर्वोच्च व्यापारिक घरानों आदि को प्रदान किए गए विशेष आयात लाइसेन्सों के आधार पर कुछ अतिरिक्त मदों के आयात की अनुमति प्रदान की है। उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

विकलांग तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार व्यक्ति

4608. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार उन विकलांग व्यक्तियों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके नाम विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ;

(ग) क्या विकलांग तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये निर्धारित आरक्षण कोटा पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) आरक्षित कोटे में भरी गई रिक्तियों से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि केन्द्रीय सरकार सेवा में समूह "ग" एवं "घ" पदों पर 3% रिक्तियां तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में समतुल्य पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों का भरना, मंत्रालय/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की एक नियमित प्रक्रिया है तथा इसके अतिरिक्त दृष्टिक विकलांगों तथा श्रवण विकलांगों के लिए आरक्षित पिछली रिक्तियों के भरने के लिए 1988, 1989 तथा 1990 में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था तथा दृष्टिक विकलांगों की पिछली रिक्तियां भरने हेतु तथा समूह "ग" और "घ" पदों पर, भर्ती अभियान शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) समूह "क", "ख", "ग", एवं "घ" के सभी मामलों में रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरने

पर सरकार के अनारक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके अनुसार, यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्तियों को अन्य उम्मीदवारों में से नहीं भरा जाएगा तथा उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा बाद के प्रयत्नों से भरने हेतु लम्बित रखा जाएगा।

(ii) केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु 1989, 1990 तथा 1991 में विशेष भर्ती अभियान संचालित किए गए हैं।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती की कमी को पूरा करने के लिए, पदोन्नति ग्रेड के पदों के कोटे को उपयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए, रिक्तियों को अस्थाई रूप से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती कोटे की ओर परिवर्तित किया गया है जब तक की फीडर संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती को सुधारने हेतु विभिन्न छूटें तथा सुविधाएं, यथा; आयु सीमा में छूट, आवेदन/परीक्षा फीस के भुगतान में छूट, परीक्षा में बैठने के अधिक अवसर, उपयुक्तता का स्तर इत्यादि में छूट, उपलब्ध कराई गई हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा विकलांग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों में से जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा चालू रजिस्टर पर उनकी संख्या (यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों)

(संख्या सैकड़ों में)

श्रेणी		31.12.1993 को चालू रजिस्टर पर संख्या (नवीनतम उपलब्ध)	दौरान रोजगार प्रदान किया गया		
			1991	1992	1993
1.	विकलांग आवेदक	193	3	2	5
2.	अनुसूचित जाति आवेदक	2738	22	25	32
3.	अनुसूचित जनजाति आवेदक	1900	32	39	47

[हिन्दी]

नये मुद्रा नोट

4609. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा नोटों का नियमों के अनुसार वितरण नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारी 2, 5 और 10 रुपये करेंसी नोट के पैकटों को बेच रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए मुद्रा नोटों के पैकिटों का वितरण नियमों के अनुसार किया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार को बैंक अधिकारियों द्वारा दो, पांच और दस रुपए के मूल्यवर्ग के नोटों के पैकिटों को बेचे जाने के किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों पर कराधान

4610. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी किए गए परिपत्र, जिसमें विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में कार्यरत अपने कर्मचारियों को विदेशों में भुगतान की राशि पर कर लगाने का निर्देश दिया गया था, इसके संबंध में काफी शोर शराबा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर विदेशी कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वेतनों/भत्तों के मामले में स्रोत पर कर की कटौती की विदेश में की गई अदायगी तथा भारत में अपने कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए उन्हें प्रदान किए गए अनुलाभों के बारे में विदेशी कम्पनियों सहित नियोक्ताओं द्वारा की गई चूकों से संबंधित दिनांक 20 जून, 1994 को एक परिपत्र संख्या 685 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। चूंकि ऐसे सभी भुगतान/परिलब्धियां भारत में कर योग्य हैं अत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उक्त परिपत्र के माध्यम से ऐसे सभी नियोक्ताओं, जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं, को एक अवसर प्रदान किया कि वे 31 जुलाई, 1994 तक उदग्रहणीय ब्याज सहित देय कर की धनराशि की अदायगी कर सकें तथा इन मामलों में उनके विरुद्ध कोई दंड तथा अभियोजन नहीं चलाया

जाएगा। उपरोक्त परिपत्र के कारण विदेशी कम्पनियों में उत्पन्न किसी संभ्रम के बारे में बोर्ड को जानकारी नहीं है। दूसरी ओर विदेशी कम्पनियों द्वारा बोर्ड के दिशा-निर्देशों को, जैसा कि होना चाहिए, सही अर्थों में लिया गया प्रतीत होता है, और इनमें से कुछ कम्पनियों ने परिपत्र में निर्धारित अदायगी की अन्तिम तारीख को बढ़ाने के लिए बोर्ड में अनुरोध किया है। बोर्ड द्वारा यह अनुरोध पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और अदायगी की अन्तिम तारीख 31 अगस्त, 1994 तक बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण

4611. श्री गुमान मल लोढा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को अपने कुल ऋणों का 40% भाग निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र माना है ;

(ग) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से ऋण देने के लिये कोई प्रतिशत निर्धारित किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित किया गया प्रतिशत क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि बैंकों ने सरकारी ऋण देने संबंधी निदेश का पालन किया है ;

(च) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कुल ऋणों का कितना प्रतिशत भाग दिया गया ; और

(छ) इन निदेशों को लागू न कर सकने वाले राष्ट्रीय बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत दिए जाने वाले अग्रिमों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

1. कृषि
2. लघु उद्योग
3. अन्य उधारकर्ता :-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य उधारकर्ताओं में ये शामिल हैं (क) लघु सड़क और जल परिवहन परिचालक (ख) खुदरा व्यापारी, (ग) छोटे व्यवसाई, (घ) व्यवसाई और स्व-नियोजित व्यक्ति, (ङ) शिक्षा के प्रयोजन के लिए विद्यार्थी, (च) अवास प्रयोजनों के लिए 5,000/-रुपए तक का ऋण लेने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के लोग (छ) विशुद्ध उपभोक्ता ऋण लेने वाले कमजोर वर्गों के ऋणकर्ता (ज) आवास वित्त।

बैंकों द्वारा दिए जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंकों के मार्गनिर्देशों

के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को देना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऊपर उल्लिखित मार्गनिर्देशों में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कुछ उपलक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। कृषि (संबंधित कार्यों सहित) को दी गई वित्तीय सहायता को उनके कुल ऋण का 18% तक और कमजोर वर्गों को, जिनमें ये शामिल हैं : (i) लघु और सीमांतिक किसान, काश्तकार, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर; (ii) कारीगर और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, (iii) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के हिताधिकारी; (iv) अ० जा०/अ० ज० जा० समुदाय के लोग, (v) विभेदी ब्याज दर (डी आर आई) योजना के हिताधिकारी; और (vi) शहरी व्यष्टि उद्यम (एस यू एम ई) योजना के अन्तर्गत आने वाले हिताधिकारियों को उनके कुल ऋण के 10 प्रतिशत का या प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के 25 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त बैंक के कुल ऋण का 1 प्रतिशत 6500/- रु० तक के ऋणों के लिए 4 प्रतिशत विभेदी ब्याज दर पर प्रदान किया जायेगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि लघु उद्योगों को दिये जाने वाले कुल ऋण का 40 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र के छोटे उधारकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। मार्च, 1992, मार्च, 1993 और मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये ऋण की प्रतिशतता क्रमशः 40.42%, 38.36% और 38.82% थी। भारतीय रिजर्व बैंक की अन्तिम सूचना के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से केवल चार बैंक, नामतः आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक, मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार 38.82 प्रतिशत की औसत प्रतिशतता प्राप्त नहीं कर सके। शेष बैंकों ने या तो उपर्युक्त औसत को पार कर लिया था या उसके निकट थे।

प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है और सामने आई कमियों को दूर करने के लिये उपर्युक्त कदम उठाये जाते हैं। इस कार्य की समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) और राज्य सरकार भी निरंतर आधार पर करती है। सरकार द्वारा पिछली बार मई, 1994 में कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की गई थी और सरकार ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे प्राथमिकता क्षेत्र और सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प का विकास

4612. डा०. साक्षी जी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने काष्ठ शिल्प, कांस्य शिल्प, हस्तमुद्रण, कालीन-बुनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाने, बांस शिल्प जैसे कार्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 26.8.94 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 4612 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम एक ऐसा अभिकरण है, जो राज्य में शिल्पों के विकास तथा संवर्धन के लिए कार्य करता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने कलकत्ता में एक एम्पोरियम खोलने; इलाहाबाद तथा कानपुर में विद्यमान एम्पोरियमों का नवीकरण करने ; विभिन्न शिल्पों पर तेरह प्रदर्शनियां आयोजित करने ; जरी, जरदोजी तथा पटसन हस्तशिल्पों के लिए शिल्प विकास केन्द्र स्थापित करने, बेंत शिल्प में प्रशिक्षण तथा दिल्ली में शिल्प बाजार-सह-प्रदर्शनी आयोजित करने से संबंधित प्रस्ताव रखे हैं।

एक प्रदर्शनी को छोड़कर, सभी प्रदर्शनियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा अन्य प्रस्ताव कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं पर है।

ऋण का वितरण

4613. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण वितरण के बारे में 22 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4412 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो सामूहिक लेखाओं में अनियमितताओं के संबंध में जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जाएगी ;

(घ) उपरोक्त सामूहिक लेखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन पांच अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो अग्रिमों की मंजूरी और वितरण में शामिल पाए गए हैं और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या जिन्होंने त्याग पत्र दे दिए हैं ; और

(च) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"गैट" का प्रभाव

4614. **श्री राम कापसे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तिम दौर की उरुग्वे वार्ता के लाभों के विश्लेषण तथा उन उत्पादों का, जिनसे देश को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, पैसा लगाने हेतु विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) उरुग्वे दौर के परिणामों को अप्रैल, 1994 में मारोकेश में हुए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अधिप्रमाणित किया गया। माल तथा सेवाओं के संबंध में बाजार पहुंच कार्यक्रम अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। इन कार्यक्रमों को विस्तृत जांच और विश्लेषण के लिए शीर्ष व्यापार निकायों और अनुसंधान संस्थानों को भेजा जाएगा ताकि उन सामान सेवाओं तथा बाजारों का पता लगाया जा सके जिनके संबंध में हमारे निर्यात की अधिकतम संभावना है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम आधारित उद्योगों पर छापे

4615. श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कनोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में तथा अन्य स्थानों पर पेट्रोलियम आधारित उद्योगों पर अप्रैल, 1994 में छापे मारे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छापे के दौरान कम्पनी-वार कितनी अघोषित सम्पत्ति पकड़ी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। माह अप्रैल, 1994 के दौरान बड़ौदा और बम्बई में मैसर्स रिंकी इण्डिस्ट्रियल आयल्स लि॰ और मैसर्स रिंकी पैट्रोकैम प्रा॰ लि॰ के व्यापारिक परिसरों और श्री एस॰ के॰ गांधी और श्री सी॰ के॰ गांधी, निदेशकों के आवासीय परिसरों की आयकर विभाग द्वारा तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान दृष्टि में निम्नलिखित लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई :-

परिसम्पत्तियां	मूल्य (रु॰ लाखों में)
नकदी	23.70
जेवरात	13.45
अन्य परिसम्पत्तियां	56.52
योग :	93.67

इस ग्रुप ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (4) के अधीन 200 लाख रु० की अघोषित आय को प्रकट किया है।

भारत जापान अध्ययन समिति

4616. श्री भीम सिंह पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत जापान अध्ययन समिति की पर्यटन उपसमिति द्वारा अक्तूबर, 1993 में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) उन सुझावों का ब्यौरा क्या है जिनके कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अब तक कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत जापान पर्यटन उपसमिति द्वारा किए गए मुख्य सुझावों और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	सुझाव	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	जापानी भोजन वाले होटल	अशोक होटल, नई दिल्ली में जापानी भोजन उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के होटलों में जापानी भोजन की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती तथा यह उसकी मांग पर निर्भर करता है।
2.	जापानी भाषा बोलने वाले टूअर गाइड	विभिन्न शहरों में जापानी भाषा जानने वाले गाइडों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

शहरों के नाम	जापानी भाषा जानने वाले गाइडों की संख्या
आगरा	2
दिल्ली	8
जयपुर	2

1	2	3	
		वाराणसी	4
		कलकत्ता	7
		खजुराहो	5
		मद्रास	7
		औरंगाबाद	13
		बंबई	11
		उदयपुर	1
		शेखवटी	1
3.	वातानुकूलित कोच और कारें	वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके द्वारा अनुमोदित यात्रा अभिकरण, यात्रा प्रचालक पर्यटक परिवहन प्रचालक और राज्य पर्यटन विकास निगम, 1500 तक वातानुकूलित कारें और 250 तक वातानुकूलित कोच 137% की सामान्य दर के स्थान पर क्रमशः 110% और 50% कुल सीमा शुल्क की रियायती दर आयात कर सकते हैं। इस नीति-निर्णय के अनुसार 628 कारों और 229 कोचों के आयात करने की अनुमति दी जा चुकी है।	
4.	पूर्ण उपचारी प्रक्रिया सहित सुरक्षित शापिंग सुविधाएं	उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावी व्यवस्था की गई है।	
5.	सुधरी हुई सड़कें	सड़कों का सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है।	
6.	हवाई अड्डों, स्टेशनों पर शौचालयों की सुधरी हुई सुविधाएं और अन्य सुविधाएं	पर्याप्त शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं और आवश्यक समझे जाने पर उनमें सुधार किया जाता है।	
7.	बिलकुल नए गन्तव्य स्थलों का सृजन	पर्यटन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में नए परिपथों का अभिनिर्धारित किया जा चुका है।	

1	2	3
8.	अनन्य शुल्क-मुक्त भंडार	भारत पर्यटन विकास निगम विभिन्न हवाई अड्डों पर पहले से ही 29 शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है।
9.	बीजा की आवश्यकता समाप्त करना	बीजा की आवश्यकता समाप्त करना सम्भव नहीं पाया गया है।

शुल्क मुक्त दुकानें

4617. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत चलाई जा रही शुल्क-मुक्त दुकानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये दुकानें घाटे में चल रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन दुकानों को गैर-सरकारी हाथों में सौंपने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास त्रिवेन्द्रम और गोआ में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आगमन और प्रस्थान, दोनों लाउंजों पर 29 शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

4618. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने एक विशष्टि सुझाव दिया है कि औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्ण इकाइयों को बंद करने हेतु एक प्रभावी तंत्र के रूप में परिवर्तित किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव से सहमत हो गई है ·

(ग) यदि हां, तो उदारीकृत अर्थव्यवस्था के अनुरूप कार्य करने हेतु औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की संशोधित भूमिका क्या है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) जी, नहीं। लेकिन विश्व बैंक की दिनांक 24.5.1993 की रिपोर्ट सं॰ 11761-आई॰ एन॰ के पैरा 25 में प्रकाशित "इंडिया प्रोग्रेस एंड चैलेंजेज इन इकोनामिक ट्रांजीसन" नामक शीर्षक में यह उल्लेख किया गया था कि परिसंपत्तियों का समय पर निपटान करने और प्रभावित कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों में संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निकट भविष्य में कोई कार्यक्रम बनाया जाए। सम्भावित उपायों में ये शामिल होंगे : औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में खंड पीठों की संख्या में वृद्धि करना और कंपनी अधिनियम में संशोधन करके औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को परिसमापन की शक्तियां मंजूर करना।

वाणिज्यिक विदेशी ऋण

4619. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत: छ: महीनों के दौरान विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उक्त अवधि में ऐसे कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में अब तक वाणिज्यिक ऋणों की कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) 1 फरवरी, 1994 से लेकर 31 जुलाई 1994 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार को एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के विदेशी वाणिज्यिक ऋण जिनमें रक्षा ऋण शामिल नहीं है, प्राप्त करने से संबंधित 233 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 86 आवेदन-पत्रों को विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान मंजूर किए गए विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की कुल राशि 1503.86 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल, 1994 से 19 अगस्त, 1994 तक मंजूर किए गए विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की कुल राशि 1485.86 मिलियन अमरीकी डालर है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

4620. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चिकित्सा संबंधी देखभाल के लिए कर्नाटक सरकार को अग्रिम भुगतान देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो जून, 1994 के अन्त तक पहली किश्त की कितनी राशि जारी की गई ; और

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चिकित्सा सुश्रूषा के लिए कर्नाटक को 1994 के दौरान कितनी धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) 340.35 लाख रुपये

(ग) 1361.42 लाख रुपये (अनुमानित)

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिकों को कैंसर और क्षयरोग

4621. श्री छेदी पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी श्रमिकों में कैंसर और क्षयरोग अधिक होता है ;

(ख) यदि हां, तो बीड़ी श्रमिकों में क्षयरोग और कैंसर के उपचार हेतु क्या-क्या प्रबंध किए गये हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई और किन-किन योजनाओं पर यह धनराशि खर्च की गई ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) इस बारे में कोई सूचनाएं नहीं हैं कि समान आर्थिक स्तर पर सामान्य जनसंख्या/अन्य कर्मकारों की तुलना में बीड़ी कर्मकारों में कैंसर और क्षय रोग अधिक होता है।

क्षय रोग से पीड़ीत बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए कर्मा (बिहार) में एक 50 बिस्तरों वाला क्षयरोग अस्पताल और नीमटीटा (प॰ बंगाल) में एक चैस्ट क्लिनिक है। इसके अतिरिक्त, बीड़ी कर्मकारों के लिए स्थापित किए गए विभिन्न औषधालयों में भी क्षयरोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को क्षयरोग उन्मूलक दवाइयां प्रदान की जाती हैं। क्षयरोग पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के लिए सरकारी/क्षय रोग अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण के लिए एक योजना है। बीड़ी कर्मकारों को कैंसर और क्षय रोग संबंधी चिकित्सा उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति सहित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी योजनाएं हैं।

बीड़ी कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आवासीय सुविधाएं और ग्रुप बीमा योजना का प्रावधान करने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय (आंकड़े लाखों में)
1991-92	804.70 रु॰
1992-93	1215.48 रु॰
1993-94	1586.01 रु॰

[अनुवाद]

म्यांमार के साथ व्यापार

4622. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री मंजय लाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और म्यांमार के बीच भविष्य में माल तथा सेवाओं के आयात तथा निर्यात हेतु जिन वस्तुओं का पता लगाया गया है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) म्यांमार के साथ सीमा-व्यापार शुरु करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनके म्यांमार से भारत में आयात करने और भारत से म्यांमार को निर्यात करने की संभाव्यताएं हैं। जिन वस्तुओं का भारत से निर्यात किया जा सकता है उनमें शामिल हैं–इंजीनियरिंग सामान, निर्माण-सामग्री, भेषज-सामग्री, परिवहन उपकरण, उपभोक्ता सामान इत्यादि और जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का म्यांमार से आयात किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं :–कृषि वन्य वस्तुएं एवं वन्य उत्पाद।

(ख) भारत और म्यांमार ने जनवरी, 1994 में एक सीमा व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह तय किया गया है कि सीमा व्यापार अक्तूबर, 1994 के उत्तरार्द्ध से प्रारम्भ हो जायेगा। इसी बीच, दोनों सरकारें सीमा व्यापार करार को कार्यन्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़ताल

4623. श्री श्रीकान्त जेना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 जुलाई, 1994 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुई क्षति का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिला श्रमिक प्रकोष्ठ

4624. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने महिला श्रमिक प्रकोष्ठ कार्यरत हैं ;

(ख) महिला श्रमिक प्रकोष्ठ योजना को लागू किए जाने के बाद सुनियोजित योजना के अन्तर्गत अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त प्रकोष्ठ पूरे देश के लिए है ; और

(घ) इसके कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी बैंकों को छूट

4625. श्री रवि राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को वृद्धि संबंधी नकद रिजर्व अनुपात (सी॰ आर॰ आर॰) का कुछ प्रतिशत जमा रखने सम्बन्धी छूट वापस ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस नए प्रतिबंध के अंतर्गत कुछ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भी शामिल किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि 6 अगस्त, 1994 से शुरु हो रहे पखवाड़े से अगली सूचना तक 10 प्रतिशत वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी॰ आर॰ आर॰) के रख-रखाव से 12 विदेशी बैंकों सहित 35 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दी गई छूट इसने वापस ले ली है। इन बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

उन 35 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम जिनसे सी आर आर की छूट वापस ले ली गई है।

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक आफ मैसूर
4. स्टेट बैंक आफ पटियाला
5. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
6. इलाहाबाद बैंक
7. आंध्रा बैंक
8. बैंक आफ बड़ौदा
9. बैंक आफ इंडिया
10. केनरा बैंक
11. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
12. कार्पोरेशन बैंक
13. इंडियन बैंक
14. पंजाब नैशनल बैंक
15. सिंडिकेट बैंक
16. यूको बैंक
17. विजया बैंक
18. वैश्य बैंक लि॰
19. बैंक आफ मदुरा लि॰
20. फेडरल बैंक लि॰
21. करुर वैश्य बैंक लि॰
22. नेदुनगडी बैंक लि॰

23. कर्नाटक बैंक लि०
24. सिटि बैंक एन० ए०
25. ए एन जैड ग्रिंडलेज बैंक पी एल सी
26. हांगकांग शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
27. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
28. बैंक आफ अमेरिकन नैशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
29. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि०
30. ए बी एन एमरो बैंक एन० वी०
31. बैंक इन्डो सुएज
32. बैंक नेशनल दे पेरिस
33. ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट
34. ड्यूश बैंक
35. ओमान इंटरनैशनल बैंक एस० ए०

बीड़ी श्रमिक

4626. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंगठित क्षेत्र में कितने बीड़ी श्रमिक कार्यरत हैं ;

(ख) क्या सरकार का इन श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई लाभ उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्य सरकारों के अनुसार लगभग 44.72 लाख बीड़ी कर्मकारों में से अधिकतर असंगठित क्षेत्र में हैं।

(ख) बीड़ी कर्मकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन सुविधाएं और समूह बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से कल्याण योजनायें वित्त पोषित करने की दृष्टि से एक बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि स्थापित की गई है।

(ग) चल रही योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	कल्याण योजना का नाम
1	2

स्वास्थ्य

1. बीड़ी कर्मकारों के लिए टी० बी० अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित करने संबंधी योजना।
2. सचल/स्थिर-एवं-सचल/सचल चिकित्सा इकाइयों के प्रावधान संबंधी योजना।
3. कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को इलाज की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।
4. चश्मे के लिए बीड़ी कर्मकारों (घरखाता श्रमिकों सहित) को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना।
5. बीड़ी कर्मकारों को कुष्ठ राहत संबंधी योजना।

1	2

6. मानसिक रूप से पीड़ित कर्मकारों का उपचार।

7. टी० बी० मरीजों का आवासीय उपचार।

8. बीड़ी कर्मकारों को बंध्याकरण हेतु आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी परिवार कल्याण कार्यक्रम।

9. महिला बीड़ी कर्मकारों को प्रसूति लाभ योजना।

10. हृदय रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता संबंधी योजना।

11. गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु बीड़ी कर्मकारों को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता संबंधी योजना।

सामाजिक सुरक्षा योजना

1. बीड़ी श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी श्रमिकों (घरखात बीड़ी श्रमिकों सहित) के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

2. बीड़ी श्रमिकों के प्राथमिक स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सैट ड्रैस, पुस्तकें प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता।

मनोरंजन

1. दृश्य श्रव्य सैटों/सिनेमा वैनों/फिल्म प्रदर्शिनियों की स्थापना।

2. बीड़ी श्रमिकों के लिए खेलों, खेल-कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन।

3. बीड़ी श्रमिकों के लिए हॉलीडे होम योजना।

4. बीड़ी सहकारी समितियों को टी० वी० सैटों की आपूर्ति।

आवास

1. बीड़ी श्रमिकों के लिए अपना घर स्वयं बनाओ योजना।

2. बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजना।

3. वर्कशैडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

4. बीड़ी श्रमिकों के लिए समूह आवास योजना।

इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

4627. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक की अनुषंगी इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड की आवास निर्माण के लिए किफायती सामग्री का पता लगाने के उद्देश्य से एक अनुसंधान और विकास कोष बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अवास अनुषंगी एकक में इंडियन बैंक की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है ;

(घ) उक्त आवास अनुषंगी एकक की दक्षिणी भारत में कितनी शाखाएं हैं ;

(ङ) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में अभी तक कितना ऋण मंजूर किया गया और कितना वितरित किया गया ; और

(च) सस्ती आवास योजनाएं तैयार करने में इससे किस हद तक सहायता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड ने अनुसंधान और विकास निधि स्थापित करने की योजना बनाई है। निधियों के लिये तौर-तरीके अभी तैयार किये जाने हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) फिलहाल इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड की दक्षिणी भारत में 14 शाखाएं हैं।

(ङ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (जुलाई 1994 तक) इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड द्वारा मंजूर और संवितरित ऋणों की राशि नीचे दर्शायी गई है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मंजूर की गई	संवितरित
1992-93	54.92	30.16
1993-94	36.44	23.65
1994-95 (जुलाई 1994 तक)	10.93	11.54

(च) इंडियन बैंक के अनुसार इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड ने मद्रास और हैदराबाद में ग्रुप आवास योजना के विकास में अपना सहयोग दिया है जिसमें पारम्परिक ईंटों की जगह खोखले ब्लाक (हालो ब्लाक्स) का उपयोग करके निर्माण कार्य में किफायती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। खोखले ब्लाकों के उपयोग से निर्माण की लागत में कमी आयेगी जिससे सस्ते आवास बनेंगे। निर्माण कार्यों में किफायती निर्माण-सामग्रियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार करने के लिये कम्पनी ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की थी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कम्पनी लोगों को इन सामग्रियों की प्रभावकारिता और स्थानीय रुप से उपलब्ध सामग्रियों के उपयोग के बारे में समझाने में सफल हुई है।

नागर विमानन और पर्यटन क्षेत्रों में विदेशी निवेश

4628. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक सरकार द्वारा नागर विमानन और पर्यटन क्षेत्रों में विदेशी निवेश के प्रस्तावों को दी गई मंजूरी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में प्रस्ताव-वार निवेश की गई राशि और इन प्रस्तावों के मामले में प्रमुख नियम एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना के संबंध में विशेषरूप से महाराष्ट्र में परियोजना-वार अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक अनियमितताएं

4629. श्री राम निहोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध बैंक-वार दर्ज अनियमितताओं संबंधी मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है ;

(ख) बैंक प्रबंधकों और लेखाकारों के विरुद्ध बैंकों के सतर्कता प्रभागों द्वारा कितने मामले निपटाए गए हैं और उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध बैंक-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितने मामले सौंपे गए हैं ; और

(घ) बैंक-वार कितने मामले न्यायालयों में लम्बित हैं और कितने मामलों का निपटारा न्यायालयों द्वारा हो चुका है तथा कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हालैण्ड के साथ व्यापार

4630. श्री के॰ प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हालैण्ड के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत-हालैण्ड संयुक्त सहयोग की स्थापना की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत-हालैण्ड व्यापार संबंध का विस्तार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारत और नीदरलैण्ड के बीच फरवरी, 1983 में हस्ताक्षरित करार में व्यापार एवं सहयोग की व्यवस्था है।

(ख) भारत-डच औद्योगिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में ये शामिल हैं - पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न, निस्सारी-उपचार अभिक्रिया, तेल-जल पृथक्करण प्रणाली, टिश्यूकल्चर, कृषि-प्रसंस्करण, हैवी ड्यूटी गैस टर्बाइनें, न्यूमैटिक पावर टूल्स और फार्मास्यूटिकल्स।

(ग) और (घ) सरकार का निरन्तर प्रयास यह है कि द्विपक्षीय व्यापार में विस्तार हो। इस दिशा में किए गए उपायों में शामिल हैं - नीदरलैण्ड से एक उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल का दौरा और रोटरडम में एक व्यापार एवं वितरण केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव जिससे कि उस देश में भारतीय माल के वितरण को सुगम बनाया जा सके।

पायलटों की स्वास्थ्य परीक्षा

4631. डा. लाल बहादुर रावल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के सभी पायलटों की उड़ान से पहले डाक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा किया जाना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद्धति का विदेशों से शुरू होने वाले उड़ानों सहित इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया की सभी उड़ानों में कड़ाई से पालन किया जाता है ;

(ग) यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान पायलटों की स्वास्थ्य परीक्षा किए बिना कितनी उड़ानें भरी गईं ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है कि सभी पायलटों की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षा हो ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइन्स आपरेशन मैनुअल के अनुसार सम्पूर्ण चालक दल अर्थात् पायलट/उड़ान अभियंता/नौचालक/केबिन क्रू अधिसंख्य कर्मीदल का विहित प्रक्रिया के अनुसार उनकी सांस में अल्कोहल का पता लगाने के लिए उड़ान पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा।

एयर इंडिया उड़ान पर जाने वाले अपने पायलटों का उड़ान पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण यादृच्छिक आधार पर करवाती है।

(ख) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी तथा फूडक्राफ्ट संस्थान

4632. श्री प्रवीण डेका : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी तथा फूडक्राफ्ट संस्थान की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) सरकार ने

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी तथा दार्जिलिंग में दो तथा सिक्किम में गंगटोक में एक, भोजनकला संस्थान स्थापित किए हैं। शिलांग में मेघालय राज्य के लिए एक और भोजनकला संस्थान की मंजूरी दी गई है।

विद्युतकरघा सेवा केन्द्र

4633. श्री पी॰ सी॰ चाक्को : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में इस समय राज्यवार कार्यरत विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से केरल में इस प्रकार के और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने का है ;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) देश में विद्युतकरघा सेवा केन्द्र की अब स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में दस विद्युतकरघा सेवा केन्द्र की स्थापना की जानी है। केरल में विद्युतकरघा सेवा केन्द्र की स्थापना करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की अब स्थिति राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों तथा विद्युतकरघा बाहुल्य क्षेत्रों पर निर्भर होगी।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ही बार 3 लाख रु॰ के पूंजीगत अनुदान तथा प्रतिवर्ष 4.50 लाख रु॰ के आवर्ती व्यय की मंजूरी दी जाती है।

विवरण

राज्य का नाम	केन्द्र की स्थिति
1	2
महाराष्ट्र	(1) मालेगांव
	(2) इचलकरजी
	(3) वीटा/माधवनगर
	(4) भिवंडी
	(5) शोलापुर
	(6) भिवंडी
पश्चिम बंगाल	(1) कलकत्ता
उत्तर प्रदेश	(1) मउनाथ भंजन
	(2) टाण्डा

1	2
	(3) मेरठ
	(4) कानपुर
	(5) जलालाबाद
मध्य प्रदेश	(1) बुरहानपुर
राजस्थान	(1) किशन गढ़
	(2) भीलवाड़ा
बिहार	(1) गया
पंजाब	(1) अमृतसर
	(2) लुधियाना
तमिलनाडु	(1) इरोड
	(2) शंकरनकोइल
	(3) पैलडम
	(4) त्रिनचैनगोहे
	(5) कोमारपलायम
उड़ीसा	(1) कटक
केरल	(1) त्रिचूर
कर्नाटक	(1) बेलगाम
	(2) डाडाबलपुर
	(3) बंगलौर
	(4) बेटागिरी
गुजरात	(1) सूरत
	(2) अहमदाबाद
	(3) ढोकला
	(4) सेचिन
जम्मू और कश्मीर	(1) श्रीनगर
असम	(1) नौपाडा
हरियाणा	(1) पानीपत
आंध्रप्रदेश	(1) नगरी
	(2) हुजूराबाद (करीमनगर)
	कुल : 38 केन्द्र

असम में पर्यटन को बढ़ावा

4634. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान वर्षवार असम सरकार से प्राप्त सभी परियोजनाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा असम के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के स्थानवार नाम क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के लिए वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी राशि दी गई ;

(घ) क्या स्वीकृत की गई और दी गई राशि में भारी अंतर है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) असम में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 1991-92 के दौरान 174.79 लाख रुपए की 15, परियोजनाएं/योजनाएं, 1992-93 के दौरान 78.66 लाख रुपए की 6 योजनाएं और 1993-94 के दौरान 78.11 लाख रुपए की चार परियोजनाएं/योजनाएं मंजूर की।

(ख) और (ग) असम के लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे स्थानों और उसके लिए मंजूर और जारी की गई राशि सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) मंजूर राशि का 50 प्रतिशत बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो, परियोजना कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को जारी कर दिया गया है।

विवरण

1991-92 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	मंजूर की गई राशि	जारी की गई राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4
	असम		
1.	हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी पर पर्यटक सुविधाएं	15.62	8.00
2.	जाखलाबांधा में मार्गस्थ सुविधाएं	16.50	9.00
3.	बोकाखाट में मार्गस्थ सुविधाएं	10.00	5.00

1	2	3	4
4.	मोरन में मार्गस्थ सुविधाएं	10.00	5.00
5.	बिस्वनाथ चराली में मार्गस्थ सुविधाएं	10.00	5.00
6.	जगीरोड में मार्गस्थ सुविधाएं	10.05	5.00
7.	चन्दुबी में रेस्तरां/प्रतीक्षा कक्ष	10.04	5.00
8.	गुवाहाटी में यात्री निवास	49.32	20.00
9.	चन्दुबी झील के लिए जलक्रीड़ा उपकरण की खरीद	5.00	4.50
10.	चट्टान पर चढ़ने का उपकरण	3.92	3.00
11.	पैरा सेलिंग उपकरण	7.54	7.00
12.	पर्वत साइकिलें	6.80	5.47
13.	काजीरंगा में पर्यटक लॉज का स्तरोन्नयन	4.20	2.00
14.	गुवाहाटी में सुविधाओं का स्तरोन्नयन	12.91	6.00
15.	जिप्सी तथा केंटर मिनी बस की खरीद	2.89	2.00
	कुल :	174.79	91.97

वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
		(रु. लाखों में)	
	असम		
1.	कामाख्या में तीर्थ कुटीरें	27.09	14.00
2.	बरदलोनी पक्षी अभयारण्य में पर्यटक लॉज	14.00	7.00
3.	बली में मार्गस्थ सुविधाएं	11.73	5.00
4.	मछली पकड़ने के उपकरणों की खरीद	4.40	2.00
5.	ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जलक्रीड़ा उपकरण	5.56	2.00
6.	टेंट आवास	15.83	7.94
	जोड़ :	78.66	37.94

वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	मंजूर की गई राशि	जारी की गई राशि
		(रु. लाखों में)	
	असम		
1.	हाजो में पर्यटक कॉटेज	24.35	12.00
2.	बिस्वनाथ घाट पर पर्यटक सैरगाह	15.45	8.00
3.	तिनसुखिया में पर्यटक लॉज	23.54	2.00
4.	काजीरंगा, मानस और भोलुकपंग उमरौस में टैंटों वाले आवास	14.77	6.83
	जोड़ :	78.11	28.83

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि

4635. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ नियोक्ताओं ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस राशि को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) क॰ भ॰ नि॰ संगठन के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में 1500 प्रतिष्ठानों ने क॰ भ॰ नि॰ की राशि की अदायगी में चूक की है।

(ग) क॰ भ॰ नि॰ संगठन बकाया राशि की उगाही के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8 ख, 8 छ और 14 के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कानूनी एवं दाण्डिक कार्रवाई पहले ही कर रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की कर्मचारी भविष्य निधि

4636. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम हाल ही में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए हैं वे धनाभाव के कारण कर्मचारियों की भविष्य

निधि राज्य कर्मचारी बीमा आदि की अंशदान राशि को जमा नहीं करा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का यह बात सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से धन प्रदान करने का विचार है जिससे कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो ;

(ग) क्या संबंधित सरकार उपक्रम उक्त खातों में कुल अंशदान जमा कराने में अपनी असमर्थताओं को अधिसूचित कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आरक्षित निधि

4637. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धनराशि को निकाले जाने को और आसान बनाने के लिए भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरह "आरक्षित निधि" के लिए एक पृथक संस्था स्थापित करने का है ; .

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) प्रस्तावित निर्णय की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) "आरक्षित निधि" हेतु एक पृथक संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीड़ी, खानों (चूना पत्थर/डोलोमाइट/लौह/मैंगनीज/क्रोम अयस्क और अभ्रक और सिने कर्मकारों हेतु आरक्षित निधियां प्रशासित करने वाले विद्यमान श्रम कल्याण संगठन को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। इस समय यह प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था पर है।

[अनुवाद]

प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का आवंटन

4638. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी संवर्धकों को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने वाले छूटप्राप्त शेयरों पर रोक लगाने के प्रयोजनार्थ मार्गनिर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है और विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों के संवर्धकों ने बाजार मूल्य पर प्राथमिकता के आधार दिये जाने वाले छूट-प्राप्त शेयरों तथा वारंटों का स्वयं आवंटन करके 5000 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पहले से हुए घाटे को पूरा करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 3 जून, 1994 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनियों द्वारा शेयरों का तरजीही आवंटन बाजार-सम्बद्ध मूल्य पर होगा।

(ग) इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में पर्यटन संवर्धन

4639. श्री पी. कुमारासामी :

श्री ए. अशोकराज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में पर्यटन संवर्धन हेतु उन परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृति दी गयी है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ; और

(ग) परियोजना-वार सहायता की कितनी धनराशि अब तक दी गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को तमिलनाडु राज्य सरकार से वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय वित्तीय सहायता लेने के लिए हाल ही में पांच प्रस्ताव मिले हैं। प्रस्ताव ये हैं :–

1. चाय और पर्यटन उत्सव ;
2. मामल्लपुरम नृत्य उत्सव ;
3. नटियान्जली उत्सव ;
4. ऊटी ग्रीष्म उत्सव ;
5. मदुरै चित्रै उत्सव ;

बिहार पर ऋण

4640. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92 और 1993-94 के अन्त में बिहार पर केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों का कितना ऋण था ;

(ख) ऋण दाता द्वारा दिए गये ऋण का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना, गैर-योजना, आकस्मिक अग्रिम धनराशि तथा बाजार ऋण के द्वारा लिये गये ऋण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

व्यापार संतुलन

4641. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान रुपयों, डालरों और एस. डी. आर. में अलग-अलग कुल कितने मूल्य का निर्यात और आयात किया गया ;

(ख) वर्ष 1992-93 की तुलना में रुपयों, डालरों और एस. डी. आर. में परिवर्तन दर क्या रही ;

(ग) उन आयातक देशों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में 1993-94 के दौरान भारत से किए गए आयात में औसत विकास दर में कमी पाई गई ;

(घ) उन निर्यात मदों का ब्यौरा क्या है जिनका उक्त अवधि में कुल निर्यात मूल्य औसत दर से कम रहा ; और

(ङ) चालू वर्ष में सरकार द्वारा ऐसी मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान आयात एवं निर्यात का कुल मूल्य रुपया, डालर एवं एस. डी. आर. के हिसाब से तथा वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 में इनकी परिवर्तन दर निम्नानुसार रही :-

निर्यात 1993-94	1992-93 की तुलना में % परिवर्तन	आयात 1993-94	1992-93 की तुलना में % परिवर्तन
69546.97 करोड़ रुपए	29.5	72806.01	14.9
22173.08 मिलियन अमरीकी डालर	19.6	23212.13	6.1
15847.19 मिलियन एस. डी. आर.	9.6	16589.80	-2.8

(ग) वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान प्रमुख देशों को भारत से हुआ निर्यात औसत वृद्धि से कम दर्ज हुआ है, वे उसी क्रम के हैं-कनाडा, यू. एस. ए., यू. के., आस्ट्रेलिया, मोरोक्को, कोरिया गणराज्य, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, ग्रीस, रूस, पुर्तगाल, डेनमार्क, इटली, स्पेन, आयरलैण्ड, फिन-लैण्ड और ट्यूनिसिया।

(छ) प्रमुख वस्तुओं/समूह, जिनके संबंध में निर्यात वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान औसत वृद्धि दर से कम दर्ज हुए हैं, वे उसी क्रम में हैं :-हस्तशिल्प, कॉटन यार्न फेबरिक्स, लौह आयस्क, कोयला, विविध प्रसंस्कृत मदें पुष्प-उत्पाद, मानव-निर्मित वस्त्र, आर० एम० जी कारपेट, चमड़े का सामान, जूट-उत्पाद, चाय प्राकृतिक सिल्क, तंबाकू, पैट्रोलियम, चीनी और सीरा और परियोजना सामान।

(ज) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने व्यापार का उदारीकरण करने के लिए जो उपाय किए हैं उनमें शामिल हैं :-निर्यात से जुड़े आयात का संवर्धन, आयात लाइसेंसिंग में कमी करना, नीति एवं क्रियावधि का सरलीकरण करके क्रियाविधि संबंधी बाधाओं को हटाना तथा निर्यात की निषेधात्मक सूची की कांट-छांट करना। निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और सरकार तथा व्यापार एवं उद्योग के बीच सामूहिक प्रयास है। व्यापार एवं उद्योग के परामर्श से निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। राज्यों का सहयोग भी बढ़ चढ़कर लिया जा रहा है और सरकार ने इस संबंध में एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना तैयार की है जिसे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) योजना का नाम दिया गया है।

भारतीय कालीन उद्योग

4642. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कालीनों के निर्यात में, जो इस समय अमरीकी कांग्रेस में लंबित है, हार्किंस बिल द्वारा भारतीय कालीन पर अमरीकी प्रतिबंध लगाने के कारण 1993 से भारी कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कालीन उद्योग में कितने कार्मिक रोजगारहीन हो गए ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कालीन उद्योग में लगाए गए बाल मजदूरों के वास्तविक प्रतिशत का आकलन किया है ;

(घ) यदि हां, तो अन्य मजदूरों की तुलना में कालीन उद्योग में कार्य कर रहे बाल मजदूरों का प्रतिशत कितना है ;

(ङ) क्या इंडियन कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के शिष्टमंडल ने हाल ही में अमरीका का दौरा किया है और संबंधित सरकारी अधिकारियों और कालीन उद्योग के प्रतिनिधियों को भारतीय कालीन उद्योग में लगे बाल मजदूरों की कम प्रतिशत के बारे में दलील पेश की ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इसके क्या परिणाम निकले ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। संयुक्त राज्य अमरीका को 1992-93 के दौरान भारतीय कालीनों का निर्यात 330.09 करोड़ रुपये हुआ, जो 1993-94 में बढ़कर 460.00 करोड़ रुपये हो गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया गया जो यह दर्शाता है कि भारतीय कालीन उद्योग में बाल श्रमिक कुल कार्यदल का 8% है, जिसमें नियम के अधीन फैमिली यूनिट में 4.4% कार्य अनुमेय है और भाड़े के श्रमिकों के रूप में 3.6% है।

(ङ) से (छ) जुलाई, 1994 के आरम्भ में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सी ई पी सी) के दो उपाध्यक्षों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अमरीका के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और व्यापार संगठनों आदि से विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमण्डल ने विषय को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया और हारकिन तथा ब्राऊन बिलों के संबंध में भारत की चिन्ता व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि व्यापार तथा श्रम मानकों को आपस में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। बाल श्रम की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बहुपक्षीय फोरम का प्रयोग करके भलीभांति रूप से सुलझाया जा सकता है। कालीन उद्योग से बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधमंडल को यह आभास हुआ कि अमरीकी कांग्रेस में बिलों को पेश किए जाने की संभावना कम है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4643. श्री सुधीर सावन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अचार, जैम, जेली आदि के उत्पादन में लगे उद्योगों सहित सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सरकार के निर्णय के अनुसार 270 दिनों तक का पैकिंग ऋण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यह निर्णय कब लिया गया ;

(ग) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया 270 दिनों के पैकिंग ऋण का लाभ नहीं दे रहा है और उद्योगों से 180 दिनों के बाद 21% का भारी दंडात्मक ब्याज वसूल कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त बैंक द्वारा उद्योगों से कितना दंडात्मक ब्याज वसूल किया गया ; और

(च) इस स्थिति के उचित समाधान के लिये क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अचार, जैम, जेली आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों सहित खाद्य संसाधन उद्योग उस समय तक निर्यात पैकिंग ऋण के लिए पात्र रहते हैं जब तक कि इन मदों को सरकार निषेधात्मक (नेगेटिव) सूची में शामिल नहीं करती। आमतौर पर बैंक निर्यात की जाने वाली वस्तु के उत्पादन चक्र के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए पैकिंग ऋण को अनुमति देते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि सामान्यतया 180 दिन की अधिकतम अवधि

के लिए निर्यात पैकिंग ऋण उपलब्ध होता है जो उत्पादन चक्र (साइकल) पर निर्भर करता है। दिनांक 12 मार्च, 1992 से बैंकों को पैकिंग ऋण के लिए 90 और दिन बढ़ाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस प्रकार यह अवधि कुल मिलाकर 270 दिन की हो गई है। यह अवधि वास्तविक कठिनाई के उन मामलों के लिए है जिनमें निर्यातक 180 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर-अंदर जहाज में माल का लदान करने की स्थिति में नहीं है। बैंकों को शुरु में ही 270 दिनों के लिए पैकिंग ऋण मंजूर करने के लिए शक्तियां भी प्रत्यायोजित की गई हैं जो उत्पादन चक्र पर निर्भर करता है।

(ग) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

ऋण जमा अनुपात

4644. श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केरल में अल्प ऋण जमा अनुपात की समस्या का अध्ययन करने के लिए नियुक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों का पता लगाने और उसमें सुधार लाने संबंधी उपायों का सुझाव देने के वास्ते एक कृतिक बल का गठन किया था। इस कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस कृतिक बल की रिपोर्ट में विविध प्रकार की सिफारिशें शामिल की गयी हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वासभूमि कृषि संबंधी कार्यकलापों का विश्लेषण करने के लिए बैंकों द्वारा संश्रित ऋण नीति तैयार करके कृषि में सुधार, सेवा क्षेत्र योजना में संशोधन, उद्योगों के वास्ते बिजली की उपलब्धता समेत राज्य में उद्योग के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रेरक औद्योगिक माहौल का सृजन, उत्पादक कार्यों में अनिवासी भारतीय की जमाराशियों का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आकर्षक योजनाएं तैयार करना, उपभोक्ताओं, आवास, शिक्षा आदि के लिये अधिक ऋण प्रवाह मुहैय्या करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृतिक बल की रिपोर्ट पहले ही संबंधित एजेंसियों के पास, रिपोर्ट में निहित विभिन्न सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिये भेज दी है। आशा है कि कृतिक बल द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों को अमल में लाने से केरल राज्य में ऋण जमा अनुपात में सुधार होगा।

राजस्थान में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना

4645. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार का कुछ अतिरिक्त डिपुओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो जयपुर में अक्तूबर, 1989 से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं (आई सी डी/कन्टेनर भाड़ा केन्द्रों) (सी एफ एस) की स्थापना संबंधी प्रस्तावों को एक ही स्थान पर क्लीयरेंस देने हेतु इस मंत्रालय में कार्यरत अन्तः मंत्रालयी समिति (आई एम सी) ने जोधपुर (राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा), उदयपुर और कोटा (केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा) में कन्टेनर भाड़ा केन्द्रों की स्थापना से संबंधित अब तक तीन प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान के लिए आई सी डी/सी एफ एस का कोई प्रस्ताव इस समय निर्णय के लिए बकाया नहीं पड़ा है।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तम्बाकू उत्पादन

4646. श्री दत्ता मेघे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र में प्रति हेक्टेयर कुल कितने किलोग्राम तम्बाकू का उत्पादन हुआ ; और

(ख) सरकार राज्य में तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति खाता उत्पादित एफ सी वी तम्बाकू की मात्रा निम्नानुसार है :-

वर्ष	वास्तविक उत्पाद प्रति खाता (किग्रा.)
1991-92	2,325
1992-93	2,123
1993-94	822

(ख) तम्बाकू बोर्ड फसल की मांग को ध्यान में रखते हुए एफ सी वी तम्बाकू के फसल का आकार निर्धारित करता है। बोर्ड ने महाराष्ट्र के लिए पिछले वर्ष के स्तर पर ही फसल आकार निर्धारित करने का निर्णय लिया है क्योंकि फसल की मांग नहीं बढ़ी है।

[अनुवाद]

ए. टी. एफ. भण्डारण सुविधाएं

4647. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने सीधे आयात के लिए ए. टी. एफ. भण्डारण सुविधाएं देने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को विमान ईंधन की लागत में होने वाली बचत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ने संचालन लागत में कमी करने के लिए कोई अन्य योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने प्रचालनात्मक लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) अनुत्पादक खर्चे कम करना।

(ii) कुल जन शक्ति की जांच करना।

(iii) विमान बेड़े और कर्मीदल का इष्टतम उपयोग करना।

परिधान निर्यात कोटा

4648. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एजेंसियों के कोटा आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक आरक्षण देने हेतु सरकार की घोषित नीति के संदर्भ में एपारेलस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा नियंत्रित परिधान निर्यात का कोटा आरक्षित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो एपारेलस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आरक्षण नीति कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति (परिधानों के लिए कोटा नीति) जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक अर्जन करना है, में परिधान कोटाओं को बिना किसी भेदभाव के तथा स्पष्ट तरीके से आबंटन करने के लिए एक ढांचे की व्यवस्था करना है। परिधान कोटाओं के आबंटन के लिए पात्र परिधान निर्यातक

एककों के विभिन्न संगठनात्मक ढांचे होते हैं जैसे मालिकाना अस्तित्व, सांझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सरकारी लि० कंपनी आदि। चूंकि ऐसी स्थिति में एक सार्थक आरक्षण नीति का होना संभव नहीं है इसलिए सरकार ने परिधान कोटाओं के आबंटन के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है।

[हिन्दी]

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/निर्यातोन्मुख एकक

4649. श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/निर्यातोन्मुख एककों के अंतर्गत एककों को अपने कुल उत्पादन का 50% भाग देश के अन्दर ही बेचने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन एककों का कुल उत्पादन कितना है और इन एककों द्वारा 93-94 के दौरान अपने उत्पादन में से कितनी मात्रा का विक्रय घरेलू बाजार में किया गया ; और

(घ) इन एककों से निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कृषि, मत्स्यकी, पशु पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन, रेशम उद्योग के क्षेत्रों में निर्यात अभिमुख एकक (ई ओ यू)/निर्यात प्रोसेसिंग जोनों (ई पी जेड) के एकक अपने-अपने उत्पादन का मूल्य की दृष्टि से 50% भाग तक घरेलू बाजार में बेच सकेंगे बशर्ते वह बिक्री इस संबंध में अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कवर होती हो।

(ख) ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कृषि आधारित क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले क्योंकि इस क्षेत्र में निवल विदेशी मुद्रा की उच्च आय की काफी गुंजाइश और संभावनाएं हैं।

(ग) ऐसे चार एककों को घरेलू बिक्री की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1993-94 में उनके उत्पादन का मूल्य लगभग 6.15 करोड़ रु० रहा। वर्ष 1993-94 में देश के भीतर बेचे गए उत्पादन संबंधी जानकारी मालूम की जा रही है।

(घ) ई ओ यू/ई पी जेड एककों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में की गई कुछ प्रारंभिक कार्रवाइयों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं अर्थात् तैयार उत्पादों, अवशिष्ट तथा छीलन की घरेलू बिक्री संबंधी शुल्क ढांचे का सुव्यवस्थीकरण, स्थानीय बाजार के लिए अधिक पहुंच, इलैक्ट्रानिक उत्पादों के लिए लोचशील मूल्यवर्धन मानदण्ड सीमाशुल्क क्रियाविधियों का सरलीकरण। निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में कार्यकलाप क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया ताकि व्यापार, पुन: पैकिंग/लेबलिंग, मरम्मत, रिंकडीशनिंग और रिइंजीनियरिंग के बाद पुनर्निर्यात को भी उसमें शामिल किया जा सके।

[अनुवाद]

बी॰ सी॰ सी॰ आई॰ में अनियमितताएं

4650. श्री मोहन रावले :

श्री पी॰ कुमारासामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 और 1986 में बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स इंटरनेशनल की कुछ योजनाओं में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं ;

(ख) क्या इस संबंध में उक्त बैंक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि विदेशी बैंकों में यदि कोई अनियमितता पाई जाए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, किन उपचारात्मक कदमों पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक की रिपोर्ट

4651. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को भारत के संबंध में विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देशीय आर्थिक ज्ञापन 1994 में हाल ही में आर्थिक विकास और संभावनाओं के साथ ही अल्पावधि और मध्यावधि में नीतिगत विषयों का पुनरीक्षण किया गया है। भारत के सुधार कार्यक्रम की प्रशंसा करते समय, उसमें इस बात का उल्लेख है कि सुधार प्रक्रिया हेतु अर्थव्यवस्था में साधारण तौर पर एक सकारात्मक धारणा बनी हुई है। रिपोर्ट में सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने, आधारभूत संरचना में सुधार लाने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और पूंजी अन्तर्वाहों का संचालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

जहां तक सार्वजनिक वित्त के विषय और विदेशी पूंजी के अन्तर्वाह का संबंध है, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी संभाव्य मुद्रा स्फीतिकारी प्रभाव को संतुलित करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। इसके अन्तर्गत 1994-95 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक नियंत्रित करने तथा साथ ही मौद्रिक नियंत्रण को मजबूत करने, चीनी, कपास और खाद्य तेलों

पर आयात नियंत्रणों को आसान बनाने और चावल और गेहूं की खुली बाजार में बिक्री के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न बाजारों में किए गए चुनिंदा हस्तक्षेप शामिल हैं।

बचत अनुपात

4652. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में बचत अनुपात स्थिर है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बचत अनुपात क्या रहे ;

(ग) इस कम बचत अनुपात के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीयों में बचत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू बचतों से सकल घरेलू उत्पाद तक के अनुपात द्वारा मापे गए बचत अनुपात इस प्रकार हैं :–

1990-91	1991-92	1992-93 (त्व॰ अनु॰)
23.9	23.1	22.3

त्व॰ अनु॰ त्वरित अनुमान

अर्थव्यवस्था में बचत दर बहुविध घटकों का एक कार्य है, जिसमें शामिल हैं : अर्थव्यवस्था में विकास की दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर नीतियां, मुद्रास्फीति, ब्याज दरों की रूपरेखा और बैंकिंग पद्धति की सापेक्ष प्रतिफल दक्षता और पूंजी बाजार तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास। अब तक किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारोपायों के कारण यह आशा की जाती है कि उनसे कुल बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

अशोध्य ऋण की वसूली

4653. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया और इण्डस्ट्रियल फाइनेंसियल कारपोरेशन आफ इंडिया ने ऐसे चूककर्ताओं की सूची तैयार की है जो काफी अधिक समय से इन संस्थानों के 2000/- करोड़ रुपए से भी अधिक बकाया राशि को चुकाने में असफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लम्बे समय से बकाया की वसूली न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जी॰ आई॰ सी॰ में पेंशन योजना

4654. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी. आई. सी. ने अपने कर्मचारी संगठनों के साथ पेंशन योजना शुरु करने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह समझौता लागू हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) साधारण बीमा उद्योग में भारतीय साधारण बीमा निगम और स्टाफ यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच तय हुए सम्मत निष्कर्षों के रिकार्ड की एक प्रति संलग्न विवरण में है। भारतीय साधारण बीमा निगम ने सम्मत निष्कर्षों के आधार पर सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

विवरण

भारतीय साधारण बीमा निगम और स्टाफ यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच तय हुए सम्मत निष्कर्षों का रिकार्ड

अध्यक्ष महोदय ने पहली दिसम्बर, 1993 को सभी यूनियनों को संबोधित अपने उद्घाटन भाषण में बिना किसी रुकावट के उद्योग में पेंशन और कम्प्यूटरीकरण के विस्तार के संबंध में प्रबंधन के दृष्टिकोण को उद्धृत किया था। इसके अनुसरण में दिसम्बर, 1993 और जनवरी, 1994 में भारतीय साधारण बीमा निगम के नियमित कार्मिक दल के साथ वैयक्तिक बैठकें आयोजित हुईं। विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्षों पर सहमति हुई :-

1. पेंशन स्कीम :

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियां भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान के एवज में सूचकांक से सम्बद्ध पेंशन स्कीम लागू करेंगी। लागू किया जाने वाला पेंशन संबंधी यह लाभ बैंकों में आरम्भ किए गए लाभ के समान ही होगा। यह पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी।

(ख) जो कर्मचारी 31.10.93 को नौकरी में थे उनके लिए या तो पेंशन स्कीम में शामिल होने का अथवा अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शासित रहने का विकल्प होगा। जो पेंशन स्कीम में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 = 100) में 1148 सूचकांक बिन्दुओं तक देय महंगाई भत्ते पर 10 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि में अतिरिक्त अंशदान का लाभ मिलेगा।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि की बजाय पेंशन स्कीम 1.11.1993 से लागू होगी। जो कर्मचारी 1.11.1993 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत हुए हैं, उनके लिए यह पेंशन स्कीम सेवाकाल के अंतिम

10 महीनों के दौरान आहरित 1148 सूचकांक बिन्दुओं तक (1960 = 100) मूल वेतन और महंगाई भत्ते के औसत के आधार पर बेसिक पेंशन मुहैया कराएगी।

पेंशनरों को महंगाई पर राहत, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्रचलित मंहगाई भत्ता के फार्मूले के अनुसार समय-समय पर निर्धारित होने वाली दरों पर बेसिक पेंशन पर प्रदान की जाएगी।

(घ) जो कर्मचारी 1.1.1986 से 31.10.1993 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए बेसिक पेंशन सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान उनके द्वारा आहरहित मूल वेतन के औसत के आधार पर निर्धारित होगी। उन्हें भविष्य निधि में किए गए नियोक्ता के अंशदान को ब्याज सहित वापस करना होगा जो आहरण की तारीख से वापसी की तारीख तक प्रतिवर्ष छः प्रतिशत की साधारण ब्याज दर सहित उनके द्वारा आहरित राशि पर होगा।

(ङ) जिन कर्मचारी ने 1.11.1993 को या उसके पश्चात् निगम और इसकी सहायक कम्पनियों में सेवा करना आरम्भ किया है, वे भविष्य निधि के स्वतः ही सदस्य बन जाएंगे।

(च) जो कर्मचारी 31.10.1993 को सेवा में थे और पेंशन का चयन करना चाहते थे वे ऐसा लिखित रूप में अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कि वे पेंशन स्कीम का सदस्य बनना चाहते हैं और अंशदायी भविष्य निधि की 1.11.1993 से सदस्यता को छोड़ रहे हैं और अंशदायी भविष्य निधि की 1.11.1993 से सदस्यता को छोड़ रहे हैं, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा निर्धारित तारीख को अथवा उससे पूर्व ऐसा कर सकते हैं। उन्हें अंशदायी भविष्य निधि के न्यासियों को भी अप्रतिसंहरणीय रूप से इस बारे में प्राधिकृत करना पड़ेगा कि नियोक्ता के अंशदान के साथ-साथ उस पर उपार्जित समस्त ब्याज की राशि इस प्रयोजनार्थ बनाए जाने वाले पेंशन फंड के जमा में डाल दी जाए।

(छ) पेंशनभोगी को मूल पेंशन के एक तिहाई हिस्से को रूपान्तरित करने का अधिकार होगा। फिर भी, रूपान्तरण के पश्चात् पूरी मूल पेंशन पर महंगाई की राहत दी जाएगी।

(ज) वे कर्मचारी जो पेंशन का विकल्प अपनाते हैं उन्हें अपने मूल वेतन का केवल 10% की दर से भविष्य निधि में योगदान करना होगा। साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा कर्मचारी के भविष्य निधि के हिस्से में कोई योगदान नहीं दिया जाएगा।

(झ) पेंशन योजना में परिवार पेंशन की भी व्यवस्था है।

(ञ) प्रशासनिक निर्देशों सहित पेंशन योजना का ब्यौरा, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए आई. बी. ए. द्वारा तैयार की गई योजना के आधार पर बनाया जाएगा।

कम्प्यूटरीकरण :–

लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए योजितकीकरण योजना में यह व्यवस्था है कि प्रबंध निदेशक, संघों के साथ परामर्श करने के पश्चात् छंटनी को प्रभावित किए बिना सुस्पष्ट कार्य प्रणाली के लिए एक आवश्यक सीमा तक यन्त्रीकरण शुरू कर सकता है जिसमें विभिन्न कार्यालयों में, जैसा भी आवश्यक हो, प्रबन्ध सूचना और प्रभावशाली नियंत्रण के लिए आंकड़ों को समय पर तैयार करने

और उनकी तीव्र प्रगति के लिए आवश्यक माइक्रोप्रोसेसर का प्रारंभ करना भी शामिल है। तद्नुसार 1986 में उद्योग में छः संघों में से पांच के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं। इस सहमति ज्ञापन में माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग विवरण तैयार करने और समुद्री बीमा, दावों और लेखा कार्य के लिए आंकड़े तैयार करने की व्यवस्था है। यह सहमति ज्ञापन पुनरीक्षण हेतु अपेक्षित है।

प्रबंधन का प्रस्ताव अब प्रत्येक कार्य में, कम्प्यूटर के उपयोग को चरणबद्ध अवस्था में बढ़ाने का है। दीर्घावधि लक्ष्य यह है कि अगले और पिछले कार्यों को कम्प्यूटर में डाल दिया जाए और उद्योग में एक अंतरंग सुविधा के रूप में कम्प्यूटर का उपयोग किया जाए जैसा कि प्रकृति, विषय-क्षेत्र और समय को देखते हुए प्रबंधन द्वारा उचित समझा जाए।

हालांकि अंतिक निर्णय प्रबंधन का ही होगा फिर भी कम्प्यूटरीकरण और सहमतिज्ञापन के संबंध में यौक्तिकीकरण योजना के उपबंधों को पूरा करने के लिए परामर्शी प्रक्रिया को तैयार करना पड़ेगा। परामर्शी प्रक्रिया का विस्तार कर्मचारियों के अन्य संवर्गों में भी किया जाएगा।

जब कभी भी कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे, प्रबंधन उनका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा और एसोसिएशन उनके सफल कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों में कम्प्यूटरीकरण की योजना के कार्यान्वयन के कारण कोई छंटनी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, निगम और सहायक कम्पनियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि हालांकि कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी, किसी भी कर्मचारी का इस कारण से शहर से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और यह भी कि इस प्रकार नियोजित किए गए कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

3. अग्रिम वेतन वृद्धि

निगम और सहायक कम्पनियां श्रेणी-III और श्रेणी II के सभी कर्मचारियों को 1.11.1993 की स्थिति के अनुसार उनके मूल वेतन पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने को सहमत है। 1.11.1993 को परिवीक्षा अवधि के कर्मचारियो को अग्रिम वेतन वृद्धि उनके स्थायी होने के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी। वार्षिक सामान्य संवर्ग वेतनवृद्धि की तिथि में इस अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंच चुके है या 1.11.1993 को स्थिरता वेतन वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, वे 1.11.1993 से एक नियत वैयक्तिक भत्ता आहरित करेंगे, जो उस एक वेतन वृद्धि के बराबर होगा जिसे वे 1.11.93 को अपने वेतन के अंतिम चरण में प्राप्त कर रहे थे तथा उसके साथ उस तारीख को भुगतान योग्य महंगाई भत्ता के साथ-साथ मकान किराया भत्ते का अन्तर जो अतिरिक्त वेतन वृद्धि जारी किए जाने के कारण देय होगा, यदि कोई होगा तो, भी अदा किया जाएगा। यह अतिरिक्त वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लाभ में गिनी जाएगी। स्कीम के अनुसार ही विस्तृत प्रशासनिक अनुदेश भी तैयार किए जाएंगे जिन्हें आई॰ बी॰ ए॰ अंतिम रूप देगा।

औद्योगिक सामंजस्य और अच्छी ग्राहक सेवा संवर्धन के लिए एसोसिएशन प्रबंधन के साथ सहयोग करने को सहमत है।

चावल का निर्यात

4655. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल निर्यातकों ने यूरोपीय समुदाय से अपनी चावल आयात शुल्क नीति में संशोधन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार को अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ से भी इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि चावल निर्यातकों ने यूरोपीय समुदाय से उनकी चावल आयात टैरिफ नीति में किसी प्रकार के संशोधन के लिए कोई अनुरोध किया है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ ने उरूग्वे दौर में चावल संबंधी यूरोपीय समुदाय की पेशकश पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने समुदाय से पेशकश की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।

असम में पर्यटन को बढ़ावा

4656. श्री प्रबीन डेका : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वीकृति तथा सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन्-किन स्थानों पर परियोजना को स्थापित करने हेतु स्वीकृति तथा सहायता प्रदान की गई है ; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को हाल ही में असम की राज्य सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए दो प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव हैं :-

1. शिवसागर में ध्वनि-प्रकाश प्रदर्शन

2. फायदेव की प्रकाश पुंज व्यवस्था।

रुपया-डालर दर

4657. श्री रामनिहोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने डालर-रुपया दर बरकरार रखने के लिए खुले बाजार से डालर खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके कारण डालरों में वायदा व्यापार में कमी आई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत डीलरों से अमरीकी डालरों में 1993-94 के दौरान 12.6 बिलियन डालर और 1994-95 के दौरान जुलाई, 1994 तक 5.1 बिलियन डालरों की निवल खरीद की है। भारतीय रिजर्व बैंक की बाजार से अमरीकी डालरों की खरीद अधिक उदार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित के सुविधाजनक भंडार का निर्माण करने के लक्ष्य से की गई थी। हालांकि, इस से बाजार में विदेशी मुद्रा की अत्यधिक पूर्ति से उत्पन्न रुपए के मूल्य पर ऊर्ध्वमुखी दबाव में भी राहत मिली है। रुपए में मूल्य वृद्धि भारत के निर्यातों की प्रतियोगितात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

(ग) और (घ) जुलाई, 1993 से अनियमित बाजार में रुपए की उल्लेखनीय स्थिरता ने वस्तुत: उनके लिए विदेशी मुद्रा की आरक्षितता के जोखिम को दूर किया है, जिनका विदेशी मुद्रा में लेन-देन होता है। विदेशी मुद्रा जोखिम कवच चाहने वालों की घटी हुई आवश्यकता विनिमय उन्मुखता के व्यवहार में परिलक्षित होती है जो सामान्यत: गिरावट की ओर जा रही है। अन्य कारक जैसे बाजार में विदेशी मुद्रा की सामान्य तथा अधिक पूर्ति, ब्याज की कम दरों पर नौभार लदान-पूर्व ऋणों की उपलब्धता और अपर्याप्त आयात मांग ने भी वायदा सुरक्षा की आवश्यकता को कम किया है। मार्च, 1994 से विनिमय उन्मुखता ने सभी परिपक्वताओं के लिए सीमान्त वृद्धि दिखाई है जिससे बढ़ा हुआ वायदा व्यापार परिलक्षित होता है ?

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा पंजीयकों की नियुक्ति

4658. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने विभिन्न योजनाओं के लिए भिन्न-भिन्न फर्मों/कम्पनियों को पंजीयक के रूप में नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मास्टर गेन (1992) योजना के लिए नवीनतम पंजीयकों का ब्यौरा क्या है जिसमें निवेशकों को अन्तरण पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू॰ टी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि उसने उन योजनाओं को छोड़कर, जिनका प्रबन्ध संस्थांतर्गत किया जाता है, अपनी योजनाओं के प्रबन्ध हेतु छ: रजिस्ट्रारों को नियुक्त किया था।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मास्टरगेन '92 योजना के प्रबन्ध का कार्य मैसर्स डाटामैटिक्स लिमिटेड, बंबई को सौंपा था। मास्टरगेन '92 पर हुई प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त थी और 62 लाख से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इस योजना के अन्तर्गत यूनिटें नौ स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और उनमें कारोबार की मात्रा बहुत अधिक है। इस योजना के तहत प्रमाण-पत्रों का अन्तरण बहुत अधिक रहा है जिसके कारण रजिस्ट्रार द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर काफी दबाव पड़ रहा है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि वह स्थिति की निरन्तर मानीटरिंग कर रहा है और अन्तरण का शीघ्र पंजीकरण करने के लिए रजिस्ट्रार को अनुदेश दे रहा है।

रंगराजन समिति रिपोर्ट

4659. श्री के. प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विनिवेश से संबंधित रंगराजन समिति की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी क्षेत्र में विनिवेश के संबंध में रंगराजन समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं ;

(i) सरकारी स्वामित्व के लक्षित स्तर को औद्योगिक नीति के अनुरूप रखने की आवश्यकता के साथ, विनिवेश की जाने वाली इक्विटी के प्रतिशत पर सीमाएं ;

(ii) व्यापक भागीदारी वाले नीलामी के तरीके के जरिए विनिवेश किया जाना उचित है जब तक कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का उचित बाजार मूल्य एक उपयुक्त समयावधि में सामान्य कारोबारी-माहौल में निर्धारित न हो जाए, तब निश्चित मूल्य की सार्वजनिक पेशकश/पर विचार किया जा सकता है ;

(iii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी विस्तार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार देने हेतु विनिवेश से हुई आय के 10 प्रतिशत भाग को सरकार द्वारा अलग रखा जाना ; और

(iv) विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए सदस्यों से युक्त विनिवेश पर एक स्थायी समिति गठित किए जाने पर विचार करने का सुझाव।

(ख) और (ग) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(घ) चूंकि रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के दूरगामी नीतिगत प्रभाव होंगे, इसलिए विभिन्न मुद्दों की जांच की जा रही है।

उड़ान सेवाएं

4660. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अतिरिक्त किन-किन हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं और हवाई अड्डा-वार इन उड़ानों के मार्ग क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों के किसी हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने की अनुमति देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन एयर टैक्सी आपरेटरों ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी सेवाएं आरंभ करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है और उनके प्रस्तावित मार्ग क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार की डिब्रूगढ़ और दीमापुर/कोहिमा के बीच हेलीकाप्टर सेवा आरंभ करने की योजना में कोई प्रगति हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के अतिरिक्त उन विमान पत्तनों के नाम और मार्ग संलग्न विवरण में दिए गए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हवाई टैक्सी प्रचालक उत्तर-पूर्वी राज्यों के ऐरोड्रमों सहित, हवाई टैक्सी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सूचीबद्ध 93 हवाई अड्डों में से किसी भी हवाई अड्डे को/से प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस समय मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता सैक्टर में प्रचालन कर रही है।

(घ) और (ङ) डिब्रूगढ़ और दीमापुर/कोहिमा से अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड के अन्त:क्षेत्रों के लिए हैलीकाप्टर सेवाओं का आरंभ होना क्रमश: सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और पवनहंस लिमिटेड को अनुदान देने पर निर्भर है। अरूणाचल प्रदेश की राज्य सरकार तो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है जबकि नागालैंड सरकार ने प्रस्ताव किया है कि वित्तीय अवरोधों के कारण इससे संबंधित व्यय के लिए निधि उत्तर-पूर्व परिषद (एन. ई. सी.) द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उत्तर पूर्व परिषद (एन. ई. सी.) के उत्तर की गृह मंत्रालय अरूणाचल प्रदेश में हैलीकाप्टर सेवा प्रचालित करने हेतु अनुदान को अंतिम रूप दे रहा है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरने वाले विमानपत्तनों के नाम	मार्ग
1. अहमदाबाद	अहमदाबाद-दिल्ली-लन्दन-दिल्ली-अहमदाबाद
	अहमदाबाद-मस्कट-अहमदाबाद
2. अमृतसर	अमृतसर-दिल्ली-लन्दन-टोरोन्टो-लन्दन-दिल्ली-अमृतसर
3. कालीकट	कालीकट-फुजाइराह-कालीकट-कालीकट-रास-अल-खाअमाह-कालीकट
	कालीकट-शारजाह-कालीकट
4. गोआ	गैर-अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ानें।
5. हैदराबाद	हैदराबाद-बम्बई-लन्दन-न्यूयार्क-लन्दन-बम्बई-हैदराबाद
6. तिरूचिरापल्ली	कोलम्बो-तिरूचिरापल्ली-कोलम्बो
7. वाराणसी	वाराणसी-काठमांडू-वाराणसी।

[हिन्दी]

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की शक्तियां

4661. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत अपना घाटा पूरा करने के लिए रुग्ण एककों को एककों के साथ विलय संबंधी औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की मंजूरी प्रदान करने संबंधी शक्ति वापस ले ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया द्वारा वित्तीय सहायता

4662. श्री पी० कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया ने अपने कर्जदारों को ऋण चुकाने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तमिलनाडु में शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु संसाधनों की कमी

4663. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं का कार्य संसाधनों की कमी के कारण रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पी एस ई) के परियोजना प्राधिकरणों, जो कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय परियोजनाओं को मानीटर करते हैं, द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 20 करोड़ तथा इससे अधिक की लागत वाली 371 परियोजनाओं में से 52 परियोजनाओं की कार्य प्रगति को क्षति पहुंची जिसका कारण अन्य कारकों के साथ-साथ निधि की कमी होना भी रहा।

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पी एस ई) द्वारा पर्याप्त आन्तरिक और बाह्य बजटीय संसाधन जुटाना तथा इक्विटी और ऋणों के रूप में योजना में से बजटीय सहायता का प्रावधान, जिसका निर्णय योजना आयोग द्वारा ऐसी परियोजनाओं की प्राथमिकता तथा उनके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय किया जाता है, शामिल हैं। इसके अलावा, पूंजी बाजार की मौजूदा परिस्थितियां तथा इस समय बाजार से संबंधित निधियां प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वर्धित लचीलेपन का फायदा उठाने से यह आशा की जाती है कि वे पर्याप्त संसाधन जुटा सकते हैं।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया

4664. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को गत कई वर्षों से निरंतर घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बैंक को वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान हुए वास्तविक घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस अवधि में बैंक को कार्यचालन संबंधी घाटा भी हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो इन सभी वर्षों में वास्तविक तथा कार्यचालन संबंधी घाटा होने के क्या कारण है ;

(ङ) क्या सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक का विचार बैंक के शीर्ष प्रबंधक-वर्ग का पुनर्गठन करने का है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इस बैंक को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए अब अन्य क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने 31 मार्च, 1990, 1991 और 1992 को समाप्त वर्षों में लाभ कमाया था। अलबत्ता, 1993 और 1994 के पिछले दो वर्षों में बैंक को क्रमश: 383.31 करोड़ रुपए और 711.93 करोड़ रुपए का निवल घाटा हुआ था। इसी अवधि के दौरान बैंक को क्रमश: 49.90 करोड़ रुपए और 122.17 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा हुआ।

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान लाभ में कमी/घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों का कार्यान्वयन था।

(ङ) और (च) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक का पद रिक्त है। सरकार ने रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाए हैं।

(छ) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने परिचालन दक्षता और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है जो इस प्रकार है :–

(i) नए अग्रिम देकर ऋण पोर्टफोलियो में सुधार।

(ii) अनिष्पादित आस्तियों में कमी।

(iii) अनुषंगी कारोबार/गैर निधि कारोबार में वृद्धि।

(iv) खर्च पर सख्ती से नियंत्रण।

निर्यातक

4665. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में एक्सपोर्टर्स लूजिंग कास्ट कम्पीटिटिवनेस: गोवनमेंट पुट्स दि ब्रेक्स ऑन डॉलर अर्निंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) 5 अगस्त, 1994 को भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार 17.5 बिलियन डालर था। प्रारक्षित भण्डारों का ऊंचा स्तर भविष्य की आकस्मिकताओं के प्रति हमारी सुरक्षा है। तथापि, सरकार स्वीकार करती है कि विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार के भारी मात्रा में वृद्धि की मुद्रास्फीतिकारी संभावना मौद्रिक विस्तार पर इसके प्रभाव के जरिए हो सकती है। 1994-95 की पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार में वृद्धि केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में ठोस गिरावट से संबद्ध है। अत: मौद्रिक विस्तार को नियंत्रण में रखा गया है। हालांकि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डालरों की खरीद पर कोई रोक नहीं लगाई है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों के निर्माण की आवश्यकता के अनुसार विदेशी मुद्रा को खरीदने या बेचने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में प्रवेश करता है।

(ग) मुद्रास्फीति पर निर्मित प्रारक्षित भण्डार के और परिणामस्वरूप निर्यात प्रतिस्पर्धातमकता पर उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी संख्या में उपाय किए हैं या करने पर विचार कर रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं :-

(i) 1994-95 में केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के पिछले वर्ष के 7.3 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत तक सीमित करना ; (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा तदर्थ राजकोषीय हुंडियों को अपनाए जाने में नियंत्रण करना ; (iii) सरकारी प्रतिभूतियों में रिजर्व बैंक द्वारा सक्रिय खुला बाजार प्रचालन ; (iv) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नकदी प्रारक्षित अनुपात को वसूल करना; (v) कुछ संवेदनील वस्तुओं के मामले में चयनित ऋण नियंत्रणों को सख्त करना ; (vi) रिजर्व बैंक से पुनर्वितपोषण के लिए बैंकों की सुलभता पर नियंत्रण ; (vii) शुल्क की शून्य/रियायती दर पर खुला बाजार लाइसेंस के तहत चीनी, कच्ची कपास और खाद्य तेलों के आयात को अनुमति देना ; और (viii) भारतीय खाद्य निगम के जरिए चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री द्वारा खाद्यान्न बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप।

केरल को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सहायता

4666. श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर तथा केनरा बैंक के माध्यम से केरल में लघु उद्योग क्षेत्र को सीधी सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि उसने चुने हुए वाणिज्यिक बैंकों की भागीदारी के साथ लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता मंजूर करने का निर्णय लिया है ताकि बैंकिंग प्रणाली की पहुंच का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए सिडबी ने इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कारपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और देना बैंक नामक सरकारी क्षेत्र के छः बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। केनरा बैंक और स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, सहित कुछ और बैंकों के साथ इसी तरह के एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त रूप से वित्तपोषण के लिए चुनी हुई परियोजनायें केरल सहित किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित हो सकती हैं।

[हिन्दी]

कृषि-आधारित उद्योग

4667. श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने महाराष्ट्र में कृषि-आधारित उद्योग स्थापित किए जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन स्थानों पर इन एककों की स्थापना किए जाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने महाराष्ट्र में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, प्रभावकारी मूल्यांकन के आधार पर और राज्य के प्रत्येक जिले के लिए तैयार सम्भावित लिंक ऋण योजना के आधार पर राज्य के कुछ जिलों की पहचान कृषि संसाधन क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए की गई है। ऐसे जिले हैं, पुणे, जलगांव, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सोलापुर और सांगली।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इन्फ्रास्ट्रक्चरलीजिंग और वित्तीय सेवाएं

4668. श्री एस. एम. लाल जान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के इन्फ्रास्ट्रक्चरलीजिंग और वित्तीय सेवाओं की क्या भूमिका है ;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 में अब तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के साथ स्ट्रक्चरलीजिंग और वित्तीय सेवाओं द्वारा कितनी संयुक्त वित्तपोषण और ऋण परियोजनाएं आरम्भ की गई ; और

(ग) इन्फ्रास्ट्रक्चरलीजिंग और वित्तीय सेवाओं तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बीच सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सेन्ट्रल बैंक ऑफ

इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा आवास विकास वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धित "दि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज लि. (आई. एल. एण्ड एफ. एस.) औद्योगिक, आधार-ढांचे तथा अन्य परियोजनाओं के लिए लीजिंग के व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिंग" स्टाक, डिबेंचरों तथा बाण्डों, पोर्टफोलियो प्रबंध और अन्य वित्तीय गतिविधियों में लगा है।

(ख) आई. एल. एण्ड एफ. एस. ने वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित कोई परियोजना हाथ में नहीं ली है।

(ग) आई. एल. एण्ड एफ. एस. और आई. एफ. सी. आई. द्वारा "बिल पोर्टफोलियो के प्रतिभूतिकरण के लिए 1991 में एक समझौता-ज्ञापन निष्पादित किया गया था। तथापि, इस ज्ञापन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बाल श्रमिक

4669. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दस्तकारी क्षेत्र से बाल श्रमिकों की प्रथा धीरे-धीरे समाप्त करने हेतु कोई प्रयास शुरू किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह प्रथा कब तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) जी, हां। सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं;

(1) उत्तर प्रदेश कालीन बैल्ट में स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण किया गया, जो यह दर्शाता है कि कालीन उद्योग में लगे हुए कुल श्रमिकों में से 36% अप्राधिकृत बाल श्रमिक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से क्षेत्र में करघों की गणना का कार्य किया गया ;

(2) कालीन उद्योग में बाल श्रम कानूनों का सख्ती से लागू किया जाना ;

(3) कालीनों के सभी निर्यातकों को कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सी ई पी सी) के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना। परिषद द्वारा बाल श्रमिकों को कार्य में लगाने के उन्मूलन के लिए स्वैच्छिक आधार संहिता भी तैयार की गई है ;

(4) कालीन उद्योग से हटाए गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा अन्य लाभ प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करना ;

(5) बाल श्रम संबंधी अभिप्रेरित प्रचार का विरोध करने के लिए समुद्रपार जोरदार प्रचार तथा राजनयिक

कार्रवाई प्रारम्भ करना, जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद का दो सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल भेजना शामिल है।

(ग) सरकार द्वारा कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, कालीन उद्योग से बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का कार्यकरण

4670. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों की स्थापना पर क्षेत्र-वार कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षेत्र-वार किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्यात किया गया ; और

(घ) इन क्षेत्रों से निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है

विवरण

(ख) निर्यात संवर्धन जोनों (ई पी जेड) की स्थापना पर हुए कुल खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्रम सं॰	जोन का नाम	31.3.94 को व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र (काफ्टज)	15.17
2.	सांताक्रुज इलैक्ट्रोनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र (सीप्ज)	31.39
3.	नोएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र (नेप्ज)	32.86
4.	मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र (मेप्ज)	28.38
5.	कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र (सीप्ज)	25.56
6.	फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र (फेप्ज)	19.76
7.	विशाखापत्तम निर्यात संसाधन क्षेत्र (वेप्ज)	11.37
	योग :	164.49

(ग) निर्यात संसाधन जोनों में अवस्थित एककों का कुल उत्पादन और गत तीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए निर्यात की प्रतिशतता नीचे दी गयी है।

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	1991-92 कुल उत्पादन	1991-92 निर्यात किए गए उत्पादन का प्रतिशत	1992-93 कुल उत्पादन	1992-93 निर्यात किए गए उत्पाद का प्रतिशत	1993-94 कुल उत्पाद	1993-94 निर्यात किए गए उत्पादन का प्रतिशत
कापव्टज	427.23	99.99	167.31	99.94	271.20	99.69
सीप्ज	524.99	98.06	849.15	98.59	1146.11	96.62
नेप्ज	72.64	99.33	147.30	97.79	268.61	97.78
मेप्ज	122.94	100.00	165.17	99.21	203.61	98.33
सीप्ज	28.90	98.89	63.17	98.54	84.19	99.68
फेप्ज	27.90	100.00	18.37	99.35	35.59	100.00

(विशाखापत्तम निर्यात संसाधन क्षेत्र में अनुमोदित एककों ने उत्पादन तथा निर्यात अभी शुरू नहीं किया है)

(घ) सरकार द्वारा ई पी जेड एककों की निर्यात प्रतियोगिता को सुधारने के लिए हाल ही में किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : तैयार उत्पादों रद्दी तथा कतरन के घरेलू निपटान पर शुल्क ढांचे का सुव्यवस्थीकरण, स्थानीय बाजार में अधिकतम पहुंच, इलैक्ट्रानिक उत्पाद के लिए लोचशील मूल्यवर्धन मानदण्ड तथा सीमाशुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण। निर्यात संसाधन जोनों में क्रियाकलाप के क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया है ताकि व्यापार पुन पैकिंग/लेबलिंग मरम्मत, रिकन्डीशनिंग तथा रीइंजीनियरिंग के पश्चात पुनर्निर्यात को शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बंद कपड़ा मिलें

4671. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 से गुजरात में, विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों के स्थान-वार राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी मिलें बंद पड़ी हैं ;

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण हेतु अधिग्रहण किया गया ;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ऐसी कितनी रुग्ण मिलों का 1982 से अब तक पुनरुद्धार किया जा चुका है ; और

(घ) सरकार ने अन्य बंद पड़ी मिलों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) सरकार ने गुजरात में एन टी सी द्वारा अधिग्रहीत सभी 12 मिलों का वर्ष 1974 में राष्ट्रीयकरण किया था। इनमें से किसी भी मिल को बंद नहीं किया गया था, हालांकि अहमदाबाद में स्थित एक मिल नामतः, फाइन निटिंग मिल को अधिग्रहण के बाद पुनः चालू नहीं किया गया।

(ख) सरकार द्वारा अधिग्रहीत 125 मिलों में से 109 का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक मिल के प्रबंधन के अधिग्रहण को आगे नहीं बढ़ाया गया था जबकि एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) में चार राष्ट्रीयकृत मिलों को दो में मिला दिया गया था। इस प्रकार, इस समय एन टी सी के नियंत्रणाधीन 122 मिलें (107 राष्ट्रीयकृत तथा 15 अधिग्रहीत) जिनमें 2 मिलों को पुनः शुरू नहीं किया गया है, शामिल हैं।

(ग) और (घ) एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों जिनमें 91 मिलें शामिल हैं, को बी आई एफ आर को भेजा गया है। जिसने उन्हें "रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत "रुग्ण औद्योगिक कंपनियां" घोषित किया है। वस्त्र अनुसंधान संघों ने 2005.72 करोड़ रु॰ के निवेश से एन टी सी (गुजरात) की मिलों सहित एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं तैयार की हैं। श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने सुझाव दिया है कि वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा यथा प्रस्तावित आधुनिकीकरण द्वारा एन टी सी तथा इसकी अधिग्रहीत मिलों को अर्थक्षम बनाय जा सकता है। बी आई एफ आर की स्वीकृति के लिए सरकार के पक्ष को औपचारिक रूप देने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि सर्वांगीण सुधार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके।

[अनुवाद]

आन्ध्रा बैंक

4672. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्रा बैंक की कितनी-कितनी शाखाओं ने लाभ अर्जित किया अथवा घाटा उठाया ; और

(ख) घाटे में चल रही शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आन्ध्रा बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, जबकि आन्ध्र प्रदेश में बैंक की 680 शाखाओं ने लाभ अर्जित किया, उस राज्य में 72 शाखाओं को हानि हुई। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि हानि उठाने वाली शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिए कारोबार, विशेष रूप से अधिक आय वाले अग्रिमों में वृद्धि करने, कारगर वसूली प्रबंध द्वारा ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को सुधारने, उत्पादकता में सुधार लाने और परिचालनात्मक व्यय को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं।

काली मिर्च के निर्यात पर उपकर

4673. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिर्च के बाजार में अत्यधिक निष्क्रियता है ;

(ख) क्या काली मिर्च पर 2.5% यथामूल्य शुल्क निर्यात उपकर काली मिर्च निर्यातकों के लिये एक अतिरिक्त वाधा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। पिछले एक वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च की कीमतें बढ़ी हैं।

(ख) से (ङ) मसाला उपकरण अधिनियम, 1986 की शर्तों के अनुसार दिनांक 1.04.1992 से कालीमिर्च के निर्यात पर 2% यथामूल्य की दर से उपकर लगाया जा रहा था। भारतीय कालीमिर्च को और प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 1994 तक कालीमिर्च के निर्यात पर उपकर लगाना स्थगित कर दिया है।

हवाला व्यापार

4674. श्री प्रकाश वी॰ पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने अनिवासी भारतीयों के हवाला करोबार में सम्बद्ध होने के संबंध में संदेह रखते हुए उनके इक्विटी इशुओं की छान-बीन करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 का उल्लंघन करके संवर्धकों द्वारा काला धन का उपयोग करने के संबंध में बहुत सी रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) रिपोर्टों के आधार पर जिनमें कम्पनियों के पब्लिक निर्गमों में अनिवासी भारतीयों के कोटे में हवाला चैनलों के माध्यम से अंशदान भेजने की व्यवस्था की गई है, प्रवर्तन निदेशालय कुछ कम्पनियों के पब्लिक निर्गमों की प्रारम्भिक जांच कर रहा है अब तक की गई जांच से किसी प्रकार के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघनों का पता नहीं चला है।

यूरो इशू के संबंध में मार्गनिर्देश

4675. **श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसिएटेट चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने सरकार से 11 मई, 1994 के यूरो इशू मार्गनिर्देशों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है ताकि भारतीय निगमित क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों के बराबर दर्जा दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एसोसिएटेट चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया के इस अनुरोध पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया यथासमय सूचित कर दी जाएगी।

रबड़ की खेती

4676. **श्री प्रवीन डेका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रबड़ की खेती के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में समय-समय पर आवधिक रूप से सर्वेक्षण किए गए हैं और सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि इस क्षेत्र का बड़ा भाग रबड़ की सफल खेती के लिए उपयुक्त है।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रबड़ की खेती के विसतार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1984-85 से इस क्षेत्र में रबड़ बागानों के विकास को बढ़ावा देने की एक योजना विचाराधीन है। रबड़ बागान के विकास के लिए चल रही वर्तमान योजना के अंतर्गत रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सामग्री एवं वित्त संबंधी सहायता दी जा रही है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संबद्ध अनुसंधान करने के लिए भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने गोहाटी में एक अनुसंधान परिसर की स्थापना की है। त्रिपुरा में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान के अलावा मेघालय, आसाम और मिजोरम में भी इस परिसर के केन्द्र हैं। अनुसंधान परिसर के ये केन्द्र इस क्षेत्र में रबड़ की खेती के विस्तार के लिए उपयोगी तकनीकी सलाह, स्थान विशेष अनुसंधान और साथ ही इस क्षेत्र के लिए उपयोगी विकसित पौध सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में रबड़-उत्पादन के समग्र विकास के लिए जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भी शामिल हैं, वर्ल्ड बैंक ने 1993-94 से एक योजना चला रखी है।

निजी क्षेत्र के बैंक

4677. श्री जी॰ कुमारास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक का विचार देश में निजी क्षेत्र के नए बैंकों की इक्विटी पूंजी में हिस्सेदारी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक में भर्ती

4678. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1993-94 के दौरान कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई ;

(ख) ग्रेडवार अथवा श्रेणीवार कितने-कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई ;

(ग) प्रत्येक मामले में अपनाई गई भर्ती प्रकिया क्या है ;

(घ) क्या रिक्तियों के संबंध में विज्ञापन दिया गया था ;

(ङ) क्या जिन मामलों में साक्षात्कार होना था, उसके लिए गठित चयन समिति अथवा बोर्ड में अल्पसंख्यक सदस्य को शामिल किया गया था, और

(च) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक चयन समिति में शामिल किए गए ऐसे सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1993-94 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों की संवर्ग-वार संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

संवर्ग	भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या
अधिकारी	29
लिपिक	2368
अधीनस्थ कर्मचारी	1339

(ग) से (च) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक के लिए लिपिकीय संवर्ग की भर्ती देश के विभिन्न भागों में स्थित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा की जाती है और अधिकारी संवर्ग की भर्ती केन्द्रीय भर्ती बोर्ड, बम्बई द्वारा की जाती है। अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती भूतपूर्व अस्थायी कर्मचारियों के पैनल में से की जा रही है। लिपिकीय और अधिकारी संवर्ग के रिक्त स्थानों को संबंधित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों/केन्द्रीय भर्ती बोर्ड द्वारा अग्रणी समाचारपत्रों में विज्ञापित किया जाता है और अधीनस्थ

कर्मचारी संवर्ग के रिक्त स्थानों को आमतौर पर आंतरिक परिपत्र जारी करके भरा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने आगे सूचित किया है कि चण्डीगढ़, पटना और भुवनेश्वर में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, जो उसके द्वारा प्रायोजित है, द्वारा गठित चयन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को शामिल किया जा रहा है। केन्द्रीय भर्ती बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को नामित करने के लिये भी बैंक ने कदम उठाए हैं। चण्डीगढ़, पटना और भुवनेश्वर के बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के अंशकालिक सदस्यों में क्रमश: सिख, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के सदस्य शामिल हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को ऋण

4679. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के अग्रणी वित्तीय संस्थान के एफ डब्ल्यू ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 मिलियन मार्क्स से भी अधिक का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाएं गए हैं कि जिससे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा यह राशि लघु उद्यमियों हेतु सावधिक ऋणों पर ही खर्च की जाए ;

(घ) क्या ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए कोई मार्गनिर्देश तैयार किए गए हैं ; और

(ङ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की वर्ष 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक आंध्र प्रदेश में विकास गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि के एफ डब्ल्यू नामक जर्मनी की अग्रणी वित्तीय संस्था ने शुरू में 20 मिलियन डी एम का ऋण मंजूर किया था जो 28 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार बढ़ाकर 35,396, 727.48 डी एम कर दिया गया। इस ऋण पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से के एफ डब्ल्यू को ब्याज देय है और दस वर्ष की ऋण स्थगन की आरम्भिक अवधि के पश्चात इसकी आपसी अदायगी 40 वर्षों में की जानी है।

(ग) और (घ) सिडबी ने सूचित किया है कि के एफ डब्ल्यू के मार्गनिर्देशों और सिडबी तथा के एफ डब्ल्यू के बीच हुए ऋण करार के उपबंधों के अनुसार ऋण का उपयोग किया जा रहा है। अलग-अलग प्रस्तावों पर के एफ डब्ल्यू की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सिडबी अपनी पात्र प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत वित्तपोषित लघु उद्योग क्षेत्र की सभी उत्पादन परियोजनाओं के के एफ डब्ल्यू ऋण के अंतर्गत कवर करता है।

(ङ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश में सिडबी द्वारा समर्पित विकासात्मक गतिविधियों में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (आर आई पी) चलाना, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के गरीब व्यक्तियों को छोटे ऋण आगे उधार देने के लिए (10,000/- रुपए से अनधिक) मान्य स्वयंसेवी संगठनों (वी ओ)

को वित्तीय सहायता प्रदान करना, लघु उद्योग प्रबंधन सहायकों का कार्यक्रम (एस आई एम ए पी) आयोजित करना और महिलाओं, भूत-पूर्व सैनिकों और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करना शामिल है।

दालों का आयात-निर्यात

4680. श्री मोहन रावले : क्या **वाणिज्य** मंत्री 4 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दालों के आयात और निर्यात के बारे में 4 मार्च, 1994 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं॰ 1619 के सन्दर्भ में एक विवरण-पत्र निम्नलिखित है :-

(एक) और (दो) 1991 से भारत में दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता का अंतिम अनुमान निम्नानुसार रहा है :-

वर्ष	ग्राम/दिन
1991	41.6
1992	34.3
1993	36.6

(स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 1993-94)

(तीन) जी, हां। घरेलू आपूर्ति में कमी आयी है जिसके कारण आयात किया जा रहा है।

(चार) 1991-92 से दालों के आयात और निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

मात्रा : एम टी; मूल्य : करोड़ रुपये

वर्ष	आयत		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1991-92	312609	255.27	37519	39.14
1992-93	382615	334.57	34309	53.44
1993-94	627284	567.36	42880	73.73

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता

(पांच) और (छ:) दालों का निर्यात लाइसेंस के आधार पर ही किया जा सकता है। घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी उत्तम किस्म की दालों की नियत मौजूदगी को बनाए रखने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान अनंतिम रूप से 10,000 एन टी दाल के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

(सात) घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें देश में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाओं के साथ-साथ नाम मात्र के शुल्क की अदायगी पर दालों के मुक्त आयात को अनुमति देना शामिल है।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना

4681. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर के निकट निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) वित्त की उपलब्धता एवं मौजूदा निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई॰ पी॰ जेड॰) में इष्टतम ढ़ांचागत बुनियादी सुविधाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए फिलहाल केन्द्र सरकार के लिए देश में नए जोन बनाने पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। फिर भी, राज्य सरकारों द्वारा अथवा संयुक्त/निजी क्षेत्र में अब निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है।

पान मसाला कंपनियों पर कर

4682. श्री शिव चरण वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सिगरेट, जर्दा और पान मसाला बनाने वाले हजारों एककों को बंद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कर संग्रहण और राज्य के व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और हॉकरों की आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गतिरोध को दूर करने के लिए कोई पहल की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। इस मामले के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया है।

(ङ) भाग (ग) तथा (घ) के उपर्युक्त उत्तर को मद्दे-नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

लघु और सरकारी क्षेत्र से किया गया निर्यात

4683. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान लघु क्षेत्र द्वारा किया गया निर्यात कुल निर्यात का कितना प्रतिशत था ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ही सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया निर्यात कुल निर्यात का कितना प्रतिशत था ; और

(ग) इस कुल निर्यात में विभिन्न राज्यों द्वारा अपने यहां से कितने-कितने प्रतिशत निर्यात किया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) नवीनतम, उपलब्ध अनुमान जोकि वर्ष 1992-93 से संबंधित हैं, के अनुसार, कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान 33.3 प्रतिशत बैठता है।

(ख) लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित "पब्लिक इन्टरप्राइज सर्वे" में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1992-93 (वह नवीनतम वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान 165 सरकारी उपक्रमों द्वारा सरणीकृत तथा असरणीकृत माल सहित माल का निर्यात उस वर्ष के कुल माल निर्यात का 13. 2% आंका गया है।

(ग) भारत के व्यापार आंकड़े रिकार्ड करने के लिए सांख्यिकीय क्षेत्र में सीमाशुल्क के सीमान्त कार्यालय शामिल होते हैं। सीमाशुल्क सीमान्त कार्यालयों को भौगोलिक सीमाओं पर स्थित कार्यालयों के रूप में परिभाषित किया गया है चाहे वह एक अथवा एक से अधिक हों, चाहे वह सीमा समुद्री हो अथवा स्थल सीमा हो, चाहे वह भारत के भीतर हों अथवा बाहर हों। इसलिए, व्यापार आंकड़े मूल देश के अनुसार संकलित नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कम क्षमता वाली कपड़ा मिलें

4684. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कम क्षमता वाली कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कितने प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) इनमें से अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं ; और

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अगस्त, 1994 के दौरान कम क्षमता वाली वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण के लिए केरल से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

4685. **श्री सुधीर सावंत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अनिवासी भारतीयों ने भारत में पूंजी निवेश किया है और उनके द्वारा अब तक कुल कितना निवेश किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन अनिवासी भारतीयों की अपने-अपने प्रवासी देशों में परिसंपत्तियों और आय के स्रोतों पर गौर करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अनिवासी भारतीयों के निवेश के माध्यम से देश में गैर-कानूनी धन के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अनिवासी भारतीयों (एन॰ आर॰ आई॰), जो भारत में निवेश करने के लिए आगे आए हैं, की संख्या के संबंध में आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अनिवासी भारतीयों की आय के विदेशी स्रोतों तथा परिसंपत्तियों पर विचार नहीं किया जाता क्योंकि वे सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

(घ) एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया के रूप में, सरकार के प्रवर्तन अभिकरण गैर-कानूनी धन के प्रवेश की विशिष्ट घटनाओं पर, जब भी ये उनकी जानकारी में आती हैं, उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

उद्योगों का बंद किया जाना

4686. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने कई फैसलों में प्रदूषण के आधार पर काफी अधिक उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों को बंद किए जाने की स्थिति में उनके कार्मिकों की आजीविका को बचाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंक

4687. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस बात पर बल दिया है कि वे केवल चुनींदा ग्राहकों को सेवा देने के बजाए अपना सामाजिक दायित्व पूरा करें अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों को पूरा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनके प्रभाव का पता चल सके ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधकों को दी गई सलाह का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में एक नये "पर्यवेक्षण विभाग" का सृजन हाल ही में किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है और इस विभाग को विशेषत: गैर-सरकारी बैंकों के कार्यकरण के पर्यवेक्षण संबंधी सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या विदेशी बैंक भी किसी प्रकार से इसकी परिधि के अन्तर्गत आएंगे, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों से कहा है कि निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र ऋण लक्ष्य और उसके अन्तर्गत आने वाले दो उपलक्ष्यों अर्थात् 18% कृषि अग्रिम और 10% कमजोर वर्गों को ऋण के लक्ष्यों को प्राप्त करें। कृषि अग्रिमों की कमियों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और/या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की जमाराशियों में अंशदान कर पूरा करना होगा। इसके लिए ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा परिचालन शुरू करने के बाद तीन वर्ष तक ही यह रियायत उपलब्ध कराई जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विद्यमान गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित लक्ष्यों और उपलक्ष्यों को यथाशीघ्र प्राप्त करें। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में बैंकों के असफल होने पर भारतीय रिजर्व बैंक उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा जैसा कि प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं को बढ़ाना, पुनर्वित्त सुविधाओं को वापस लेना।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) नया पर्यवेक्षण विभाग वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ कुछ समय गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के पर्यवेक्षण का कार्य भी करेगा। इस नए विभाग के क्षेत्राधिकार को वित्तीय संस्थानों और गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के पर्यवेक्षण तक बढ़ाया जाएगा। यह विभाग निरीक्षण/निगरानी के कार्यों को भी करेगा।

मानव विकास सूचक

4688. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री 3 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1538 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव विकास सूचक की शुरूआत से तदनुसार हमारे देश का वर्ष-वार स्थान क्या है ;

(ख) मानव विकास सूचक के निर्धारण सूत्र क्या है ;

(ग) क्या मानव विकास सूचक के निर्धारण संबंधी सांख्यिकीय आदान राष्ट्रीय आंकड़ों पर आधारित है ; और

(घ) राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में सूचक के रूप में मानव विकास सूचक के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1990 में इसके प्रारम्भ होने से अब तक मानव विकास सूचकांक के अनुसार, भारत का स्थान निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	वर्ष	मानव विकास सूचकांक स्थान
(1)	1990	94
(2)	1991	123
(3)	1992	121
(4)	1993	134
(5)	1994	135

(ख) मानव विकास सूचकांक के निर्धारण का फार्मूला मुख्यतया सामाजिक सूचकों पर आधारित है, अर्थात्, जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आदि। यह फार्मूला वर्षों में विकसित हुआ है।

(ग) भारत सरकार से कोई सूचना नहीं मांगी गई थी।

(घ) अपने वर्तमान रूप में परिकलित सूचकांक भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

जम्मू में हुए विस्फोट की घटना के बारे में

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय मैं अत्यधिक दु:ख के साथ जम्मू में मेटाडोर में हुए विस्फोट की एक ऐसी घटना जिसका कारण अज्ञात है, और जिसके परिणामस्वरूप कम से कम आठ बच्चों की मृत्यु हो गई, के बारे में गहन चिंता व्यक्त करना चाहता हूं।

इसके कई चिंताजनक पहलू हैं जिनके बारे में मैं बहुत संक्षेप में सदन को बताना चाहूंगा। प्रथमतः, विगत दो महीनों में यह चौथी ऐसी घटना है।

दूसरे यह घटना कल एक ऐसी कालोनी में घटी जो पूरी तरह सैनिकों द्वारा बनाई गई है। बच्चों को कालोनी से स्कूल ले जाने वाली इस मेटाडोर की वहन क्षमता 16 के लिए थी। इसकी 16 के लिए वहन क्षमता होने के बावजूद यह मेटाडोर 42 बच्चों को ले जा रही थी। सभी बच्चे या तो सैनिकों के थे अथवा भूतपूर्व सैनिकों के थे।

तीसरे, यह लगभग 4 कि॰ मी॰ चली और फिर इस मेटाडोर में विस्फोट हो गया। यदि तीन या चार किलोमीटर चलने के बाद विस्फोट होता है तो इससे यही शंका होती है कि यह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसने किसी प्रकार के रिमोट यंत्र का प्रयोग किया होगा तथा इसके परिणामस्वरूप भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिकों के आठ बच्चों की मृत्यु हो गई। यह चौथी ऐसी घटना हुई है। इससे सरकार को सावधान हो जाना चाहिए कि इस प्रकार के विद्रोह, आतंकवाद और भोले-भाले नागरिकों पर हमले की घटनाएं केवल डोडा घाटी तक की समिति नहीं हैं अपितु इनसे जम्मू भी ग्रसित हो गया है।

विस्फोट के 45 मिनट बाद तक भी पुलिस दुर्घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मुझे यही जानकारी मिली है तथा मुझे जम्मू से यह सूचना प्राप्त हुई है कि जम्मू में अस्पताल भी इस आपातकालीन संकट का सामना करने हेतु अपेक्षित उपकरणों से लैस नहीं थे। उन्हें 45 मिनट से एक घंटे तक जो भी सहायता प्रदान की गई वह स्थानीय नागरिकों ने प्रदान की। यह बहुत चिंताजनक बात है कि यह केवल इस कारण हुआ है क्योंकि पिछले दो माह में घटी चार घटनाओं के बाद एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। विगत चार घटनाओं में एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। अब भी, अद्यतन सूचना यही है कि मेटाडोर दुर्घटना के तुरंत बाद की जाने वाली कुछ आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है यथा सड़कों को सील किया जाना, अपराधियों का पकड़ा जाना तथा अत्यधिक निगरानी किया जाना आदि।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह मेरा दुःखद कर्तव्य है कि जम्मू में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर मुझे खेद प्रकट करना पड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जम्मू में हुए विस्फोट के बारे में एक प्रामाणिक वक्तव्य दे तथा बताए कि जम्मू में दुबारा ऐसा घटित नहीं होगा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अज़मेर) : अध्यक्ष महोदय, इन घटनाओं से सरकार के दावों का पर्दाफाश होता है कि कश्मीर में हालत सुधर रही है और वहां पर वे चुनाव कराएंगे। .....(**व्यवधान**).....

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, श्री जसवंत सिंह जी ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह घटना इसी स्थान पर दूसरी बार हुई है और पहले भी यहीं पर ऐसी घटना हो चुकी है। सरकार लगातार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। जम्मू शांतिप्रिय इलाका है जो हिंदुस्तान की एकता के लिए बहुत जरूरी है और वहां की जनता का हमको व्यापक समर्थन हासिल हुआ है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी हम अपराधियों को नहीं पकड़

पाते हैं। अकेले किड्स यानि छोटे बच्चों का वहीं पर यह हाल नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में इतना क्रिमिनिलाईजेशन हो गया है कि दिल्ली में भी बच्चों को पकड़ने का सिलसिला बना हुआ है। अपराधीकरण इतना विस्तार पा गया है कि बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं इसलिए यह गंभीर स्थिति है। देश की सुरक्षा करने वाले जवान वहां पर रहते हैं और वहां यह घटना हुई है। उस मैटाडोर में 42 बच्चे थे तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई ? इस घटना के साथ में बंबई की घटना पर भी अफसोस जाहिर करता हूं कि यह बहुत ही ब्रूटल है। यह काम अभी रूकने वाला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है। हमारे प्रशासन का जो खुफिया विभाग है उसकी अक्षमता इससे साबित होती है कि इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी है, खासकर बच्चों पर आफत आई है। ऐसा वहां पर ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में अपराधीकरण का काम चला हुआ है। आज तो सदन के सत्र का अंतिम दिन है, इस पर हम गंभीरता से सोचें। देशभर में मास लेवल पर इस तरह की चुनौतियों का मुकाबला करें। हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते बल्कि अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए हमको जनता को तैयार करना पड़ेगा। सारी राजनैतिक पार्टियों को इसके खिलाफ खड़े होकर वातारण बनाना पड़ेगा कि जो इस तरह का अपराध करके भागते हैं तो जनता में हिम्मत आए कि वह भी इसको रोकने में हमारा साथ दे सके। इस तरह की घटना होने पर जनता सहयोग कर दे तो घटना कम हो जाती है। हमको इस पर सदन में विचार करना चाहिए कि बच्चों पर जो आफत आई है, एक अमानवीय और दुःखद है। जो अतिवादी हैं उनकी मैं भर्त्सना करता हूं क्योंकि यह कितना इन्ह्यूमन है और हिन्दुस्तान की एकता के लिए खतरा है। इसके लिए सदन में बच्चों के लिए प्रस्ताव पास करें कि बच्चों पर ऐसा अमानवीय कृत्य न हो। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सवाल पर सभी पार्टियों को मास लेवल पर देशभर में जो ऐसी घटनाएं हुई हैं उनकी भर्त्सना करनी चाहिए और दिल्ली में जो बच्चों पर ऐसी घटना हो रही है उस पर सरकार को सुओ-मोटो बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस घृणित अपराध की निन्दा करने हेतु कठोर से कठोर शब्द भी पर्याप्त नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब देश में ऐसी भयानक दुर्घटनाएं होती हैं तब सरकार अपने आप वक्तव्य क्यों नहीं देती। जम्मू और कश्मीर केन्द्रीय शासन के अधीन है। जब सदन की बैठक चल रही हो तो उन्हें स्वयं ही सदन के समक्ष आना चाहिए तथा लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। तरह-तरह की अटकल बाजियां लगाया जाना जारी रखने के बजाय, इस सदन को तथा सदन के माध्यम से देश को विश्वास में लेकर इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। बच्चों को विशेष रुप से निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी दुर्घटनाओं पर केवल घृणा, वेदना और आक्रोश ही व्यक्त किया जा सकता है। यह केवल एक बार ही नहीं अपितु पहले भी घटित हो चुका है। यह रिमोट कंट्रोल से किया गया है अथवा मेटाडोर के अंदर ही बम रख कर किया गया है। इस तरह भोले-भाले बच्चों को निशाना बनाना बहुत ही गंभीर मामला है। यदि सरकार ऐसे लोगों को पकड़ने में असफल रहती है अथवा विचार-विमर्श करके इसे नहीं रोक पाती है तो इस देश की भावी सुरक्षा का स्वरूप न जाने क्या होगा ? यहां यह बताया गया है कि बच्चों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा

है। दिल्ली में क्या घटित हो रहा है ? बहुत सी जघन्य घटनाएं घटित हुई हैं। और जब ऐसा जम्मू में होता है तो यह बहुत ही बैचेनी पैदा करने वाली बात है। बहुत ही घृणित अपराध किया गया है। गृह मंत्री यहां विराजमान हैं। मुझे आशा है कि वे तुरन्त बताएंगे कि स्थिति क्या है, सरकार के पास क्या सूचना है तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं तथा क्या किसी को पकड़ा गया है अथवा नहीं ? इसे केवल रोकना ही नहीं है अपितु यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया जाना चाहिए कि यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से मांगा करते हैं कि वे हमें इस विषय में बताएं।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ कहना चाहेंगे ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, जो भी कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि जम्मू में घटित यह अत्यंत घृणित घटना है तथा इस तथ्य से कि इसमें बच्चों को हमले का निशाना बनाया गया है, यह और भी निंदनीय है। हमारे पास पूरा ब्यौरा नहीं है। इसलिए हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उसके बाद ही हम सदन को सूचित कर पाएंगे। **.....(व्यवधान).....**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अभी तक सरकार के पास डिटेल नहीं आई। घटना घटे काफी समय हो गया है। सरकार कहती है कि स्थिति सुधर रही है और हम वहां चुनाव करायेंगे, उसके चलते यह घटना हो गई। **.....(व्यवधान).....**

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं समझता हूं जब तक राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हो जाती मेरे लिए पूरा ब्यौरा देना असंभव है। और उसके बाद निश्चय ही सदन को जानकारी दी जाएगी तथा लोगों को भी सूचित किया जा सकेगा।

मैं माननीय शरद यादव जी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से भी सहमत हूं कि हमारे समाज के राजनीतिक जीवन के इस पहलू पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा।

राजनीति का भारी पैमाने पर व्याप्त अपराधीकरण उन मुद्दों में से एक है जिस पर हम सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर यह तय करेंगे कि इसको ठीक करने के लिये और स्थिति सुधारने के लिये और स्थिति सुधारने के लिये क्या कुछ किया जा सकता है। यह अब बौद्धिक चर्चा का विषय नहीं रह गया है अपितु एक वास्तविकता का रुप धारण कर चुका है। जब तक प्रभावकारी कदम नहीं उठाए जाते हैं यह फैलता जायेगा तथा यह देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिये अच्छा नहीं होगा। इसलिये, इस मामले में हम काफी गम्भीर हैं तथा सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करना चाहेंगे।

12.14 म० प०

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्षजी, यह कहा गया है कि संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए . . . .

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, गृह मंत्रीजी ने बात कह दी है। उन्होंने फर्माया कि अभी उनके पास पूरी इत्तला नहीं है तो वह सदन को क्या बतायेंगे, यह सही है। लेकिन आज इस सत्र का आखिरी दिन है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सदन उठने से पहले वे सदन को इत्तला दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

गृहमंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : हम पूरी कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि निश्चित रूप से यह हमारे लिये एक बहुत ही दायित्वपूर्ण बात रही . . . .

अध्यक्ष महोदय : हम पोयटरी सुनना चाहते हैं, प्रोस नहीं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) :

संसद सदस्यों को विकास पर दिया नया आकाश,
परन्तु अभी तक धरती पर नहीं उतरी हमारी आस,
उसको पूरा कैसे करेंगे एक करोड़ रुपने का दिया है जो विश्वास,
हम इसे पूरा करना चाहते हैं यह आपके माध्यम से कैसे होगा,
हमारी भावनाओं को कैसे करेंगे सरकार, इसलिये इसको मिला आकार,
आप हमें बताये जनता के बीच कैसे जायें,
यह सब आप हमें समझायें।।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने का मतलब था समझने वाली बात को और थोड़े में हो।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उन्होंने ऐसी बात कही है कि श्री रामेश्वर ठाकुर जी यहां बैठे हुए हैं . . . . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि श्री विद्याचरण शुक्ल एक वक्तव्य देंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपकी व्यथा सुनना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, यहां पर रामेश्वर ठाकुर बैठे हुये हैं और आपको मालूम होना चाहिये कि ये बाल बाल बच गये हैं। यहां संसद सदस्य करेंगे तो ठीक रहेगा . . . . . .।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी आपकी चिन्ता और आपने यह विषय उठाने की इजाजत दी उसके लिये धन्यवाद। वास्तव में इस योजना को एक आर्दश के रूप में स्वीकार किया गया था और प्रधानमंत्री जी ने इसको जिस विश्वास के साथ कहा था, उससे देश की जनता में एक विश्वास पैदा हुआ था। संसद सदस्यों के माध्यम से, जब वे गांवों में जाते हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिये कई सार्थक उपाय कर सकेंगे, उन्होंने राष्ट्रमंडल में यह कहा था . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह बात उठाने का मौका दिया, आप मुद्दे पर आइये, हिस्टारिकल फैक्ट्स की जरूरत नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, मैं बेसिक प्वांयट पर बोलता हूं और जो सार की बात है, वह कहना चाहता हूं कि श्री रामेश्वर ठाकुर जी ने 3 अगस्त को प्रश्न संख्या 143 के उत्तर में कहा, उसके कारण संशय पैदा हो गया है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह दुरुस्त हो रहा है।

श्री सत्यनारायण जटिया : उसमें कहा कि संसद सदस्यों को स्थानीय विकास क्षेत्र योजना में अलग आबंटन अथवा एक संसद सदस्य के हिसाब से एक करोड़ रुपये की निधि के आबंटन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसका स्पष्टीकरण हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यकरण को सरल बनाने तथा माननीय संसद सदस्यों द्वारा महसूस की जा रही परेशानियों को दूर करने के लिए एक अलग निधि गठित की जायेगी। इस संबंध में दिशानिर्देशों में जरूरी संशोधन भी किये जाएंगे (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा।

.....(व्यवधान)*.....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जायें।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आप कभी कभी नहीं बोलते हुये बोलते हैं, कभी कभी सब मिलकर बोलते हैं और यह सब गवर्नमेंट समझती है। मेरा ख्याल है कि आपने पूछा था या आपका कहना था कि

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह जो 'की जायेगी' शब्द इस्तेमाल किया गया है, यह कब तक किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाना चाहिये।

.....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने मंजूर कर दिया है या नहीं क्योंकि वह हर किसी की अनदेखी कर सकते हैं .....(व्यवधान).....।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह निर्णय किया गया है कि एक अलग निधि गठित की जायेगी। बहुत अच्छा। धन्यवाद। आपने यह भी कहा है कि इसमें उपयुक्त संशोधन भी किये जाएंगे। बहुत अच्छा। धन्यवाद। लेकिन कब ?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, सिर्फ एक शुद्धिकारी स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय आपके कहने पर राजी हो गये हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि वह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं इसलिए मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह सब कुछ करना चाहते हैं जो आवश्यक है तथा संभव है।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : इस स्कीम में जो सुधार लाने हैं, वह सुधार इस प्रकार लाए जाएं ताकि सांसदों को जो जिम्मेदारी या भार दिया गया है, उस ज़िम्मेदारी या भार को सांसद सही तरीके से तुरंत निभा सकें। 8 महीने तो बीत चुके हैं। इसलिए अगर सरकार अब योजनाएं बनाएगी और वह पैसे राज्य सरकारों के खाते से आएगी, अलग खाता बनेगा, इस सबकी सफाई अगर मंत्री जी दे दें तो कुछ हमें भी संतुष्टि होगी।

श्री राम कापसे (ठाणे) : नयी गाइडलाइन्स कांस्टीट्यूएसी में भेजें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि आपने कहा इसके बारे में जो हम अलग से धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं, उसमें अकाउंटिंग के हिसाब से सेपरेट हैड ऑफ अकाउंट की आवश्यकता थी जिसको बना दिया गया है जिससे इसमें सुविधा हो जाएगी ओर कुल मिलाकर 769 या 779 संसद सदस्य लोक सभा और राज्य सभा के मिलाकर हैं। तो इतने करोड़ रुपए का प्रावधान भी धनराशि के लिए कर दिया गया है। और वह धनराशि किस हैड ऑफ अकाउंट में जमा करेंगे, उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। इससे यह जो पैसा है, यहां से निकलकर सीधे जिलाध्यक्षों और जिला कलैक्टरों को जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा नहीं जाएगा। आप लोग इस बारे में जितने चिन्तित हैं, उससे अधिक चिन्तित मैं और रामेश्वर ठाकुर जी हैं। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि आपकी चिन्ता का भार हम लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और इसके लिए इसमें कई कठिनाइयां थीं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी प्रक्रियाओं में बड़ी जटिलताएं रहती हैं। उन जटिलताओं को दूर करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। यह एक नये तरीके की योजना थी और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के निदेश पर और उनके ही नेतृत्व तथा उनके ही ज़ोर पर ये संभव हुआ नहीं तो प्रधान मंत्री जी स्वयं इस

पर ज़ोर नहीं लगाते। मगर क्योंकि ये योजना बहुत बड़ी थी, इसमें कठिनाइयां बढ़तीं और देर लगती, इसके लिए हम सबको प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ज़ोर लगाकर इसको पूरा करवाया। ये सैपरेट फंड इसके लिए बना दिया गया है और उसके साथ जो भी धनराशि आती है, वह धनराशि तुरंत कलैक्टरों के पास पहुंचाने का इंतज़ाम करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने रामेश्वर ठाकुर जी को निर्देश दिया है कि वह दिन प्रति दिन इसको मॉनीटर करें जिससे इसमें देर न हो। कुछ ही दिनों में ये धनराशि देश भर में कलैक्टरों के पास पहुंच जानी चाहिए, यह उनका निर्देश है। इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। इसमें जो कठिनाइयां थीं वह दूर हो चुकी हैं। अब कोई कठिनाई नहीं बची है। गाइडलाइन्स में भी कहीं कहीं थोड़ी स्पष्ट बातें नहीं थीं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। गाइडलाइंस में बहुत सारी अस्पष्ट बातें हैं और उसी की वजह से गड़बड़ हो रही है। आपकी इच्छा होने के बावजूद, पैसा देने के बावजूद, प्रधानमंत्री साहब के कहने के बावजूद और इतनी मेहनत करने के बाद भी गाइडलाइंस में जो अस्पष्टता है, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उसमें जो थोड़े इस तरह के भाग थे जिससे कि इस योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही थी, उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है जिससे कि किसी प्रकार की अवधारणा या कोई गलतफहमी किसी के मन में न रहे। जो अमैंडेड गाइडलाइंस हैं, उन्हें मैं आपके सामने भी पेश करूंगा और बाकी माननीय सदस्यों के पास भी जायेंगी जिससे कि उसमें किसी तरह की कठिनाई न रहे।

मुझे यह भी मालूम है कि जब यह पैसा कलैक्टरों के पास पहुंच जायेगा और सदस्य गाइडलाइंस के जरिये उसका उपयोग करेंगे तो विभिन्न राज्यों में, विभिन्न रूप से, इसका उपयोग या दुरुपयोग करने की कोशिश कुछ राज्य सरकारें करेगी, मैं यह नहीं कहता कि कौन करेंगी, लेकिन ऐसे प्रयास किये जा सकते हैं .....(व्यवधान)..... आप ध्यानपूर्वक पहले सुन लीजिये, हम लोगों को जो अनुभव हुआ है, यदि राज्य सरकारें कुछ इस तरह से उसका उपयोग करती हैं जिससे कि हमारे माननीय सदस्य को उस धनराशि का उपयोग जनहित के कामों में करने में किसी तरह की कठिनाई हो, तो उसे हम इस तरह से मजबूत करेंगे गाइडलाइंस को इस तरह स्पष्ट करेंगे कि इस धनराशि को खर्च करने में किसी माननीय सदस्य को कठिनाई न हो। इसे तत्काल शुरू करने के लिए व्यवस्था की गयी है मैं माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों में, हफ्तों में नहीं कुछ ही दिनों में यह धनराशि संबंधित कलैक्टर तक पहुंच जायेगी। .....(व्यवधान).....

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : इनका कहना है कि इनकी कांस्टटूएंसी में चार जिले हैं। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। अब सवाल वगैरह कुछ नहीं हो सकते। आप सब चीजें यहां पर डिसाइड नहीं कर सकते।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : सारा सदन प्रधान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा वित्त

मंत्री द्वारा किये गये कार्यों की सराहना करता है।

हमें खुशी है कि मंत्री जी ने कहा है कि यह धनराशि कुछ ही दिनों में कलैक्टर्स के पास पहुंच जायेगी।

तीसरा मुद्दा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह अपनाये जाने वाले नियमों से संबंधित है। मेरा विचार है कि इसके लिये हमको नियमों को देखना आवश्यक होगा ताकि आगे कोई कठिनाई नहीं आये। यह धनराशि संसद सदस्यों को नहीं दी जा रही है अपितु यह कलैक्टरों को दी जायेगी। यह कार्य कलैक्टर द्वारा शुरु किया जाना है तथा इसे पूरा भी कलैक्टर ही करेंगे। फिर भी संसद सदस्यों के सुझावों को कलैक्टर कार्यान्वित करेंगे। इसमें कुछ मुश्किलें हैं और उचित नियम बनाकर इनको दूर किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाये जा रहे नियम मुझे दिखाये जायेंगे तथा आप लोगों की ओर से मैं उनको देखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे जैसे कई सदस्यों को अपने चुनाव क्षेत्र जो कि दो जिलों में फैला हुआ है का दौरा करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : यह भी देखा जाना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र में पांच जिले हैं।

.....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं बस एक मिनट में आपके माधम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से एक बात का स्पष्टीकरण सरकार से जानना चाहता हूं और उसमें आपकी सहायता की अपेक्षा करता हूं कि जे॰ पी॰ सी॰ रिपोर्ट और ए॰ टी॰ आर॰ रिपोर्ट को लेकर, जिस सवाल पर एक लम्बे अर्से तक विरोधी दलों ने सदन का बहिष्कार किया, त्याग किया, उनमें जो असंतोष था, आपने बड़ा परिश्रम करके, उसका एक रास्ता निकाला। मैं जानना चाहता हूं कि उस ए॰ टी॰ आर॰ रिपोर्ट में आवश्यक सुधार हों, उसे ठीक करने की कार्यवाही हो सके, दोषी और जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जा सके और उस एग्रीमेंट के बाद उस समझौते के बाद, अब क्या प्रक्रिया होगी, उस पर क्या प्रगति हुई है। उसमें यह बात भी थी कि विरोधी दल के लोगों से विचार-विमर्श करके, सरकार कार्यवाही करेगी चूंकि आज यह सदन उठ रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस पर क्या कोई कार्यवाही शुरू की है, कोई उसमें प्रगति हुई है और वह रिपोर्ट कब तक आयेगी, यही मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री अर्जुन सिंह जी का पत्र प्राप्त हुआ है। वह चाहते हैं कि राज्य सभा द्वारा यथापारित बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक सभा में पुर:स्थापित तथा पारित करने को अनुमति दी जाये। ऐसा लगता है कि विधेयक स्थायी समिति को सौंप दिया गया था

तथा स्थायी समिति की सभी सिफारिशें मान ली गई हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सभा की राय क्या है ? क्या हमें इसे लेना चाहिए ?

अनेक सदस्य : हां

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमलोग इस पर अपराह्न 2.30 बजे चर्चा कर सकते हैं और इसे पारित कर सकते हैं। उस समय हर व्यक्ति तैयार होगा।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : सरकार से परामर्श लिए बिना मैं तत्काल इसका उत्तर नहीं दे सकता।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन काल को छोड़ सकते हैं।

12.30 म. प.

बोफोर्स तोप सौदे के बारे में

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो सभा के समक्ष काफी समय से लम्बित पड़ा है और उस पर अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

महोदय, मैं इस तथ्य का उल्लेख कर रहा हूं कि पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि बोफोर्स हथियार सौदे और स्विस बैंक के उन गुप्त खातों से संबंधित दस्तावेज स्विस अधिकारियों के निर्णय के पश्चात भारत सरकार को सौंप दिये जायेंगे और इन दस्तावेजों के प्राप्त होने पर ही हम उन खाता धारकों और इन बैंकों के माध्यम से उस धन का हिस्सा प्राप्त करने वाले लोगों की पहचान के बारे में कुछ प्रकाश डाल सकेंगे।

महोदय, तत्पश्चात इस विषय पर आगे कुछ भी नहीं सुना गया। इस पर वह पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस चुप्पी के पीछे सरकार की कुछ चाल है। इस विषय में आगे क्या प्रगति हो रही है इस संबंध में हमें कुछ भी नहीं बताया गया।

मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुजा परिवार भी स्विस बैंक के खाता धारकों में से एक है और व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में उपस्थित होकर सरेआम सरकार को यह कहकर लगातार चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें विलम्ब होने का मुख्य कारण सरकार द्वारा स्विस अधिकारियों से उन विशेष दस्तावेजों की मांग न करना है। हिन्दुजा परिवार के अनुसार भारत सरकार का यह अनुरोध सामान्य सा था, जिसके फलस्वरूप यह विलम्ब हुआ जिसे टाला जा सकता था। हिन्दुजा परिवार जो इस मुद्दा पर अनेक संसद सदस्यों का एकजजुट कर रहे हैं, का कहना है कि यदि सरकार बोफोर्स हथियार सौदों से संबंधित कागजातों के लिए ही विशिष्ट अनुरोध करती है, न कि अन्य कागजातों की तो स्विस अधिकारियों से इन दस्तावेजों को यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार

पर यह दोषारोपण किया जा रहा है कि सरकार स्विस अधिकारियों से एक अस्पष्ट और सामान्य किस्म के अनुरोध करके सारे मामले को विलम्बित करके उन्हीं लोगों की ही मदद कर रही है जो इसे विलम्बित करना चाहते हैं।

अतः, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अब स्थिति क्या है ? संसद का दूसरा सत्र भी समाप्त हो चुका है। अब स्थिति क्या है ? क्या इसमें कोई प्रगति हुई है ? हम लोग अब वही पुराने आश्वासनों को पुनः सुनना नहीं चाहते कि हमें इन दस्तावेजों के शीघ्र मिलने की आशा है। हिन्दुजा द्वारा लगाये जा रहे सरेआम आरोपों के संबंध में मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं जिसमें उन्होंने प्रैस तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से सरकार को चुनौती दे रहे हैं। तथा कह रहे हैं कि विशेषतः बोफोर्स हथियार सौदे से संबंधित दस्तावेजों को ही सौंपने के लिए अनुरोध न करने का सारा दोष भारत सरकार का है।

हम लोगों को सभा में अनेकों बार आश्वासन दिया गया है। मैं समझता हूं सभी मामलों में गतिरोध आ गया है और इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग वस्तुतः सभा को स्थिति से अवगत नहीं कराना चाहते तथा केवल इसलिए यह सब होने नहीं दिया जा सकता कि इसी बीच देश में दुर्भाग्यवश, उससे कहीं बड़ा घोटाला हो चुका है। वह घोटाला तो मात्र 60-70 करोड़ रुपए का था।

हाल ही में हमारे देश में उससे कहीं बड़ा घोटाला हुआ जिसकी ओर सहज रूप से ध्यान आकर्षित हुआ लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बोफोर्स तोप सौदे में जिन लोगों ने धन लिया है उन दोषी लोगों की पहचान के लिए अपेक्षित सुरागों की खोज का काम छोड़ दिया जाए। अतः, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति क्या है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया था कि वह इस मामले पर निगरानी रखेंगे और प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे। आप पुरानी बातों को दुहरा रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर बात है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : इसको जरूर स्पष्ट करना चाहिए। हम इस पर ज्यादा नहीं करना चाहते। चन्द्रजीत जी ने जैसा कहा कि हम इसमें कोई चीज ऐड नहीं करना चाहते। आपको इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि आपने क्या किया है ?

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?....(व्यवधान).....

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सरकार कटघरे में खड़ी है। .....(व्यवधान).....

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, सरकार इस मामले पर गंभीरता से कार्यवाही कर रही है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप कब तक इसकी जांच करते रहेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने जो कुछ भी पहले कहा है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना

चाहता। माननीय सदस्यगण इस विषय की जटिलता से परिचित हैं। मैं माननीय सदस्यों को विशेष रूप से श्री इन्द्रजीत गुप्त को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह मामला स्विटरजरलैण्ड के कारटन न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वे कागजातों की जांच कर रहे हैं। हमारे लोग इस मामले को शीघ्र निपटाये जाने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। हमारे वाणिज्यदूत हमारा दूतावास तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी इस मामले में निरंतर अपने काम में लगे हैं। इस सारे मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई है।

जहां तक हिन्दुजा परिवार द्वारा दी गयी चुनौती का संबंध है मुझे विश्वास है कि सभा ऐसे लोगों की चुनौतियों को गंभीरता से नहीं लेगा जो खुद संदेह के घेरे में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे आपके सबसे घनिष्ठ मित्र हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसा प्रतीत होता है कि वे आपके मित्र हैं ना कि मेरे क्योंकि आप ही उन्हें उद्धृत करते रहते हैं या उनके विचारों को व्यक्त करते रहते हैं।

महोदय, मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन मैं स्पष्ट रूप से तथा जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि सरकार दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है। हम मामले में तीव्रता लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हमें प्रमाण मिलेगा, हम कानून के अनुसार उस पर कार्यवाही करेंगे। स्विटजरलैंड में इस मामले को देख रहे लोगों के साथ हम निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। सरकार की ओर से इसमें बिल्कुल भी शिथिलता नहीं बरती गई है। हम हर संभव प्रभास कर रहे हैं तथा मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे हितबद्ध पक्षों द्वारा इधर-उधर की जा रही विभिन्न तरह की टिप्पणियों अथवा चुनौतियों से भ्रमित न हों। मुझे विश्वास है कि यहां बैठे हम सभी सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी छिपाना नहीं चाहता है। और ज्यों ही हमें यथार्थ और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी हम सभा में उसकी जानकारी देंगे तथा इस पर कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी भी तरह की गलत फहमी की कोई गुंजाईश नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : तीन वर्ष गुजर गए हैं। परिणाम क्या है ? .....(व्यवधान).....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह सभा को इस बात से आश्वस्त करवायेंगे कि इसमें हो रहे विलम्ब का कारण वह सब कुछ नहीं है जो सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है, अर्थात् यह कारण नहीं है कि सरकार उन सभी अव्यवहारिक चीजों की मांग कर रही है न कि विशिष्ट रूप से बोफोर्स तोप सौदे से सम्बन्धित कागजात की।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारियों द्वारा मामले की जांच उसके अपने वकीलों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ही की जा रही थी। उस निर्णय के अनुसार जो भी कागजात आवश्यक हैं उनकी मांग की गई है। हम उन्हें नहीं कह सकते कि उन्हें किस प्रकार के कागजात की मांग करनी चाहिए। वे उन्हीं कागजात की मांग कर रहे हैं जो आरोप सिद्ध करने तथा दोषी व्यक्तियों को पकड़ने में सहायक हों।

यदि हम उन्हें यह बताना शुरु कर दें कि उन्हें किस तरह के कागजात की मांग करनी चाहिए और किस तरह के कागजात की नहीं करनी चाहिये तो मैं नहीं समझता कि इससे इस मामले में कोई मदद मिलेगी। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मामले में तीव्रता लायी जाये लेकिन दुर्भाग्यवश स्विटजरलैंड के न्यायालय काफी वक्त ले रहे हैं लेकिन मैं एक बार फिर यह आशवासन देता हूं कि हम लोग इस मामले की छानबीन पूरे जोर से तथा उचित रूप से कर रहे तथा दिन-प्रतिदिन इस मामले पर निगरानी रखे हुए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इससे खुद ही संतुष्ट नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज अपराह्न 2.30 बजे हम लोग अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : जी हां, महोदय।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी मैं कोई नई चीज नहीं उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, दूसरों को भी बोलने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज अंतिम दिन है। सदन में सरकार के द्वारा जो ऐश्योरैंस दिया जाता है और चेयर द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। 26 जुलाई को मजनूं का टीला गुरूद्वारा टूटा था जिसके संबंध में तमाम लोगों ने चिन्ता जताई थी। अभी चंद्रजीत यादव जी और मैं लोगोंवास जो की शहादत मैं वहां गए थे। वहां लोगों में काफी गुस्सा है। आपने कहा था कि इस पर होम मिनिस्टर द्वारा स्टेटमैंट दी जाएगी। होम मिनिस्टर यहां बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में उनका क्या कहना है ?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी ली है और आखिरी बात, जिसके ऊपर यह रूका हुआ है, वह यह है कि टोटली ऐनकोचमैंट एरिया को रैगुलराइज करने की बात चल रही है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा जमीन के ऊपर एक निशान सा गाढ़ दिया है। उनसे यह कहा गया है कि वहां से निशान हटाएं। जो ऐनक्रोच की हुई जमीन है, उससे भी ज्यादा आगे करने की बात उसमें से उठ रही है। उनसे कहा गया कि निशान हटाइए, बाकी सारा हम रैगुलराइज करने के लिए तैयार हैं। जब तक यह नैगोसिएशन नहीं होता, उस वक्त तक मैं इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई डैफीनेट स्टेटमैंट नहीं करना चाहता।

श्री राम विलास पासवान : पुलिस ने जो तोड़ा, आपकी नज़र में वह सही है या गलत ?

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण : बाकी चीज आपको बताई जाएगी लेकिन उसे रैगुलराइज करने की जो बात है .....(व्यवधान)..... यदि ये सारी बातें पूरी करनी हैं तो उसके रास्ते में जो रूकावट है, जब तक उसे आप दूर नहीं करेंगे, पूरा मामला हल होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक महत्वपूर्ण मामला रखकर उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात राज्य में अहमदाबाद के निकट नारोदा, उद्धव और वातवा औद्योगिक क्षेत्र उपचारित तथा आंशिक रूप से उपचारित रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ भारी मात्रा में खारी नदी में उंडेल रहे हैं। ऐसा पिछले 16 से 17 वर्षों से हो रहा है।. .

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई व्यक्तिगत सूचना है ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि इस बारे में कई बातें कही जाती हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, यह देश के हित में नहीं है।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्षमा चाहता हूं, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस संबंध में आपके पास कोई व्यक्तिगत सूचना है ?

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : हां महोदय, मैंने पूरा क्षेत्र देखा है। मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं तथा पूरी फाईल मेरे पास है। 1983 से प्रधान मंत्री से लेकर राज्य सरकार तक सभी से काफी पत्राचार हुआ है महोदय सभी सामग्री मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि लोग इन मामलों के खिलाफ बोल रहे हैं तथा ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। इसे हल्के फुल्के ढंग से न लें। आप पहले अपनी संतुष्टि कीजिए तथा उसके बाद इसे उठाइए।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, मैंने पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका दौरा कर सकते हैं परंतु फिर भी आप यह नहीं समझ सकते कि पानी प्रदूषित है अथवा नहीं।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : नहीं महोदय, मेरे पास सभी रासायनिक रिपोर्ट मौजूद हैं। महोदय, मैं पूरे प्राधिकार के साथ यह कह रहा हूं। मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूं। इस नदी से वास्तव में धान-उत्पादन क्षेत्र की सिंचाई हो रही है। महोदय मैं केवल इस क्षेत्र के प्रदूषण के कारण चिंतित नहीं हूं .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आप पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर बोलेंगे। मैंने सावधान कर दिया है तथा फिर भी यदि आप वक्तव्य देना चाहते हैं तो आप इसके निहितार्थ को समझ लें।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : हां श्रीमान। यह खारी नदी मेरे जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कलमबंदी क्षेत्र की सिंचाई कर रही है जो कि एक धान-उत्पादन क्षेत्र है। क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छी किस्म के चावल की खेती की जाती है, भारत सरकार ने कई साल पहले इस क्षेत्र में धान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की थी। इस रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ के कारण 3000 एकड़ से अधिक भूमि प्रदूषित हो गई है। मैंने स्वयं इस क्षेत्र का दौरा किया है। महोदय, 200 फीट गहरे कुएं खोदे गए थे तथा वह पानी की रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ से प्रदूषित था। लगभग तीन या चार वर्ष पूर्व,

जब अहमदाबाद तालुक के लाली गांव में एक कुंआ खोदा जा रहा था, कुंए से जहरीली गैस निकलने के कारण किसानों के दो लड़कों की मृत्यु हो गई। यही कारण है कि इस क्षेत्र में धान की फसल की भारी मात्रा में हानि हुई तथा कई किसान अपने प्राणों तथा भूमि से भी हाथ धो बैठे।

अध्यक्ष महोदय : हम सावधान हैं, मैं जानता हूं।

डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : इसी कारण मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपशिष्ट पदार्थ का उपचार, संग्रहण तथा निकासी अच्छे ढंग से नियंत्रित की जानी चाहिए ताकि उनके कारण पूरी भूमि तथा वातावरण प्रदूषित न होने पाए।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं वस्त्र मंत्री द्वारा इस सदन में 11 अगस्त को दिए गए आश्वासन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, आपने उस दिन नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी थी। राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मुंबई में संचालित मिलों की दशा तथा उनकी समस्याओं के बारे में लम्बी चर्चा हुई थी। उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने तीन आश्वासन दिए थे। पहला आश्वासन यह था कि कोई छंटनी नहीं की जाएगी; दूसरा आश्वासन था कि मिलें बंद नहीं की जाएंगी तथा तीसरा आश्वासन इन मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में था। उन्होंने आगे बताया कि आधुनिकीकरण हेतु संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सरकार मुंबई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी। यही नहीं, मंत्री महोदय ने कहा था कि इसी सत्र में राष्ट्रीयकरण हेतु विधेयक लाया जाएगा। ठीक-ठीक शब्द ये थे :-

[हिन्दी]

"आप यह बात समझ लीजिए कि इस सत्र में ही टैक्सटाइल इंडस्ट्री का नैशनलाइजेशन करने के लिए मैं एक बिल लाने जा रहा हूं।"

[अनुवाद]

इस प्रकार आज सत्र का आखिरी दिन है। कोई विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया गया है। मैं सरकार का ध्यान केवल इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह एक गंभीर मामला है तथा जब तक राष्ट्रीयकरण हेतु कदम नहीं उठाया जाता, आधुनिकीकरण और फालतू भूमि का विक्रय तथा अन्य कार्यों को नहीं लिया जा सकता।

यह एक अविलंबनीय मामला है। इस सत्र में इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में अध्यादेश जारी करे तथा उस अध्यादेश द्वारा मुंबई की राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित इन मिलों का अधिग्रहण कर लिया जाए। मुझे यही कहना है।

श्री आर॰ अन्बारासु (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय में बहुत अधिक अनियमितताएं हो रही हैं जिसके परिणामस्वरूप रेल परिवहन का असमान विकास हो रहा है तथा इस देश की आर्थिक गतिविधियों में अड़चन आ रही है तथा विशेषरुप से कई रेल परियोजनाओं, जैसे मद्रास की त्वरित परिवहन

प्रणाली (एम॰ आर॰ टी॰ एस॰) मद्रास से डिंडीगुल तक रेल लाईन का आमान परिवर्तन आदि हेतु थोड़ा धन आबंटित करने में भी अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ परियोजना केवल 8.5 किलोमीटर के लिए है। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विगत ग्यारह वर्षों में लगभग 4.5 किलोमीटर का निर्माण किया गया था। क्या यह रेल मंत्रालय की घोर उपेक्षा नहीं है ? बार-बार मांग किए जाने के बावजूद भी इस परियोजना के धन को अन्यत्र लगाया जा रहा है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

12.48 म॰ प॰

महोदय, मद्रास से डिंडिगुल तक की रेल लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने हेतु वर्ष 1993-94 में 30 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। लेकिन इस 30 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए की राशि कर्नाटक को दे दी गयी।

क्या यह रेल मंत्री की तमिलनाडु के कार्यक्रम को विफल बनाने की सुनियोजित चाल नहीं है ?

जहां तक केरल की बात है, वहां किसी परियोजना विशेष के लिए निर्धारित धन को भी प्रयोजनार्थ अन्यत्र लगा दिया गया तथा हमारे केरल के मित्र इससे बहुत क्षुब्ध हैं।

पुनश्च, प्रतिष्ठित इंटीगरल कोच फैक्ट्री को धीरे-धीरे वेल्डिंग कार्यशाला में बदला जा रहा है। कुछ समय पूर्व तक आई॰ सी॰ एफ॰ में 1200 सवारी डिब्बों का उत्पादन किया जाता था परन्तु आज रेल मंत्रालय ने इसका उत्पादन कम करके 700 डिब्बे कर दिया है। इससे यदि बंदी नहीं तो कम से कम कर्मचारियों की छंटनी का खतरा पैदा हो गया है।

वर्ष 1992-93 के बजट में अन्ना नगर तथा विल्लिवक्कम के बीच रेल लाइन प्रस्तावित थी। यह नई लाइन नहीं है। यह पहले ही विद्यमान है। इसे केवल लगभग 5 किलोमीटर बढ़ाकर विल्लिवक्कम तक ले जाना था। यह परियोजना जो वर्ष 1992-93 के रेल बजट में थी अब रेल बजट से गायब हो गई है।

मैं नहीं जानता यह कैसे, क्यों और किसके इशारे पर हुआ है।

महोदय, दूसरा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि दक्षिण रेल मुख्यालय को बंगलौर स्थानान्तरित करने की घिनौनी चाल चली जा रही है। रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान जब मैंने इस बात का उल्लेख किया तो माननीय रेल मंत्री ने इस आरोप का खंडन करने के बजाय स्पष्ट रुप से कहा कि दक्षिण रेल में अधिक तमिल लोग कार्य कर रहे हैं।

जब मैंने यह आरोप लगाया कि धनराशि को दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है और रेल मुख्यालय को स्थानान्तरित किया जा रहा है, माननीय रेल मंत्री ने कहा, जिसको मैं यहां उद्‌धृत करता हूं : "सत्य यह है कि तमाम दक्षिण रेल में केवल तमिल लोग हैं और मेरे विचार से श्री अन्बारासु से पहले कोई भी इस मुद्दे को उठा सकता था, आप लोगों से अधिक अफसरशाही इस कार्य में रुचि ले रही है।"

इस बात से उनका क्या अभिप्राय है ? उन्होंने कहा कि पूरी दक्षिण रेल में तमिल लोग भरे हुए हैं। यह सही नहीं है। दक्षिण रेल में कर्नाटक के लोग हैं। आन्ध्र प्रदेश के लोग हैं, केरल के लोग हैं और उत्तरी भारत के लोग हैं। यह सही नहीं है। मैं इस वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं।

मैं सदन के सभा पटल पर माननीय रेल मंत्री द्वारा तमिल विरोधी भावनायें व्यक्त करने के लिए उनकी भर्त्सना करता हूं, मेरी मांग है कि इस आरोप की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाय। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी मांग करता हूं कि रेल मंत्रालय में हो रही अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाय।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं पुकारा गया।

(व्यवधान)

श्री पी॰ जी॰ नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैंने इसकी सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने सूचना दी है तो मैं आपका नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान बिहार राज्य के रोहताश जिले की ओर खींचना चाहूंगा। आज से सात वर्ष पहले वहां टी॰ वी॰ टावर रिले केन्द्र बना था, जो वहां शुरू से ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। रोहताश, भभुआ, बक्सर और भोजपुर जिले के लोगों को कभी भी दूरदर्शन से प्रसारण वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा के कार्यक्रम या और महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते हैं। वहां पहले जो टावर बना था, वह रिले केन्द्र खराब है और उसने वहां कभी ठीक से काम नहीं किया।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन होगा कि इसमें सुधार किया जाय और विक्रमगंज में एक नया टी॰ वी॰ टावर रिले केन्द्र स्थापित किया जाय। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि सभी लोगों को बोलने का अवसर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

डा॰ विश्वनाथम कैनिथी (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में 105 गांव हैं। वहां पर मछुआरे समुद्र से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। किंतु उनके लिए बहुत कम सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं। उन्हें अवतरण बर्थ और मत्स्यक पत्तन की आवश्यकता है।

सरकार ने दो मत्स्यन पत्तनों की स्वीकृती दी है और करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, किंतु बामानपादु

और कलिंगपटनम पत्तन का उपयोग इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, उनके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए छोटी सी धनराशि के निवेश की आवश्यकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के गरीब और उपेक्षित मछुआरों के लाभ के लिए उन गांवों में जिनमें 25 से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं अवतरण क्षेत्रों का निर्माण किया जाय और बामनपादु और कलिंगपतनम मत्स्यन पत्तनों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाय।

.....(व्यवधान).....

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। विश्व के कुछ विकसित देश भारत से अन्य विकसित देशों को निर्यात किये जाने वाले सामान पर एकपक्षीय प्रतिबंध लगा रहे हैं। इन देशों द्वारा तकनीकी सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी खतरों के आधार पर इस प्रकार के सरक्षणवादी उपाय किये जा रहे हैं। यदि यह स्थिति जारी रही तो भारतीय माल के लिए विश्व बाजार के द्वार बंद हो जायेंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका के उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग द्वारा भारत में निर्मित शिफान पर प्रतिबंध लगाये जाने के लिए हाल ही में जारी किए गए आदेश और इसकी ज्वलनशीलता के बारे में अमेरिकी प्रचार माध्यमों द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार एक खतरनाक संकेत है। सत्य यह है कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित चाल है। इसलिए एक ऐसे समय जब भारत विश्वीकरण के कारण विश्व बाजार में अधिक अवसरों की तलाश में है यह और भी अधिक गम्भीर बात है और अब ये देश भारतीय माल के लिए अपने बाजारों के द्वार बंद कर रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बात के लिए सभी प्रयत्न करे कि भारतीय माल को विश्व बाजार से बाहर करने का अमरीकी सरकार का घिनोना कार्य सफल न हो। इस दिशा में प्रयास किये जाये। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम उन देशों के उपभोक्ताओं के दिलों को जीतें।

हमें संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन से आग्रह करना चाहिए कि भारतीय माल पर से प्रतिबंध हटाये जायें। ऐसे नव संरक्षणवादी उपाय हमारे देश के निर्यात को गंभीर रुप से प्रभावित करेंगे। क्योंकि हमारा देश अमरीका और अन्य विकसित देशों को भारी मात्रा में माल निर्यात करता है। इसलिए मेरा विचार है सरकार को इस दिशा में समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, माननीय गृहमंत्री मुम्बई में हुए विस्फोट की घटना के बारे में कुछ सूचना देना चाहते हैं। यदि आप उनसे कहें तो वे सूचना देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। माननीय गृह मंत्री सूचना दें।

12.56 म॰ प॰

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुम्बई विस्फोट जांच

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई विस्फोट की जांच के बारे में हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में माननीय सदस्यों को सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुम्बई बम काण्ड के उद्घोषित अपराधी श्री रज़ाक मैमन जिसके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम था, और पांच अन्य उद्घोषित अपराधियों को कल नई दिल्ली में गिरफ्तार किया था।

इन लोगों ने बम्बई में हुए बम विस्फोट के पहले ही देश छोड़ दिया था तथा वे अब तक कहीं और रह रहे थे। और अभी गिरफ्तारी से बचे हुए थे। उनसे कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किये गये हैं। इसके बारे में आगे जांच जारी है तथा जो सुराग मिले हैं उनके आधार पर तेजी से छानबीन की जा रही है ताकि इस मामले में और गिरफ्तारियां की जा सकें।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए तथा जारी जाँच से तर्कसंगत निष्कर्ष प्रस्तुत होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनाएं रखने के प्रयोजन में माननीय सदस्यों से इस वक्त सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि अधिक जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें क्योंकि इस समय की जा रही जांच पूरी होने के बाद ही वह उपलब्ध हो सकेगी।

यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं उनको छह अभियुक्तों के नाम बता सकता हूं। वे हैं :

1. अब्दुल रज़ाक सुलेमान मैमन, पिता। इसके लिए 1 लाख रुपये का इनाम था।
2. ईसा अब्दुल रज़ाक मैमन, पुत्र। इसके लिए भी 1 लाख रु॰ का इनाम था।
3. युसुफ अब्दुल रज़ाक मैमन, पुत्र। इसके लिए भी 1 लाख रु॰ का इनाम था।
4. सुलेमान अब्दुल रज़ाक मैमन, पुत्र। इसके लिए भी 1 लाख रु॰ का इनाम था।
5. हनीफा अब्दुल रज़ाक मैमन, पत्नी अब्दुल रज़ाक मैनन। इसके लिए 25,000 रु॰ का इनाम था।
6. रुबिना सुलेमान रज़ाक मैमन, पत्नी सुलेमान अब्दुल रजाक नैमन। इसके लिए भी 25,000 रु॰ का इनाम था।

इसके अतिरिक्त उस परिवार में दो बच्चे हैं जिनकी आयु 6 वर्ष और दूसरे की 8 महीने है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिये। अगर आप धैर्य रखेंगे तो मैं कई सदस्यों को आमंत्रित कर सकता हूं। माननीय अध्यक्ष ने यह बिल्कुल साफ-साफ कहा है। आपको ही नहीं बल्कि हरेक सदस्य को भी मौका मिलेगा। आप मानते क्यों नहीं हैं ? आपको मौका मिलेगा। कृपया सहयोग दें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अनेक दवाई निर्माता कंपनियां जीवन रक्षक दवाइयां बनाती हैं। ये जीवन रक्षक दवाइयां मैडिकल स्टोर के माध्यम से आम जनता को बेची जाती हैं। जो कंपनियों जीवन रक्षक दवाइयां बनाती हैं, उन पर बिक्री मूल्य भी प्रिन्ट करती हैं। लेकिन जिस कीमत पर ये कंपनियां मैडिकल स्टोर को दवाइयां बेचती हैं, उस कीमत में और जो मूल्य प्रिन्ट होता है, दोनों में भारी अन्तर है। दुगुना-चौगुना का अन्तर होता है। मैडिकल स्टोर वाले जब आम जनता को दवाई बेचते हैं, तो बिक्री मूल्य पर मुनाफा लेकर दवायें बेचते हैं। यह बिक्री मूल्य इस लिए प्रिन्ट किया जाता है कि मैडिकल स्टोर वाले उन्हीं कंपनियों की दवायें बेचें, जिससे उनकी बिक्री बढ़े। इस तरह से दवा निर्माता और विक्रेता अन्धा मुनाफा कमा रहे हैं और आम जनता दुगुने-तिगुने कीमत पर दवायें खरीदने पर विवश होती है। यदि आप मुझे अनुमति दें, ऐसी एक-दो कंपनियों के नाम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नामों का उल्लेख नहीं कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आम जनता सरे आम लुट रही है। दवा निर्माता और विक्रेता जनता को लूट रहे हैं और अन्धा मुनाफा कमा रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास अतिरिक्त जानकारी है तो सम्बंधित मंत्री को दे दीजिये। वह आवश्यक कार्यवाही करेंगे।]

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इतना तो करे कि दवा निर्माता को निर्देश दे, जिस कीमत पर मैडिकल स्टोर को दवायें देते हैं, उससे कम बिक्री मूल्य के लिए प्रिन्ट करे। जो दवा निर्माता इस नियम का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

1.00 म० प०

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में किसानों की एक मात्र नगदी फसल गन्ने की खेती मृतप्राय हो गई है, क्योंकि वहां की चीनी मिलें कुव्यवस्था का शिकार हो गई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र मुज़फ्फरपुर जिले की मोदीपुर एवं वैशाली जिले की गोरोल शुगर फैक्टरी, ये बिहार सरकार के चीनी निगम की दो इकाइयां हैं। दोनों चीनी मिलें प्रतिदिन अपनी पेराई क्षमता से बहुत कम पेराई का काम करती हैं। इन दोनों इकाइयों में गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय का बिहार सरकार को स्पष्ट आदेश है कि एक साल के अंदर किसानों के बकाया का भुगतान निश्चित तौर पर कर दिया जाए। दोनों इकाइयों में कार्यरत मजदूरों का करोड़ों रुपया वेतन तथा मजदूरी का बकाया है। गन्ना उत्पादक किसान एवं मजदूर भूखों मरने को मजबूर हैं। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि किसानों एवं मजदूरों के बकाया का भुगतान शीघ्र करवाने की व्यवस्था करें तथा चीनी मिलों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष की हत्या की भर्त्सना करती हूं और जानना चाहती हूं कि*. . . . .

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, आप सिर्फ एक मुद्दा उठा सकती हैं यह कार्यवाही में शामिल नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सिंहानिया ग्रुप का एक कारखाना अल्यूमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से था, जिसके 5 साल तक बंद रहने के बाद भारत सरकार ने उसको टेक-ओवर कर लिया तथा बाद में उसका राष्ट्रीकरण करके उसको बालको-कोरबा कारखाने के साथ मिला दिया गया। इसके लिए एग्रीमेंट में यह तय किया गया था कि इस अल्यूमिनियम कारखाने में भी कोरबा के ही सारे नियम लागू होंगे तथा उसी प्रकार से इसको भी चलाया जाएगा। परंतु अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मृत्यु के बाद एक नामिनी को सर्विस में लेना तथा मजदूरों की छंटनी आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी तरह से ट्रेड यूनियन से एग्रीमेंट किया गया था कि 10 करोड़ रुपया लगा कर प्रापर्जी प्लांट का आधुनिकीकरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसको भी कोरबा लेकर चले गए। इसी तरह से पावर हाउस, सेल हाउस, अल्यूमिनियम हाउस, पेस्ट प्लांट आदि का काम भी बंद पड़ा हुआ है, इनको चालू नहीं किया गया है और इनका आक्शन करने की कार्रवाई की जा रही है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सारे प्लांट्स को फिर से चालू करवाया जाए तथा सारे नियम तथा सेवा शर्तें कोरबा कारखाने के समान लागू की जाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाराधन राय, कई और माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अगर आप इतना लम्बा भाषण देंगे तो कई माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास नाम हैं तथा मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। आपको पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहिये। कई सदस्यों को नोटिस देने के बावजूद भी मौका नहीं मिल पाया है। श्री सैयद शहाबुद्दीन का नाम मेरे पास है तथा उनको पांच या दस मिनट के बाद बुलाऊंगा। उनको अभी कहीं जाना है। इसलिये अगर आपकी सहमति हो तो उनको अभी मौका दिया जा सकता है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको तथा माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बारी से पहले बोलने की अनुमति दी है।

महोदय, सभा को याद होगा कि .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई नाम सूची में होता है तो मैं वरिष्ठ सदस्य या कनिष्ठ सदस्य में भेदभाव नहीं करता हूं। मैं आपका नाम भी बुलाऊंगा। अभी मैंने श्री शहाबुद्दीन का नाम बोला है। इसलिये आप बैठ जाइये। इसका कोई विकल्प नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, सभा को याद होगा कि दिसम्बर, 1992 में बाबरी मस्जिद को नष्ट करने के बाद सरकार ने चार उपबंधों वाले अयोध्या पैकेज की घोषणा की थी। एक यह है कि मंदिर और मस्जिद दोनों के निर्माण के लिये दो न्यासों के नाम पर भूमि अर्जित की जायगी तथा बाबरी मस्जिद के मूल स्थान का पता लगाने के प्रश्न पर संविधान की धारा 143 के अंतर्गत मामला उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया जायेगा। सरकार ने इस विषय में पिछले डेढ़ साल के दौरान हुई प्रगति से सभा को अवगत नहीं कराया है। भूमि के अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश जो बाद में अधिनियम बन गया था वह उच्चतम न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन है। संविधान की धारा 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को मामला सौंपा था, लेकिन उसने अभी तक भी इस बारे में निर्णय नहीं लिया है कि इस मामले को उन्हे सौंपा जाना तर्कसंगत है या नहीं।

जहां तक दो न्यासों का सम्बन्ध है, मुस्लिम न्यास का गठन इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि मुस्लिम सम्प्रदाय ने सरकार द्वारा स्थानपन्न भूमि एवं स्थानपन्न मस्जिद के बारे में की गई पेशकश को ठुकरा दिया है इस प्रकार सरकार ने इस विषय में कोई प्रगति नहीं की है। जहां तक प्रस्तावित मंदिर के निर्माण हेतु न्यास का संबंध है, समाचार पत्रों में बहुत सी खबरें होती हैं और मैं सदन का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रस्तावित मंदिर के निर्माण हेतु न्यास के गठन में सरकार प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। वास्तव में प्रधानमंत्री के कुछ अत्यंत विश्वसनीय राजनीतिक सलाहकार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी इस न्यास के गठन में लिप्त हैं। इस पर आपत्ति की गई है तथा

यह कई बातों में विवादास्पद है। परन्तु मेरी आपत्ति यह है कि ऐसा समाचार है कि उस व्यक्ति को, जिससे वैकल्पिक न्यास के गठन हेतु संपर्क स्थापित किया गया है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि सम्पूर्ण अधिगृहीत भूमि उन्हें दे दी जाएगी तथा प्रस्तावित मंदिर संबंधी स्थल योजना में बाबरी मस्जिद की भूमि भी सम्मिलित होगी जो कि विवादास्पद स्थल है क्योंकि इसे उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द किया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि ऐसा आश्वासन कैसे दिया जा सकता है जबकि अधिनियम की संवैधानिकता न्याय-निर्णयाधीन है तथा जब इस विषय पर राष्ट्रपति का निर्देशन भी उच्चतम न्यायालय ने गृहीत नहीं किया है हालांकि सरकार ने इस विषय पर इस सदन में तथा सदन के बाहर बहुत से आश्वासन दिए हैं। इस प्रकार या तो उस सुप्रसिद्ध व्यक्ति को, जिससे संपर्क स्थापित किया गया था, हिन्दू न्यास के गठन के बारे में झूठा आश्वासन दिया गया है अथवा उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सही स्थिति से अवगत कराए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रूप चन्द पाल बोलेंगे

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जहां कहीं कुछ लोगों को बोलने का अवसर देने की गुंजाइश है वहां ऐसा किया जा रहा है। परन्तु प्रत्येक को बोलने का अवसर देना संभव नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, उन सदस्यों के नाम पढ़ने का कष्ट करें जिन्हें आज बोलने की अनुमति दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं ? आपको बोलना है अतः उसके बाद ही जाइए।

श्री भोगेन्द्र झा : हममें से कुछ को विश्वास है कि हमारे नाम उसमें नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आपका नाम सूची में है अथवा नहीं इस बात की आपको जानकारी हो। आपको यहां उपस्थित रहना ही है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

22 अगस्त, 1994 से हमारे देश के 26,000 विख्यात वैज्ञानिक, जो कि सी. एस. आई. आर. की सभी 41 संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं से सम्बद्ध हैं, आंदोलन के पथ पर हैं। यह उनकी त्रुटिपूर्ण पदोन्नति नीति तथा चालू परियोजनाओं तथा प्रयोगशाला सुविधाओं हेतु आवश्यक धन पर रोक लगाए जाने के बारे में है। यही नहीं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर में कुछ घृणित घटनाएं घटी हैं। संस्थान के तानाशाह निदेशक ने ग्यारह विख्यात वैज्ञानिकों को स्थानांतरित कर दिया है। यद्यपि बाद में बर्खास्तगी के आदेश वापस ले लिए गए तथापि इन वैज्ञानिकों की फिलहाल क्या स्थिति होगी इस के बारे में कोई लिखित आदेश नहीं दिए गए हैं तथा भारत के वरिष्ठतम वैज्ञानिकों में से एक

वैज्ञानिक ने, निदेशक के निरंकुश एवं दमनकारी तरीकों से चिढ़कर ऐच्छिक सेवा निवृति के लिए आवेदन किया है। तो वहां ऐसी स्थिति है। पिछले कई दिनों से वे आंदोलन कर रहे हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर में हो रहे इन निरंकुश कदाचारों की जांच कराई जाए। ....(व्यवधान)....

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय हम सरकार द्वारा अनुमोदित नई औषध नीति से बहुत चिंतित हैं हमने बार-बार कहा है और प्रार्थना की है कि यह नीति ताकतवर अन्तर्राष्ट्रीय भेषज लाबी हाथों का खिलौना है। मुख्य मुद्दा यह है कि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को उदार बनाया जा रहा है तथा 51% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी जा रही है। जिन औषधियों, जिनका वार्षिक उत्पादन का मूल्य 4 करोड़ रु॰ है, उनको मूल्य नियंत्रण से छूट दी जा रही है।

किस कम्पनी का बाजार में एकाधिकार है यह निर्धारित करने के मानदंड को शिथिल किया जा रहा है, डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के अधीन औषधियों की संख्या 142 से घटाकर 81 कर दी गई है।

परमाणु बम के खतरे के बारे में हमारा चिंतित होना उचित है किन्तु दुर्भाग्यवश हम डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ से छूट देने के घातक प्रभाव पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अत्यावश्यक औषधियां इतनी मंहगी हो जाएंगी कि गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह जी, अन्य सदस्यों को भी बोलना है। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए और अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : वर्ष 1987 में डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ से रियायत दी गई, इसके आलोचकों को बताया गया कि यह औषधि उद्योग को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगा। वे अधिक उत्पादन तो कर सकते हैं किन्तु वे मुख्यतया अत्यावश्यक फार्मूलों में ही होता है। बल्क औषधियों और अल्प अत्यावश्यक औषधियों के उत्पादन पर जोर नहीं दिया गया है। औषधि उत्पादकों का लाभांश बढ़ा दिया गया है किंतु औषधियां उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1987 के बाद क्लोरोमाईसीटिन रालसिडिन, पितोसिन, ढिटिजन, इन्डेराल आदि औषधियों की कीमतों में शतप्रतिशत वृद्धि हुई है, हम इस निर्णय की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि हाथी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वयित किया जाय। औषधि नीति जिसे बड़ी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इशारे पर स्वीकृति दी गई, वापस ली जानी चाहिए इस संबंध में हम शीघ्र कार्यवाही की मांग करते हैं .....(व्यवधान).....

डा॰ राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार और पूरे सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मुद्दा भयंकर बीमारी थालासीमिया के बारे में है। यह बीमारी वंशानुगत है। हमारे देश में लगभग 3 करोड़ लोगों के गुणसूत्र इस बीमारी से प्रभावित हैं। इस देश में प्रतिवर्ष थालासिमिया के दोष पूर्ण गुणसूत्र वाले दस हजार बच्चे पैदा होते हैं। इस बीमारी का एक मात्र उपचार बार-बार रक्त आधान ही है और जीवन भर करना पड़ता है और इसके लिए जीवन भर रक्त आधान की आवश्यकता होती हैं। यद्यपि इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं किंतु बाद में इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, श्री मृत्युजंय नायक से निवेदन करता हू कि वे शांत रहें और सभा की कार्यवाही चलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप ही सभा की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से नहीं चलने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

डा॰ राम चन्द्र डोम : महोदय, लोहे की अतिरिक्त मात्रा शरीर और महत्वपूर्ण अंगों में जमा हो जाती है, जिससे शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी से मृत्यु को रोकने के लिए एक डेस्फेरल नामक इंजक्शन है जिसका निर्माण और विपणन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया जाता है। विगत तीन वर्षों में इस इंजक्शन के मूल्य में 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार सिथति बहुत खराब है।

इंजेक्शन लगाने के लिए एक निषेचन पम्प की आवश्यकता होती है और सरकार ने पिछले बजट में उस पम्प पर शुल्क लगाया। इस प्रकार इस पम्प की कीमत बढ़ गई है। इंजेक्शन लगाने के लिए लीकोसाइट फिल्टर की आवश्यकता भी होती है। सरकार ने इस लीकोसाइट फिल्टर पर भी शुल्क लगाया है। इस प्रकार किसी परिवार के लिए अपने बच्चे का उपचार कराना बहुत कठिन हो गया है क्योंकि उपचार के लिए प्रतिवर्ष एक से दो लाख रुपए की आवश्यकता होती है। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हू कि इस बीमारी के निवारण और नियंत्रण के लिए एक पैकेज बनाया जाए और डेस्फेरल औषध की कीमत को कम किए जाने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। मेरा, सरकार से यह भी निवेदन है निषेचन पम्प और लीकोसाइट फिल्टर पर वह शुल्क लेना बंद करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी।

श्री आर प्रभु (नीलगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हू कि मेरे द्वारा दिये गये नियम 193 के अधीन चर्चा की सूचना पर कब चर्चा की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभु जी यहँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन लोगों ने अपने नाम 10.00 बजे से पहले दिये हैं उनके नाम यहां सूचीबद्ध किये गये हैं और मैं इस सूची के अनुसार ही नामों को पुकार रहा हू इसलिए पीठासीन अधिकारी से कोई गलती मत करवाइये।

श्री आर॰ प्रभु : महोदय, मैं पीठासीन अधिकारी से गलती करने के लिये नहीं कह रहा हू।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी पर गलती करने के लिये दबाव डाल रहे हैं। हो सकता है कल कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा दे।

श्री आर॰ प्रभु : महोदय, मैं बस यही जानना चाहता हू कि मैंने नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का जो नोटिस दिया था उसे कब लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरे हाथ में नहीं है। आप ही नियमों के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत मामले का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री आर॰ प्रभु : महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का नोटिस पहले ही दे चुका हूं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यह कब लिया जाएगा।

श्री अन्ना जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, 24 अगस्त को पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के एक पुलिस अधिकारी ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र पेश किया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री शरद पवार के नाम का उल्लेख किया है .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान जोशी जी, मामला अदालत में है। इसलिये, आप इसको यहां उठा नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी॰ सी॰ चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, इसमें आरोप लगाये गये हैं और फिर यह राज्य का विषय है। इसलिये इसे यहां नहीं उठाया जा सकता है। .....(व्यवधान).....

श्री अन्ना जोशी : महोदय, अगर यह न्यायालय के विचाराधीन है तो सब कुछ कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर बाद में कार्यवाही से सब कुछ निकालना ही है तो मैं आपको बोलने की अनुमति ही क्यों दूं ? मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपने तीन मामलों को उठाने का नोटिस दिया है जिसमें भारतीयों को इराक-कुवैत युद्ध में हुए नुकसान का भी एक मामला है। आप इसे उठा सकते हैं।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मैं सिर्फ जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच की मांग कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको पीठासीन अधिकारी से सहयोग करना चाहिये।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने पहले ही भारतीयों, भवन निर्माण कम्पनियों तथा व्यावसायिक इकाइयों के इराक-कुवैत युद्ध के दौरान हुई हानि की भरपाई क्षतिपूर्ति के लिये 2.7 बिलियन का मुआवजा तय किया है। यह जानकारी मिली है कि अन्य राष्ट्रों को मुआवजा राशि मिल चुकी है। हम भारतीय यह जानना चाहते हैं कि हमारे मुआवजा संबंधी दावों की क्या स्थिति है तथा क्या यह यू॰ एन॰ सी॰ सी॰ को भेज दिये गए हैं ? हम यह भी जानना चाहते हैं कि भारतीय दावों का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? मैं कुवैत से लौटे भारतीयों की ओर से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मुआवजा राशि का जल्दी भुगतान करें तथा यह भी बताएं कि किस बैंक के माध्यम से यह राशि वितरित की जाएगी ?

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे के अधिकारियों में भारतीय रेल सेवा के पदोन्नति से बनने वाले अधिकारियों और सीधे नियुक्ति वाले अधिकारियों के समान पद होने के बावजूद उनका वर्गीकरण कर दिया गया है जबकि उन दोनों का एक ही कार्य है। दोनों को अलग अलग सहूलियतें दी गई हैं और भेदभाव किया गया है।

मेरी सरकार से और रेलवे मंत्रालय से मांग है कि ऐसे पदाधिकारी जो एक ही पद पर एक ही तरह की सेवा करते हैं, उनमें डायरैक्ट रिक्रूटमेंट और पदोन्नति होने के कारण अंतर किया गया है यह उचित नहीं है। इसके लिए उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया था और मुझे उसमें जाने का मौका भी मिला था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह का जो वर्गीकरण एक ही प्रकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए किया गया है, इसे खत्म करें और उन्हें समान वेतन और सहूलियतें दें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र के सूचना प्रसारण मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले 20 अगस्त को लखनऊ और कलकत्ता से जो पांच मिनट का प्रादेशिक उर्दू समाचार हुआ करता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। जबकि पिछले ही साल केन्द्र की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पूरे देश के पैमाने पर प्रादेशिक स्तर पर हम उर्दू में पांच मिनट का समाचार सुनाएंगे। मगर अभी कलकत्ता में और लखनऊ में जो बुलैटिन 7.05 बजे हुआ करता था उसे बंद कर दिया है और अब बिहार और पटना की बारी है। यह बंद करने की साजिश की जा रही है। एक ओर तो उर्दू भाषी लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और दूसरी ओर सरकार यह कहती है कि हम प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन उस पर कुठाराघात करने का काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर उर्दू भाषा जानने वाले लोग काफी संख्या में हैं। एक समुदाय विशेष की बात मैं नहीं कह रहा हूं। हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई सब लोग उस भाषा को चाहते हैं। उर्दू भाषा जानने वाले लोग इस बात पर परवान चढ़ने का काम भी करेंगे। यह नहीं, अनशनकालीन समय में जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं और कर दी गई हैं। उनकी रोजी-रोटी पर प्रश्नचिह्न लग गया है। मेरा आपके माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्री से निवेदन है और खासकर प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि आप उर्दू भाषा जानने वाले लोगों के साथ इन्साफ करने का काम करें और जो बलैटिन बंद कर दिया गया है वह कलकत्ता और लखनऊ में पुन: शुरू करने का काम करें।

श्री मोहन एस डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं को यहां सदन में शून्य काल में उठाते हैं। जब हम ये मामले उठाते हैं और भारत सरकार की ओर से कोई ऐक्शन नहीं होता है तो यह बहुत गंभीर बात है कुछ दिन पहले मैंने दादरा और नगर हवेली के बारे में मामला उठाया था कि वहां पर डेढ़ लाख की आबादी है। वहां एक दो आई॰ ए॰ एस॰ अधिकारियों की जरूरत है। वहां 6-7 आई॰ ए॰ एस॰ अधिकारी लिये गए हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है। यह बात यहां रखने के बावजूद भी भारत सरकार की तरफ

से कोई ऐक्शन नहीं हुआ और दूसरी तरफ वहां के प्रशासन ने कुछ और आई॰ ए॰ एस॰ अधिकारियों को लगाने का काम किया है।

मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तुरन्त भारत सरकार को निर्देश दें कि हाउस में जीरो-ऑवर के दौरान जो विषय उठाये जाते हैं, जो बातें कहीं जाती हैं, उन पर तुरन्त इंक्वायरी होनी चाहिये, तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और तुरन्त एक्शन लिया जाना चाहिये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। यह वाकई में बहुत अच्छा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप लोगों के नाम सूची में है तो मैं एक-एक करके आप लोगों को बुलाऊंगा। आप लोग सूची से हटने के लिए पीठासीन अधिकारी को क्यों बाध्य करते हैं तथा शंका उतपन्न करते हैं। कृपया पीठासीन अधिकारी का मार्गदर्शन और सहायता करिये। अब मैं श्री द्वारकानाथ दास को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री द्वारका दास (करीमगंज) : महोदय, असम में सैकड़ों आरक्षित वन क्षेत्र हैं। लेकिन वहां वन वास्तव में नहीं है वहां पर पूरी आबादी है तथा वहां के रहने वाले अधिकांशत: गरीब हैं। पहले इन लोगों को आरक्षित वन क्षेत्रों का कर्मकार यानि कि आरक्षित मजदूर कहा जाता था। वर्तमान में इन लोगों को मत का अधिकार दे दिया गया है तथा उनको भूमि आबंटित की गई है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को आबंटित भूमि के पट्टे नहीं जारी किए गए। इनके परिणामस्वरूप इन लोगों को वर्ष में स्थानीय वन प्राधिकरण के निर्देश पर 12 दिन कार्य करना पड़ता है तथा इसके बदले वे लोग भूमि पर कब्जा रखते हैं। इन लोगों को भूमि की जमानत पर कोई बैंक ऋण तथा अन्य सुविधायें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ये लोग भूमि के मालिक नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ भारत के दूसरे दर्जे के नागरिक के समान व्यवहार किया जाता है। सरकार इन लागों से भूमि राजस्व के रूप में प्राप्त हो सकने वाले लाखों रुपए का क्यों नुकसान कर रही है और किस कारण वह इन तथाकथित आरक्षित वन क्षेत्रों को आरक्षित वन कहती है जबकि वहां पर वन हैं ही नहीं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस मामले की जांच करे।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा, बादल फटने और बाढ़ के कारण हुई जान और माल की क्षति की ओर दिलाना चाहता हूं। इस बार हिमाचल प्रदेश में तीन-चार बार बादल फटे हैं और भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण लगभग 150 लोगो की जानें गयी हैं, एक हजार से अधिक पशु उसमें बह गये हैं और हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन तबाह हो गयी है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 21 और 22 पर यातायात बिल्कुल अवरूद्ध हो गया है। ऊना जिले में हजारों एकड़ जमीन तबाह हो गयी है और कुछ किसानों के पास तो एक

इंच उपजाऊ जमीन भी बाकी नहीं बच सकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिये धन का अभाव है, अब तक कोई धन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार लगभग दिवालिया है।

प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर मरने वाले व्यक्ति के परिवार वालों को 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति दिये जायेंगे लेकिन अभी तक 42 लाख रुपये ही प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रान्त की सरकार को दिये गये हैं। प्रदेश सरकार के पास अपने कोई साधन नहीं हैं।

मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो 500 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है, उसे देखते हुये कम से कम 200 करोड़ रुपये तुरन्त केन्द्र सरकार की ओर से राहत के तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराये जायें और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी कहा जाये कि वह भी यथाशीक्र प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध करायें ताकि जो किसान भूमिहीन हो गये हैं, जिनके आजीविका के साधन समाप्त हो गये हैं, उनको राहत दी जा सके। वहां जो जान-माल की क्षति हुई है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिये भी केन्द्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे देश का सवाल है। नौंवे फाइनैंस कमीशन ने नेचुरल कैलेमिटीज के लिये जो रिकमेंडेशन्स की थीं कि एक निश्चित धनराशि प्रत्येक राज्य को दी जायेगी लेकिन आप जानते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज अचानक आती है, उसके बारे में पहले से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां कितना नुकसान होगा। कहीं नुकसान ज्यादा होता है और कहीं कम है और उसी के आधार पर राहत राशि फिक्स की जानी चाहिये न कि एक फिक्स्ड एमाउंट हर राज्य को दिया जाये। मेरा निवेदन है कि राहत के मैनुअल और नौर्म्स बदलने चाहियें क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिये 18 करोड़ रुपये रखे गये हैं, अब कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां सिर्फ 18 करोड़ का ही नुकसान होगा ?

इसलिए मैन्युअल में तुरन्त परिवर्तन किया जाए और केन्द्र से प्रदेश को सहायता बढ़ा दी जाए। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र महतो (जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जमशेदपुर स्थिति इनकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसने पिछले 70 वर्षों में अपने उत्पादों की गुणवत्ता और विक्रय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रसिद्धि पायी है उसके वर्तमान चैयरमैन काशीनाथ तापूरिया के कुप्रबन्ध एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण कम्पनी में भारी आर्थिक संकट है। कारखाने में अप्रैल, 1992 से उत्पादन ठप्प है तथा सितम्बर, 1993 से करीब 3000 मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है। कम्पनी कार्य विभाग ने अपनी आरंभिक जांच के बाद वित्तीय अनियमितताओं को सही पाया है तथा वर्तमान चेयरमैन श्री काशीनाथ तापूरिया को हटाने की सिफारिश की है, लेकिन सम्बन्धित विभागों में इन सिफारिशों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारी और उनके आश्रित भुखमरी के कगार पर हैं। इसलिए वर्तमान चेयरमैन श्री काशी नाथ तापुरिया को बदलकर टाटा द्वारा अधिग्रहण की व्यवस्था शीघ्र कराई जाए।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री

का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में अनेक वित्तीय संस्थाएं जिनका कोई पता ठिकाना नहीं होता है वे अपनी आकर्षक योजनाओं के जरिये लोगों को प्रलोभित करके उनके धन को अपनी कम्पनी में लगाने को प्रोत्साहित करती है और फिर अपने धन को वसूल कर के भाग जाती है। इस प्रकार से ये वित्तीय कम्पनियां देश में ठगी कर रही हैं। ऐसी ही वित्तीय संस्थाएं आज जोर-शोर से खुलती जा रही हैं और यदि पता किया जाए, तो कुछ दिनों के बाद ये बन्द हो जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कम्पनियों में पीयरलैस कम्पनी को भी लिया जा सकता है और लक्ष्मी चन्द बग्गा एंड संस कम्पनी भी उन्हीं में से एक है। इस कम्पनी के बारे में तो माननीय उच्च न्यायालय बम्बई ने भी एक आदेश पारित किया है कि इसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाए और जमाकर्ताओं को राशि लौटा दी जाए, लेकिन उस आदेश का परिपालन न करते हुए, उनको कोई पैसा नहीं लौटाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस प्रकार की कम्पनियों की कोई पूछताछ नहीं होती है। वित्त मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है। वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अभाव में लक्ष्मी चन्द बग्गा एंड संस कम्पनी द्वारा करोड़ों की ठगी कर के बाद में वह कम्पनी लिक्विडेट हो गई और उसके ऊपर लिक्विडेटर नियुक्त हो गया, लेकिन जमाकर्ताओं को अपना पैसा नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कई जमाकर्ताओं के पत्र मिले हैं जिनमें कई बड़े-बड़े समाचार पत्रों के पत्रकार भी हैं जैसे नई दुनियां आदि। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के भी कई लोग हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर तुरन्त आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसी कम्पनियों के खिलाफ अविलम्ब कठोर कार्यवाई की जाए और ऐसे अंधाधुंद कम्पनियों के खुलने पर रोक लगाई जाए, ताकि लोगों की ठगी रोकी जा सके। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रेड्डीगारू, मैं इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता आप मुझे उलझन में डाल रहे हैं। आपको समरण होगा कि एक बार जब मैंने इस प्रकार का परिवर्तन किया था जिसके फलस्वरूप श्री सैयद शहाबुद्दीन को बोलने का मौका मिल गया था तो अध्यक्ष पीठ को काफी कठिनाई हुई थी।

अब श्री थामस बोलेंगे।

(व्यवधान)

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस (एरणाकुलम) : महोदय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हमारे देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। कल ही दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने त्याग पत्र दे दिया। इसका एक कारण उन्होंने धन का अभाव भी बतलाया है। कोचीन विश्वविद्यालय को भी ऐसी ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो भी सहायता दी जा रही है वह कोचीन विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी

विश्वविद्यालयों को विशेषकर मेरे निर्वाच क्षेत्र के कोचीन विश्वविद्यालय को पहले की भांति ही पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजरात की एक गम्भीर समस्या की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. ने गुजरात के सार्वजनिक उपक्रम जैसे-ओ. एन. जी. एस., हैवी वाटर प्लांट, एन. टी. पी. सी. को उड़ा देने की धमकी दी है। केन्द्र सरकार ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को कहा है कि वे इन उपक्रमों की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार एक ओर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को जैसे ताकीद करती है वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार वहां जो स्मगलर्स हैं, एंटी सोशल एलीमेंट्स हैं, उनको अपने पास बैठाकर प्रोत्साहित करती है। इसलिये मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह गुजरात में बड़े पैमाने पर जो एंटी सोशल एक्टीविटीज हो रही हैं और बड़े-बड़े गुनाहगार जैसे दाऊद खान, नबी खान के साथ उनका जो संबंध है, उनको तुरंत पकड़ने की कोशिश करें। गुजरात में माफिया का जो गैंग है, वह वहां का जन-जीवन अस्तव्यस्त कर रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिस प्रकार उन्होंने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को अच्छी व्यवस्था करने के लिए चेतावनी दी है उसी प्रकार वह गुजरात सरकार को आदेश दे कि गुजरात में पुलिस कंट्रोल अच्छी तरह से हो।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार के कई जिले गंगा नदी की बाढ़ और कटाव से काफी परेशान हैं। राज्य सरकार की ओर से जो रिलीफ का काम हो रहा है, वह न के बराबर है। समस्तीपुर जिला के पटोरी, मोहिउद्दीननगर और दलसिंह सराय का बहुत बड़ा भाग प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में आ गया है। वैशाली और सारण जिला भी बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ के साथ महामारी भी फैल रही है। मवेशियों को चारा भी नहीं मिल रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गंगा नदी के बाढ़ पीड़ितों के लिए अधिक से अधिक रिलीफ का प्रबंध करे तथा मवेशियों के लिए भी चारा उपलब्ध कराये। जिनका घर कटाव से बह गया है उनको बसाने का भी प्रबंध करें तथा बाढ़ के बाद जोरों से फैलने वाली महामारी को भी रोकने का प्रबंध करे।

श्री हरीन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त में मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो परम्परागत कपड़ा उद्योग है, जिसकी चिन्ता अभी श्री दिघे जी ने की थी वह कल श्री सत्य नारायण जटिया ने की कि पिछले 5-7 साल में विशेषकर दो वर्षों में वह मृतप्राय हो गया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसकी 70 प्रतिशत आबादी उसी उद्योग पर निहित है। एक जमाने में अहमदाबाद में 85 कपड़ा मिलें थी परन्तु आज 20 मिलें भी नहीं बची। हजारों कामगार बेरोजगार हो गये हैं। सरकार कोई पैकेज डील नहीं बनाती है। 15 मिलें लिकवीडेशन में पड़ी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के वेटर्न लीडर अरविंद बुझ साहब, मधु महाजन सेघ के प्रनेता हैं जिनकी उम्र 82 साल की है। वह पिछले 4 महीने से मेरे क्षेत्र में मधि महाजन संघ के बाहर फुटपाथ पर आंदोलन चला रहे हैं। वहां उन्हीं की सरकार है। वहां लाखों कामगार बेरोजगार हो गये हैं। उनका बकाया बाकी है। हमारे वित्तीय बजट में 300 उकरोड़ रुपये नेशनल यूनियन फंड में रखे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इसमें से जो 15 लिक्वीडेशन मिली हैं कुल ऐसेट्स 195 करोड़ का है जिसमे से 120 करोड़ उनको दी जाये। जो 40 हजार कामगार बेरोजगार हैं, जिनका पैसा बकाया है उनको वह पैसा मिल सकता है।

उपाध्यक्ष जी, यह इण्डस्ट्री खत्म हो गयी है। उन कामगरों को उनका ड्यूज नहीं दिया गया तो मेरे क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। यह मेरे लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। मेरा सारा मत क्षेत्र उसी पर निर्भर है। एक भी कांग्रेस के लोग जो सरकार में बैठे हैं, गुजरात में कहते हैं .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार से आप क्या चाहते हैं ?

श्री हरिन पाठक : गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्री मंडल के अनुमोदनार्थ भेजी गई पैकेज योजना को शीघ्र अनुमति दी जाए तथा बंद कपड़ा मिलों के कामगारों हेतु आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, आज की कार्यसूची में मेरा नाम गलती से शामिल कर लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि यहां अब तक जो भी कार्यवाही की गई है वह गलतफहमी के कारण चलती रही थी ? सूची में आपका नाम था इसीलिए मैंने आपको बुलाया है।

श्री भोगेन्द्र झा : इसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने न तो किसी का पक्ष लिया है और कोई गलत कार्य भी नहीं किया है।

श्री भोगेन्द्र झा : ठीक है लेकिन मैं तो प्रतिदिन अपना नाम दे रहा हूं ऐसा लगता है कि आज गलती से ही मेरा नाम बुलाया गया है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची हमारे देश का गौरव है, यह न केवल उद्योगों की अपितु भारी

उद्योगों की जननी है। उस समय यह एशिया का सबसे बड़ा उद्योग था। लेकिन अब सरकार की नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति के फलस्वरूप अब यह बंद होने वाला है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मजदूरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। यदि उद्योग बरकरार रहता है तो रोजगार भी बरकरार रहेगा। यदि उद्योग बंद जो जाता है तो अनेक चीजें समाप्त हो जाएंगी। हटिया का मतलब एक इस्पात कारखाना प्रतिवर्ष स्थापित करना है क्योंकि प्रतिवर्ष इसकी उत्पादन क्षमता 10 लाख टन है। औद्योगिकरण का यही आधार है।

अब सरकार सस्ते दर पर अच्छी किस्म का माल जिसका कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन उत्पादन करता आ रहा है तथा अभी भी उसकी उत्पादन क्षमता बरकरार है, के लिए विदेशों से निविदाऐं आयोजित कर रही है। इस रूप से इसकी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता तथा घाटे में चलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। देश की औद्योगिकरण तथा देश के भविष्य के लिए यह अत्यंत घातक सिद्ध होगा। .....(व्यवधान)..... विगत तीन वर्षों में इसके कार्यकरण में सुधारं हुआ है। इसके लिए बाहर से आयात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश का औद्योगिक ढांचा नष्ट हो जाएगा। एक बार खो देने के बाद इसे आसानी से पुन: प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

हमारी सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों के प्रति आसक्त हैं वे कभी भी एच॰ ई॰ सी॰ रांची का मुकाबला नहीं कर सकते। वे आपको 'कोका कोला' 'पेप्सी कोला' दे सकते हैं। वे आपको ऐसा कोई उद्योग उपलब्ध करा सकते हैं लकिन वे कभी भी हटिया जैसा उद्योग उपलब्ध नहीं करा सकते। हमें इसका संरक्षण करना होगा। पंडित जवाहर लाल नेहरु ने एक बार कहा था कि "ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं।" अत: आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे न्यूनतम धनराशि शीघ्र उपलब्ध करायें। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन्होंने मात्र 20 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्हें उन सभी पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति करने का क्रयादेश दिया जाना चाहिए जिसका उत्पादन करने में वह सक्षम है क्योंकि देश को उनकी जरुरत है। अत: स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में सरकार राष्ट्र विरोधी नीति अपना रही है। यह नई औद्योगिक नीति नहीं है। यह एक राष्ट्र विरोधी नीति है। इससे राष्ट्र को नुकसान पहुंच रहा है। यह हमारी अपनी राष्ट्रीय आर्थिक स्वतंत्रता पर आघात कर हमारे औद्योगिक आधार को नुकसान पहुंचा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक अत्यंत गंभीर बात है। मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी अभी भी अनेक सदस्य हैं, जो बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के कबीरगंज और रमनगरा में दोनों साइडों में 10–11 गांव बिल्कुल कट चुके हैं, 15-16 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, हजारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है, सैंकड़ों एकड़ जमीन शारदा नदी के पेट में चली गई है। सहकारी

चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, थाना हजारा कटने जा रहा है। शारदा नदी में 28 जून से अब तक लगातार बाढ़ और कटान जारी है।

मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे कर कटान रोकने का आश्वासन देकर वहां पत्थर ढलवाने का काम बिना तारों के बांधे शुरू करवाया। जिस तरह शारदा नदी की बाढ़ का पानी बह रहा है उसी तरह सारा धन बहाया जा रहा है फर्क इतना ही है कि बाढ़ ने क्षेत्र को तबाह कर दिया और बाढ़ तथा कटान नियंत्रण पर खर्च होने वाले धन से बाढ़ पीड़ितों को लाभ नहीं हो रहा बल्कि शासन को लाभ हो रहा है। एक तरफ क्षेत्र नदी की बाढ़, कटान से बर्बाद हो रहा है दूसरी तरफ शासन मालामाल हो रहा है।

केन्द्र सरकार से, विशेषकर जल संसाधन मंत्री से निवेदन है कि वे उस क्षेत्र का भ्रमण कर वहां के लोगों की सहायता करें और उन्हें आर्थिक सहायता दें तथा नदी की धार बदलकर तथा ठोकरें बनाकर क्षेत्रवासियों को, बाढ़, कटान से बचाएं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में कालीन के बहुत से उद्योग हैं। वहां के बने कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आज कालीन उद्योग के सम्मुख कई तरह की दिक्कतें आकर खड़ी हो गई हैं। वहां के कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये और वहां के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने के लिये भारत सरकार ने कालीन संस्थान बनाया था। इस संस्थान को बनाने के लिये 1 करोड़ 12 लाख रुपये की योजना बनायी गई थी लेकिन आज के दिन 2 करोड़ 50 लाख रुपये कालीन तकनीकी संस्थान पर खर्च हो चुके हैं। आज तक वह संस्थान पूरा बन नहीं पाया है। उस कालीन उद्योग में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना बनायी गई थी लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देश के दूसरे हिस्सों से लोग यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आते हैं। उनको रहने के लिये जगह नहीं मिल पाती है। इससे वे ठीक से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्थानीय लोग जिनके लिये कालीन तकनीकी संस्थान बनाया गया था, वे अपना अधिकार पाने से वंचित रह जाते हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि संस्थान के भवन निर्माण में जो धांधली हुई है, उसकी जांच करायी जाये और वहां के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्राप्ति की सुविधा दी जाये। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतने अधीर क्यों हैं ? मैं सूची से हटना नहीं चाहता हूं। अगर आपका नाम सूची में है तो मैं अवश्य बुलाऊंगा। यह मैंने कई बार स्पष्ट कर दिया है। कृपया सहयोग करें। मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बहुत खराब है। असम की बराक घाटी सिर्फ एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक एक रेल लाइन से जुड़ी हुई है। बरसात के दिनों में चट्टानों के खिसक जाने के कारण कई बार यह कट जाती है। इन परेशानियों के अलावा गुवाहाटी से लुम्डिंग तक मीटर गेज लाइन को बड़ी

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पूर्वोक्त क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बहुत खराब है। असम की बराक घाटी सिर्फ एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक एक रेल लाइन से जुड़ी हुई है। बरसात के दिनों में चट्टानों के खिसक जाने के कारण कई बार यह कट जाती है। इन परेशानियों के अलावा गुवाहाटी से लुम्डिंग तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के कारण न केवल बराक घाटी के लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बल्कि त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्य के एक हिस्से के लोगों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लुम्डिंग पर यात्रियों को यानांतरण करना पड़ता है लेकिन वहां पर उचित सुविधायें जैसे प्लेटफार्म, भोजन आदि उपलब्ध नहीं हैं। वहां पर गाड़ियां भी कम हैं। हमारा अनुरोध है कि जब तक पहाड़ी सैक्शन के बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक मीटर गेज लाईन को भी बड़ी गेज लाइन के साथ-साथ चालू रखना चाहिए। लेकिन रेलवे ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक गुवाहाटी से लुम्डिंग तक बड़ी रेल लाइन को बिछाने का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक मीटर गेज लाइन को बड़ी गेज लाइन के साथ बिछा दिया जाना चाहिए। और इसमें अधिक व्यय भी शामिल नहीं है। मीटर गेज लाइन को जब तक चालू रखना चाहिए जब तक कि पहाड़ी सैक्शन को बड़ी गेज लाइन में बदलने का कार्य पूरा नहीं हो जाता।

मैं यह भी चाहता हूं कि बराक घाटी, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ भाग के लोगों की कठिनाईयों को देखते हुए रेल मंत्री के आश्वासन के अनुसार लाउका से सिलचर तक बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण तत्काल शुरू किया जाये और उसके बाद बड़ी रेल लाइन के निर्माण का कार्य अविलंब शुरू किया जाए।

[हिन्दी]

डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जलगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का जो किसान है, वह आज बहुत परेशान है। मेरे क्षेत्र में 40,000 एकड़ में केला होता है। केला उगाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स लगते हैं, यूरिया इनमें प्रमुख है। यूरिया की इस वक्त बहुत शार्टेज है और बिजली के दाम भी दो गुने हो गये हैं।

इतनी परेशानी के बावजूद भी हमारे किसानों ने केला प्रोड्यूस किया है। वह केला हर रोज एक रैक दिल्ली में आता है और सारे नोर्थ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर रेल बजट में कहा जाता है कि फल और सब्जियों के ऊपर माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है, मगर हर वर्ष अगस्त महीने में इसमें वृद्धि होती है। गत वर्ष 800 रुपये पर वैगन भाड़ा बढ़ा दिया और इस साल भी 800 रुपये पर वैगन भाड़ा बढ़ा दिया तो कुल मिलाकर वैगन के पीछे दो साल में 1600 रुपये की वृद्धि हो गई। इसकी वजह से किसान परेशान हैं।

मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि यह जो बढ़ा हुआ भाड़ा है, इसको कम किया जाय।

[अनुवाद]

श्री जी॰ एम॰ सी॰ बालयोगी (अमलापुरम) : महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पिछले एक सप्ताह में मैंने कई बार नोटिस दिये हैं लेकिन मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र अमलापुरम में लोगों में व्याप्त असंतोष की ओर दिलाना चाहता हूं वहां पर लोगों ने मुक्तेश्वरम से कोट्टापल्ली तक गौतमी नदी में गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य बंद कर दिया है। उन्होंने ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ को नोटिस भी दिया है कि वो मेरे क्षेत्र में रावा स्ट्रक्चर के निजीकरण के खिलाफ हैं।

ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ मेरे क्षेत्र में अर्थात् के॰ जी॰ रावा स्ट्रक्चर में तेल की खुदाई पर अब तक 21 सौ करोड़ रुपये खर्च किये हैं। वर्तमान में ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की रावा स्ट्रक्चर से प्राप्ति हो रही है। इस समय सरकार ने दुर्भावनावश रावा स्ट्रक्चर को बंद करने का निर्णय लिया है। स्थानीय लोग सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं।

महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ को गौतमी नदी पर ये दूरूलंका और यानम तथा पारसलपुड़ी और बोडासकारू के बीच पुलों का निर्माण करने के लिए धनराशि देने के लिए चार प्रस्ताव भेजे हैं। गैस प्राधिकरण ने दो पैदल पथ पुलों का निर्माण करने के लिए टेण्डर नोटिस दिये हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगा एवं सरयू की भीषण बाढ़ से 13 संसदीय क्षेत्र हर वर्ष तबाह रहते हैं। नदियों के लिए कोई राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय नीति निर्धारित नहीं होने से सबसे तबाह यदि कोई इलाका होता है तो वह बिहार का इलाका है।

केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से हम हर साल डूबते भी हैं और साथ ही साथ सूखते भी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र का रिविलगंज क्षेत्र बिहार का सबसे पुराना क्षेत्र है। वहां पर सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटी है। यह ऐतिहासिक क्षेत्र भी है और गौतम ऋषि का स्थान है। वह क्षेत्र हर साल कटाव से पीड़ित होता है। वहां पर जयप्रकाश नारायण की जन्म स्थली सिताब दियारा है। उनकी जन्म स्थली लाला टोला कटावग्रस्त है। अब कुछ दिनों में वह चिरागविहीन हो जायेगा। इसी तरह से मांझी प्रखण्ड की भी वही हालत है।

मेरी ओर से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि बिहार की सरकार वहां पर राहत कार्य चला रही है लेकिन आप जो प्राकृतिक आपदा के लिए फण्ड देते हैं, वह इतना कम है कि पूरे बिहार में उसे दे पाना सम्भव नहीं है। अतः राशि बढ़ाकर और केन्द्रीय नीति निर्धारित कर हमें इस कष्ट से उबार लें। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं हैं ? नियम भी तो कुछ होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सदस्य जब चाहे खड़ा होकर बोलना शुरू कर दे।

मैं श्री चित्त बसु को आमंत्रित करने से पहले उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपना भाषण संक्षिप्त रखें क्योंकि और कई माननीय सदस्य भी बोलने के इच्छुक हैं। अगर वरिष्ठ सदस्य अपनी बात को एक दो मिनट में ही समाप्त कर देते हैं तब अन्य कई सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल सकता है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत असाधारण स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं जो गृह मंत्रालय के इस निर्देश के कारण उत्पन्न हुई है कि बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। और इस तरह से राज्य की जनसंख्या में इनका विलय हो गया है। विस्थापित व्यक्तियों को राज्य में और अधिक सहायता राज्य सरकार के साधारण वित्तीय निर्णय के अनुसार दी जायेगी यह निर्णय है. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रखा। कृपया अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिये।

श्री चित्त बसु : पहले यह जिम्मेवारी भारत सरकार की थी। यह मुद्दा उठाने का आशय यह है कि सरकार इस जिम्मेवारी को छोड़ने जा रही है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है इसलिये महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने निर्णय की पुनरीक्षा करे और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की जिम्मेवारी को पूरा करे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्र की प्रगति के द्योतक है। मेरा निवेदन करना यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8, जो हरियाणा से होकर राजस्थान जाता है, की हालत बहुत खराब है। हरियाणा की सड़कों को मेनटेन करने के लिए तो भारत सरकार तत्पर रहती है, लेकिन जहां से राजस्थान की सीमा शुरू होती है, उस पर पहले गड्ढे थे ही लेकिन आजकल भयंकर गड्ढे हो गये हैं। जहां यातायात में पहले चार घन्टे लगते थे, आजकल आठ घन्टे लग रहे हैं। सारी सड़क खराब है। जयपुर-अजमेर की सड़क भी खराब है। मेरा निवेदन करना है कि भारत सरकार को भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन नेशनल हाईवे को मेनटेन करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, रेलमार्ग भी बन्द है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार में एक ही मुद्दा उठाइए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मेरा निवेदन करना यह है कि वहां की सड़कों को

मेनटेन करने के लिए 47 करोड़ रुपए की मांग राजस्थान सरकार ने की है, लेकिन 23 करोड़ रुपया ही सिर्फ दिया गया है। मेरी मांग है कि नेशनल हाईवे को मेनटेन करने का काम भारत सरकार करे, अन्यथा राजस्थान सरकार ने जितनी रकम मांगी है, वह दी जाए। इसके साथ ही जो रेलगाड़ी बन्द पड़ी है, वह भी चलाई जाए।

[अनुवाद]

श्री बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : इस महीने की 24 तारीख को हैदराबाद में पुलिस ने शांत प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जिसमें 50 व्यक्तियों को जिनमें वृद्ध नेता और महिलायें भी थीं, चोटें आई और मेरे समेत 3000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गैट समझौते और निजीकरण की नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चलाना अनुचित और अमानवीय था।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह राज्य सरकार को दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा देने की सलाह दें।

मेरे पास 'दि न्यूजटाइम' की एक प्रति है जिसमें इस खून खराब के दृश्य दिखाये गये हैं। मैं यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय को देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में मैं कहना चाहता हूं, बिहार की हालत यह है कि बिहार के अधिकांश जिलों में डायरिया और हैजा का जबर्दस्त प्रकोप व्याप्त है। लगभग एक हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहां यह स्थिति है, लेकिन वहां पर दवायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं और नर्सों तथा डाक्टरों का भी अभाव है।

2.00 म. प.

ऐसी स्थिति में बिहार जैसे पिछड़े राज्य में यह आवश्यक है कि केन्द्र इस मामले में ध्यान दे। वहां पर दवाइयों की व्यवस्था की जाए, डाक्टरों की टीम भेजी जाए, सहायता पहुंचाई जाए, ताकि जो निर्दोष लोग मर रहे हैं, उनकी हिफाजत हो सके।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

बिहार में सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित यूरेनियम कार्पोरेशन लिमिटेड कारखाना 1960 से कार्यरत है। इसके कुप्रभाव से वहां 50 गांवों के करीब 1000 आदिवासी कैंसर और टीबी से प्रभावित हो गए हैं और 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके कुप्रभाव से फसलें, जलचर और नभचर, सब प्रभावित हो रहे हैं। पशुओं के चरने के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं है, जल और वायु, दोनों प्रदूषित हो गए हैं।

इसका मुख्य कारण यह है कि खान से कच्चा माल निकाल कर उससे मेगनीशियम डेकारनेट बनाया जाता है और उससे फिर एलोकेट तैयार किया जाता है। इसके बाद एलोकेट से यूरेनियम निकालने

के लिए उसको एनएफसी हैदराबाद भेजा जाता है। इससे निकलने वाली डस्ट को पहले हैदराबाद में फैंका जाता था। परंतु हैदराबाद के निवासियों द्वारा इसका विरोध करने पर इस डस्ट को वापिस ला कर जादूगोड़ा में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सारे कुप्रभाव हो रहे हैं।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि एक सर्वेक्षण दल वहां पर भेजा जाए, क्योंकि आदिवासियों के जीवन-मरण का सवाल है तथा मैं यह भी मांग करता हूं कि इस बारे में सरकार एक वक्तव्य भी दे।

[अनुवाद]

श्री मृत्युजंय नायक (फूलबनी) : महोदय धन्यवाद। मैं हमेशा जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय शिष्टमंडल को भेजे जाने की मांग करता हूं। क्योंकि तथ्य यह है कि भारत का नेतृत्व हमारे प्रिय प्रधान मंत्री कर रहे हैं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक और सदस्य भी बोलने के इच्छुक हैं।

श्री मृत्युजंय नायक : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे प्रिय प्रधान मंत्री हमारे देश के समर्थन में संपूर्ण विश्व की राय हासिल कर सके हैं। इसलिए पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति को पैदा कर पाने के बारे में शंकित हैं और जम्मू कश्मीर के मामले में विश्व का समर्थन और राय हासिल नहीं कर सका है। पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में अस्थिरता पैदा करना चाहता है और कानून और व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। लेकिन हमने अमरनाथ की तीर्थयात्रा आयोजित की और हजरत बल के पवित्र स्मृति चिन्ह् को भी प्रदर्शित किया है और इस तरह हमने स्थिति पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है।

वहां पर कुछ समय पहले कुछ विद्यार्थियों की हत्या करने की कोशिश की गई थी। यह सिर्फ लोगों में आंतक का वातावरण पैदा करने की कोशिश थी। महोदय, मैं चाहता हूं कि एक संसदीय शिष्टमंडल राज्य का दौरा करे और संसद को स्थिति से अवगत कराये ताकि हम वहां पर चुनाव कराने और राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के बारे में संसद की आम राय बना सकें।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी छोटानागपुर अन्तर्गत सिंहभूम जिले की स्वर्णरेखा नदी में भयानक बाढ़ आ जाने से स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बने चांण्डिल बांध पर सागर तल से 190 मीटर ऊंचा पानी बह रहा है। यहां लगातार भारी वर्षा होने के कारण लगभग पचास गांव पानी से पूर्ण रूप से डूब गए हैं और इन गांवों की लगभग 100 एकड़ जमीन से खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। यह पानी 25 से 30 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। वहां पर राहत पहुंचाने के लिए सेना के जवान लगे हुए हैं लेकिन पानी में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। गांवों के चारों ओर डायरिया, हैजा, आंत्रशोथ आदि बीमारी फैल रही है जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में है। हमने प्रधान मंत्री से इस क्षेत्र में आयी बाढ़ से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रधान मंत्री राहत कोष से उपलब्ध करने के लिए कहा

है ताकि सड़कों, पुलों और दवाईयों आदि की व्यवस्था की जा सके।

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में आंत्रशोध और हैजे से बचाव के लिए सरकार कोई कीटनाशन मुहैया नहीं कर पा रही है और न ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हमारे संसदीय क्षेत्र सीतापुर में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण इसका प्रकोप बढ़ गया है और सैंकड़ों लोग इसमें मरते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको नियंत्रण कर पाने में पूर्णत: असमर्थ है। अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वैक्सीनेशन और कीटनाशक दवाईयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि दी जाए जिससे वहां पर इन बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। इस तरह से पड़ौस के जिलों हरदोई, आजमगढ़ और बहराईच आदि में भी भीषण प्रकोप है।

श्री डी॰ जे॰ टंडेल (दमन और दीव) : उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत के फिशरमैन बहुत चिंतित हैं। इस बारे में मैंने पिछले सत्र में भी मांग की थी लेकिन आज तक भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। अभी एक सांसद ने कहा कि यहां पर सुनवाई होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ नहीं किया जा रहा है। भारत के सारे फिशरमैन आज दुखी हैं क्योंकि भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को समुद्र में मछली पकड़ने का लाईसेंस दे दिया है। आज 2700 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमारे मछुआरे भारत सरकार को देते हैं लेकिन लालच में विदेशी मुद्रा कमाने के लिए जो विदेश में कंपनियां बंद थी उनको यहां पर लाकर फिश पकड़ने की परमिशन दे दी है। वे आज हजारों फिश पकड़ रहे हैं इसलिए हमारे फिशरमैन चिंतित हैं क्योंकि कुछ समय बाद हमारे मछुआरों का फिश पकड़ने का धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए मछुआरों ने स्ट्राईक की थी और कुछ समय बाद काला दिना बनाया था। अब 23 नवंबर को वे स्ट्राईक करने जा रहे हैं और मंत्री के घर पर धरना दे रहे हैं। अभी डेलीगेशन आया है तो कुछ लोगों ने बताया कि मंत्री जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार समुद्र में कोई बीज नहीं डालती है यह तो परमात्मा की कृपा से है और मछलियों को पकड़ने का अधिकार हमारे मछुआरों का है न कि विदेशी कंपनियों का है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो लाईसेंस दिया गया है, उसको रद्द किया जाए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मेरे क्षेत्र से बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राज-मार्ग गुजरता है। वह इंदौर के बीच से होकर जाता है। मैं 1989 से यह मसला लोक सभा में उठा रही हूं। यहां पर बाईपास स्वीकृत है, लेकिन आज तक उसका काम प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इंदौर में जितना कार्य इस सम्बन्ध में वहां के प्रशासन को करना था जैसे भूमि का अर्जन, विद्युत के खम्भे हटाना, वह सब कार्य पूरा कर लिया गया है। यह योजना विश्व बैंक के अंतर्गत आने वाली योजना है। वहां से भी स्वीकृति आ चुकी है और 1996 तक यह काम पूरा होना चाहिए था। आज तक उसके टेंडर ही नहीं, ग्लोबल टेंडर भी आ चुके हैं, परंतु वास्तविक काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में रोज एक दुर्घटना होती है और एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसके कारण पूरे क्षेत्र बहुत अशांति है। मेरा निवेदन है कि तुरंत एक तय तारीख में इस बाई-पास का काम शुरू कराया जाये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : जवाहर रोजगार योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। कहा जाता है कि पांच सौ लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। अरबों रुपया इस पर खर्च हो रहा है। खेद की बात है कि जवाहर रोजगार योजना के तहत इतनी ज्यादा धांधली हो रही है कि हर जनपद में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी हो रही है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक पांच हजार कार्य दिवसों का सृजन हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी तालाब और ड्रेन आदि की खुदाई की जा रही है, वह सारी मशीनों के द्वारा की जा रही है। जबकि यह मजदूरों के द्वारा 'रोजगार के बदले अनाज' योजना के अनतर्गत होनी चाहिए। इसमें कितनी गड़बड़ी है, इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। गाजीपुर में 10 हैंडपम्प, जौनपुर में 26 हैंडपम्प लगाने की बात हुई। हमसे प्रपोजल मांगा गया, वह हमने दिया। लेकिन सारे के सारे हैंडपम्प गायब कर दिये गये। एक हैंडपम्प 17 हजार रुपये से लगता है। 26 लाख रुपये का प्रपोजल सड़कों की और ड्रेन की खुदाई के लिए आया। लेकिन कोई काम नहीं हुआ। सब कागजों में खुदाई हो गई। इस सम्बन्ध में हमने जिलाधिकारी से भ बात की और थाने में एफआईआर भी लिखाई गई। अपराधी पकड़े भी गये, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि जो अरबों रुपया खर्च हो रहा है उसके लिए निष्पक्ष लोगों की एक जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाये। जो सारे मामले की जांच करे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ जन-प्रतिनिधि भी इसमें ऐसे हैं, जो ठेकेदारों से पांच, दस और बीस प्रतिशत कमीशन ले रहे हैं। गुंडे और बदमाश लोग इससे काफी बढ़ते जा रहे हैं।

2.14 म० प०

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

श्री लक्ष्मीनाराण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं। मैं भी इस मामले को उठाने का प्रयत्न करता रहा हूं, लेकिन मौका नहीं मिलने के कारण उठा नहीं सका। यहां करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। इसमें कमीशन भी लिया जा रहा है। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, तात्कालिक लोक महत्व का मामला उठाने की मुझे अनुमति प्रदान करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उड़ीसा बहुलता में निर्धनता के लिए प्रसिद्ध है। गहन जवाहर रोज़गार योजना तथा रोजगार बीमा योजना जैसे कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण इस गरीब एवं पिछड़े राज्य पर बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन महत्वपूर्ण कार्योन्मुखी एवं रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं।

भारत सरकार अध्ययन दल, जिसने हाल ही में उड़ीसा का दौरा किया था, इस बात से सहमत था कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप, जरूरतमंद लोगों को

रोजगार प्रदान करने तथा इस प्रकार निर्धनता को दूर करने का उत्कृष्ठ उद्देश्य उड़ीसा में पूरी तरह निष्फल हो गया है।

जहां तक हमारी प्रामाणिक जानकारी है, केन्द्रीय दल ने उड़ीसा सरकार को स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि यह तत्काल सुधारात्मक उपाय नहीं करेगी तो वे विधायकों को कार्यस्थल का चयन करने हेतु शक्ति प्रदान करने वाले परिपत्रों को वापस ले लेंगे।

उड़ीसा में पंचायती राज संस्थाओं की बजाय विधायकों को कार्य स्थल का चयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक के ठेकों के लिए ठेकेदारों को लगाया जाता है तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक विकास अधिकारी इस योजना से आयकर एवं अन्य बातों के लिए कटौतियां करता है। यह भारत सरकार के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यदि उड़ीसा जैसा राज्य तंत्र के दोषपूर्ण कार्यान्वयन एवं इन परियोजनाओं के राजनीतिकरण के कारण इन सब चीजों को खो देगा तो उड़ीसा का क्या होगा ? यही कारण है कि हम यह कह रहे हैं कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं तथा योजनाओं के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण उड़ीसा सरकार ने एक दिन के लिए भी बने रहने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है क्योंकि निर्धनता को दूर करने तथा जरूरतमंद लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बने इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

रोजगार के अभाव में गरीब जनता पलायन कर रही है तथा राज्य छोड़कर जा रही है। वे कालाहांडी क्षेत्र में वाल्टेयर, रायपुर तथा अन्य स्थानों को जा रहे हैं। बोलानगीर, सम्बलपुर, कालाहांडी, कोरापुट, फूलबनी तथा अन्य स्थानों के आदिवासी क्षेत्रों में भुखमरी के कारण मृत्यु हो रही हैं।

भारत सरकार ने अपने अध्ययन एवं जांच के उपरांत यह महसूस किया है कि वहां गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। अब राज्य सरकार के पास बने रहने के लिए कोई नैतिक प्राधिकार नहीं है। यदि वे इसी प्रकार दोषपूर्ण कार्य करना जारी रखते हैं तो उड़ीसा के लोग अपना धन तथा अन्य चीजों को खो देंगे। इसलिए यही समय है कि इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जनता दल में अन्दरूनी कलह के कारण उड़ीसा में विशेष रूप से कालाहांडी जिले में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। .....**(व्यवधान)**.....

महोदय इसके कारण एक भूतपूर्व विधायक की हत्या हो गयी थी, एक मंत्री को अस्पताल में दाखिला किया गया है तथा एक जनता दल विधायक पुलिस हिरासत में है। वहां कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति है। जवाहर रोजगार योजना और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में ऐसी स्थिति है। ऐसी सरकार से हम क्या आशा कर सकते हैं ? राज्य की गरीब जनता इसके कारण कष्ट उठा रही है। वे काफी कठिनाई में हैं। इसी कारण श्री बीजू पटनायक के नेतृत्व वाली इस उड़ीसा सरकार ने राज्य में कायम रहने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुधारात्मक उपाय करे ताकि राज्य में सत्ता पर आसीन भ्रष्ट राजनीतिक लोगों की गलतियों के कारण उड़ीसा के लोग और कष्ट न उठाएं। .....**(व्यवधान)**.....

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे निदेश दिया है कि अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है।

2.20 म॰ प॰

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : श्री एस॰ बी॰ चव्हाण की ओर से मैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्ष 1993-94 (अक्तूबर, 1993 से मार्च, 1994 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 6391/94]

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्ष 1993-94 (अक्तूबर, 1993 से मार्च, 1994 तक) के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 6392/94]

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और रेल सुरक्षा आयोग के 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 25 के अंतर्गत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 6393/94]

(3) रेल अधिनियम 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 6394/94]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल टी संख्या 6395/94]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : श्री पी॰ ए॰ संगमा की ओर से मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 1994 जो 18 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 292 में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी कुटुब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1994, जो 18 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 293 में प्रकाशित हुई थी।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1994, जो 18 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 294 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 6396/94]

भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुय विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6397/94]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : महोदय मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का॰ आ॰ 902 (अ), जो 25 नवम्बर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रामपुर पेपर मिल्स लिमिटेड, बिजनौर को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा उसका एक शुद्धिपत्र, केवल हिन्दी संस्करण, जो 9 मई, 1994 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 366 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰ आ॰ 498 (अ), जो 1 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुलमोहर पेपर लिमिटेड, कलकत्ता को अखबारी कागज उत्पाद करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 6398/94]

राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6399/94]

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6400/94]

(दो) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6401/94]

(तीन) देना बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6402/94]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अतंरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6403/94]

(दो) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6404/94]

(3) क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक और इसके समनुषंगी बैंकों अर्थात् स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के वर्ष

1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6405-10/94]

(4) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर (जम्मू-कश्मीर) के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6411/94]

(5) निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :-

(एक) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर (जम्मू-कश्मीर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6412/94]

(दो) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल (मिजोरम)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6413/94]

(6) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6414/94]

(8) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (वित्तीय निरीक्षण बोर्ड) विनियम, 1994, जो 28 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी बी ओ डी संख्या बीपी-213/21.04.050-94 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6415/94]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा० का० नि० 395 (अ), जो 19 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कपास के भारत में आयात किए जाने पर उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 411 (अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो इस्पात गलन छीजन और लौह अयस्क पिलेट्स पर आयात शुल्क कम करके

10 प्रतिशत मूल्यांनुसार से 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 450 (अ), जो 12 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अपरिष्कृत चीनी पर उद्ग्रहणीय मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से भी छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 507 (अ), जो 13 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या 16/89-सी॰ शु॰ की वैधता 31 दिसम्बर, 1994 तक बढ़ाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰ का॰ नि॰ 528 (अ), जो 24 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख या मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी इकाई द्वारा आयातित चमड़े से विर्निमित चमड़े पर तैयार ऊन भारत से निर्यात किए जाने पर उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰ का॰ नि॰ 530 (अ), जो 24 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 नवम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या 299/92-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰ का॰ नि॰ 584 (अ), 8 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 296-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰ का॰ नि॰ 600 (अ), जो 29 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित माल को चीन से भारत में आयात किए जाने पर, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰ का॰ नि॰ 494 (अ), जो 3 जून 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰ का॰ नि॰ 495 (अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 65/88-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰ का॰ नि॰ 496 (अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय माल पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से, जितना 15 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से संगणित राशि से अधिक है, कतिपय

शर्तों के अध्यधीन को छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰ का॰ नि॰ 497 (अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 66/88-सी॰ शु॰ को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) दि प्रोजेक्ट इम्पोर्ट (पहला संशोधन) विनियम, 1994, जो 1 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 556 (अ), में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰ का॰ नि॰ 577 (अ), जो 1 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 6416/94]

(10) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1994, जो 12 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 632 (अ), में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 633 (अ), जो 12 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 97 के उपबंधों को 1 सितम्बर, 1994 से लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 634 (अ), जो 12 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 प्रतिशत वार्षिक दर से विदेश यात्रा करके विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज की दर विहित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6417/94]

(11) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1994, जो 12 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 635 (अ), में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 636 (अ), जो 12 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 98 के उपबंधों को लागू करने के लिए 1 सितम्बर, 1994 की तिथि नियत की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 637 (अ), जो 12 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अंतर्देशीय, हवाई यात्रा कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज की दर 20% वार्षिक विनिर्दिष्ट की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6418/94]

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 489 (अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दन्त चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा, फर्नीचर और उसके भागों पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विहिन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 490 (अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उस पर उदग्रहणीय उतने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक है, जो छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 491 (अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 116/88-के॰ उ॰ शु॰ का विखण्डन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 492 (अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 6/94-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰ का॰ नि॰ 493 (अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्ष्टि माल को उस पर उदग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उतने भाग से जो मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की संगणित राशि से अधिक है, से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰ का॰ नि॰ 408 (अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 1994 की अधिसूचना संख्या 46/94-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰ का॰ नि॰ 409 (अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰ का॰ नि॰ 410 (अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये

थे तथा जो रबड़ के गुब्बारों पर उद्ग्रहणीय को सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰ का॰ नि॰ 431 (अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/93-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰ का॰ नि॰ 432 (अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो स्टेनलेस स्टील, एल्युमीनियम और तांबे के गोलों पर उत्पाद शुल्क से उद्ग्रहीय सम्पूर्ण छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰ का॰ नि॰ 447 (अ), जो 11 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/93-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰ का॰ नि॰ 462 (अ), जो 13 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा स्टेनलेस स्टील पट्टियों/पट्टों जिन्हें होल्ड रोलिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, पर उद्ग्रहणीय चक्रवृद्धि शुल्क की दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 13 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 463 (अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰ का॰ नि॰ 521 (अ), जो 22 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 25 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना संख्या 97/94-के॰ उ॰ शु॰ को विखंडित किया गया है तथां एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰ का॰ नि॰ 527 (अ), जो 24 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो मिट्टी के तेल, रसोई गैस, पैट्रोलियम गैस और अन्य गैसीय हाईड्रोकार्बन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से, जो उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है, छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰ का॰ नि॰ 535 (अ) से सा॰ का॰ नि॰ 537 (अ), जो 27 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न के अपशिष्ट जब उसका आदान के रूप में प्रयोग किया जाए, पर मॉडवेट का विस्तार किया जाना विहित किया गया है तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰ का॰ नि॰ 538 (अ), जो 27 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा स्पैन्डैक्स यार्न पर मूल्यानुसार 10% के मूल उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰ का॰ नि॰ 605 (अ), जो 4 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय संघनन या शीतलन द्वारा सामग्रियों के उपचार के लिए मशीनरी, संयंत्र या प्रयोगशाला उपस्करों, पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक उत्पाद शुल्क की अदायगी को 28 फरवरी, 1993 से 22 अप्रैल, 1993 तक की अवधि के लिए, जिसे साधारणतया प्रचलित प्रथा के परिणामस्वरूप उद्गृहीत नहीं किया गया था, माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी 6419/94]

उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाले विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : महोदय श्री एस॰ कृष्ण कुमार के ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 6422/94]

2.21 म॰ प॰

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां (1993-94)-एक समीक्षा

महासचिव : मैं "विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां (1993-94) एक समीक्षा" के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

2.21$\frac{1}{2}$ म॰ प॰

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1994 वापिस करने का निदेश हुआ है। जो लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 1994 को पारित किया गया था और राज्य सभा को सिफारिश करने के लिए भेजा गया था, और यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को लोक सभा से उक्त विधेयक के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 1994 वापिस करने का निदेश हुआ है जो लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 1994 को पारित किया गया था और राज्य सभा को सिफारिश करने के लिए भेजा गया था, और यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को लोक सभा से उक्त विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 11 के अनुसरण में मुझे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जो राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त, 1994 को अपनी बैठक में पारित किया गया था।

$2.22\frac{1}{2}$ म. प.

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक
राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त, 1994 को यथापारित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

2.23 म॰ प॰

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

सभापति महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन जो 25 अगस्त, 1994 को सभा में पेश किया गया था, मैं निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है :–

(1) श्री शंकरराव काले	23 अप्रैल, 1994 से 30 अप्रैल, 1994 तक और 1 मई, 1994 से 13 मई, 1994 तक
(2) प्रो॰ रीता वर्मा	18 अप्रैल, 1994 से 13 मई, 1994 तक।
(3) श्री राम नाईक	25 जुलाई, 1994 से 26 अगस्त, 1994 तक।
(4) श्री हरिसिंह चावड़ा	25 जुलाई, 1994 से 26 अगस्त, 1994 तक।
(5) श्री राजाराव शंकरराव माणे	25 जुलाई, 1994 से 19 अगस्त, 1994 तक।

सभा की अगर राय हो तो समिति द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

कई माननीय सदस्य : हाँ।

सभापति महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तद्नुसार सूचित किया जायेगा।

2.24 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री सूरजभानु सोलंकी (धार) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की तैंतीसवीं से पैंतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

$2.24\frac{1}{2}$ म. प.

(एक) पैंतालीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं प्राक्कलन समिति का विदेश मंत्रालय-विदेश स्थित मिशन के बारे में पैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की उससे संबंधित बैठकों के कार्यवाही-सारांश की प्रति प्रस्तुत करता हूं।

(दो) की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं रक्षा मंत्रालय-रक्षा भूमि और भूमि उपयोग नीति के बारे में प्राक्कलन समिति के नौवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के पैंतीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.26 म० प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

$2.26\frac{1}{2}$ म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें महामारी तथा कुपोषण से बचाने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय, मैं उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्र कोरापुट जिले से आता हूँ। जोकि उड़ीसा का जनजातीय बहुल क्षेत्र है। हम हर वर्ष बरसात के मौसम में वहां कुपोषण, महामारी और मस्तिष्क ज्वर के कारण कई लोगों की मृत्यु के बारे में सुनते हैं। इसका मुख्य कारण अनुपयुक्त भोजन और गन्दा पीने का पानी है। मैदानी और विकसित इलाकों में धान के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को जुलाई और अगस्त के महीनों में दैनिक वेतन मिलता है लेकिन अन्दरूनी पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर जनजातीय लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। उनको जुलाई और अगस्त के महीने में भी काम नहीं मिलता है क्योंकि भूमि के मालिक अपने छोटे खेतों में खुद ही काम करते हैं और मजदूरों को काम पर नहीं, रखते हैं। इस तरह इन लोगों को काम नहीं मिलता है और इस अवधि में भी जबकि बुवाई और खत पतवार हटाने का कार्य चलता है, उनके पास क्रय शक्ति नहीं रहती है। सितम्बर और अक्तूबर के महीने में मैदानी या पहाड़ी क्षेत्रों में उनके पास कोई काम नहीं रहता है। उचित भोजन के अभाव में ये लोग आम का दलिया, इमली पाऊडर, मानुआ फ्राय और कई अन्य वन उत्पाद खाने लगते हैं जिनसे पेट खराब होने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह देश के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में आम देखने को मिलता है। संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 3 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र सीधे केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में हैं।

इसलिये मैं कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उन राज्य सरकारों को जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, को निर्देश जारी करें कि इस अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरों को काम उपलब्ध करायें और महामारी तथा मस्तिष्क ज्वर इत्यादि को रोकने के लिए उचित दवाईयां उपलब्ध करायें ताकि आगे कुपोषण और मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों को रोका जा सके।

(दो) असम में फालतू भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन लोगों में वितरित करने की आवश्यकता

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, असम में वर्तमान में 3.25 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 4.32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग भूमिहीन हैं और उनमें से प्रत्येक वर्ग के 10 प्रतिशत लोगों के पास छोटी भूमि जोतें हैं आज़ादी के पश्चात् जनसंख्या के बढ़ने से भूमि के टुकड़ों के और छोटे भागों में विभाजित होने के कारण स्थिति और ज्यादा गम्भीर हो गई है। दूसरी ओर वनों की कटाई होने के कारण अब झूम खेती पर प्रतिबंध लग गया है जबकि पहले जनजातीय लोग आजीविका अर्जित करने के लिए झूम खेती किया करते थे और उससे वन खत्म होते जा रहे थे। हालांकि असम में अधिकतम भूमि सीमा के कारण काफी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है फिर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस तरह की भूमि से वंचित रखा गया है क्योंकि वे अत्यधिक गरीब और निरीह हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे और देखे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन और गरीब लोगों के बीच खेती योग्य भूमि और अतिरिक्त भूमि आबंटित की जाये ताकि अति गरीब लोगों के पास कम से कम जीवन यापन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकें।

(तीन) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर जंकशन और गिडनी के बीच रेलगाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करने तथा गिड़नी स्टेशन पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री रूप चंद मुरमु (झाड़ग्राम) : महोदय, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में गिडनी रेलवे स्टेशन पर दैनिक यात्री काफी लम्बे समय से भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनकी मुश्किलों का कारण गिडनी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की बारम्बारता की कमी है। दैनिक यात्री खड़गपुर जंकशन और गिडनी के बीच गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाये जाने की मांग करते रहे हैं। उनके प्रतिनिधियों ने इस बारे में वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा की है लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। 'स्टील एक्सप्रेस' की अप और डाउन दोनों गाड़ियों को भी गिडनी रेलवे स्टेशन पर ठहराया जाना चाहिये।

स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊंचाई को भी बढ़ाया जाना चाहिये ताकि बच्चे, बूढ़े और विकलांग आसानी से गाड़ियों में चढ़ और उतर सकें। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग जनजातीय हैं। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए दैनिक यात्रियों की मांगों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिये। इसलिये, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें।

(चार) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में टी॰ वी॰ स्टूडियों को शीघ्र चालू करने और वहां टी॰ वी॰ कैमरा यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, दूरदर्शन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विजयवाड़ा में टी॰ वी॰ स्टूडियों का निर्माण करने का निर्णय लिया था। तत्कालीन केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने 1989-90 में विजयवाड़ा में स्टूडियों की आधारशिला रखी थी। सरकार का कहना है कि उसने उपकरणों के आयात का क्रयादेश दिया है और विजयवाडा में टी॰ वी॰ स्टूडियों का निर्माण कार्य 1994-95 में शुरू हो जायेगा। यह ज्ञात हुआ है कि उपकरण पहले ही प्राप्त हो चुके हैं तथा उनको दूसरी जगह पर लगा दिया गया है। इसी तरह विजयवाड़ा में स्वीकृत टी॰ वी॰ कैमरा इकाई के बारे में मालूम हुआ है कि इसको हैदराबाद से स्थानांतरित करके विजयवाड़ा में बनाया जायेगा। सरकार के इन निर्णयों को कार्यान्वित करने में काफी विलम्ब हो रहा है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह और अधिक विलम्ब किये बिना उपर्युक्त दोनों निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

(पांच) सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क की मरम्मत करने हेतु शीघ्र उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क, जो सिक्किम को शेष देश से जोड़ता है, राज्य के लिए जीवन रेखा के समान है। इस राजमार्ग का लोक महत्व और सैन्य महत्व है, इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने उसके रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। कई स्थानों पर यह राजमार्ग बहुत संकरा है जिससे यात्रा अत्यधिक खतरनाक बन जाती है। विशेषकर राजधानी गंगटोक के बाहरी क्षेत्र में देवराली और जीरो पोइन्ट के बीच इस राजमार्ग के 2 किलोमीटर लम्बे भाग की स्थिति असंतोषजनक है। राजमार्ग का यह भाग संकरा होने के अतिरिक्त इसमें कई स्थानों पर खुले मैनहोल हैं जिसके कारण पैदल यात्रियों के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राजमार्ग के एक ओर बने फुटपाथ और दीवार की स्थिति दिनों-दिन बद से बदतर होती जा रही है। कई स्थानों पर फुटपाथ और दीवार न केवल काफी टूट गई है बल्कि समय से रखरखाव की कमी के कारण विलुप्त ही हो गये हैं। राजमार्ग के इस हिस्से में गाड़ियों की संख्या में वृद्धि और रेल यात्रियों की संख्या की वृद्धि के कारण काफी भीड़भाड़ रहती है।

मैं सरकार से राजमार्ग के रखरखाव और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग के इस हिस्से की मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए निवेदन करती हूं।

(छह) आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराकर नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड को पुनः चालू करने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड की स्थापना 1974 में हिन्द साईकिल लिमिटेड, मुम्बई और सेन रैले लिमिटेड को अधिग्रहीत कर की गई और इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1980 में किया गया था। इन वर्षों के दौरान कुप्रबंध, धन की कमी और कच्चे माल की कमी के कारण कम्पनी रुग्ण हो गई है। कामगारों के पास कम्पनी के कार्यकरण में सुधार करने के अवसर नहीं थे। कामगारों को खाली बैठने के लिए मजदूरी दी गई और उत्पादन करने नहीं दिया गया। अंततः कम्पनी को रुग्ण घोषित किया गया कई कामगारों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लाभ प्राप्त करने की पेशकश की किन्तु उनके आवेदन पत्रों की उपेक्षा कर कम्पनी को औद्योगिक वित्त और पुर्नगठन बोर्ड को बंद करने के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु तत्संबंधी दस्तावेज भेजे गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया। यदि सरकार चाहे तो धन और कच्चा माल उपलब्ध कराकर और अच्छे प्रबंधन से अभी भी इस कम्पनी को पुर्नगठित करने के उपाय कर सकती है। विकल्प के रूप में कामगारों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लाभ दिये जा सकते हैं। इन कामगारों को जिनमें से कई युवा हैं और काम करने में सक्षम हैं उनके पुर्नवास के लिए नेशनल रिन्यूवल फंड को उपयोग में लाया जा सकता है।

मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर उचित ध्यान दिया जाये।

(सात) डुमरियागंज (उत्तर प्रदेश) में 132 कि॰ वा॰ के विद्युत सब स्टेशन को शीघ्र पूरा करने हेतु धनराशि जारी करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : हमारा संसदीय जनपद सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र का जनपद है, जो कि नेपाल सीमा से लगा हुआ है और इसी जनपद में कपिलवस्तु स्थित है। इस जनपद का औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। कोई उद्योग इस जनपद में नहीं है। इसका एकमात्र कारण बिजली की कमी है। के॰ वी॰ ए॰ का सब स्टेशन इसी जनपद के डुमरियागंज के पास एक 132 के॰ वी॰ ए॰ का सब स्टेशन बाँसी में 1989 से निर्माणाधीन है। यह सब स्टेशन पावर फाइनेन्शिल कार्पोरेशन के ऋण से बनाया जा रहा है। माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने सूचित किया था कि यह दिसम्बर, 1994 तक चालू हो जायेगा। परन्तु अभी इसमें ट्रान्समिशन टावर का लगना बाकी है और ऐसा बताया गया है कि धन अभाव के कारण कार्य रूका पड़ा है।

अत: मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि इस सब स्टेशन को शीघ्र पूरा करने के लिए धन आवंटन किया जाये तथा जिला मुख्यालय पर भी 132 के॰ वी॰ ए॰ का एक और सब स्टेशन का निर्माण किया जाये।

2.36 म॰ प॰

[अनुवाद]

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक
राज्य सभा द्वारा यथापारित

सभापति महोदय : अब हम कार्य की अगली मद लेंगे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक है। किन्तु इस विधेयक की हिन्दी प्रति प्राप्त नहीं हुई है। यदि सदन को आपत्ति न हो तो मैं मंत्री को विधेयक पेश करने के लिए कहूं।

मुझे सभा को सूचित करना है कि राज्य सभा द्वारा यथापारित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994 पर विचार किये जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद (117 (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त हो गई है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु इसका हिन्दी अनुवाद भी आ जाता तो अच्छा था।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, कल भी जो आया था, उसमें भी हिन्दी का नाममात्र था। इंगलिश में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था। आज भी वह इंगलिश में आया है। ऐसा लग रहा है कि हिन्दी की घोर उपेक्षा की जा रही है। अगर अंग्रेजी का मिल सकता है तो हिन्दी का भी मिल सकता है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : इनका प्रोटेस्ट सही है। हिन्दी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हिन्दी देश की राजभाषा है। इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। .....(व्यवधान).....

प्रो० रासा सिंह रावत : सामाजिक न्याय से बढ़कर कहीं हिन्दी ज्यादा पीड़ित है।

एक माननीय सदस्य : यह हम लोगों की समझ में नहीं आता कि आपसे ऐसे कैसे हो गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्यों का यह उल्लेख करना कि हिन्दी की प्रति नहीं है, यह सर्वथा उचित है। कुछ ऐसी व्यावहारिक परिस्थितियां हुईं कि राज्य सभा से यह बिल रात 11 बजे पास हुआ। इसलिए थोड़ा विलम्ब होने के कारण यह छप नहीं पाया। इसमें कतई यह मंशा नहीं थी कि हिन्दी की प्रति हमें नहीं देनी है। निश्चित रुप से हम हिन्दी का उतना ही आदर करते हैं, जितना कि आप करते हैं या शायद थोड़ा कम लेकिन मेरे मन में हिन्दी के प्रति उतना ही सम्मान है। इस असुविधा के लिए मैं माफी मांगता हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उत्तर प्रदेश राज्य में अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय का स्थापना और उसका आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति जी, यह जो विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ है, वह देश की महान विभूति के नाम से विभूषित विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के बड़े पीड़ित व दलित वर्ग के उत्थान के लिए अनवरत् संघर्ष किया है और उस संघर्ष के फलस्वरूप उनको वह स्थान मिला जो इस देश में कम ही लोगों को मिला है।

यह हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि अन्तत: जब स्वतंत्र भारत का संविधान रचा गया तो बाबा साहेब को उस संविधान सभा में एक अहम भूमिका दी गई और हमारे संविधान में उनकी अमिट छाप देखने को मिलती है। यह प्रयास थोड़ा सा पुराना है और बहुत ही संक्षेप में मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं ताकि वह इस सदन के रिकार्ड में रहे।

1989 में इस विश्वविद्यालय की कल्पना की गई और अप्रैल 1989 में इसका शिलान्यास लखनऊ के पास स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने किया था। उसके पश्चात् 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने भारत के प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया कि इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए केन्द्रीय शासन 50 प्रतिशत व्यय वहन करे। उसपर विचार हो रहा था तभी वहां परिवर्तन हुआ और 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने केन्द्र को यह लिखा कि या तो आप आधा व्यय वहन करें या इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप दीजिए। इस संबंध में भारत के कई गणमान्य व्यक्तियों ने, संसद के दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा कि इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया जाना सर्वथा उपयुक्त होगा। साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के संबंध में आयोजन करने के लिए वहां से भी एकमत से यह सुझाव आया कि इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि

में शासन ने यह फैसला किया कि हम इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप देंगे।

इसे इस साल के मई महीने में राज्य सभा में पेश किया गया और राज्य सभा सभापति ने इसे हमारे विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को 9 मई को सौंपा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने इसपर विस्तृत विचार-विमर्श किया, इसके साक्ष्य लिए। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और सभी माननीय सदस्यों ने एकमत से इस विधेयक के बारे में अपना प्रस्ताव दिया। उन्होंने कुछ संशोधन सुझाए। उनके सभी संशोधनों को बिना किसी हिचक के हमने स्वीकार किया है और उन सबका समावेश राज्य सभा के विचार के समय रखा गया। राज्य सभा ने इसे पारित किया है और अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन भी, जिस प्रकार राज्य सभा से संशोधित विधेयक आया है, उसपर विचार करने की कृपा करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उत्तर प्रदेश राज्य में अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

वैसे स्पीकर साहब ने यह इंसट्रक्शन दे रखी है कि इसमें डिबेट नहीं होगी, फिर भी मैं आपको 2-2 मिनट बोलने का चांस देता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री ने जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिल, 1994 यहां प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि यह देश की जनता की भावनाओं का भी आदर है और बाबा साहेब का बहुत बड़ा सम्मान है, जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वे केवल सामाजिक न्याय के पक्षधर और दलितों के अगुवा और मसीहा ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े राष्ट्रभक्त और विद्वान व्यक्ति थे। उनके विचारों, सिद्धान्तों और दृष्टिकोण ने भारत को नया मार्गदर्शन दिया है। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में और इससे पहले भी बहुत बड़ी मांग उठी थी कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की जाये। 1989 में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था लेकिन 1989 के बाद इस विश्वविद्यालय में कोई काम नहीं हुआ सिवाय इसके कि वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन की नियुक्ति हो गई, कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई और जमीन उपलब्ध करा दी गई लेकिन इतने दिनों तक कोई काम इस विश्वविद्यालय में हुआ नहीं है। वहां से इस बात की मांग उठी कि इस विश्वविद्यालय को कम से कम शताब्दी वर्ष तक पूरा कर लिया जाये और सूचारु रूप से वहां काम हो।

तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास पैसे का अभाव है। इसलिये आधा पैसा कम से कम केन्द्र सरकार दे। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार इसे ले ले। शताब्दी कमेटी में एक राय से सिफारिश की गई कि इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना उचित होगा। ऐसा उसको बनाया भी गया। शिक्षा मंत्री जी ने अभी भी अपने भाषण में यह नहीं बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये भारत सरकार कितने धन की व्यवस्था कर रही है और यह विश्वविद्यालय स्थापित करने की जो परिकल्पना है, जिस तरह का विश्वविद्यालय आप बनाना चाहते हैं, उसका क्या बजट होगा

तथा यह विश्वविद्यालय कब तक पूर्ण रूप से बन जायेगा ?

यह भी कहा गया है कि यह रैजिडैंशल यूनिवर्सिटी होगी। इसके लिये तो और भी पैसे की आवश्यकता होगी। आपको होस्टल और फैकल्टी भी बनानी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना पड़ेगा। वहां के प्रशासक ने सिफारिश की है कि उसके पास जमीन पूरी नहीं है। इस विश्वविद्यालय की जैसी परिकल्पना है, उसको देखते हुए और जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिये उन्होंने अतिरिक्त भूमि लेने की सिफारिश की है ताकि विश्वविद्यालय सुचारू रूप से काम कर सके। इन सब चीजों के बारे में शिक्षा मंत्री को बताना चाहिये था और निश्चित रूप से यह आश्वासन देना चाहिये था कि कितनी राशि इस पर खर्च होगी, कितने बजट की व्यवस्था है, कब तक सुचारू रूप से यूनिवर्सिटी चल पायेगी और किस स्टेजिस में वहां कैसी फैकल्टी बनायी जायेगी। पैसे के अभाव में यह फिर से अनिश्चितता का शिकार न हो जाये, इसका आप ध्यान रखें।

वहां जो कर्मचारी पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे, उनकी संख्या बढ़ी नहीं है। केवल 30-40 के आसपास ही कर्मचारी हैं। जब से केन्द्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है, उनको हटाया जा रहा है। वे सब कर्मचारी गरीब हैं। जिन लोगों ने 4-5 साल से काम किया है, उनको हटाया नहीं जाना चाहिये। विश्वविद्यालय की जो रूपरेखा बन रही है, उसमें उनका भी स्थान होना चाहिये।

[अनुवाद]

2.48 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक मेरी प्रार्थना यह भी है कि इस विश्वविद्यालय की कोई विशेषता जरूर होनी चाहिये। लखनऊ, फैजाबाद और कानपुर में भी विश्वविद्यालय है। आप वहां विज्ञान, टैक्नॉलोजी के विभाग खोल रहे हैं। समाज शास्त्र व दर्शन शास्त्र की शिक्षा की भी वहां व्यवस्था की है। आप इसका भी करिकुलम बनायें। इसके लिये उपयुक्त लोगों की नियुक्ति होना आवश्यक है। वहां लाइब्रेरी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। पूरे उत्तर भारत में अम्बेडकर जी के सम्मान में पहला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय सचमुच में विद्या का केन्द्र बने। वहां से ऐसे छात्र निकलें जो देश का नाम रोशन करें। वहां शोध की ऐसी सुविधायें हों जो आज के आधुनिक भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। न्याय, समता और सम्मान के आधार पर समाज बनाने में इस विश्वविद्यालय का योगदान होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ ज्यादा जोर देना चाहिये। यही सबसे बड़ा सम्मान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए भारत सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बाबा साहेब के सम्मान में यूनिवर्सिटी स्थापना का यह विधेयक लाया गया है, मुझे एक त्रुटि लग रही है। इस बिल का जो टाइटल है, इसमें आपने कहा है,

[अनुवाद]

विधेयक 'का' शीर्षक है :

"दि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994"

"बी॰ आर॰ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापत किया जाएगा"

[हिन्दी]

मैं समझता हू कि इन दोनों में अन्तर है। टाइटल का नाम ही क्लाज में भी होना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहेब बी॰ आर॰ अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की जो घोषणा की गई थी, आज उसको साकार रूप दिया जा रहा है।

मैं दो तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे 1990 में जो बाबा साहेब सैण्टीनरी कमेटी बनी थी, उसमें बहुत सारे सुझाव दिये गये थे। आज हमको खुशी है कि उनमें से जो एक महत्वपूर्ण सुझाव था, उसको आज हम संसद के द्वारा पास करने जा रहे हैं। हालांकि यह बिल हमको जल्दबाजी में मिला है और लाचारी के कारण हम लोग इस बिल को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाये हैं, लेकिन मैंने जो विश्वविद्यालय का उद्देश्य पढ़ा है, विश्वविद्यालय के उद्देश्य में लिखा गया है कि :

> "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के अधिक प्रतिशतता का उपबंध करके, सामाजिक तथा आर्थिक दशा और कल्याण में सुधार के प्रति विशेष ध्यान देगा।"

आपने यह इसके उद्देश्य में लिखा है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं उसमें पूरे के पूरे बिल में कहीं भी, किसी भी क्लाज में इसके लिए कोई चीज नहीं दर्शाई गई है, जिससे कि इन वर्गों के प्रति कोई विशेष अभिरुचि दिखलाई गई हो।

जैसे 19 में आप देखेंगे कि जो बोर्ड आफ मैनेजमेंट है या उसके पहले जो क्लाज 18 में एथीर्टी आफ यूनिवर्सिटी है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है कि इसका दर्जा दूसरी यूंनिवर्सिटी से अलग रहेगा। सिर्फ नाम बदल देने से ही किसी यूनिवर्सिटी से उस समाज विशेष का कल्याण हो जाता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं।

यह ठीक है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति एक श्रद्धा की भावना है और इसलिए उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है लेकिन इस यूनिवर्सिटी का स्वरूप दूसरी यूनिवर्सिटीज से हर दृष्टिकोण से अलग झलकना चाहिए, जैसा चन्द्रजीत जी ने कहा है, उससे मैं सहमत हूं।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे साथी कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक में बाबा साहेब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट है। आज उनके नाम पर जो इंस्टीट्यूट है, वहां मैडिकल वगैरह की सारी की सारी

सुविधा है। आज जब कोई आदमी जाता है, तो कर्नाटक में दो इंस्टीट्यूट्स में ही घुसता है। पहले वह कहता है कि अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन लूंगा या फिर रमैया इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन लूंगा। उसी तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर यह यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तो मैं चाहता हूं कि यह एक यूनीक यनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक हिस्टोरिक होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि यह यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि बाबा साहेब के नाम को कहीं रख देना है इसलिए लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेकर यूनिवर्सिटी बन रही है, बल्कि उससे कुछ विशेष झलकना भी चाहिए।

आज हमें खुशी है कि स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी है। यह ठीक है कि अभी उस यूनिवर्सिटी का स्टैण्डर्ड चाहे जो हो लेकिन जब पहले जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम चलता था तो वहां से जो लड़के पढ़कर निकलते थे, हम लोगों ने 1974, 1976 और 1977 तक देखा है, तो उनका दृष्टिकोण दूसरी यूनिवर्सिटी के लड़कों से अलग होता था। उनके सोचने का दृष्टिकोण अलग होता था, उनके बातचीत करने का दृष्टिकोण अलग होता था। उनमें यह नहीं था कि हमको सिर्फ पास करके बाहर जाकर सरकारी नौकर बन जाना है, बड़ा-बड़ा सरकारी आफिसर बन जाना है। हालांकि वहां के लड़के IAS, IPS जैसे बड़े-बड़े पदों पर जाते रहे। उनमें जो सोशल चेंज आया, उसके प्रति उनका एक दृष्टिकोण था, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई है और जिसमें काफी ढिलाई हुई है, उसमें हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि 5 साल का पीरियड कोई कम पीरियड नहीं है, पांच साल के पीरियड में यदि आप देखेंगे तो उस यूनिवर्सिटी में कोई प्रगति नहीं हुई है। न तो अभी तक वहां मकान बन पाए हैं, न पढाई-लिखाई ढंग से शुरू हो पाई है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर नाम रख दिया गया है। इसका मुख्य कारण पैसा है। जहां आप पैसा देंगे, वहीं यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण करेंगे और वहीं पर जल्दी से जल्दी स्टाफ की नियुक्ति होगी। मंत्री जी के प्रति हमारी आस्था है और अर्जुन सिंह जी को कहने की जरूरत नहीं है तथा न आपके कमिटमेंट में हमको कोई खामी नजर आती है। आप स्वयं इस मामले में संलग्न है। जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला है, इससे संबंधित हमारा प्रश्न आया था, लेकिन उस वक्त हम बायकाट में थे, लेकिन बाद में मैं मंत्री जी से मिला था।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : क्यों बायकाट में थे ?

श्री राम विलास पासवान : आपके कारण। फिर आप जैसा कर रहे हैं, तो फिर बायकट करना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : बायकाट ने आपको बचा दिया।

श्री राम विलास पासवान : मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आग्रह करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि SC और ST के लड़के किसी से कम मैरिटोरियस हैं। लेकिन आजकल लड़के SC नाम नहीं लिखते हैं इस डर से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, जबकि उतने ही नम्बर्स में दूसरी जगह पर एडमिशन मिल जाता है। मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आप

तो शुगर के मंत्री हैं, आप एजेकुशन में क्यों टांग अड़ा रहे हैं। मंत्री जी को सारी चीजें मालूम हैं।

श्री अर्जुन सिंह : हमारे बड़े भाई हैं।

श्री राम विलास पासवान : आपके बड़े भाई हैं या आप बड़े भाई हैं।

श्री अर्जुन सिंह : ये बड़े भाई हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई उम्र में बड़े हैं, तो कोई शरीर से बड़े हैं।

श्री राम विलास पासवान : जहां तक प्रबन्ध बोर्ड का मामला है, तो प्रबन्ध बोर्ड के मैनेजमेंट में क्या आपने इस समुदाय के वीकर सैक्शन्स के लोगों की नियुक्ति का कोई विशेष प्रावधान किया है या नहीं ? बिल की क्लाज-19 में आपने कहा है - प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और प्रबन्ध बोर्ड के गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जायेंगे। इसके पहले क्लाज-18 में है - विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे - प्रबन्ध बोर्ड, योजना और विद्या समिति, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड, अध्ययन के बोर्ड और वित्त समिति। लेकिन इसमें कहीं किसी क्लाज में यह नहीं है कि समाज के वीकर सैक्शन के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका क्या प्रतिनिधित्व होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर देश के नेता थे। उनको संविधान का पिता भी कहा जाता था। बाबा साहेब अम्बेडकर के मन में सामाजिक क्रान्ति के प्रति ज्वाला भभक रही थी, तो उस सामाजिक क्रान्ति का यहां पर प्रतीक होना चाहिए। नहीं तो कुछ दिनों के बाद लगेगा कि सिर्फ नाम बदला गया है बाकि सारे का सारा जैसा दूसरी यूनिवर्सिटीज में होता है, वही इस यूनिवर्सिटी में भी होने का काम होगा।

इसलिए ज्यादा न कहते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया है और मंत्री जी को तो ज्यादा अध्ययन होगा, तो इसमें जो खामियां हैं, उनको वे दूर करेंगे। प्रबन्ध बोर्ड में यह बात झलकनी चाहिए कि इस में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भी कुछ हिस्सेदारी होगी। समाज के कमजोर लोगों का भी मैनेजमेंट में हिस्सा होगा। साथ ही जो पढ़ाई है-लिखाई है या जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंटस में चाहे प्रोफेसर की या लैक्चरार की नियुक्ति हो या छात्रों का प्रतिनिधित्व हो, इसमें समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसा कि नाम है, बाबा साहेब अम्बेडकर, उस नाम के अनुसार भी काम होना चाहिए। इस दिशा में जो लक्ष्यों की पूर्ति है, उन लक्ष्यों की पूर्ति करने का काम भी करेंगे।

इन शब्दों के साथ मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल लाने का काम किया है। मैं उन लोगों में से था, जब सवेरे विद्याचरण शुक्ल जी ने कहा कि आज जीरो-आवर खत्म कर देना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर का बिल पास कर देना चाहिए हम लोगों ने कहा कि जीरो-आवर या कोई आवर हो, उसको खत्म करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन आपने बाद में फिर ढ़ाई बजे का समय दिया और ढ़ाई बजे मंत्री जी ने बिल पेश किया है। मैं दिल से इस बिल का समर्थन करता हूं और जो भी थोड़ी बहुत इसमें खामियां होंगी, उनको भी मंत्री दूर करने का काम करेंगे।

3.00 म० प०

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको याद दिलाना है कि आज शुक्रवार है। मध्याह्न पश्चात 3. 30 बजे तक हमें इस विधेयक पर चर्चा करना है तथा इसे पारित करना है। अत: इन बातों को ध्यान में रखकर वक्तव्य दीजिए जिससे कि मंत्री महोदय भी उत्तर दे सकें और हम लोग इसे पारित कर सकें।

इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के साथ ही साथ इसके लक्ष्य और उद्देश्यों का भी समर्थन करता हूं। काफी अर्से बाद हमारे देश के केन्द्र में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे देश के एक महान् सपूत की स्मृति को संजोये रखने के उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

मैं मात्र यही जानना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से कैसे भिन्न है। अभी-अभी हमारे मित्र श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि विभिन्न स्थानों पर अनेक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां लड़के तथा लड़कियों को प्रवेश के लिए अपना यह पहचान छुपाना पड़ता है कि ये अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के-लड़कियों को यह स्मरण रखना चाहिए कि यहां बाबा साहेब के नाम से एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है जहां इन पिछड़े समुदायों-गरीब समुदायों से आने वाले लड़के-लड़कियों के लिए अधिक अनुपात में छात्रवृत्ति और प्रवेश उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में, मैं समझता हूं कि उन बच्चों के लिए यह एक नये प्रकार का प्रोत्साहन है। इससे उनको अत्याधिक बढ़ावा मिलेगा।

खण्ड 4 में यह कहा गया है कि

> ". . . . .उस राज्य के लोगो की विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए स्थानों की अधिक प्रतिशतता का उपबंध करके शैक्षणिक और आर्थिक दशा को सुधारने तथा उनके कल्याण के प्रति ध्यान देना होगा . . . . "

इसलिए, इसमें बहुत कुछ उपलब्ध कराया गया है। छात्रवृत्ति का उपबंध भी इसमें किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात का देश में अधिक प्रसार और प्रचार किया जाना चाहिए कि यहां एक ऐसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के शैक्षणिक उत्थान की दिशा में विशेष रुचि रखी जाती है। लेकिन यह इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि इन समुदाय के लोगों के प्रोत्साहन मिले।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि जो एक सपना हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का देखा था, उसको सरकार आज मूर्तरूप देने जा रही है। इसके लिए हम प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी की और उनकी सरकार को धन्यवाद देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के आदिवासी, हरिजनों, पिछड़ों और गरीबों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की एक महान देन है और आज हम उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, सिर्फ इधर ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही करने की बात कही जा रही है, यह बहुत खुशी की बात है। भारत सरकार बाबा साहेब के नाम से एक रेसीडेंशियल कालेज बनाने जा रही है, इसके लिए आज मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और इस संबंध में कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं।

आपने इस विश्वविद्यालय का जुरिसडिक्शन भी यू॰ पी॰ रखा है तो मेरा ख्याल है कि दूसरे राज्य के लड़के वहां नहीं आ पायेंगे। मेरा प्रश्न है कि यू॰ पी॰ के अलावा दूसरे राज्यों का कोटा होना चाहिए ताकि वहां पर दूसरे लोग भी पढ़ाई-लिखाई कर सकें। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय में हरिजन-आदिवासी लड़कों को नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि यहां पर बोर्ड का डिसीजन है इसलिए मेरिट में जो आयेगा उसको लिया जाएगा। उसके लिए सब लड़े लेकिन कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ बोर्ड का डिसीजन ही रहा। ऐसी बात इधर होगी या नहीं, तो उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। आपने बिल इस बारे में सर्कुलेट किया है तो क्या आप दोबारा दुरुस्त करके इस बिल को सदन में रखेंगे ?

श्री तेजनाराण सिंह (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मानव संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे इस बिल को लाए हैं। भीमराव अंबेडकर ने देश के गरीबों के लिए जो चीज दी है उसको बरकरार रखना भी धन्यवाद का काम होगा। जो लोग अत्याचार से पीड़ित थे और जिनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा था उनको उन्होंने संविधान के मुताबिक सम्मान देने का काम किया इसलिए उनके नाम पर विश्वविद्यालय का खुलना जरूरी था। मेरा आग्रह होगा कि जिस नीयत से इस बिल को लाया गया है और विश्वविद्यालय में जितने महत्वपूर्ण पद हैं तो उन पर इन्हीं लोगों का नाम आना चाहिए जो कि साढ़े बाईस परसेंट में हैं। यह न हो कि योग्यता, कर्मठता और गोल्ड मेडलिस्ट के नाम पर ऐसे लोगों का नाम चला जाए जो साढ़े बाईस परसेंट में नहीं आते हैं। इस देश की परंपरा रही है कि जो जिस जगह पर रहता है तो अधिकांश उसी तरह का काम करता है। अगर इस तरह की बात इस देश में नहीं होती तो मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना इस देश में नहीं आती चाहे पिछड़े या आगे की बात हो। तमाम लागों की भावना ऐसी होती है कि पावर में आने के बाद साढ़े बाईस या साढ़े सत्ताईस परसेंट लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता लेकिन बाबा साहब ने सम्मान दिया। कानून और प्रावधान में मतभेद नहीं है, केवल एक ही चीज पर मतभेद है कि इसे लागू किया जाएगा या नहीं। यह देखने में आता है कि कानून दूसरा बनता है और दूसरा कानून लागू किया जाता है इसलिए सरकार को साढ़े बाईस परसेंट में जो लोग आते हैं उनको महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाए। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा इसे लाने के लिये सरकार का धन्यवाद करते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं। धारा 4 में, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में यह बहुत ही उचित एवं ठीक कहा गया है कि

राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक जीवन तथा विश्व के संविधानों का अध्ययन विश्वविद्यालय के चार्टर का एक अंग है। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि अन्यथा वंचित व्यक्तियों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उससे सद्भावना के स्थान पर मनमुटाव की भावना पैदा हो रही है जो कि एक दुःखद बात है। मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अखंडता के इस पहलू को सुदृढ़ कर पाएगा। इस पहलू पर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए तथा हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश में सद्भावना एवं राष्ट्रीय अखंडता की भावना पैदा कर पाएंगे।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का एक चार्टर ऐसा भी होना चाहिए जो ऐसे क्षमतावान विद्यार्थी तैयार करे जो कि अपने को आरक्षण पर निर्भर न रखकर खुले रूप से प्रतियोगिता में भाग ले सकें। मैं यह बात दोहराता हूं कि विश्वविद्यालय का एक सिद्धांत यह भी होना चाहिए कि वह कुछ प्रतिशत छात्र ऐसे भी तैयार करे जो कि खुलकर प्रतियोगिता में भाग ले सकें तथा अपनी योग्यताओं के गुणों के आधार पर अपने को प्रतिष्ठित कर सकें, न कि केवल आरक्षण के आधार पर।

मेरा अनुरोध है कि इन दो सुझावों पर विचार किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं तहेदिल से इस कदम का स्वागत करता हूं। मैं विशेषरूप इसलिए भी खुश हूं कि यह विश्वविद्यालय हमारे एक संविधान निर्माता के नाम से स्थापित किया जा रहा है। हमें केवल इस बात पर ही गर्व नहीं है कि डा॰ अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण में योगदान दिया अपितु इस बात पर भी गर्व है कि उन्होंने हमारे समाज के एक संवेदनशील वर्ग में सहभागिता, सम्मान एवं हमारे राष्ट्र की विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा होने की भावना जागृत करके राष्ट्रीय अखण्डता में भी योगदान दिया।

मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि यह विश्वविद्यालय प्रौद्योगिक पाठ्यक्रमों की विशेषज्ञ होगा तथा इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक संख्या में स्थान उपलब्ध होंगे। आजकल प्रौद्योगिकी विकास के युग में यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में दूसरे प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उतनी प्रधानता नहीं दी जाती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। मैं स्वाभाविक रूप से यह आशा करता हूं कि उन्हें छात्रवृत्तियां एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। क्योंकि यह एक पूर्ण सुसज्जित शिक्षण एवं आवासीय विश्वविद्यालय परिसर होगा, अतः मुझे आशा है कि वहां उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी।

केवल एक बात, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह वित्त के बारे में है। उन्हें इस पहलू की ओर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की लागत 200 करोड़ रुपए अनुमानित की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सरकार को 8.12 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। शायद शेष दो वर्षों में इससे अधिक व्यय करना संभव नहीं होगा। परंतु विश्वविद्यालय को स्थापित करने की क्या कालावधि निर्धारित की गई है ? आपने बताया है कि इसे पांच वर्षों के भीतर पूरा करना है। यदि

पांच वर्षों के भीतर इसका निर्माण करना है तो तीसरे वर्ष के बाद से इस पर कितनी राशि आबंटित की जाएगी ताकि हम पांच वर्ष की अवधि के भीतर इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकें ? मेरा विचार है इस पांच वर्ष की सीमा को बनाए रखा जाए। मैं इस पहलू पर विशेष रुप से जोर देता हूं क्योंकि वित्तीय ज्ञापन के अनुसार इसके पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय के विकास प्रस्तावों का पंचवर्षीय आधार पर अनुमोदन करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने योजना आबंटन की राशि में से इस पर उपरोक्त व्यय किया जाएगा। इस योजना के दो वर्ष शेष हैं। शेष तीन वर्षों के लिए आगामी योजना में लगभग 200 करोड़ रुपयों का प्रावधान करना होगा। मुझे आशा है कि यह धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसे कई वर्षों तक लटकाया नहीं जाएगा। जब तक धन का आबंटन नहीं किया जाता तथा इसे पांच वर्षों की अवधि के भीतर स्थापित नहीं किया जाता तब तक इसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की जा रही है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बारे में सजग हैं। मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है कि मंत्री महोदय समय सीमा का पालन सुनिश्चित करेंगे। वर्षों तक केवल साइनबोर्ड ही नहीं लगा रहेगा। यह एक अच्छी बात है कि हमारे देश में अथवा विदेशों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी में विभिन्न पाठ्यक्रम शुरु करने हेतु एक पूर्ण सुसज्जित विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस निवेदन के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री ए॰ अशोकराज (पैरम्बलूर) : मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सभा के समक्ष यह विधेयक लाने के लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं।

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में यह उल्लिखित है :

"अंतर विद्या अध्ययनों और अनुसंधान में अध्ययन और शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया में अभिनव परिवर्तन का प्रोन्नयन करने के लिए समुचित उपाय करेगा और लोगों की साधारणतया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विशेष रुप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की पर्याप्त प्रतिशतता का उपबंध करके उनकी सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने और उनके कल्याण के प्रति विशेष ध्यान देगा"

मैं समझता हूं कि यह उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे इस प्रकार से संशोधन किया जाए कि इस वाक्य को "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की पर्याप्त प्रतिशतता का उपबंध" वाक्य के स्थान पर "दलित वर्गों के लिए स्थानों की पर्याप्त प्रतिशतता का उपबंध" पढ़ा जाए।

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि संघ शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम एक अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जाए।

यह विद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से है, अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एक दक्षिण भाषा, विरोध रुप से तमिल को इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि देश के दक्षिण भाग के लोग अपने को उपेक्षित महसूस न करें।

श्री जी॰ एम॰ सी॰ बालयोगी (अमालापुरम) : इस विधेयक को सभा में पेश करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी राज्यों को बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्यायें अलग-अलग हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी इन समुदायों की समस्यायें भिन्न हैं। यदि देश के सभी भागों से छात्रों या शिक्षिक कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की जाय तो वे एक-दूसरे की समस्याओं को समझ सकते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी पदोन्नति या नियुक्ति के मामले में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जहां तक इस विश्वविद्यालय में स्थानों को भरने का संबंध है मुझे आशा है कि इस बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं जिन्होंने समकालीन भारत के महान व्यक्ति डा॰ अम्बेडकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए मौका देकर हमें सम्मानित किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से खंड 6 की सही व्याप्ति के संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा। महोदय मेरा विचार है कि इस अधिकारित का विस्तार करने की बजाय इसे उत्तर प्रदेश तक सीमित रखा जा रहा है। मेरा सुझाव है कि कम से कम छात्रों के प्रवेश या अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में इस अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होना चाहिए जिसे महान अम्बेडकर अविभाज्य मानते थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक एकात्मक संस्थान है। इसकी अधिकारिता एक राज्य तक ही समिति क्यों हो ?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी व्याप्ति का विस्तार सम्पूर्ण देश पर होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मुझे लगता है कि

"विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर होगा।"

[अनुवाद]

[हिन्दी]

इसको जोड़कर पढ़ा जाए तो क्लॉज ?

[अनुवाद]

"विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ में होगा और वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जो वह ठीक समझे, निवेश स्थापित कर सकता है।"

[हिन्दी]

मैं ऐसा समझता हूं कि यह दोनों जोड़कर है। तो मेरा सुझाव है कि ऐसा करने से क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय एक सूबे का नहीं होता, बल्कि पूरे यूनीवर्स, विश्व अथवा देश का होता है। मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ को निकाला जाए और मेरा सुझाव मंत्री जी से है कि यदि इस विश्वविद्यालय का आवासीय स्वरूप बदलकर पूरे प्रदेश में इसके कैम्पस खोलने की अनुमति देंगे, तो मैं समझता हूं कि जिस विशिष्ट पद्धति का विश्वविद्यालय आप बनाने की कल्पना लेकर चले हैं वह डायल्यूट होगी और उसका रास्ता बिगड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बात को फिर से देखा जाए और उसी के साथ साथ जब ये बिल पास कर रहे हैं तो कम से कम इसे पेश करते समय इसकी स्पैलिंग तो ठीक से देखनी चाहिए थी। पहले ही वाक्य में

[अनुवाद]

"......डा० बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा......."

[हिन्दी]

पहले ही वाक्य में तीन शब्दों में स्पैलिंग मिस्टेक है। इससे आपकी और हम सबकी और जिस महान आत्मा की स्मृति में हम ये कानून पास कर रहे हैं, उनकी स्मृति के साथ भी हम न्याय नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद देते हैं और इसका स्वागत करते हैं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आरम्भ में ही कह दिया था कि समय के अभाव के कारण कुछ कठिनाइयां थीं, इसलिए इन छोटी-छोटी बातों को उस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, मैं नहीं समझता कि हमें उतना तकनीकी होना चाहिए। किन्तु मैं आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि ऐसी कोई बात हुई तो हम उसे सही कर लेंगे।

यहां दो-तीन बातों को उठाया गया है। पहली बात यह है कि क्या इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता उत्तर प्रदेश तक ही समिति होगी, जहां तक छात्रों के प्रवेश अध्यापकों की भर्ती और जहां तक शैक्षणिक लाभ का संबंध है यह उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अधिकारिता संबंधी कुछ न कुछ परिभाषा होनी चाहिए और यह उस अधिकारिता संबंधी परिभाषा से संबंधित है। यह देश के किसी भी हिस्से के विद्यार्थियों को यहां आने पर अध्ययन करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : विश्व के किसी भाग से क्यों नहीं ?

श्री अर्जुन सिंह : हां, यह और भी अच्छा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक एकात्मक संस्था है। यह कोई संबद्ध संस्था नहीं है। इसकी कोई विशेष अधिकारिता क्यों हो ? अधिकारिता की बात तब प्रासंगिक होती जब यह एक संबद्ध संस्था होती। मेरी बात का माननीय वित्त मंत्री ने भी समर्थन किया है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, दूसरी जिस बात का चन्द्रजीत यादव और चटर्जी साहिब ने उल्लेख किया है, वह इस बारे में है कि क्या विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। हमने इस योजना के अन्तिम दो वर्षों में व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि का उल्लेख किया है। मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं-मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं यहां पर अगले बजट में या अगले चरण में इस विश्वविद्यालय के लिए एक निश्चित राशि देने का वायदा करूं। यह किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार है और वे भी यहां बैठे हुए हैं।

मैं इस सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि जब भी शिक्षा विभाग किसी वास्तविक उद्देश्य को लेकर उनके पास गया वह खाली हाथ नहीं लौटा।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये इतनी मीठी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह : यह मीठी बात नहीं है, मैं असलियत बता रहा हूं।

[अनुवाद]

किंतु मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि संसाधनों की कमी के कारण इस विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि यह एक साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। यदि इस विश्वविद्यालय को महत्व देना है तो अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने ही होंगे। प्रबंध बोर्ड के बारे में विधेयक के पृष्ठ 24 में उल्लेख किया गया है। मैं आप लोगों का एक मिनट का समय लूंगा।

महोदय, इस विश्वविद्यालय के संबंध में हमने एक अलग रास्ता अपनाया है। किसी भी अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय में संसद का प्रतिनिधित्व नहीं है। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसद सदस्य जो कुछ चाहते हैं वह किया जाय। इसलिए हमने इसमें संसद के तीन प्रतिनिधियों-दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से, जिन्हें पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का प्रावधान किया है।

इसलिए हमें इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय किस प्रकार चलेगा।

जहां तक इन विश्वविद्यालय को विशेष महत्व देने का प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं कि हम मात्र नाम पर ही नहीं जा रहे हैं। बाबा साहेब का नाम सारे देश में बहुत आदर और सम्मान से लिया जाता है। बाबा साहेब ने कतिपय संस्थाओं और बातों के लिए जिस पुरजोशी के साथ वायदे किए थे वह उन्हें अलग श्रेणी में रखते हैं। और यदि यह विश्वविद्यालय बाबा साहेब द्वारा किए गए वायदों के अनुरूप शैक्षणिक और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में सामजस्य स्थापित करने में असमर्थ रहता है तो इस विश्वविद्यालय के नाम की कोई सार्थकता नहीं रहेगी और इस बात का प्रयत्न रहेगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यविवरणों, पाठ्यक्रमों आदि में संशोधन किया जाए।

यह एक नवीन प्रयोग है, जैसा कि मैंने कहा कि यह एक साधारण विश्वविद्यालय नहीं है कि यहां पर भी वह सब होगा जो अन्य विश्वविद्यालयों में होता है। मेरे विचार से देश के शैक्षणिक समुदाय

के सभी जाने माने सदस्यों और संसद सदस्यों की मदद उनके मार्ग-निर्देशन और सलाह से यह विश्वविद्यालय वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर की भावनाओं और जो वह देश के लिए जो कुछ करना चाहते थे को प्रतिबिम्बित करेगा।

इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करें और कानून बनने के बाद परिनियमों और अन्य सभी बातों के लिए हम माननीय सदस्यों से पूरा परामर्श करेंगे और जैसा सभी लोग चाहते हैं वैसा करने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने एक ही सवाल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा था, जिसका जिक्र इस बिल के क्रमांक 24 पर आया है, कि क्या इसमें वीकर सैक्शन का कोई रिप्रेजैंटेटिव होगा या नहीं क्योंकि इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है। आपने कहा कि लोक सभा से दो और राज्य सभा से एक मैम्बर को इसमें नौमिनेट किया जायेगा और लोक सभा या राज्य सभा जो चुनाव करेगी वह अपने मैम्बरों मे से चुनाव करेगी, किसी शैड्यूल्ड कास्ट एण्ड शैडयूल्ड ट्राइब्स को नहीं चुनेगी। क्या मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि तीन मैम्बर जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिये चुने जायेंगे वे अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे तो नौमिनेटिड बाई स्पीकर होंगे।

श्री राम विलास पासवान : वे नौमिनेटिड बाई स्पीकर होंगे और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चुनाव कौन करेगा, इन दोनों चीजों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है कि उस बौडी में वीकर सैक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं और कौन उसे सलैक्ट करेगा ?

श्री अर्जुन सिंह : इसमें पहले बोर्ड नौमिनेट होगा और उसी में, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के सहयोग से, मार्गदर्शन में ही होगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, कहिये तो हम इसे आप पर ही छोड़ दें क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है और जैसा मैंने शुरू में ही कहा, मंत्री जी यदि नाम बदल देने से आपका काम बन जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप नाम बदल दीजिये लेकिन जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, वह काफी पावरफुल होता है।

अध्यक्ष महोदय : आपके सवाल का ही मंत्री ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं, उसी ध्यान में रखा जायेगा। उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि उस यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों को पढ़ाया जायेगा, वे अहम हैं। उसमें यदि किसी दूसरे क्राइटिरिया के आधार पर टीचर्स आदि को लेंगे तो वहां से निकलने वाले बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा।

श्री राम विलास पासवान : मैं टीचर्स की बात नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि आपकी बात को ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उत्तर प्रदेश राज्य में अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिये तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 43 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 43 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम और द्वितीय अनुसूची विधेयक की अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम और द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अर्जुन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.30 म॰ प॰

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 371 में संशोधन)

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल (सोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

$3.30\frac{1}{2}$ म॰ प॰

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(नये अध्याय 24 का अंतःस्थापन)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.31 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 51 क में संशोधन)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

$3.31\frac{1}{2}$ म० प०

पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (ईसाई धर्म में संपरिवर्तित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये) विधेयक

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ईसाई धर्म में संपरिवर्तित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये भारत सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रिक्तियो का आरक्षण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ईसाई धर्म में संपरिवर्तित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये भारत सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.32 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.32½ म॰ प॰

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 41 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एम॰ कृष्णास्वामी (वंडावासी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम॰ कृष्णास्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33 म॰ प॰

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 16 क का अंतःस्थापन)

श्री चित्त बसु (बारासाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33½ म॰ प॰

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 73 में संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारासाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 म॰ प॰

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 356 में संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारासाट) : मैं प्रस्तव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34$\frac{1}{2}$ म॰ प॰

एक समान प्राथमिक शिक्षा विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूरे देश में एक समान प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूरे देश में एक समान प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.35 म० प०

युवा कल्याण बोर्ड विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण तथा उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण हेतु युवा कल्याण बोर्ड का गठन करने तथा उससे सम्बंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। **अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण तथा उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण हेतु युवा कल्याण बोर्ड का गठन करने तथा उससे सम्बंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.36 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 330 आदि में संशोधन)

श्री कांशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.36½ म० प०

बेकारी भत्ता संदाय विधेयक*

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेकार व्यक्तियों को बेकारी भते का संदाय करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बेकार व्यक्तियों को बेकारी भत्ते का संदाय करने तथा तत्संबन्धी विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.37 म॰ प॰

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 4 क का अंत:स्थापन)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी. जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

$3.37\frac{1}{2}$ म॰ प॰

चलचित्र (संशोधन) विधेयक*

(धारा 5 ख में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.38 म. प.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(धारा 20 में संशोधन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन, अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.38½ म. प.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) *विधेयक*

(धारा 3 में संशोधन)

श्री सैयद शहाबुद्दीनप (किशनगंज) मैं प्रस्ताव करता हूं। कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.39 म. प.

पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधत्व) विधेयक*

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी राज्य के अधीन सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों और सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी राज्य के अधीन सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों तथा सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर॰ अन्बारासु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.39$\frac{1}{2}$ म॰ प॰

भगवान बुद्ध राष्ट्रीय सर्जनात्मक विश्वविद्यालय विधेयक*

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सर्जनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सर्जनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.40 म॰ प॰

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी॰ जी॰ नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ जी॰ नारायणन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.40$\frac{1}{2}$ म॰ प॰

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 16 क आदि का अंत:स्थापन)

डा॰ पी॰ वल्लभ पेरूमान (चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा॰ पी॰ वल्लभ पेरूमान : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.40$\frac{3}{4}$ म॰ प॰

मंत्रियों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों की आस्तियों की घोषणा तथा उनकी सार्वजनिक जांच उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों की आस्तियों की घोषणा तथा उनकी सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.41 म॰ प॰

युवा आयोग विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि युवाओं के हितों के रक्षा करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए युवा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि युवाओं के हितों की रक्षा करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए युवा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

$3.41\frac{1}{2}$ म॰ प॰

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस का आंतकवाद के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक पर चर्चा करेंगे। पहले वक्ता प्रो॰ रासा सिंह रावत हैं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो॰ के॰ वी॰ थामस द्वारा प्रस्तुत आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। दुर्भाग्य से 1980 के बाद हमारे देश में धीरे-धीरे आतंकवाद की ऐसी लहर चली जिसके बाद पंजाब के अन्दर जो कुछ हुआ या कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है अथवा उत्तर-पूर्व के राज्यों में जो कुछ हो रहा है, वहां पर आतंकवादी लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अथवा विदेशी ताकतों के इशारे पर भोले-भाले लोगों को अपनी ए॰ के-47 राइफलों की गोलियों से भून देते हैं अथवा बम विस्फोट करके बसों को उड़ा देते हैं जिसमें सैंकड़ों मासूम लोग मारे जाते हैं। चलती हुई बसों को रोककर एकान्त स्थान पर ले जाकर, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे, बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। उनमें परिवार का कमाने वाला व्यक्ति भी आतंकवादियों के हाथों हत्या का शिकार हो जाता है। उसके बाद उसके परिवार की बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। आतंकवाद के कारण सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, सैकड़ों माताओं, बहनों के सुहाग हमेशा के लिए पुंछ गए, हजारों माताओं की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। उन परिवारों में अंधेरा छा जाता है जिन परिवार का रोजगार से लगा हुआ व्यक्ति मौत का शिकार हो जाता है।

---

* दिनांक 26.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.42 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

प्रो० थामस ने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसमें 2-3 प्रावधान बहुत सुन्दर किए हैं। पहले तो टाडा एक्ट, जो 1985 में पास हुआ था, उसके सब-सैक्शन 1 की धारा 3 के अन्तर्गत आतंकवादी इकाइयों की जो परिभाषा दी गई है, उसके अन्तर्गत ऐसा कार्य आतंकवादी कार्य माना गया है। ऐसे आतंकवाद कृत्य के कारण जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति या मुखिया मारा जाए, उस परिवार के सदस्यों को केन्द्र सरकार दो हजार रुपये प्रति माह पैन्शन प्रदान करेगी ताकि उस परिवार का निर्वाह भली प्रकार से चल सके। इसके साथ ही इस पुनर्वास विधेयक के अन्तर्गत यह भी तय किया गया कि केन्द्र सरकार एक क़ोष का निर्माण करेगी जिसकी पूंजी लगभग 30 करोड़ रुपये होगी। यह राशि हमें शायद आंकड़ों की दृष्टि से ज्यादा दिखाई दे लेकिन आज पंजाब में हजारों परिवारों में जो अंधेरा व्याप्त हो गया है, जो निराशा व्याप्त हो गई है, कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे देश के कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने, विशेषकर पंजाब केसरी जैसे अखबार में आतंकवाद से पीड़ित परिवार की सहायता करने के लिए जो पुनर्वास सहायता कोष प्रारंभ किया था, उसके माध्यम से हमारे देश के कई प्रमुख नेताओं के हाथों से उन पीड़ित परियार के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वह वास्तव में डूबते हुए तिनके का सहारा साबित हुआ। इसलिए इसमें यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार अपनी ओर से 20 करोड़ रुपये का एक कोष बनाएगी। जिस कोष से ऐसे पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान की जायेगी और प्रति माह 2 हजार रुपये की पेंशन देने की सुविधा दी जायेगी। इसके साथ ही इस विधेयक में एक और प्रावधान अच्छा किया गया है अगर परिवार का मुखिया मर जाता है तो परिवार में किसी एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जायेगा और नौकरी की गारंटी दी जायेगी ताकि ऐसा न हो कि मुखिया दुनिया से चला जाये और उसके परिवार के लोग दर-दर की ठोकरें खाते रहें। समाज उनको बुरी नज़रों से न देखें और यह न कहे कि इसका बाप आतंकवादी था इसको देखते हुए ऐसे प्रावधान किये गये हैं। बिल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि पीड़ित परिवार भविष्य में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का दुस्साहस न कर सके। इसमें परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

आज के समाचार पत्रों में यह आया है कि जम्मू में मैटाडोर में बैठे स्कूल के बच्चों को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। परिवार के मुखिया को आतंकवादी मौत के घाट उतार देते हैं। कल बम्बई में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को आतंकवादियों ने गोली से मार दिया। ऐसी कई खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों का जोर है, तमिलनाडु में लिट्टे आतंकवादी अपने पैर जमाये हुए हैं। नागालैंड में विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले आतंकवादियों का जोर है, मणिपुर भी आतंकवाद से लिप्त है और असम में उल्फा आतंकवादी निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इन सब आतंकवादियों द्वारा मारे जाने वाले लोगों को इस कोष के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिये।

देश के कई हिस्सों में बड़े-बडे अधिकारी, पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए

आतंकवादियों के शिकार हो जाते हैं नेतागण जो कि समाज में सुख, शांति और व्यवस्था बनाये रखना चाहते हैं, उनको भी आतंकवादी मार देते हैं। लोगों के मनोबल को बनाये रखना आवश्यक है। आतंकवादी अपने स्वार्थ को पूरा न कर सकें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिये। केन्द्र सरकार अपनी तरफ से इससे संबंधित बिल लाये और उसे पास करायें।

थामस साहब ने देश की बहुत बड़ी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। इस कारण मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह दलगत भावना से ऊपर उठकर और राष्ट्रीय हित के ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन करें।

पंजाब में आज शांति और अमन कायम है। आप आतंकवादियों द्वारा मारे गये लोगों की दर्द भरी दास्तान सुनने का प्रयास करें। आज उनके बच्चे बेरोजगारी के शिकार हैं। परिवार के मुखिया के मर जाने से उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। हमारी इसके प्रति सामाजिक जिम्मेदारी बनती है और राष्ट्र की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह आतंकवादियों के हाथों मौत के घाट उतारे गये लोगों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करायें और उनके परिवार को रोजगार प्रदान करायें। और अगर उनका उद्योग नष्ट हो गया या उनका कारखाना नष्ट हो गया या उनकी फैक्टरी को उड़ा दिया गया है तो उसके लिए भी उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाय।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि राष्ट्र के इस प्रकार के कल्याणकारी, पीड़ितों का उद्धार करने वाले, पतितों का उद्धार करने वाले, विधवाओं के आंसू पोंछने वाले, अनाथों के ऊपर दया करने वाले और उनको रोजगार प्रदान कर स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा देने वाले विधेयक को सरकार के द्वारा स्वीकार किया जाय और इसको सदन में सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

एक बात और कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। दुर्भाग्य से इस देश के अन्दर "मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की"। जैसे-जैसे सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए इसका इलाज ढूंढ रही है, वैसे-वैसे यह बीमारी बढ़ती चली जा रही है। हम कह तो देते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि जब यह सरकार जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रोत्साहित कर रहा है, हथियार प्रदान कर रहा है और तस्करी द्वारा हथियार देश में भेज रहा है तो सरकार में ऐसी कठोर शक्ति होनी चाहिए, ऐसी ताकत होनी चाहिए, आत्मिक बल होना चाहिए कि आतंकवादियों के अड्डे अगर शत्रु प्रदेश के अन्दर भी हों तो इजरायल की तरह या अन्य शक्तिशाली राष्ट्र जैसे अपने शत्रुओं का संहार करते हैं, वैसे ही जाकर उन आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया जाय, शत्रुओं के उन अड्डों को नष्ट किया जाय, जहां से आतंकवादियों को सहायता प्राप्त होती है।

आन्तरिक सुरक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आतंकवाद देश के अन्दर बहुत बढ़ चुका है, बहुत पनप चुका है। जहां पर भी कोई समस्या होती है, लीडर लोग कह देते हैं कि वहां नया पंजाब हो जायेगा, नया कश्मीर हो जायेगा तो देश के अन्दर यह तो वातावरण फैल रहा है, लोगों के अन्दर यह जो बात फैल रही है, इस बात का निराकरण करने के लिए, आतंकवाद को बुरी तरह से कुचल देने के लिए, नष्ट करने के लिए हमें दृढ़ रूप से संकल्पबद्ध होना चाहिए और

सैनिकों को खुली छूट दी जानी चाहिए। यह नहीं कि उनके ऊपर कोई आक्रमण करे, तभी वह आतंकवादियों से लोहा लें। मानवाधिकारवादी लोग जोर-जोर से चिल्लाते हैं कि हमारे सैनिक मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उन मानवाधिकारवादियों से पूछना चाहता हूं कि वह मानवाधिकार की बात तो करें लेकिन देश के गद्दार लोग, जिस हांडी में खाते हैं, उसी हांडी में छेद करने वाले लोग, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोग, दुश्मन के इशारे पर नाचने वाले लोग, दुश्मन के इशारे पर वहां निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लोग किसी प्रकार से भी दया के पात्र नहीं हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ "सठे साठ्यम समाचरेत", अर्थात् दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। जहां भी आतंकवादी गतिविधियां पनपे, चाहे वह कश्मीर के अन्दर हों, चाहे घाटी के अन्दर हों, चाहे सीमा के ऊपर हों या पंजाब के अन्दर हों, चाहे देश के किसी भी राज्य में हों, आतंकवादी गतिविधयों का मूलोच्छेदन करने के लिए सशक्त और दृढ़संकल्प करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

"वीर भोग्य वसुन्धरा", अर्थात् पृथ्वी का उपभोग बहादुर लोग ही कर सकते हैं। जहां पर आतंकवाद को दूर करने के लिए दूसरे उपायों को काम में लें, वहां पर असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सरकार को कठोर कदम भी उठाने चाहिएं।

अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय थामस जी के द्वारा प्रस्तुत इस बिल को सरकार स्वीकार कर ले और इसके अन्दर जो प्रावधान किये गये हैं, उसको मान लें ? सरकार के पास भी पूरा विवरण होना चाहिए कि पंजाब में कितने हजार परिवार आतंकवाद के शिकार हो गये है और कितने लोग बेरोजगारी भुगत रहे हैं। उनको कैसे रोजगार प्रदान किया जाय और उनकी विधवाओं को, विधवा मां को, विधवा पत्नी को या परिवार में जो भी शेष रह गये हैं, उनको पैंशन देने की क्या व्यवस्था की जाय। चाहे वह कश्मीर हो, चाहे वह पंजाब हो और चाहे कहीं भी आतंकवाद हो, आतंकवादियों के द्वारा मारे गये लोगों के परिवारों का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी, उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी, उनको स्वावलम्बी बनाने की जिम्मेदारी, उनके कष्टों को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाये, उनमें सुरक्षा का वातावरण पैदा करे और उनके भय को दूर करे।

इन्ही शब्दों के साथ मैं श्री थामस द्वारा प्रस्तुत इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, आतंकवाद से पीड़ित पुनर्वास विधेयक, 1991 माननीय सदस्य, श्री के वी थामस, द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर आतंकवादी गतिविधयां किन कारणों से बढ़ी हैं। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास करे। हम यह महसूस करते हैं कि देश के अन्दर आए दिन इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं। इनके परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे काश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किए गए हों या पंजाब में खाड़कुओं द्वारा किए गए हों या कहीं पर नक्सलियों के द्वारा किए गए हों। हमारे देश के अन्दर आतंकवादी गतिविधियां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं और इन पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही

है। सरकार इसको रोक पाने में अक्षम दिखाई दे रही है, क्योंकि आए दिन हमें घटनायें सुनने को मिलती है। जैसे बम्बई के अन्दर बी॰ जे॰ पी॰ के अध्यक्ष का जिस प्रकार से ब्रूटल मर्डर किया गया। इसमें केवल सदन में एक संवेदना व्यक्त की गई और संबंधित पत्र उनको परिवार को भेज दिया गया। यदि इस संबंध में कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई, तो भविष्य में परिणाम क्या होंगे।

मैं यह समझता हूं कि आतंकवाद के बहुत से रूप हमारे सामने हैं। जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी आतंकवादियों से सांठगांठ रहती है। बात यहां तक चल रही है, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं या जो डकैती और अपकरण की गतिविधयों में लिप्त हैं, उनको पोलिटिकल पार्टीज अपने टिकट देकर विधान सभा या लोकसभा में पहुंचाने का काम करती हैं। इस सदन में मैं इस विधेयक के माध्यम से आपसे मांग करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए जो पोलिटिकल पार्टीज संरक्षण दे रही हैं या उनको बढ़ावा दे रही हैं, उन पर कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिएं। ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलना चहिए, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद वे लोग आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उनके जो लोग हैं, वे इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। आतंकवादी गतिविधयों से जिन लोगों के परिवार नष्ट हुए हैं, यदि उन परिवार वालों से पूछा जाए, तो पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है और वे किस प्रकार से पीड़ित हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर भी बहुत से लोग आतंकवादी गतिविधियों के निशाने बने हैं। यहां तक कि पुलिस के लोग भी आतंकवादी गतिविधयों के निशाने बने हैं। इसमें सिर्फ आम जनता ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि पुलिस फोर्स भी प्रभावित हुई है। उनके द्वारा पीड़ित हुई है। उन पर प्रहार हुए हैं।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं, जो लोग आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित हुए हैं, उनके परिवार वालों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। परिवार में जो उनकी विधवा है और बच्चे हैं, उनके लिए अच्छे मकान की व्यवस्था की जाए। जो बच्चे हैं, उनके लिए अच्छी शिक्षा का इन्तजाम किया जाए, ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके अतिरिक्त परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भी सुविधा दी जाए। आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित जो विधवा महिलायें हैं, उनके लिए पांच हजार रुपया महीना पारिवारिक पैंशन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उनको सहयोग देने के लिए, सहायता देने के लिए कोई एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाए, ताकि ऐसे परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दी जा सके। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठायें। इस सदन के माध्यम से यदि कोई कानून बना कर स्ट्रांग एक्शन ले, जिससे ये गतिविधयां कम हों।

4.00 म॰ प॰

आज सदन में गृह मंत्री महोदय ने एक बयान में बताया कि बंबई बम कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। हमको अश्चर्य होता है कि नई दिल्ली स्टेशन पर डाकूमेंट्स के साथ अभियुक्त आराम से मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कहीं न कहीं सरकार की नीयत में हमको कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। इसी तरह से मेमन की गिरफ्तरी हुई, जिसमें सच्चाई को छिपाया गया। सच तो यह

है कि मेमन को काठमांडू में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी दिल्ली में दिखाई गई। बताया गया कि मेमन नई दिल्ली स्टेशन पर थ्री-व्हीलर में बैठ कर आ रहा था। जब इतना बड़ा आतंकवादी थ्री-व्हीलर में घूमता है तो हमारे जैसे लोग तो फिर पैदल ही चलेंगे। मेरा कहना है कि सरकार को सच्चाई पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। आज भी बताया गया कि एक आतंकवादी का साथी डाकूमेंट्स के साथ गिरफ्तार किया गया और वह वीडियो टेप तथा अन्य सामग्री के साथ आराम से मिल गया। जबकि इतने दिनों से उसकी तलाश थी और वह नहीं मिल पा रहा था आज आराम से मिल गया। वास्तविकता यह है कि सरकार राजनीतिक या अन्य कारणों से कुछ चीजों को छिपाने का काम कर रही है और घटना के नेचर को इस तरह से डायवर्ट किया जाता है।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि यदि इस सदन में भी सच्चाई बताने का काम आप नहीं करेंगे तो इन गतिविधियों को रोका नहीं जा सकेगा। ये गतिविधियां कहीं भी हो सकती हैं और किसी के साथ भी दुर्घटना घट सकती है। इन गतिविधियों के बारे में जब तक सरकार का प्रभावशाली कदम नहीं उठेगा, तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी और इनसे पीड़ित और दुखी लोग आतंकवाद से पीड़ित होकर इस तरह की मांगें करते रहेंगे और हम लोग भी इस सदन में इस तरह के विधेयकों और अन्य तरीकों से पुनर्वास की मांग यहां पर करते रहेंगे। सरकार चाहे तो इन सारी चीजों पर अंकुश लगा सकती है।

इन शब्दों के साथ श्री थामस द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, मैं प्रो० के० वी० थामस द्वारा प्रस्तुत किए गए आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों के पुनर्वास करने सम्बन्धी विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं यहां विधेयक लाने में प्रो० के० वी० थामस के विचारों की सराहना करता हूं। आतंकवादियों के बारे में काफी साहित्य उपलब्ध है परन्तु आतंकवाद के पीड़ितों के बारे में बहुत कम कहा या किया गया है। आतंकवादियों के सम्बन्ध में हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है परन्तु उन निर्दोष पीड़ितों की दुर्दशा की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जिन्हें उनकी अपनी कोई गलती न होते हुए भी शान्तिपूर्वक कष्ट भोगना पड़ता है। इस अर्थ में ये निर्दोष पीड़ित आतंकवाद के विरुद्ध शान्त रहकर लड़ाई लड़ते हैं।

यह दयनीय है कि उन लोगों की मृत्यु के बाद जो आतंकवादियों द्वारा मार दिये जाते हैं, उनके परिवारों को तथा उन्हें जो जीवित बचते हैं, समाचारपत्रों में शीघ्र ही भुला दिया जाता है। सभी आतंकवादियों अथवा राजनीतिक उग्रवादी दलों की यह विकृत सोच है कि उनके दृष्टिकोण से उनका उद्देश्य सही है तथा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेना ठीक है। और चूंकि उनकी ताकत प्रतिवादी की ताकत से कम होती है, जो लगभग सभी मामलों में वैधानिक रूप से गठित सरकार होती है, हिंसा उन निर्दोष व्यक्तियों के प्रति मोड़ दी जाती है जिनका आतंकवादी कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित करने वाली शिकायतों से कोई वैयक्तिक सम्बन्ध नहीं होता है। वे अपनी धमकियों की विश्वसनीयता

बढ़ाने के लिए बहुधा इन पीड़ितों को अपना लक्ष्य बनाते हैं। यह मात्र क्रूरता ही है कि ये कार्य विशिष्ट, सुविचारित तथा दबाव डालने वाले होते हैं इस प्रकार आतंकवादी मात्र नृशंसता तथा डर के द्वारा उन लोगों के मन में अपना अस्तित्व तथा अपना उद्देश्य जमाना चाहते हैं तथा अपने कार्यों या अपने कार्यों द्वारा डर पैदा करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसलिए, सरकार को समाज तथा राष्ट्र को यह संदेश देने की आवश्कता है कि वह आतंकवाद के कारण होने वाले उनके दुखों तथा उनके बलिदानों को मानती है।

महोदय, लोग बहुधा इस डर से चुप तथा तटस्थ रहते हैं कि उनके द्वारा कुछ कहने या करने से उन्हें आतंकवादियों के कोप का भाजन बनना पड़ेगा तथा इससे भी बेहतर यह है कि उन्हें सरकार की निष्क्रियता की आशंका रहती है। आतंकवाद के पीड़ित परिवारों की देखभाल के लिए इन उपायों के जरिए व्यक्त की गई सरकार की चिन्ता से निश्चय ही मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आएगा।

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आतंकवाद मन की एक दशा है, उनके मामले में नहीं जो हिंसा फैलाते हैं बल्कि उनके मामले में जो डर अन्यथा किसी कारण से मौन रहकर आतंकवादियों को नैतिक समर्थन देते हैं। इसलिए प्रो० थामस द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक में इन विचारशील तथा परोपकारी उपायों से लोगों में विश्वास पैदा होगा। क्योंकि वास्तव में पीड़ितों को ही दुख उठाना पड़ता है। आम जनता तथा सरकार इस नाटक के केवल दर्शक होते हैं। चूंकि सामान्यतया आतंकवाद से पीड़ित व्यक्ति सरकार पर आक्रमण करने के लिए अनचाहे शिकार बन जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे सरकार की सीधी सहायता प्राप्त करने उनका ध्यान रखने तथा उनकी देखभाल किये जाने के पात्र हैं। वे सरकार की अकर्मण्यता के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों के प्रति सरकार का नैतिक दायित्व है। महोदय, आतंकवादियों के शिकार व्यक्ति दो तरह के होते हैं। पहले प्रकार के वे हैं जिनका आतंकवादियों से कुछ लेना देना नहीं होता है परन्तु उन्हें सरकार को, प्रतिद्वन्दी को या यहां तक कि समाज को यह संकेत देने के लिए कि यह तो आतंकवादियों का काम ही है, मार दिया जाता है या यातना दी जाती है या अपहरण किया जाता है। दूसरे प्रकार के वे पीड़ित व्यक्ति हैं जो या तो प्रशासनिक रूप से आतंकवादियों के विरुद्ध हैं या उनसे लड़ रहे हैं। सरकार की उन मृतकों के परिवारों के प्रति विशिष्ट तथा निश्चित जिम्मेदारियां हैं जो उनसे लड़ते हुए मारे गए हैं। इसलिए इस विधेयक को आतंकवाद से पीड़ित दोनों तरह के व्यक्तियों की देखभाल करनी चाहिए।

लोगों की यह एकांगी तथा बेतुकी सोच है कि आतंकवादियों के विरुद्ध केवल कार्यवाही ही मानव अधिकारों का उल्लंघन है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंहराव ने 18 मई, 1994 को अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में कहा था :

"आज लोकतांत्रिक सरकारों के सामने जो कठिन कार्य है वह है मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली अत्यन्त खतरनाक प्रवृतियों अर्थात आतंकवाद की गोलियों से मानवाधिकारों की रक्षा करना।"

यह हमारे प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति है। इस स्वीकारोक्ति को और अधिक युक्तियुक्त तथा और तार्किक बनाने के लिए हमारा ध्यान आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों पर केन्द्रित होना आवश्यक है। हमारी यह

स्वीकारोक्ति तब तक खोखली प्रतीत होगी जब तक हम आतंकवादियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बाद न केवल पीड़ितों के साथ सहानुभूति प्रकट करें बल्कि उनके लिए पुनर्वास पैकेज की व्यवस्था भी की जाए और केवल इससे ही उन लोगों के प्रति समाज की चिन्ता ग्राही होगी जो मानसिक आघात तथा दुखों से गुजरते हैं। यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो मार दिए गए हैं क्योंकि वे तो मरकर चले गए, बल्कि समस्या तो परिवार के शेष सदस्यों तथा आश्रितों के लिए उत्पन्न हो जाती है जिन्हें लम्बे समय तक, केवल महीनों या वर्षों के लिए नहीं बल्कि शेष जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है।

महोदय, हमें यह ध्यान रखना चाहिए ये सभी पीड़ित व्यक्ति विशेषकर निर्दोष लोग, समाज को यह स्मरण कराते रहते हैं कि समाज आतंकवाद से चाहे जितना अनिर्लिप्त या दूर रहने का प्रयास करें, इससे बचा नहीं जा सकता।

वे इससे कतई अनभिज्ञ होते हुए भी आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमारे समाज की प्रतिक्रिया, आक्रोश तथा प्रतिरोध को और कम से कम नैतिक प्रतिरोध को इस बात से प्रोत्साहन मिलेगा जब समाज को यह विश्वास हो जाएगा कि सरकार पीड़ितों तथा निर्दोष व्यक्तियों के लिए चिन्तित है। प्रो० थामस का विधेयक देश में आतंकवाद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए समय से किया गया हस्तक्षेप है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि देश के भीतर का आतंकवाद कोई अलग मामला नहीं है। कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का इससे स्पष्ट सम्बन्ध होता है। परन्तु, सम्बन्ध हो या न हो, एक बात निश्चित है कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे इस दुखद परन्तु भयानक पहलू को बल मिलता है कि आतंकवाद विश्व में कायम रहेगा। नए हथियारों के कारण आतंकवादियों की विध्वंसक क्षमताओं में लगातार वृद्धि हो रही है विशेषकर व्यक्तिगत हथियारों के विकास में तेजी से प्रगति हो रही है जिनसे हम तथा अन्य विकसित देश अपने सुरक्षा बलों को सुसज्जित कर रहे हैं तथा जिससे सटीक मारक क्षमता बढ़ गई है। इन हथियारों की बढ़ती मात्रा से इनके आतंकवादियों के हाथ में आने के खतरे भी बढ़ गए हैं। इसलिए, हम इसे चाहें या न चाहें, मैं बिना किसी आडम्बर के यह कहूंगा कि आतंकवाद जारी है। अब समय आ गया है कि हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। हम इस चुनौती का सामना केवल अपनी बंदूकों के जोर से या केवल दृढ़ निश्चय के बल पर नहीं कर पाएंगे, बल्कि यह समाज के अन्तःकरण, उत्तरदायित्वों तथा प्रतिरोध, कम से कम नैतिक प्रतिरोध, को जगाकर किया जा सकता है जो तभी सम्भव है जब आतंकवाद के पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिया जाए।

इसलिए, प्रो० थामस का विधेयक समयोचित है और मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक को स्वीकार करेगी और यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक व्यापक विधेयक लाएगी।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं प्रो० के० वी० थामस द्वारा विधेयक

का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य देश में आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को मासिक पेंशन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। यदि मैं ऐसे प्रस्ताव की सराहना नहीं करूंगा तो मैं अकृतज्ञ महसूस करूंगा। इसलिए मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, देश में ऐसे हजारों परिवार हैं जो आतंकवाद का शिकार हुए हैं। वे देश के सभी भागों अर्थात् पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, असम और देश के अनेक अन्य भागों से हैं जिनका मैं पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता हूं। ये हजारों परिवार देश में व्याप्त कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के कारण आतंकवाद का शिकार हुए जो हमारी राजनीति की देन है। उस प्रकार की स्थिति इन लोगों की देन नहीं है। ये शिकार हुए व्यक्ति बहुत निर्दोष हैं। परन्तु परिस्थितियों के कारण वे उसका शिकार हुए।

इसलिए, यह सरकार का दायित्व है कि उन परिवारों की देखभाल करे जो निराश्रित हो गए हैं। कुछ परिवारों में माता-पिता मार दिए गए हैं और उनके अवयस्क बच्चे बचे हैं। कुछ परिवारों के पति को मार दिया गया है तथा केवल पत्नी बची है। इस प्रकार अनेक परिवार हैं जो देश में फैले आतंकवाद का शिकार हुए हैं।

मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इन निराश्रित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

अब तक, आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अन्य राज्यों में किए गए उपायों के बारे में जहां तक मुझे ज्ञात है–मैं बिल्कुल ठीक-ठीक नहीं कह सकता–अन्य राज्यों में पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम हैं। परन्तु मेरे राज्य मणिपुर में पुनर्वास का कोई कार्यक्रम नहीं है। केवल 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुछ अनुग्रह राशि दी गई है। तथापि, उन लोगों के लिए जो सरकारी सेवा में स्थायी पदों पर थे, उन पीड़ितों के लिए 60,000 रू॰ की॰ अनुग्रह राशि दी गई है।

मुझे जानकारी मिली है कि कुछ राज्यों में पीड़ितों को एक लाख से अधिक अथवा कम से कम एक लाख रू॰ की राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी गई है। इनकी तुलना में, मणिपुर में किसी पीड़ित के लिए केवल 20 रू॰ पर्याप्त नहीं है। जिन परिवारों में रोटी कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है और परिवार का निर्वाह करने वाला कोई नहीं बचता, उसकी देखभाल करना सरकार का दायित्व है। इसमें कोई शंका नहीं, मैं इससे सहमत हूं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी आतंकवाद का शिकार हो जाता है तो पीड़ित के नज़दीकी शितेदार के लिए सेवा में रहते हुए मृत्यु होगी–योजना के अन्तर्गत विचार किया जाता है। यह अच्छा विचार है।

लेकिन अब इस विधेयक में मासिक पेंशन और अन्य सुविधा प्रदान करने का विचार है। मैं नहीं जानता कि सरकार कहीं तक इस खर्च को वहन कर सकती है। यदि सरकार इसे देने में समर्थ होती है तो हम सरकार की इसके लिए अत्यधिक सराहना करते हैं।

मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि अन्य राज्यों में आश्रय और स्वैच्छिक संगठन हैं जो इन परिवारों की देखरेख के लिए तैयार हैं। लेकिन मणिपुर जैसे राज्यों और कुछ अन्य

छोटे राज्यों में ऐसे संगठन नहीं हैं जो पीड़ितों के मासूम परिवारों की देखरेख के लिए आगे आ सकें।

मैं सरकार से मणिपुर राज्य के लिए भी अनुग्रह की राशि एक लाख रु० तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है तो कम से कम एक लाख रु० अनुग्रह राशि के रुप में दिए जाएं जैसा कि अन्य राज्यों के लिए यह राशि स्वीकृत है।

अंत में, मैं एक बार फिर लोकहित के ऐसे विधेयक को लाने के लिए प्रो० के० वी० थामस का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है। क्या हम इसे एक घंटा बढ़ा लें ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है। इस विधेयक के लिए एक घंटा समय बढ़ाया जाता है। अब श्री उद्धव बर्यन बोलेंगे।

श्री उद्धव बर्यन (बारपेटा) : सभापति महोदय, मैं प्रो० के० वी० थामस द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों संबंधी विधेयक में भाग लेने के लिए अनुमति देने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए प्रो० के० वी० थामस का धन्यवाद करता हूं जो कि वर्तमान समय में बहुत ही समुचित है। इस समय हमारा देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। मुझसे पहले अनेक सदस्य इस बारे में काफी बोल चुके हैं कि किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी आतंकवाद फैला रहे हैं और किस प्रकार लोग उनकी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हो रहे हैं। देश में हिंसात्मक आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। कश्मीर में हिंसा हो रही है। वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। पंजाब में भी यह आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न अलगाववादी दल हैं जो कार्य कर रहे हैं और अनेक लोग उनकी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। देश में इन आतंकवादी और अलगाववादी बलों ने हमारे देश की एकता के लिए अत्यधिक कठिन समस्या पैदा कर दी है। वह हमारे देश की एकता और लोकतंत्रात्मक ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक ताकतें, और साम्प्रदायिक कट्टरवादी अपनी आतंकवादी गतिविधियों से न केवल हमारे देश की जनता के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं बल्कि लोगों की एकता, देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं। इसलिए आतंकवादी और साम्प्रदायिक लोग जो अलगाववाद फैला रहे हैं, भी समस्या पैदा कर रहे हैं। वह केवल समस्याएं ही पैदा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी हिंसात्मक गतिविधयों द्वारा सम्पूर्ण देश में, बड़ी संख्या में लोगों की भी हत्याकर रहे हैं। अत: वहां ये ताकतें काम कर रही हैं। हमारी जनता तथा हमारे नागरिकों द्वारा इसका मिलकर मुकाबला किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन आतंकवादी ताकतों का सामना कर रहे हैं और वे इनके विरुद्ध जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत करना चाहिए जो आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। आतंकवादी ताकतें अलगाववाद अथवा साम्प्रदायिकता के नाम पर कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि यह विधेयक जो कि आतंकवादियों की हिंसा के शिकार लोगों के लिए है, वह सम्पूर्ण देश के लोगों में विश्वास पैदा करेगा। इसके लिए

मैं यह विधेयक प्रस्तावित करने के लिए प्रो॰ थामस का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, हम अपने राज्यों में यह देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी ग्रुप विद्यमान हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक आतंकवादी ग्रुप हैं। यह समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अनेक लोग उनकी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हो चुके हैं। शिकार हुए कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, इनमें से कुछ नामी अर्थशास्त्री, इंजीनियर और अन्य राजनैतिक कार्यकर्त्ता भी हैं। इसलिए लोग आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हो रहे हैं। हमने देखा है कि जब कोई आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसके पुर्नवास के लिए सरकार उन्हें दो लाख रु॰ की राशि देती है।

मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को केवल एक लाख रु॰ दिया जाता है जबकि उन आतंकवादियों के परिवार के सदस्यों जो आत्मसमर्पण करते हैं, उनको 2 लाख रु॰ दिए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मारे गए लोगों के उत्तराधिकारियों को एक लाख रु॰ मिलते हैं और मारे गए आतंकवादियों के परिवार के सदस्यों को 2 लाख रु॰ मिलते हैं। मारे गए इन लोगों के परिवारों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके अपने बच्चे हैं, पत्नियां हैं, भाई और बहनें हैं। हो सकता है वह अकेला ही जीविका कमाने वाला हो। अतः यह उनके परिवार के लिए एक क्षति है इसलिए सरकार को मारे गए इन लोगों के परिवार के सदस्यों की देखरेख के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि वह न केवल आतंकवाद के विरुद्ध लड़े हैं बल्कि वह देश की एकता और अखण्डता के लिए भी लड़े हैं। इनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस संबंध में ऐसे पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक और अन्य लाभ दिए जाने चाहिएं। सरकार ने इस संबंध में कुछ उपाय किए हैं।

इसके साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकृति प्रदान करेगी। यदि आवश्यक हो तो सरकार को पहल करनी चाहिए और एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वे सभी लोग जो लोकतंत्र चाहते हैं, जो देश की एकता चाहते हैं, एक होकर आतंकवाद और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध और देश की एकता और शांति के लिए लड़ सकें।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : सभापति महोदय, आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों के पुनर्वास से संबंधित विधेयक का, जो प्रो॰ के॰ वी॰ थामस द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जब से हमारे देश में आतंकवाद आया, उस समय से बहुत ही विकराल समस्या आकर हमारे सामने खड़ी हो गयी है कि आतंकवादियों द्वारा जो लोग मारे गये हैं, उनके परिवार के लोगों या उनके छोटे छोटे बच्चों का पुनर्वास कैसे किया जाये।

पंजाब में आतंकवाद का जन्म 1981-82 से हुआ और उस समय से यदि हम वहां आतंकवादियों द्वारा मारे गये लोगों की संख्या एकत्रित करने की कोशिश करें, उनके आश्रितों, परिवारजनों की संख्या देखें तो वह हजारों में जाकर बैठती है। सरकार द्वारा इतने वर्षों बाद अभी तक न तो उनके पुनर्वास की कोई योजना बनाई गयी है और न इस संबंध में कोई घोषणा की गयी है। कुछ सामाजिक संस्थाओं और आम जनता द्वारा ही पैसा इकट्ठा करके अब तक उसकी सहायता की जाती रही है। सरकार के

लिये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि उससे कहीं ज्यादा पैसा इकट्ठा करके, पंजाब से निकलने वाले हिन्द समाचार समूह ने, जो 'पंजाब केसरी' के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे लोगों की सहायता की है। उस समूह द्वारा करोड़ों रुपये एकत्रित करके आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों में बांटे गये परन्तु अभी तक सरकार द्वारा उतना पैसा भी किसी मद से नहीं दिया गया। मैं नहीं समझता कि जो लोग या संस्थायें इस पवित्र काम को कर रही हैं, उन्हें सरकार ने किसी भी प्रकार से अपना सहयोग दिया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है।

पंजाब में 1986 में खुड्डा कांड हुआ जिसमें 16 लोगों को बस से उतार कर मार दिया गया। उस समय अमृतसर की एक अध्यापिका, लक्ष्मीकांत चावला, उनकी राख लेकर और उनकी विधवाओं के साथ यहां दिल्ली आयी थीं। वे यहां आकर विधवाओं के पुनर्वास के लिये, उनके छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के प्रबंध के लिये प्रधान मंत्री से मिलना चाहती थी ताकि उनके लिये कुछ किया जा सके लेकिन प्रधानमंत्री से मिलना तो दूर, उन्हें प्रधानमंत्री निवास तक नहीं पहुंचने दिया गया और पुलिस द्वारा खदेड़ दिया गया। उस समय वे चली गयीं। वर्ष 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो वही महिला लक्ष्मीकांत चावला फिर दिल्ली आयी। वे पंजाब में विधवाओं के पुनर्वास और उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिये कार्य कर रही थी और समाज से धन संग्रह कर रही थी।

उस समय इस देश के प्रधान मंत्री श्री वी॰ पी॰ सिंह जी थे और उस समय अबोहर में 30 लोगों को गोली मार दिया गया, तो फिर श्रीमती चावला उन विधवाओं और उनके आश्रितों को लेकर दिल्ली आईं और प्रधान मंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो वी॰ पी॰ सिंह जी ने इस बात की खुशी है कि उनसे मिलना स्वीकार कर लिया और उनकी बात बड़ी आत्मीयता से सुनी तथा उनको एक प्रकोष्ठ बनाने का आश्वासन दिया और इस आश्वासन को लेकर वे यहां से चली गईं। आज अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद वह प्रकोष्ठ स्थापित नहीं हो सका है। उस महिला ने कितना काम किया कि 1986 से 1989 तक बार-बार वह मरने वालों की विधवाओं और उनके आश्रितों को बराबर सहयोग करती रही, इस बात की कल्पना कर सकते हैं।

सभापति महोदय, जगराओं में रेल से उतारकर 53 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। श्रीमती चावला उनकी भस्मी और उनकी विधवाओं और अन्य निराश्रित लगभग 300 महिलाओं को लेकर दिल्ली आई, और उस समय जो प्रधान मंत्री थे, वे सौभाग्य से वर्तमान प्रधान मंत्री श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव थे उन्होंने उन्हें मिलने का समय दिया और उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना तथा प्रधान मंत्री ने उनको विश्वास दिलाया कि हम एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करेंगे जिसमें ये विधवाएं अपनी बात कह सकती हैं और इनकी बात को सुना जा सकता है। 7 जनवरी, 1992 की यह बात है, लेकिन उनसे मिलने के बाद, वायदा करने के बाद भी, आज तक उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री के स्पष्ट आश्वासन के बाद कि इनके लिए अलग से पुनर्वास के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, आज तक प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई है।

सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इतनी कठोर है। एक तरफ तो इतनी मुलायम हो जाती है कि अगर हजरत बल दरगाह में आतंकवादी घुस जाएं, तो सरकार उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उनको छोड़ा जा सकता है। यह सरकार की अपनी नीति होगी, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग मारे जाएं और जो विस्थापित हो जाते हैं उनके लिए सरकार कुछ भी करने की योजना नहीं बना रही है। आज जो यह विधेयक यहां आया है, यह प्राइवेट मैम्बर बिल है, इसकी क्या गति होने वाली है, इसको हम सब जानते हैं और सरकार इस पर कितना गौर करेगी यह भी हमें मालूम है। जब कि इस विधेयक पर हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र भी एक राय हैं और इस बात पर सहमत हैं कि इसको इसी रूप में मान लिया जाए। संसद की भी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और हम सब कह रहे हैं कि इसको इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए। इसकी क्या स्थिति होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसीलिए तो एक शायर ने कहा है :-

"सुखन अहले सुखन समझे जुबां अहले जुबां समझे
यह अश्कों की इबारत है कौन इसका तर्जुमा समझे
उसे तो अपने गुलदस्ते की रौनक से मकसद है
कहां गुंचे को फुर्सत है कि दर्दे गुलिश्तां समझे"

सरकार का ऐसा कठोर रवैय्या है

सभापति महोदय, पंजाब से आतंकवाद हट कर उत्तरप्रदेश में आ गया है। 1991 में जब यह आतंकवाद आया और इस देश का सबसे बड़ा बम कांड जो हुआ वह नैनीताल जिले के रुद्रपुर के अंदर एक राम लीला में बम फटने से हुआ था। उसके फटने से 60 लोगों की हत्या हुई। जो 60 मारे गए, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा था उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसके पास रहने के लिए अपना मकान हो। सब झुग्गी-झोपड़ी वाले थे जिनके पीछे न तो कोई भाई है न कोई इतना बड़ा बच्चा है कि वह उनका पालन-पोषण कर सके, उसकी देखभाल कर सके। हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई नौजवान मरा है, और उसकी विधवा समाज में आज दर-दर की ठोकरें खाती फिरे और जैसी समाज की स्थिति आज है, उसको देखते हुए उसकी क्या दशा होगी।

सभापति महोदय, इस प्रकार के 300-400 लोग ऐसे हैं जिनके भूखे मरने की स्थिति आ गई है। प्रदेश सरकार की अपनी सीमाएं थीं। उस समय जो बम कांड हुआ उसके पीड़ितों को हमने जोर डाल कर उस समय की प्रदेश सरकार से 25-25 हजार रुपए दिलवाए। इसके अलावा वहां की स्थानीय संस्था चाहे वह श्री गुरुद्वारा सिंह सभा हो, चाहे समाज सेवा प्रतिष्ठान समिति हो या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो उन्होंने भी थोड़ी सहायता की। यहां दिल्ली राम लीला कमेटी से भी कम्बल वगैरह भेजे गए। जो भी तात्कालिक रूप से हम व्यवस्था कर सकते थे, वह समाज के लोगों ने की, लेकिन आज वहां क्या स्थिति है, उनका कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता। उनकी क्या स्थिति है ? रहने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। नैनीताल जिले के अंदर भुकसा जनजाति रहती

है। जब भुकसा जनजाति के लोग खेतों में काम कर रहे थे तो आतंकवादियों ने आकर उनको गोलियों से भून डाला जो लोग मारे गये हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, वे सब अनाथ हो गये हैं। उनकी लड़कियां आज बड़ी हो गयी हैं। उनके विवाह का इतना बड़ा संकट आज उनके सामने आ खड़ा हो गया है। उनका कैसे पुनर्वास हो, कैसे बालिकाओं के विवाह हों, इसके संबंध में सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं है। कश्मीर की स्थिति क्या है, यह हमसे छिपी हुई नहीं है। मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि कश्मीर के बारे में सरकार की क्या नीति है। लेकिन यह बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के द्वारा जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके बाद उनके परिवार के लोग विस्थापित हो जाते हैं। उनके परिवार में विधवाएं हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके संबंध में सरकार की कोई नीति नहीं है। सरकार अपनी पीठ थपथपा लेती है कि हमने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को समाप्त कर दिया है। वह इसका श्रेय लेने की कोशिश करती है। लेकिन वहां जिस पार्टी की सरकार थी, वह वहां आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेवार है। उनकी आतंकवाद को पनपाने में भूमिका रही, यह हम नहीं जानना चाहते।

पंजाब का आतंकवाद सरकार के द्वारा नहीं खत्म हुआ। पंजाब का आतंकवाद खुद अपनी मौत के कारण समाप्त हो गया क्योंकि पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के जो रिश्ते थे, वे समाप्त नहीं किये जा सकते। मैं एक उदाहरण देकर यह कह सकता हूं। पंजाब के हमारे सांसद यहां मौजूद होंगे। वे कह सकते हैं कि पूरे पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद के समय में एक भी हिन्दू और सिख का दंगा नहीं हुआ। यहां तक कि 1984 में दिल्ली में आयोजित तरीके से जो दंगा करवाया गया, सिखों को जो उस समय मरवाया गया, उसकी प्रतिक्रिया में पंजाब में एक भी हिन्दुओं का दंगा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण यह था कि हिन्दुओं और सिखों के आपसी संबंध बहुत गहरे हैं। इस कारण यहां आतंकवाद अपनी मौत मर गया क्योंकि आतंकवादियों की स्वयं ही ऐसी करतूतें थीं जिसकी वहज से समाज ने उनको नकार दिया। आज कश्मीर में आतंकवाद समाप्त नहीं हो रहा है। अगर पंजाब में आपने समाप्त कर दिया है तो कश्मीर में भी समाप्त करिये।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर आतंकवाद के कारण आज दो लाख परिवार भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई योजना उनके लिए नहीं है। पंजाब की सरकार ने संभवत: एक योजना प्रारंभ करके वहां के पीड़ित परिवारों को 250 रुपये प्रति माह पेंशन की दिए जाने की घोषणा की है। उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन वहां की आतंकवादी गतिविधियों में जिन परिवारों के लोग मारे गये हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन किये जा रहे हैं कि इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाये लेकिन उनकी मांग को आज तक नहीं माना जा रहा है। इस विधेयक पर दिल्ली में कहा गया कि इस राशि को संभवत: दो हजार किया जाये। लेकिन मैं इस राशि को दो हजार से बढ़ाकर पांच हजार करने की मांग करता हूं और जो लोग मारे जाते हैं उनके परिवार में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसको एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रुप से नौकरी दी जानी चाहिए। उनके रहने के लिए पक्के मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए। हर क्षेत्र में जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में उनको सबसे पहले महत्व दिया जाना चाहिये।

मैं यह मांग करता हूं कि इस बिल को मान लेना चाहिए। इसमें सब लोगों की सहमति है। मुझे यह विश्वास है कि सरकार इसकी गंभीरता को समझेगी ताकि वहां के जो आतंकवादियों के द्वारा मारे जा रहें लोग हैं, उनके परिवारों के लोगों को आशा की किरण दिखाई दे, यह मेरा विश्वास है।

[अनुवाद]

4.39 म॰ प॰

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय मैं अपने सहयोगी प्रो॰ थामस द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह दुःखद बात है कि हमारे देश में ज्यादातर जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद के कारण काफी लोग मारे गए हैं। उनकी अकाल मृत्यु हुई है, वे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। असामयिक निधन हुआ। स्वाभाविक तौर से ऐसे मामलों में मृतकों के परिवारों, ऐसे मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति राज्य का भी दायित्व है। वे लोग एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता के लिए शहीद हुए हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए काम करते हुए देश को आखंड रखने के लिए देश में शांति बनाएं रखने के लिए इन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। वे आतंकवादियों का लक्ष्य बने हैं। सन 1947 के पहले ही हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जिन लोगों ने गणतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी भरी भूमिका अदा की थी। इसमें अलग-अलग क्षेत्र थे। स्वतंत्रता संग्राम का विभिन्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। र॰. देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन नहीं था। काफी बड़ा भाग था जिसे गरजात अथवा रियासत कहा जाता था जो राजाओं और रजवाड़ों की हुकूमत में थे। उन जगहों पर भी लड़ाई की बल्कि हिन्दुस्तान के साथ उन्हें मिलाने के लिए गरजात शासन के खिलाफ एक तरह का युद्ध था। हैदराबाद जहां निजाम काफी शक्तिशाली था, जो सबसे बड़ी रियासत थी सहित अनेक जगहों पर लड़ाई छिड़ी हुई थी। एक स्वतंत्रता संग्राम का चरण था और स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् हमने अन्तिम युग में प्रवेश किया। विकास के युग के सुदृढ़ीकरण और समीकरण के युग में हमने प्रवेश किया। इस प्रक्रिया में भी जो मर रहे हैं या जो आतंकवादियों के गोलियों से घायल हुए अनेक ब्रिटिश जेलों में मरे या अंग्रेजी सेना की गोलियों से मरे लोगों से कम बड़े स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं, अतः सरकार को आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर मानना चाहिए। तदनुसार कुछ रियायत कुछ राहत, कुछ लाभ इन लोगों को भी दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह योजना 1971 में आरम्भ की थी और इससे अनेक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी को राहत मिली। उचित इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को ऐसा कोई विचार बनाना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों के परिवारों की राज्य द्वारा देखभाल की जा सके।

प्रो॰ थामस द्वारा पेश किए गए विधेयक के कुछ उपबंध यथा कुछ वित्तीय रियायतें, कुछ अन्य लाभ, भरो मृतकों के परिवारों को 2000 रु॰ की मासिक पेंशन या इसी तरह की बातों संबंधी कुछ उपबंध सराहनीय हैं। यही चीज सबसे जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें मृतकों के परिवार के बच्चों को

शैक्षिक सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा देने पर भी विचार करना चाहिए।

जनता द्वारा चुने जाने के बाद संसद सदस्य, विधायक जिसने लोगों की सेवा करने की कसम खायी है चार वर्ष या पांच वर्षों से कुछ महीने कम की सेवा के पश्चात पेंशन पाने का पात्र हो जाता है। तो ऐसे लोग जो देश की अखंडता के लिए मर रहे हैं उन्हें संग्राम में भाग लेने के लिए पेंशन क्यों न मिले ? ज्यादातर पुलिसबल के लोग तथा आतंकवाद का विरोध करने वाले लोग लक्ष्य बन रहे हैं। सैन्य बल के लोग सिपाही राजनीतिक लोग सामाजिक कार्यकर्ता जो आतंकवाद के विरुद्ध जनमत बना रहे हैं और वे लोग राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए देश भक्ति जगा रहे हैं, लक्ष्य बन रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और भरण पोषण आगे के लिए कुछ सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए।

यह कह कर मैं कुछ और टिप्पणी करना चाहूंगा। कुछ जगह हैं जहां आतंक काफी अधिक है। कुछ जगहों जैसे कि जम्मू और कश्मीर इसने विद्रोह का रुप ले लिया है। ऐसा कभी कभी पूर्वोत्तर नागालैंड में कभी मणिपुर में भी होता है। जब तक सुदृढ़ समन्वित और संयुक्त प्रयास नहीं किए जाते, हो सकता है यह अन्य भागों में भी फैल जाए। जैसा कि आप जानते हैं मुम्बई में भी ऐसी कुछ घनाएं होती हैं। मेमन भाईयों और उसी तरह की कुछ घटनाएं वहां हुई हैं हत्या जैसी घटनाएं आज भी हो रही हैं जिसके सुराग भी मिल चुके हैं।

कुछ मित्रों ने उत्तर प्रदेश तथा अन्य जगहों पर हुई घटनाओं के बारे में अपना अनुभव बताया है। अत: उग्रवाद का आतंक अब राष्ट्रव्यापी समस्या हो गई है हालांकि जम्मू और कश्मीर में इसने विद्रोह का रूप ले लिया है तथा दूसरे जगहों पर वे लोग अराजकता फैला रहे हैं और सरकार की विश्वसनीयता खराब करने के लिए उसे मुठभेड़ में फंसा रहे हैं तथा उसे विकास के अहम मुद्दों के लिए कम से कम समय दे रहे हैं। देश के अन्दर और बाहर दोनों जगह हमारे काफी दुश्मन हैं। यही हमारी स्थिति है। यह हमारा दुर्भाग्य है।

पिछले कुछ दिनों से अलग अलग रुप में इस मुद्दे को इस सभा के पटल पर उठाया जा रहा है। उदाहरण के लिए इसे प्रश्नकाल शून्यकाल में उठाया गया। कल भी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा यह वक्तव्य दिया गया जिसमें जर्मनी के माध्यम से रूस से तस्करी के यूरेनियम से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से विकसित आणिवक शक्ति की स्थिति बतायी थी।

हमारे देश में आतंकवाद को आई एस आई द्वारा पाकिस्तान के नेताओं द्वारा सहायता और बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कुछ छुपा नहीं है। उन्हें एक शक्तिशाली राष्ट्र से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। क्या पाकिस्तान इतना मजबूत देश है कि वह स्वयं अपनी आर्थिक प्रौद्योगिकी विकसित कर सके और भारत जैसे बड़े देश जो एक उप महाद्वीप है एक छोटा विश्व है के खिलाफ जाएं ? इसकी जड़े किसी शक्तिशाली राष्ट्र में हैं। हमें उससे भी लड़ना है।

आतंकवाद आज भी अवधारण नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हमें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। जब कैनेडी मरे तो अमेरिका में क्या हुआ। क्या यह किसी आतंकवादी गिरोह का काम नहीं था। दो तीन साल पहले क्या हुआ जब श्रीमती मार्गरेट थैचर आयर लैण्ड में किसी सम्मेलन

में भाग लेने गई थी और पूरे होटल को उड़ा देने का प्रयास किया गया था ?

आयरलैंड, स्काटलैंड इंगलैंड और यूरोप के अन्य देशों में आतंकवाद एक विश्व-व्यापी घटना है।

हमारे देश में भी आतंकवाद तेजी से क्यों बढ़ रहा है ? यह समाज में असन्तुलन के कारण है। बेरोज़गारी से असंतोष तथा कुंठा पैदा होती है। जब कोई शिक्षित बेरोज़गार नवयुवक कुंठित होता है, तो उसकी शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। यही सब कुछ जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। निःसंदेह पंजाब में आशा की किरण है। पंजाब में क्या हुआ अनेक लोगों ने पंजाब का नाम वास्तव में काट दिया है। परन्तु हम पंजाब में आतंकवाद का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में सफल हुए। इससे यह आशा जागती है कि हम जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में दृढ़तापूर्वक आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं तथा उसे समाप्त कर सकते हैं।

आज क्या हो रहा है ? इस विषय में हम सबको सोचना चाहिए। यदि किसी कुशाग्र बुद्धि नवयुवक को किसी न किसी कारण से विश्व-विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता या विश्व-विद्यालय आदि की शिक्षा के पश्चात् उसे कोई नौकरी या कोई अन्य विकल्प नहीं मिलता तो वह कुंठित हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी नौकरियां हर जगह उपलब्ध कराई जा सकती हैं। नवयुवक भी यह समझते हैं कि कार्यालयी नौकरियां प्रत्येक शक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं। परन्तु ऐसी नौकरी होनी चाहिए जिसमें इज्जत हो तथा अपनी बुद्धिमत्ता और स्कूल, कालेज, विश्व-विद्यालय में प्राप्त शिक्षा का उचित उपयोग करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि वह स्थिति पैदा नहीं की जाती तो उनके साथ बल प्रयोग से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा।

मैं जानता हूं कि आपातकाल में, जब कहीं पर आतंकवाद होता है, तो हमें पुलिस बल, सेना बल आदि किसी का भी प्रयोग करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि श्री राजेश पायलट जी मेरे साथ सहमत होंगे कि कई नई बटालियनें तैयार कर रहे हैं। मैंने किसी समाचार-पत्र में यह समाचार पढ़ा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आठ राज्यों में नई बटालियनें तैयार करने की मांग की गई हैं। आने वाले समय में यह आठ राज्यों तक ही सीमित नहीं रह सकता। इसलिए परहेज़ करना इलाज से बेहतर है। असन्तुलनों का मुकाबला करने तथा सम्मानीय जीवन जीने के लिए सबको उचित शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक न्याय ही एक रास्ता है। मैं हमेशा नौकरियों तथा उन सबके बारे में ही सर्वदा बात नहीं करता हूं। इसलिए ये मुख्य कारण हैं जिनका हमें विश्लेषण करना है तथा उन समस्याओं का अध्ययन सामाजिक शोषण आदि के परिप्रेक्ष्य में करना है। इसके साथ-साथ महोदय, फिलहाल हमें जहां कहीं भी आतंकवाद है, अपने पुलिस बल तथा दूसरे बलों का सहयोग लेना ही है।,

कई बार हम देखते हैं कि एक अति महत्वपूर्ण पक्ष को हम भूल जाते हैं टाडा आदि के मामले हैं तथा अन्य चीज़ें हैं। मैं मानता हूं कि जब इस प्रकार की शक्तियां दी जाती हैं तो कभी-कभार इनका दुरुपयोग भी किया जाता है। परन्तु इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप कहें कि "इसे निकाल दो, इससे कानून की किताब से हटा दो" तो यह उचित नहीं है, मैं समझता हूं कि हमारे जैसे

देश में, जहां अनेक प्रकार की जटिलताएं हैं, यदि आपके पास शक्तियां नहीं हैं तब भी बड़ी कठिनाई है। महोदय, आप एक प्रतिष्ठित वकील हैं और मैं भी हमारी न्यायिक प्रणाली हमारे को एक नई दिशा देने की वकालत कर रहा हूं कि क्या हम बिना सुधार किए, बिना क्रान्तिकारी प्रणाली के बढ़ते अपराधियों तथा अपराधों से निपट सकते हैं तथा जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं उनसे निपट सकते हैं।

राजधानी में भी प्रतिदिन आपको बलात्कार, अपहरण, दहेज से संबंधित मृत्यु आदि के समाचार मिलते हैं। फिरौती के लिए अपहरण किया जाता है तथा अन्य कई प्रकार के अपराध किए जाते हैं। क्या यह विश्व के एक बड़े लोकतन्त्र के कार्यकरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।

अब हम चीन के तीव्र विकास का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। महोदय, मैं यहां पर उपस्थित माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने 'टाइम्स आफ इण्डिया' के पृष्ठ तीन पर एक फोटो देखा होगा जो कि उनके शायद किसी अति उच्च सरकारी अधिकारी का था जिसे हथकड़ी पहनाकर कहीं ले जाया गया था और उसे फांसी दी जानी है। उसने क्या अपराध किया था ? उसने राशन की आपूर्ति अधिक मूल्य पर की थी।

परन्तु यहां भारत में, एक अच्छा वकील करके, दूसरों को परेशान करके मामले से संबंधित कुछ व्यक्तियों को धन देकर, घोर अपराधी भी छूट जाते हैं।

उन्हें जेल में भेजना बहुत कठिन है। उनमें इतनी शक्ति है कि वे आधी रात को भी दण्डाधिकारी का दरवाज़ा खटखटा कर उनके सोने के कमरे से उससे आदेश प्राप्त कर सकते हैं। क्या भारत में ऐसा नहीं हो रहा है ? मेरे ख्याल में आप कहीं का उल्लेख कर रहे हैं। मेरे विचार में यहां भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिनियमों का दुरुपयोग न हो। हमें इन निवारक अधिनियमों के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। परन्तु इन अधिनियमों के बिना भी अपराधियों को पकड़ना मुश्किल है। कुछ लोग जिन्हें बम्बई के भीषण बम विस्फोटों की सीधी जानकारी है, उनका कहना है कि 'टाडा' के बिना उन अपराधियों को पकड़ना असंभव था।

5.00 म० प०

परन्तु इसी अधिनियम के बिना यह भी स्पष्ट न होता कि ये घटनाएं कैसे घटीं। और अब पाकिस्तान का इसमें हाथ भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि इस कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। प्रावधान इसमें रहने चाहिए। सिर दर्द का इलाज करने के नाम पर हमें स्वयं सिर को ही अलग करने का सुझाव नहीं देना चाहिए। हमें आतंकवाद का सफाया करने के लिए बहु-आयामी नीति अपनानी होगी, जो कि आजकल दुर्भाग्यवश एक विश्व-व्यापी घटना बन गया है। हमें इसलिए उपचारात्मक उपाय करने होंगे, और जहां कहीं भी यह समस्या उत्पन्न हो, हमें पुलिस और सैनिक बल आदि की सहायता से दृढ़तापूर्वक इसका मुकाबला करना होगा।

इसके साथ-साथ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हमें इस मामले को ज़ोरदार तरीके से उठाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत शीघ्र ही ओ आई सी अर्थात इस्लामी देशों के संगठनों की एक समय बैठक

आयोजित करने वाला है। वे लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महान सत्र में काश्मीर का मुद्दा उठाने की भी योजना बना रहे हैं। वह देश जो हमारे देश के विभिन्न भागों में लोगों को उकसाने तथा आतंकवादी गतिविधियां चलाने और उन्हें तेज करने में लगा हुआ है, वह अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर एक फरियादी बन गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में लेने के लिए प्रभावी उपचारात्मक उपाय करें तथा इस सम्बन्ध में विश्व में अपना समर्थन जुटाएं। इसलिए विभिन्न देशों में हमारे दूतावासों को इन पहलुओं के संबंध में अपनी जानकारी अद्यतन रखनी चाहिए। इस प्रकार देश के अन्दर व बाहर तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें उचित रूप से इस मुद्दे का सामना करना होगा।

महोदय, केवल एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस समय कुछ लोगों द्वारा आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का बड़ा विचित्र मुद्दा उठाया जा रहा है। आतंकवाद में मानवतावाद का नितान्त अभाव होता है। आतंकवादी गतिविधियों के साथ मानवतावादी गतिविधियों को नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ एजेंसियां या संगठन यह तर्क कैसे दे सकते हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है ? वे लोग जो स्वयं मानव नहीं 'ह्यूमन राइट्स कमीशन' के प्रावधानों की बात कैसे कर सकते हैं ? जो लोग ऐसा अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते हैं, वे मनुष्य नहीं हैं। वे तो जानवरों से भी बदतर हैं। इस पहलू को भी सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए।

आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों, वे व्यक्ति जिन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान दे दी तथा जो अपने ही तरीके से राष्ट्रीय एकता, शांति, सद्भावना तथा विकास में योगदान दे रहे हैं, उनकी सरकार द्वारा उचित देखभाल की जानी चाहिए। सरकार को उनके पुनर्वास के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए तथा उन्हें भरण-पोषण जीविकोपार्जन शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं आदि उपलब्ध करानी चाहिएं। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को इकट्ठे बैठकर एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ताकि आतंकवाद की गतिविधियों से पीड़ित व्यक्तियों के परिवार वाले अपने आपको उपेक्षित महसूस न करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सभी लाभ प्राप्त हों ताकि इसके बदले में वे लोग इस देश के अच्छे नागरिक बनें और अपनी जीविकोपार्जन तथा सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने की स्थिति में हों।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, प्रो॰ के॰ वी॰ थामस द्वारा लाए गए विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। उनके विचारों की मैं कद्र करता हूं कि इस तरह का विधेयक लाए हैं जिससे हम लोगों को बोलने का मौका मिले। हमारे पूर्व साथी ने कहा कि इस विधेयक का क्या हश्र होगा ? लेकिन यह देश की एकता को मजबूत करने वाला विधेयक है। यहां पर आतंकवाद और उग्रवाद जैसे वाद चल रहे हैं। दोनों वाद का स्वरूप अलग-अलग है। आतंकवाद हमारे देश को विखंडित करना चाहता है और उग्रवाद का स्वरूप यह है कि वह शोषण और दमन तथा सामाजिक जुर्म और अत्याचार से हमें मुक्ति दिलाए, इसलिए दोनों में फर्क है। बिहार में उग्रवाद चल रहा है। जहानाबाद के बारे में आप अखबार में पढ़ते होंगे। वहां पर काश्मीर और पंजाब से कम हत्या नहीं

हो रही है, लेकिन हत्याएं दोनों तरफ हैं। आतंकवाद से हमारे लोग पीड़ित होते हैं चाहे हमारे सुरक्षा बल के हों या ग्रामीण लोग हों। इनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उनके लिए इस बिल में दिया गया है कि उनके लिए पुर्नवास की व्यवस्था हो और उनके बच्चों के पढ़ने-लिखने की उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारे सुरक्षा बल के लोगों में अपने कर्तव्य पालन में मजबूती आयेगी और वे देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। इस बात को बड़े हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। इस विधेयक में दिया गया है कि देश के प्रति कैसी शक्ति बने जो आतंकवाद के खिलाफ लड़े। उग्रवाद के कारण हमारे जिले में बहुत मौतें हो रही हैं और वहां पर बहुत से गांवों में अपना अधिपत्य जमाने के लिए कुछ लोग समर्पित हो गए हैं। वहां पर न्यायालय बना लिया है जो सामाजिक जुर्म और अत्याचार के खिलाफ न्याय करता है और फांसी की सजा भी देता है। फिर भी सरकार को गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि इतने लोग मारे जा रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है ? गरीबों का अभी तक विकास नहीं हो पाया है और उनके जवान दर-दर की ठोकरें खाते हैं। हमारा देश जब गुलाम था तो गरीबों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और अमीरों ने चाकरी की। जब अंग्रेज देश छोड़कर गये तो अमीरों के सिर पर ताज रख गये। लेकिन वे गरीब, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई और कुर्बानी दी, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। आज आप देखें सौ बरस पहले भी आदिवासी इलाकों में औरतें अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर काम करती थीं, आज भी वैसे ही कर रही हैं। उनमें कोई फर्क नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि जो गरीब पहले पीड़ित था, वह आज भी है। इस कारण वहां उग्रवाद नहीं पनपेगा तो फिर क्या होगा। यह उग्रवाद इसलिए पनपा है कि आपने एक वर्ग को अछूता रखा है और उसका विकास नहीं किया है। इसलिए उस वर्ग के नौजवान आज उग्रवाद और आतंकवाद की ओर जा रहे हैं।

आज राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। इससे भी उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा है। इससे आप सोच सकते हैं कि देश की स्थिति क्या होगी। आज राजनीति में अपराधी आकर लोक सभा और विधान सभाओं में भी पहुंच रहे हैं। उनको किसने पहुंचाया, यह आपको देखना होगा और देश से आतंकवाद तथा बढ़ते हुए उग्रवाद को दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे। यह ठीक है कि आज हमारे देश में बाहरी ताकतें भी उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। वे देश की एकता को तोड़ना चाहती हैं और देश को विखंडित करना चाहती हैं। पाकिस्तान आज कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और देश की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उसने पहले ऐसी ही कोशिश पंजाब में भी की थी। हम आपको इस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने पंजाब से आतंकवाद को खत्म किया। अब पंजाब में विकास का नया दौरा आया है।

जहां विकास नहीं है, बेकारी बढ़ रही है, वहां उग्रवाद भी बढ़ रहा है। अगर आप उग्रवाद को कम करना चाहते हैं तो जो वर्ग विकास से अछूता है उसको आपको ऊपर उठाना होगा। यह ठीक है कि आप गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं। आपने इस काम के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या वास्तव में वह गरीब रेखा

से ऊपर उठा है या नहीं उठा है। अभी तक आपने यह देखने की कोशिश नहीं की कि उसका फल उसको मिला है या नहीं मिला है, उस पैसे का सदुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग पीड़ित हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। उनको विकास के लिए हर सहूलियत मुहैया करानी चाहिए। जो निर्दोष लोग आतंकवादियों के हाथों से मारे गये हैं, उनके आश्रितों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाये तो इसमें आपका ही कसूर है, क्योंकि आतंकवाद आपके राज में ही पनपा है। हमने देखा है कि एक अपराधी जिस पर ईनाम घोषित था उसके मरने पर आपके ही लोगों ने कई-कई घंटे तक प्रदर्शन किया। हमारे क्षेत्र में यह घटना घटी है। आप सोचिये कि इन चीजों से क्या उग्रवाद नहीं बढ़ेगा ? मेरा निवेदन है कि इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। अभी जो विधेयक आया है। अगर देश के हित को स्वीकार करेंगे तो आपका और इस देश का जयजयकार होगा। वे परिवार जो इससे पीड़ित हुये हैं, उनका भी जयजयकार होगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनके बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था हो, उनके परिवारों के रहने के लिये व्यवस्था हो तो मेरा विश्वास है कि भविष्य में हमारे नौजवान इस आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करेंगे।

यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, प्रो॰ के॰ वी॰ थामस द्वारा लाये गये इस गैर-सरकारी विधेयक का हृदय से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को पुनर्वास देने के लिये है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उसको बिना किसी झिझक और हिचक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये। सरकार को आतंकवाद से प्रभावित ऐसे हजारों लोगों, सभ्रांत नागरिक, सुरक्षाकर्मी, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतार दिये जाते हैं, और जिनके लिये हम यहां पर एक शोक प्रस्ताव पास कर इतिश्री कर देते हैं, उन लोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं या राज्य सरकारों से प्रतिवेदन ले लेते हैं और जरूरत पड़ने पर जांच बैठा देते हैं और फिर खाना पूर्ति भी हो जाती है, लेकिन सरकार द्वारा गोल मटोल उत्तर देने के बाद वह बात समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिये। इसी आतंकवाद ने हमारे दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को मौत की गोद में सुलाने का काम किया है। इस वास्ते हम सत्ता पक्ष में बैठे हुये कांग्रेस के लोगों से अपील करते हैं कि ज़रा इस बात पर गौर करें कि इसमें मानवता व ताकत जुड़ी हुई है। आपको सोचना होगा कि इस आतंकवाद के कारण एक आदमी का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, पुत्र पिता से मां बेटे से, पत्नी पति से छूट जाते हैं तो उसके ऊपर क्या गुज़रती होगी ? क्या हम सब अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस विधेयक का समर्थन करेंगे। इसमें चाहे विरोध पक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करना चाहिये। जिसका व्यक्ति परिवार से चला जाता है, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिये या उस परिवार को चलाने के लिये या उनको जिन्दा रखने के लिये तथा उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिये और जिस प्रकार वह आतंकवाद से पीड़ित होकर उसके खिलाफ लड़ता हुआ इस दुनिया से सिधार जाता है। उसी प्रकार से यदि उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, अपने पिता या भाई के खो जाने के बाद भी यदि उसको इस विधेयक के ज़रिये सहारा मिलेगा, मासिक पेन्शन मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी,

शिक्षा की व्यवस्था होगी तो उसमें भी इच्छाशक्ति जगेगी। उसका नैतिक बल बढ़ेगा और आने वाले समय में वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कसेगा। इस तरह से यह विधेयक आतंकवाद को कम करने में और समाप्त करने में सहायक होगा, यह मेरी राय है। इस राय के साथ में आग्रह करूंगा कि सरकार इस विधेयक को माने और इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य रामाश्रय बाबू ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद में फर्क है। निश्चित रूप से इसमें फर्क है। उन्होंने जिस समस्या की ओर इशारा किया है, जहानाबाद की कहानी इन्होंने बताने का काम किया है। निश्चित रूप से इस देश में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक विष्मता, भेदभाव और बेरोज़गारी है।

5.22 म॰ प॰

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हाथ का काम नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में फितूर पैदा होता है और दिन प्रतिदिन नैतिक मूल्यों में ह्रास होता है और उससे प्रभावित होकर नौजवानों के बीच में उग्रवाद पनपता है। मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि यही मौका है कि सरकार को सोचना चाहिए। आतंकवाद और उग्रवाद के मूल में एक बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और भेदभाव है जिसकी ओर रामाश्रय बाबू ने इशारा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूं कि आज देश में जो स्थिति है, उसमें उग्रवाद पर काबू पाने के लिए सरकार को काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए ताकि हर हाथ को काम हो चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, खेत मजदूर हो या किसान हो, हर किसी को काम करने का संवैधानिक अधिकार मिले। काम के अधिकर के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए, तभी जो यह विषमता की बात है, जो बेरोज़गार नौजवान भटक जाते हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राय जी एक मिनट रुकिये। इस विषय के लिये आवंटित समय समाप्त हो चुका है। क्या हम एक घंटा समय और बढ़ायें ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : महोदय, दूसरा विधेयक जो इसके बाद है उसका क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्यों द्वारा लिये गये समय पर निर्भर करता है।

श्री अर्जुन चरण सेठी : प्राथमिकता में मेरा पहला नम्बर है। महोदय यह प्रथा है कि जिस किसी का भी प्राथमिकता में पहला नम्बर होता है कम से कम उसे संकल्प या विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। ताकि वह व्यपगत न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक समय का संबंध है तो यह बेहतर होगा कि हम समय सीमा के भीतर रहें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरे माननीय सदस्यों को भी अवसर दे सकेंगे। माननीय सदस्यों को मुश्किल से ही अवसर मिलता है। इसलिये यह अवसर खोना नहीं चाहिए।

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, मुझे कितना समय दिया जायेगा। इस विधेयक के लिए आवंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अब इसमें और कितना समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह आधे घंटे के भीतर किया जा सकता है। यह माननीय सदस्यों के भाषणों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आतंकवाद के पीड़ितों के पुनर्वास विधेयक पर बोलते हुए मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के परिवार में कोई कामकाजी व्यक्ति आतंकवाद का शिकार होता है उसके लिए इस विधेयक में थामस जी ने जो प्रावधान किया है कि दो हजार रुपए उसको मासिक पेंशन जानी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, शिक्षा की व्यवस्था हो, पुनर्वास हो, यह बात निश्चित रूप से सदन के सभी सदस्यों की भावनाओं के अनुसार है। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करने में सरकार को आगे आना चाहिए और इसे पास कराने का अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं प्रो॰ पी॰ सी॰ थामस को एक बहुत अच्छे और विचारपूर्ण विधेयक को लाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। वस्तुतः यह काफी पहले आ जाना चाहिये था। यह बहुत दुख का विषय है कि यह महान राष्ट्र जो कि शांति, सद्भाव, भाईचारे के लिये जाना जाता है और जहां पूरे विश्व से लोग मूल मानवता तथा मानवता के मूल्यों को सीखने के लिये आते थे और जहां महात्मा गांधी तथा गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, आज आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ बन गया है और लोग आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे हैं। हिंसात्मक गतिविधियों में काफी जानें जा रही हैं और आज देश में आतंकवादियों या हत्यारों की गतिविधियां आम बात हो गई हैं।

यह काफी निराशाजनक और दुखदायी बात है कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण हमारी संवेदनशीलता उस स्तर तक पहुंच गई है जहां हमारे ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। हम हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि इधर और उधर काफी लोगों की हत्याएं हो गई हैं। हम विचार भी नहीं करते हैं कि देश में हो क्या रहा है ?

जान की हानि के अलावा यह आतंकवादी गतिविधियां नुकसानदायक भी हैं। यह एक आदत बनती जा रही है। हमारे भौतिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं और संवेदनशीलता का ह्रास होता जा रहा है। जिन मूल्यों के लिये हमारा देश विख्यात था, वे आज आतंकवादी गतिविधियों के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। हमको इस विधेयक को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये। मासूम लोगों की राजनीतिक कारणों से आतंकवादी हत्या कर रहे हैं और इसीलिये यह अति आवश्यक है कि इन आतंकवादी गतिविधियों

को नियंत्रित किया जाए। जैसा कि मैंने कहा है कि यह सिर्फ मानव जीवन के नुकसान को बचाने के लिये ही नहीं है बल्कि देश के मूल्यों को नष्ट होने से बचाने के लिये भी जरूरी है कि सरकार आतंकवादी गतिविधियों के पीड़ितों को सहायता देने के अलावा जो कि एक बहुत अच्छी अत्यावश्यक और आवश्यक गतिविधि है, आतंकवादियों की जिम्मेवारी ले और आतंकवाद के मूल कारणों को खत्म करे।

आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां आतंकवादी गतिविधियों की वजह से हम लोगों को वित्तीय और दूसरी सहायता देना चाहते हैं। यह गतिविधियां क्या हैं ? हम कब तक लोगों को प्रशासनिक कठिनाइयों या विफलताओं, आप जो भी कहें, अथवा वर्तमान में अमल में लाई जा रही राजनैतिक प्रणाली का नतीजा कहें, के कारण सहायता देने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे ?

इसलिये, सरकार को आतंकवाद को नियन्त्रित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहियें। इस विषय पर देश में काफी चर्चा होती है लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ प्रतिक्रिया ही होती है और कार्य कुछ नहीं होता है। अगर कोई मुम्बई में मारा जाता है तो हम कहते हैं "हम जांच करेंगे, हम यह करेंगे और वह करेंगे, हम सी॰ बी॰ आई॰ से जांच करवाएंगे तथा देखेंगे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।" जब इसकी पुनरावृत्ति होती है तब हम इन घिसे पिटे शब्दों को पुनः दोहराते हैं। इसलिये, यह आवश्यक है कि आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिये एक संयुक्त, गैर-राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाएं और इस तरह से कार्य करें कि आतंकवादियों और हमारे देश में आतंकवाद का समर्थन करने वाले राष्ट्रों का साफ-साफ संकेत मिल जाए कि अब यह और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

पूर्ववक्ताओं ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने की बात कही है, जो कि सर्वविदित है। पाकिस्तान को यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि इन सबके पीछे उसका हाथ है। इसलिये मैं सरकार को एक और सुझाव देना चाहता हूं कि वह इस तरह के कार्य करे कि पाकिस्तान को साफ-साफ संकेत मिल जाए कि जो खेल वह खेल रहा है वह भारत भी खेल सकता है और शायद उससे बेहतर खेल सकता है। इसलिए, अगर पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाना चाहता है तो सरकार को अपने–तरीके से जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं–पाकिस्तान को साफ-साफ संकेत देना चाहिये कि यह कभी एक तरफा नहीं हो सकता है। अगर पाकिस्तान ऐसा खेल खेल सकता है तो हम इससे बेहतर खेल खेल सकते हैं इसलिये सरकार को इस संबंध में कुछ जरूर करना चाहिये। हम सुनते रहते हैं कि आतंकवादी लाचार और गरीब लोगों की हत्या करते रहते हैं। पिछले वर्ष 15 अगस्त को, डोडा में एक बस से लोगों को उतारकर दिन दिहाड़े मारा गया था।

दूसरी तरफ देश के विभिन्न भागों से आकर पंजाब में कार्य करने वाले निर्धन मज़दूर हैं। जब वे रात को सो रहे होते हैं तो कोई आकर उन्हें मार जाता है। उनकी किसी भी गलती के बिना ही वे मारे जा रहे हैं। वे निर्धन लोग हैं। एक बार उनका जीविकोपार्जक या परिवार का मुखिया मारा जाता है तो उन्हें गलियों में बाहर फेंक दिया जाता है। उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए इन लोगों की देखभाल करने की अति आवश्यकता है और इसी परिप्रेक्ष्य में इस विधेयक का बहुत महत्व है।

परन्तु मेरे पास कुछ सुझाव हैं। पहला, धारा 3 में यह कहा गया है कि 2000/ रु० परिवार को दिए जाने चाहिएं। यह प्रो० थामस का सुझाव है। मैं समझता हूं कि फिलहाल 2000/- रु० की राशि काफी है परन्तु इसमें दो चीजें और जोड़ी जानी चाहिएं। एक तो यह कि इसे मूल्य सूचांक से जोड़ा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि यह अधिक समय तक नहीं चलेगा। परन्तु मैंने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि आज यहां 'जंगी एवार्ड' या 'जंगी इनाम' के नाम से इनाम अथवा सहायता की व्यवस्था है। यह योजना 1917 के लगभग आरंभ की गई थी जब इसकी राशि 5/- रु० थी। उस समय 5 रु० की राशि से एक तोला सोना खरीदा जा सकता था। आज 1994 में भी यह राशि 5 रु० ही है। इसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। 2000/- रु० की राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सके।

दूसरा सुझाव धारा 5 में, जहां यह कहा गया है कि तीन महीने के भीतर परिवार के एक पात्र सदस्य को रोज़गार दिया जाना चाहिए, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि तीन महीने के भीतर हमें पात्र सदस्य मिलना चाहिए परन्तु उस समय यदि कोई सदस्य पात्र नहीं है या अवयस्क है तो उसके पात्र होने पर तीन महीने के भीतर ही उसे रोज़गार दे दिया जाना चाहिए। आज हमारे पास ऐसे सैकड़ों मामले लंबित हैं जहां सरकारी कर्मचारी की अपनी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसके बेटे को नौकरी दे दी जाती है। परन्तु यदि उसका बेटा उस समय अव्यस्क हो और दस वर्ष के पश्चात् वह पात्र होता है तो बाद में उसे नौकरी देने के बारे में कोई परवाह नहीं करता।

एक और बात यह है कि एक मुश्त राशि जैसे कि एक लाख रुपया प्रभावित परिवार को दिया जाना चाहिए। वास्तव में यह सहायता संबद्ध सदस्य की जीविकोपार्जन क्षमता से सम्बद्ध होनी चाहिए।

अगला मुद्दा राज्य के उत्तरदायित्व का है। इस संबंध में मैं यह सुझाव दूंगा कि चूंकि आतंकवादी गतिविधियां राज्यों में हो रही हैं इसलिए राज्यों को कानून और व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेना चाहिए। इसलिए किसी न किसी तरह राज्यों को भी इस संबंध में जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। प्रभावित व्यक्तियों को जितनी भी वित्तीय या दूसरी सहायता दी जाती है उसमें से कुछ भाग राज्य सरकारों द्वारा भी दिया जाना चाहिए ताकि वे भी राज्य में आतंकवाद की गतिविधियों के लिए अपने आपको उत्तरदायी और जवाबदेह समझें। इस संबंध में सारा उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का ही नहीं होना चाहिए। उन्हें भी इस योजना में अपना योगदान देना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि आतंकवादियों के साथ मुकाबले में अनेक लोग मारे जाते हैं। आज आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेष तौर से सेना को बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। सेना के कर्त्तव्य में यह शामिल नहीं है। सामान्यत: यह धारणा है कि जब सेनाएं वहां हों तो उनका यह कर्त्तव्य है कि वे उनका मुकाबला करें और अपनी जान तक दे दें। उनका कर्त्तव्य है कि वे शत्रु का मुकाबला करें और वे अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं। इसलिए उन्हें अपने सेवाकाल के दौरान आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए मारे जाने पर सैनिक कार्मिकों को जो लाभ दिए जाते हैं उनके अतिरिक्त इस प्रकार के लाभ भी उन्हें दिए जाने चाहिएं। मुझे आशा है

कि मैने अपना यह मुद्दा स्पष्ट कर दिया है। यह सुविधा उस सबके अतिरिक्त होनी चाहिए जो कुछ ये लोग करते हैं क्योंकि यह कार्य ये अपने सामान्य कर्त्तव्य के अतिरिक्त करते हैं।

अन्त में, मैं एक बार फिर प्रो॰ थामस को बधाई देता हूं तथा इस विधेयक का पूरी तरह से और पूरे मन से समर्थन करता हूं। महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबजी) : महोदय मैं प्रो॰ थामस द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि कहा जाता है देर आयद दुरुस्त आयद" यह विधेयक ऐसे सही समय में आया है जबकि देश उग्रवादियों द्वारा पैदा किए गए दहशत से गुजर रहा है।

महोदय बाहर से और देश में अन्दर दोनों से भी आतंकवाद की आशंका है, श्री पाणिग्रही ने सही कहा है कि यह एक विश्वव्यापी घटना है। एक देश से दूसरे देश में और देश के अन्दर ही आतंकवादी कार्य और गतिविधियां हो रही हैं।

भारत आतंकवादी गतिविधियों से निरन्तर ग्रस्त रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हमारे प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शायद आतंकवाद का शिकार बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वैसा बहुमूल्य जीवन जैसे कि हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और स्व. राजीव गांधी जिन्होंने देश के एक भाग से दूसरे भाग तक के ऐसे सभी तबके के लोगों को एक जुट रखने के लिए राष्ट्रत्व और राष्ट्रीय अखंडता में काफी योगदान किया और राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया आतंकवादियों के शिकार बने। यह कोई नई बात नहीं है।

परंतु विवाद का प्रश्न यह है कि इसका समाधान क्या है। जैसा कि प्रो॰ के॰ वी॰ थामस ने अपने विचार रखे हैं हम पीड़ितों का किस प्रकार पुनर्वास कर सकते हैं। यहां दो महत्वपूर्ण कारण हैं। यह उपबंध मात्र एक सांकेतिक समाधान होगा। परंतु हम समझते हैं कि निवारक कार्यवाही करने में कुछ कमियां हुई थीं। सबसे अच्छे निवारण की परिकल्पना कतिपय परिस्थितियों जिनमें लोगों को आतंकवादी गतिविधियों का अत्यधिक सामना करना पड़ा है, के मूल्यांकन से की जा सकती है। वैसे लोग जो सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा से काफी नजदीक रहते हैं, आतंकवादियों से उनकी जान को निरन्तर भय रहता है और उन क्षेत्रों में बराबर दहशत रहती है।

पंजाब में लोग आतंकवादियों का विरोध अपने नैतिक साहस से कर सके। वह भी इस तथ्य के कारण से कि सरकार ने उन्हें अस्त्रशस्त्र और गोला-बारूद देकर उनका मनोबल बढ़ाया। वे आतंकवादियों से लड़ना चाहते थे। अत: वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक रहने वाले लोग भी जिनकी जान को सीमा पार से लगातार खतरा रहता है को भी आवश्यक आधुनिक अस्त्र शस्त्र और गोला बारुद दिए जाने चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं दी जानी चाहिएं क्योंकि उनके पास संचार सुविधाओं विकास कार्य रोजगार शिक्षा तथा सभी अन्य सुविधाओं की काफी कमी है। ऐसे क्षेत्रों में जहां रोज़गार की गारंटी नहीं है जहां रोजगार के अवसर नहीं है लोग काफी समय से मनोवैज्ञानिक कुंठा से पीड़ित रहे हैं, केवल ऐसे क्षेत्रों में उन लोगों ने विद्रोह किया है और कुछ बाहरी लोगों ने उनका शोषण करने में फायदा उठाया है।

अतः हम सभी को और सरकार को सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि उनकी स्थिति के सुधार के लिए मौलिक सुविधाएं तैयार की जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मृत्युन्जय नायक : मैं संतुष्ट नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने संतोष के लिए आपको दो घंटे चाहिए।

श्री मृत्युन्जय नायक : चूंकि समय कम है अतः मैं अपना भाषण तत्काल समाप्त करना चाहता हूं।

जिस प्रकार श्री राजेश पायलट जम्मू और कश्मीर के मामले में आतंकवादियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं मैं इसका सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। यह एक काफी अच्छा कदम है। वह आतंकवादियों से संबंध बनाना चाह रहे थे। जैसाकि श्रीमती किरण बेदी कट्टर अपराधियों को समाज के लिए उपयोगी व्यक्तियों में बदलने में सफल हुई इसी प्रकार आतंकवादियों को अच्छे नागरिक बनाना भी सम्भव है। अतः कुछ भी असंभव नहीं है। सरकार को वैसे लोगों में आशा की भावना उत्पन्न करने के प्रति आशावान होना चाहिए जो आतंकवादियों के गोलियों के शिकार हो रहे हैं।

मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या और उसके निदान में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि ऐसा विधान लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिसके फलस्वरूप लोग यह महसूस करेंगे कि वे आतंकवादियों के हाथ के खिलौने नहीं हैं।

श्री पी० सी० थामस ने एक रास्ता दिखाया है जिससे कि सरकार को आगे विधान लाने का विचार पैदा करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ितों को न सिर्फ पुनर्वास ही किया जाए बल्कि आतंकवादी गतिविधियों से प्रायः प्रभावित रहते हैं उनकी जान और माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाय।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का यह मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि आतंकवादियों द्वारा बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है और उनके परिवार के लोगों को सरकार द्वारा अभी तक कुछ नहीं दिया गया है जिसके कारण उनके परिवार की हालत खराब है। यदि इस तरह से लोगों की हत्याएं होती हैं तो सरकार उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे या उनके रोजगार की व्यवस्था कराए। यदि सरकार द्वारा यह काम नहीं किया जाता तो यह उग्रवादियों के पक्ष में होगा।

कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो आतंकवाद से जुड़ी नहीं होती। कुछ घटनाएं देश में अत्याचार के कारण होती हैं लेकिन सरकार यह सोचती है कि वे भी आतंकवादियों द्वारा हुई हैं। संविधान के मुताबिक जहां व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, वहां उसके खिलाफ आन्दोलन होता है।

यह बात सही है कि बिहार में जो होता है, वह आतंकवाद का स्वरूप नहीं है, सुधारवाद का स्वरूप है। वहां ऐसी घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं। यह बात जरूर है कि कभी इधर हत्या होती है कभी उधर होती है। जिस तरह से उग्रवाद के शिकार लोगों के परिवारों को सरकार सहायता देती है, उसी तरह से बिहार में अत्याचारियों के द्वारा गरीबों की जो हत्या होती है, सरकार को उनकी भी मदद करनी चाहिए।

लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार गरीबों की हत्या होने पर उनकी कोई मदद नहीं करती है लेकिन जमींदार लोग जो कि जनता के साथ अत्याचार करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, वह उनकी मदद करने पहुंच जाती है। आप प्रशासन को कहते हैं कि गरीब लोगों की मदद मत करो बल्कि अत्याचारियों की मदद करो। इसमें सरकार को सुधार करना चाहिये जिससे बिहार में या दूसरे राज्यों में इस तरह की घटनायें न हो।

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आतंकवादियों द्वारा जिन निर्दोष लोगों की हत्यायें हुई, उनके परिवार वालों को समुचित सहायता सरकार द्वारा दी जानी चाहिये। पंजाब में उग्रवाद के चलते बहुत सी हत्याये हुई। उनका एक ही काम था पंजाब को तोड़ देना, देश को तोड़ देना और उसे दूसरे देशों से जोड़ देना। अब वहीं काम जम्मू-कश्मीर में हो रहा है। पंजाब में सरकार ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिये मुस्तैदी से काम किया। वह इसके लिये बधाई की पात्र है लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार अभी धन्यवाद का काम नहीं कर रही है। धन्यवाद पाने का काम सरकार करे। इससे देश के तमाम लोग आपको धन्यवाद देंगे।

जितने लोगों की हत्या जम्मू-कश्मीर या दूसरे राज्यों में आतंकवादियों के द्वारा की गई है, उनके परिवार वालों की समुचित सहायता सरकार करे जिससे उनको कोई तकलीफ न हो। सरकार को कड़ा रुख भी अख्तियार करना चाहिये। हो सकता है उसके लिये इंडियन पीनल कोड में संशोधन करना पड़ जाये।

देश में किडनैपिंग की घटनायें बहुत हो रही हैं। इसके चलते फिरौती ली जाती है। कोई ऐसा राज्य नहीं है, जहां किडनैपिंग की घटनायें न होती हों आज आम लोगों का यह कहना है कि किडनैपिंग करने वाला आदमी सरकार के संरक्षण में रहता है मैं नहीं जानता लेकिन इतना ज़रूर है कि किडनैपिंग करने वाले आदमी को राजनीतिज्ञ का संरक्षण प्राप्त है। सरकार इसको देखे। किडनैपिंग करने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिये। आम लोगों का यह कहना है कि किडनैपिंग करने वाले को वही सजा मिलनी चाहिये जो मर्डर केस वाले को मिलती है। किडनैपिंग के चलते अगर किसी की मौत हो जाये तो उसके परिवार वालों को वहीं सुविधायें मिलनी चाहियें जो आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर उनके परिवार वालों को मिलती हैं।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और थामस जी को धन्यवाद देता हूं कि यह बहुत अच्छा बिल लेकर आये। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रो॰ के॰ वी॰ थामस द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक होने के कारण हो सकता है सरकार इसे स्वीकार न करे परन्तु सरकार द्वारा इसे विधेयक की विषय वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि इस विधेयक में किए गए उपबन्ध अपर्याप्त हैं, फिर भी सरकार को कम से कम इन उपबन्धों को स्वीकार करना चाहिए। अनेक माननीय सदस्य पहले ही अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं कि आतंकवाद हो ही क्यों। इस सभा में कश्मीर मुद्दों पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है और हमने आज बहुत कश्मीर में हुई वीभत्स घटना के बारे में पढ़ा है।

गृह मंत्रालय द्वारा कश्मीर में एक संसदीय शिष्टमंडल भेजा गया था और उस संसदीय शिष्टमंडल ने गृह मंत्री तथा प्रधानमंत्री को कतिपय सुझाव दिए भी थे। गृहमंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए घोषित नया पैकेज बिल्कुल अपर्याप्त है। कश्मीर के लोगों में जो दूरी आई है इसके कारण समस्या हल नहीं होगी। मूल मुद्दा बेरोजगारी का है जो एक आर्थिक समस्या है। पूर्वोत्तर में तथा कश्मीर में भी यही समस्या है। जब तक मूल मुद्दों को हल नहीं किया जाएगा, आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तथा तब तक हम आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आजाद का एक वक्तव्य सुन रहा था। जिस पर इस ओर के सदस्य कुछ उतेजित हो गए थे, कि कम से कम 50,000 बेरोजगार युवा कश्मीर घाटी से लाए जाने चाहिए और उन्हें देश के विभिन्न भागों में रोजगार दिया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। यह देश इतना छोटा नहीं है जहां हम 50,000 आदमियों को रोजगार न दे सकें। उन्हें कन्याकुमारी से दिल्ली तक देश के विभिन्न भागों में समायोजित किया जा सकता है। यदि आप केन्द्रीय सेवाएं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम देखें, तो आज इस देश में प्रमुख लाभार्थी कौन है ?

महोदय, मुझे हिन्दी क्षेत्रों से कोई शिकायत नहीं है। परन्तु यदि आप केन्द्रीय सेवाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश पदों पर किसकी बहुलता है ? श्री मृत्युञ्जय नायक इस विधेयक पर बोल रहे थे। उनके अपने जिले फूलबनी में क्या हो रहा है ? वहां लोग मर रहे हैं। कोरापुट जिले में भी लोग भूख से मर रहे हैं। पूर्वोतर में आतंकवाद के प्रमुख कारण बेरोजगारी तथा निर्धनता है। बिहार में झारखण्ड राज्य की मांग क्यों है ? बिहार में भी यही समस्या है। निर्धनता तथा बेकारी आतंकवाद के मूल कारण हैं और जब तक आप मूल कारणों को दूर नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इसके साथ-साथ हमें आतंकवाद के शिकार निर्दोष व्यक्तियों का ध्यान भी रखना चाहिए। भारत सरकार इस समस्या क सम्बन्ध में पूर्णतया तदर्थ ढंग से. कार्य कर रही है और हम यह समस्या तदर्थ ढंग से हल नहीं कर सकते।

महोदय, आज पाकिस्तान की संसद में वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बंगलादेश क्यों बना। वे कहते हैं है कि भारत ने बंगलादेश को पूरा समर्थन दिया। परन्तु वे यह भी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान सरकार द्वारा बंगलादेश के लोगों की उपेक्षा के कारण वहां विमुखीकरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो गइ। आज कश्मीर घाटी में भी यही हो रहा है।

क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां कश्मीर घाटी की केवल 2 प्रतिशत जनसंख्या जम्मू कश्मीर सरकार में ही 98 प्रतिशत पद ग्रहण किए हुए हैं ? इसलिए, वहां 98 प्रतिशत लोग पूरी तरह विमुख हो गए हैं और उनका यह महसूस करना स्वाभाविक ही है कि जब वे भारत आए तो जैसे उन्हें बहकाया गया हो। श्री पायलट ने एक दिन कश्मीर घाटी की विद्यमान जनसांख्यिकीय स्थित के बारे में विस्तार से बताया था। हम यह कह रहे हैं कि वहां लोग साम्प्रदायिक आधार पर बंटे हुए हैं। कम से कम कश्मीर घाटी में पंथनिरपेक्ष लोग हैं, वे चाहे हिन्दू हो या मुसलमान। कभी वे हिन्दू हुआ करते थे। बाद में अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन गए और इसके बाद धर्म परिवर्तन करके वे मुसलमान बन गए। परन्तु मूल रुप से ये शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। कश्मीर घाटी में गूजर मुसलमान यह कह रहे हैं कि वे पूरी तरह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मूल रूप से वे किसान हैं और जब उनके लड़के-लड़कियां बड़े होते हैं तथा शिक्षा प्राप्त करते हैं तब वे यह महसूस करते हैं कि उनके लिए कोई वहां रोजगार के अवसर नहीं हैं।

महोदय, मैं उन दो प्रतिशत लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो जम्मू कश्मीर सरकार में 98 प्रतिशत पद ग्रहण किए हुए हैं। यदि कुछ लोग कश्मीर घाटी से दिल्ली आए हैं तो वे उस 2 प्रतिशत आबादी के हैं। बहुमत वाली आबादी के नहीं। वहां मण्डल मुद्दा मुख्य मुद्दा है। सिक्किम में भी यही प्रमुख मुद्दा है। यदि आप मूल समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो आप सशस्त्र बलों पर चाहे जितना धन व्यय कीजिए, उससे समस्या हल नहीं होगी। मूलभूत समस्या बेरोजगारी तथा निर्धनता की है। यदि कश्मीर में पूर्वोत्तर में आतंकवाद है तो यह बेकारी तथा निर्धनता के कारण है। देश के कुछ अन्य भागों में आतंकवाद क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण है। सरकार की नई आर्थिक नीति से देश में एक अन्य प्रकार के आतंकवाद का जन्म होगा। देश का एक हिस्सा तो उन्नति करेगा और दूसरा हिस्सा पुन: आदि स्तर पर पहुंच जाएगा। पूर्वी क्षेत्र को देखो वहां क्या हो रहा है ? यह पूरी तरह उपेक्षित है। सभी उद्योग एक क्षेत्र से देश के एक विशेष क्षेत्र में धन लगा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्योंकि यह अमेरिका के सबसे नजदीक है।

श्री श्रीकान्त जेना : हां। यही स्थिति है। इसीलिए हमें यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। कन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में, पुलिस भर्ती में, स्वयं दिल्ली में, क्या हो रहा है। किसी भी केन्द्रीय सेक्टर में भर्ती करते समय आपको क्षेत्रीय मुद्दे पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। परन्तु केन्द्र सरकार की सेवाओं में, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या स्वयं सरकारी सेवाओं में, 50 प्रतिशत लोग एक क्षेत्र विशेष के हैं और स्वाभाविक रूप से, जब कार्य नहीं होगा, तो वे महसूस करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। वे दिल्ली पर क्यों आश्रित रहें ? यह भावना उड़ीसा के बेरोजगार तथा जनजातीय युवकों में भी है। वे कहते हैं कि संविधान में यह उपबंध है कि केन्द्र सरकार की सेवाओं में जनजातीय तथा पहाड़ी लोगों की विशेष भर्ती की जानी चाहिए। परन्तु उनकी उपेक्षा की जाती है। स्वाभाविक रूप से, ऐसी भावना है कि उन्हें वहां रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है ? दिल्ली के आस-पास के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है जैसे केवल

वे ही देशभक्त हों। शेष लोगों की उपेक्षा हो रही है।

जब तक हम मूल कारणों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। आप चाहे जितनी मात्रा में धन दे दें। चाहे जितनी सेना भेज दें, यह समस्या हल नहीं होगी क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की गई है। कश्मीर मुद्दा या पूर्वोत्तर मुद्दा या कोई अन्य क्षेत्रीय असन्तुलन का मुद्दा तब तक हल नहीं होगा जब तक आप इन मुद्दों को उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे।

5.58 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें तथा इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का प्रयास करें और कश्मीर घाटी से कश्मीरी युवकों को लाएं तथा उन्हें सारे देश में फैलाएं। यदि उनके लिए एक लाख रोजगारों की आवश्यकता हो तो उन्हें एक लाख रोजगार दीजिए। आप दूसरों की कीमत पर भी उन्हें रोजगार दीजिए तथा कश्मीरियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाइए। तभी आप इस समस्या को वास्तव में हल कर सकेंगे। अन्यथा, आप आतंकवाद की इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, चाहे पूर्वोत्तर हो या मणिपुर या नागालैण्ड, मिजोरम या सिक्किम हो। जो भी हो, उन्हें मुख्यधारा में लाइए। उन्हें समान अवसर देकर ही यह समस्या हल होगी। केवल दिल्ली के आस-पास के लोगों को ही अवसर देने से सारा देश विमुख हो जाएगा। और यह देश बिखर जाएगा। यही मुझे डर है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसी कारण से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर भी ध्यान दें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं दो विषयों पर बोलूंगा। मैंने इस विषय पर बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों को सुना यह सत्य है कि आतंकवाद ने अनेक जानें ली हैं। माननीय सदस्यों ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया है। सरकार की नीति इसके मूल कारण तक जाने की रही है और इसी कारण सभी अवसरों पर हमने संवाद हीनता, यदि हो, को दूर करने का प्रयास किया है। यह सत्य है कि कुछ क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति मूल कारण हैं। बेरोजगारी भी एक कारण है। हमारे एक साथी यह उल्लेख कर रहे थे इस समय हर जगह कश्मीर या पंजाब है। यह सत्य बात है। आप कुछ सामान्य स्थानों पर जाइए जहां ऐसी गतिविधियां नहीं हैं। वहां वे यह नारा देते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह भी दूसरा पंजाब हो जाएगा। आज सुबह उत्तराखण्ड से कुछ लोग मुझसे मिले। वे नवयुवक हैं। वे यह कहते हैं। "श्री पायलट यदि आप ये निर्णय नहीं लेते हैं तो यह भी कश्मीर हो जाएगा।" यह हो गया है। परन्तु मुद्दों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सरकार आतंकवाद तथा विद्रोह से निपटने के लिए कठिन प्रयास कर रही है चाहे यह पूर्वोत्तर का मामला हो या देश के किसी अन्य भाग का। विद्रोह तथा आतंकवाद के विरुद्ध हमारी दृढ़ नीति है।

6.00 म॰ प॰

प्रयास जारी है। सम्पूर्ण सभा जानती है हमारे अर्धसैनिक बल तथा सशस्त्र बल देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस प्रकार अपनी जान की भी बाजी लगा रहे हैं।

महोदय, मैं यहां बैठा था। मुझे एक संदेश मिला कि आज 2.35 बजे नागालैण्ड के एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की जब वह दौरे पर जा रहे थे, विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी गई। वह एक युवा अधिकारी थे। उनकी नागालैण्ड में हाल ही में तैनाती हुई थी। इसलिए आप अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस बल तथा अर्धसैनिक बल कितना प्रयास कर रहे हैं। और इस समय वे विद्रोहियों से कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। विद्रोहियों द्वारा उनकी हत्या मोकोकचुंग में की गई। वह मोकोकचुंग के पुलिस अधीक्षक थे। हमने उन कठिन क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में युवा अधिकारियों को तैनात करने का नीतिगत निर्णय लिया ताकि ये युवा अधिकारी उन क्षेत्रों के युवकों की इच्छाओं को और अच्छी तरह समझ सकें।

वह सरकार के रवैये के अनुसार आगे कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए मैं आतंकवाद के बारे में माननीय सदस्य द्वारा कहीं गई बातों और तद्नुसार इस बारे में प्रस्तावित कार्यवाही से पूर्णत: सहमत हूं। अब प्रश्न यह है कि पीड़ितों की मदद कैसे की जाए। प्रत्येक राज्य की अपनी एक नीति होती है। प्रत्येक राज्य ऐसे लोगों को रोजगार देने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनका पुर्नवास करने के संबंध में अपने-अपने नियम होते हैं। पंजाब का उल्लेख किया गया। पंजाब सरकार ने विशेषता इस अवधि के दौरान इन पीड़ितों पर ध्यान दिया है। इसी प्रकार कश्मीर के संबंध में हमारे पास बहुत पहले से तैयार की गई एक नीति है। लेकिन आप एक बात मानेंगे। जहां तक रोजगार देने का संबंध है। इस बारे में सहज यह बात स्वीकार करना कठिन है कि जो व्यक्ति आतंकवाद में लिप्त हो जाता है उसे रोजगार से संतुष्टि मिल जाएगी। स्पष्ट बात है कि कुछ लोग ऐसा वैचारिक दृष्टि से कर रहे हैं क्योंकि कट्टरवादी तत्त्व उन्हें समर्थन दे रहे हैं और ये लोग इस शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि जो कुछ केन्द्रीय सरकार अपनी पहुंच के अन्तर्गत कर सकती है, हम कर रहे हैं। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। कई मामलों में हमने प्रधानमंत्री सहायता कोष के सहायता प्रदान की मदद की है, लेकिन ये मामले इस इस श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रधान मंत्री बहुत दयालु हैं। गृह मंत्रालय ने जिस किसी मामले में सिफारिश की है, प्रधान मंत्री कोष से उसके लिए राशि दी गई है।

महोदय, मैंने उन सभी मुद्दों को नोट कर लिया है, जिनका मेरे सहयोगी प्रो॰ के॰ वी॰ थामस और संसद के अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है। मेरे मित्र प्रो॰ के॰ वी॰ थामस हमारे प्रयासों को सराहेंगे। हम इस समस्या से अवगत हैं। लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का जहां तक सम्बन्ध है, उनकी सभी बातों का मानना संभव नहीं है। लेकिन हमारे नियमों और विनियमों के अनुसार जो कुछ संभव होगा, हम करेंगे। यहां तक कि हम इन्हीं आधारों पर माननीय मुख्य मंत्रियों को भी लिख रहे हैं। जो कुछ भी आवश्यक होगा हम करेंगे। मैं उनसे यह विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं। जहां तक

विधेयक में निहित उद्देश्य का संबंध है, यह पूर्वत सरकार के ध्यान में है। सरकार पूर्वत इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रो॰ के॰ वी॰ थामस से यह विधेयक वापस लेने और सरकार की मदद करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आवंला) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पास करवाइए। इतना अच्छा विधेयक है, आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन मंत्री महोदय इसको वापिस लेने के लिए कह रहे हैं और मुझे लगता है कि माननीय सदस्य इसको वापिस ले लेंगे।

[अनुवाद]

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस (एरणाकुलम) : महोदय हमने इस विधेयक पर इस सभा में पांच घंटे चर्चा की है। इससे इस विधेयक को दिया गया महत्त्व स्पष्ट होता है। हमारे राजनैतिक औ. सामाजिक जीवन में आतंकवाद एक नई बात है। दस वर्ष पहले हमारे देश में इसे कोई नहीं जानता था। हमारा लक्ष्य केवल इतना है कि आतंकवादियों की हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों के आश्रितों को पर्याप्त सहायता दी जाए।

महोदय, इस सभा में दो मुद्दे उठाए गए थे। आतंकवाद का पहला कारण बेरोजगारी है और दूसरा कारण देश के कई भागों का असंतुलित और असमान विकास होना है। मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक के उद्देश्य को समझ लिया है, सभा ने भी समझ लिया होगा। मेरे विचार में सरकार इस पर उचित कार्यवाही करेगी और राज्य सरकारों को भी उचित कार्यवाही करने का निदेश देगी। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार भी उचित कार्यवाही करेगी। चूंकि सरकार ने विधेयक के उद्देश्य को समझ लिया है, अत: मैं इस विधेयक को वापस लेना चाहूंगा।

महोदय, मैं विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा प्रो॰ के॰ वी॰ थामस द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान करना चाहती है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

6.04 म॰ प॰

मंत्री द्वारा वक्तव्य-जारी

25 अगस्त, 1994 को जम्मू में हुए विस्फोट की घटना

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खेद हो रहा है कि 25.8.1994 को लगभग प्रात: 7.40 बजे डिगयाना आश्रम, जम्मू के नजदीक एक मेटाडोर वैन के अंदर एक विस्फोट हुआ। मेटाडोर में स्कूली बच्चे सैनिक कालोनी से गांधी नगर जा रहे थे। इस विस्फोट के परिणामस्वरूप, एक महिला सहित 8 व्यक्ति मारे गए, जब कि 31 व्यक्ति जख्मी हुए। जख्मी व्यक्तियों को इलाज के लिए मेडीकल कालेज अस्पताल, जम्मू ले जाया गया। गम्भीर रुप से जख्मी व्यक्तियों में से चार को इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाया गया। इस घिनौनी कार्रवाई में 7 बच्चे मारे

गए तथा 21 घायल हुए। ये सभी बच्चे 20 साल से कम आयु के थे।

पुलिस स्टेशन गांधी नगर में टाडा की धारा 3/4, ई० एस० ए० की धारा 4/5 और आर० पी० सी० की धारा 302 के अंतर्गत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 461/94 दर्ज की गयी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कड़ी देखरेख में जांच-पड़ताल की जा रही है। इस घटना में खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स का हाथ होने का संदेह है। प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से पता चला है कि पिछली रात को वाहन डिगयाना क्षेत्र में खड़ा किया गया था। अतः संदेह है कि वहीं पर बस के अंदर बम रख दिया गया होगा।

इस संबंध में, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इससे पहले हुई एक घटना की ओर दिलाना चाहूंगा जब 16.7.1994 को एक मिनी बस में उस समय एक बम विस्फोट हुआ था जब वह सिम्बल से जम्मू शहर को जा रही थी जिसमें 7 व्यक्ति मारे गए थे और 24 व्यक्ति जख्मी हुए थे। उस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान यह ध्यान में आया कि खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स ने, जिसकी जड़ें पंजाब में हैं और जिसे आई० एस० आई० से निर्देश प्राप्त होते हैं, लोगों में आतंक फैलाने और जम्मू शहर में शांति और लोक व्यवस्था को भंग करने के लिए, वाहनों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों इत्यादि में विस्फोट करने की योजना बनायी थी। इस मामले में, जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप, अभी तक 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से दो व्यक्ति जम्मू के डिगयाना क्षेत्र के हैं।

सरकार को स्थिति की पूरी जानकारी है और उग्रवादियों और सीमा पार से उनके रहनुमाओं के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार के अंधाधुंध और जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेवार अपराधियों को गिरफ्तार करने और शांति और साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने और निर्दोष नागरिकों को जान-माल की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए हर-सम्भव उपाय किए जाएंगे।

6.08 म० प०

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यह सत्र दसवीं लोक सभा का ग्यारवां सत्र है। यह 25 जुलाई, 1994 को आरम्भ हुआ था और इसकी 24 बैठकें हुईं जो 120 घंटे से अधिक चलीं। इस अवधि के दौरान सभा में नौ विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 14 विधेयक पारित किए गए।

इस सत्र के दौरान सभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार हैं :

(1) संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1994;

(2) प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991;

(3) डा० बाबा साहिब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994।

वित्तीय कार्यों में निम्नलिखित पारित किए गए।

1. मणिपुर की अनुदानों की मांगे;
2. वर्ष 1994-95 के लिए जम्मू और कश्मीर का बजट;
3. 1990-91 और 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें।
4. वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे; (सामान्य)
5. 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे; (रेल) और

6. वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग। (रेल)

अल्पकालीन चर्चाओं के रुप में निम्नलिखित पर विचार किया गया :

(1) देश में बाढ़ के कारण हुई हानि।

(2) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों की समस्याएं।

(3) चीनी के मूल्य में वृद्धि।

इस सत्र में राष्ट्रीय आवास नीति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के तत्कालीन आयुक्त के 28वें और 29वें प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय शासन की अवधि और जम्मू और कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति शासन की अवधि छ: माह बढ़ाने वाली राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान की गई। कुल 480 प्रश्नों को तारांकित प्रश्नों की सूची में रखा गया था। जिनमें से 69 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।

बाकी 411 प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए गए। 4688 अतारांकित प्रश्नों के भी उत्तर दिए गए। महत्वपूर्ण मामलों के बारे में मंत्रियों ने दस स्वत: वक्तव्य दिए। नियम 377 के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा 102 मामले उठाए गए। कार्य संयुक्त संसदीय समिति प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन, हुबली घटना से संबंधित मामलों, माल डिब्बा उद्योग में संकट, भारत में विदेशी मीडिया का कथित प्रवेश, पाकिस्तान के पास कथित परमाणु बंब होने के कार्याभार को ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा को खतरा और आतंकवाद और विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत मामलों में से संबंधित मसलों पर बहुत ही उपयोगी और अर्थपूर्व ढंग से चर्चा की गई जो हालांकि विषयसूची में सम्मिलित नहीं थे।

गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किए गए तीन विधेयकों पर चर्चा की गई। इनमें से एक आतंकवादियों की हिंसा के शिकार परिवारों के सदस्यों को सुविधाएं देने से संबंधित था तथा दूसरा पिछड़े वर्गों के बारे में राष्ट्रीय आयोग के दायरे को बढ़ाने से संबंधित था। सदस्यों ने इन दोनों विधेयकों में अत्यधिक रूचि दिखाई। इस सत्र में बहुत दिनों तक गतिरोध बना रहा। फिर भी, सदन के नेता और मंत्रियों ने विपक्ष के नेता और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं की राजनैतिक सूझबूझ से इस समस्या का निवारण हुआ और संसदीय प्रणाली की गरिमा, प्रतितन और इसके प्रभाव को बनाए रखने में मदद मिली जिसके लिए वे सभी हमारी तरफ से बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं।

अभी तक, सभा की कुछ कार्यवाहियों को दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था। अब लगभग 20 से 30 कि० मी० के दायरे में रहने वाले सभी लोग सभा की पूरी कार्यवाही को दूरदर्शन पर देख सकेंगे। यह एक प्रगति की निशानी है जिससे देश के सभी लोग सभा की पूरी कार्यवाहियों को दूरदर्शन पर देख सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नए और अधिक चैनल उपलब्ध होने से देश के सभी लोग संसद और अन्य विधान मंडलों की कार्यवाही को देख सकेंगे। नीतियां और कानून बनाने और देश के लिए बजट पारित करने से महत्त्वपूर्ण कोई अन्य कार्य नहीं है जो कि संसद में ही किया जाता है। जो कुछ यहां किया जाता है उसका वर्षों तक सभी लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो कुछ भी यहां किया जाता है। उसकी जानकारी अच्छी सरकार, संसदीय प्रणाली और देश के लोकतंत्र के हित में लोगों को मिलनी चाहिए। संसद के नेता और अधिकारियों तथा विभिन्न दलों के नेताओं

और सदस्यों की परिपक्वता समझबूझ और स्नेह से बहुत अच्छे कार्य किए गए। सम्बंधित लोगों द्वारा यह कार्य उचित समय और उचित ढंग से किया जा सकता है।

अंतिम दिन प्रधान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता पर ध्यान दिया और वह सब किया जो कि संसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना और निधियों के संबंध में आवश्यक था जिसके लिए मुझे विश्वास है कि सभी खुश और आभारी होंगे।

इस प्रणाली का आकर्षण संसद के कार्यकरण में सदस्यों और नेताओं द्वारा ली गई रुचि, सक्रियता उनकी समझबूझ दूर-दृष्टि और समपर्ण भावना में निहित है। हम अधिकारियों, प्रैस और अनचाहे लोगों द्वारा दिए गये सम्पूर्ण सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

हम सदस्यों द्वारा मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन अधिकारियों की सूची के अन्य सदस्यों को दिए गए उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हम पीठासीन अधिकारियों की सूची में सम्मिलित किए गए सभी सदस्यों को उनके अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विपक्ष के नेता को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रधान मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

हम यह कामना करते हैं कि अगले सत्र के बीच की अवधि सभी सदस्यों के लिए सुखद और सार्थक रहे।

प्रधान मंत्री (श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, यह एक चुनौतीपूर्ण परन्तु महत्वपूर्ण सत्र रहा है। वाद-विवाद तथा चर्चा के प्रति हमारी वचनवद्धता की परीक्षा हुई।

भारत को जिसे विश्व में सबसे बड़ा जनतंत्र होने का गौरव हासिल है, पूरा विश्व उस समय सांस रोक कर देख रहा था, जब हम अपनी संसद में एक विशेष कठिन समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे थे। हम इस मुद्दे को सभी की संतुष्टि के लिए हल करने में सफल हो सके इसका श्रेय यहां सभी को जाता है। यह सफलता संसदीय लोकतंत्र की उस संस्था की ही सफलता है जो हमें अपने सांसदों की उस प्रथम पीढ़ी से विरासत के रूप में मिली है जिन्होंने हमें न केवल स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की आधार शिला भी रखी हमारी वचनबद्धता उनकी शिक्षाओं की शक्ति के कारण है। हमें उन निर्भीक सांसदों को देखने तथा उनसे सीखने का लाभ मिला। यहां हम लोगों को यह सुनिश्चित करना लाजिमी है कि हम यह मशाल इसकी लौ की पूर्ण चमक के साथ हो युवा पीढ़ी को सौंपे हमें उसी प्रकार का उदाहरण सामने प्रस्तुत करना होगा। मैं सभा को इस सम्बन्ध में अपनी सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं।

सत्र के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरा किया जाना सम्भव हुआ। तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम को नौवी अनुसूची में शामिल करने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक दोनों सभाओं को सदस्यों की पूर्ण सहमति से पारित हुआ। सदस्यों में समाज के पददलित वर्गों के उत्थान के प्रति ऐसी व्यापक बचनवद्धता प्रशंसनीय है तथा यह देश के लिए शुभ लक्षण है।

अध्यक्ष महोदय, आपने जिस धैर्य तथा सूझबूझ से विशेषकर इस सत्र में उग्र अवसरों पर इस सभा की जो कार्यवाही चलाई उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परन्तु दूसरों को मना लेने की आपकी सिद्धहस्ता के बिना यह सब संभव ही नहीं होता। तब यह सभा सामान्य ही रहती तथा उतना अधिक विधायी कार्य न कर पाती। मैं इस सत्र के दौरान इसकी कार्यवाही में योगदान के लिए सभी माननीय सदस्यों, विपक्ष के नेता तथा अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं आप सभी के लिए सुखद अवकाश तथा आने वाले उत्सवों में खुशियों की कामना करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, सत्र के अन्त में यह दायित्व साधारणतया मेरे दल के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए था। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण ही वे आज शाम इस सभा से दूर हैं। और महोदय, यह दायित्व पूरा करने का भार मेरे पर आ पड़ा है। मैं किसी भी प्रकार उनके समतुल्य नहीं हो सकता हूं। परन्तु मैं इस अवसर पर कुछ विचार रखना चाहूंगा।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्षाकालीन सत्र के तनावों के बारे में कहा महोदय, जैसा कि वास्तव में आपने कहा था। मैं यह विश्वास करता हूं कि यह सत्र जो समाप्त होने वाला है, एक असाधारण सत्र रहा है। संसदीय सर्वसम्मति के धागे को बहुत अधिक खींचा गया। हालांकि यह टूटा नहीं। महोदय, निःसंदेह जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा—इसका कारण यह है कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र का आधार काफी सुदृढ़ तथा लचीला है। परन्तु अपनी सभा रूपी इस संस्था को जिन संकटों से उबारा है उसके तथा आपके विवेकपूर्ण परामर्श के प्रति यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना सम्मान न प्रकट करूं तथा उसकी सराहना न करूं तो अपना कर्तव्य पालन करने को यह मेरी असावधानी होगी।

[हिन्दी]

मैं कई बार सोचता हूं अध्यक्ष जी, कि इस सभागृह में जगह जगह हमारी ही संस्कृति की उपज दीवारों पर लगी हुई है। संसद के इस गलियारे से इधर से आते हैं तो कुछ लिखा हुआ है और उधर से जाते हैं तो कुछ लिखा है। कई सभागृहों में कई बातें लिखी हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सांसदों ने या हम जो यहां काम करते हैं उन्होंने इसको पढ़ना बंद कर दिया है। अच्छा हो यदि कभी हम उन्हें पढ़ लें और पढ़ने के बाद विचार कर लें। जहां से हां पक्ष निकलता है वहां एक बहुत अच्छा भाव लिखा हुआ है-"जहां सुमति तह संपति नाना, जहं कुमति तहं विपति निदाना।"

यह हम सब पर लागू होता है और मेरा यह कहना सूरज को दीया दिखाना होगा अगर मैं किसी उपदेश के नाम से यह कह रहा हूं। मैं अपने आप से भी यह कर रहा हूं। इस भवन में दोपहर को माननीय विद्याचरण शुक्ल जी ने एक बैठक बुलाई थी 62 नंबर कमरे में। उसमें ऐसा भाव लिखा हुआ है लेकिन हम जितनी बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं।

"संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जायताम।"

उसको पूरा कहने की जरूरत नहीं है, हम इसको पढ़कर विचार कर लें तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष जी, यह अवसर मुझे मिला यह बहुत ही दुखद घटना के कारण मिला है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बरसाती सत्र जिसमें इतने तूफान आए, इतने बादल आए, बहुत अच्छी बरसात हुई। बरसात बहुत अच्छी पूरे भारत में हुई और यह कहीं अच्छा लक्षण है और जितनी अच्छी बरसात हुई मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले महीने में सबकी फसल भी अच्छी उपजें और हमसे, भारतीय जनता पार्टी से अगर कर्तव्यों के पालन में कोई कमी रही है तो हम पूर्ण रूप से उसके दोषी है और आप हमें दोषी ठहराइए। हमारे कर्तव्यों के पालन में जान-बूझकर कभी कोई कमी नहीं रही। मेरी आशा होगी कि यह जो संसदीय सहमति की चादर बिल्कुल छिन्न गई थी, ऐसा अवसर फिर न आए कि इस चादर को फिर इस प्रकार से कोई संकट या घटनाएं बिल्कुल फाड़ने

के किनारे पर लाकर खड़ा कर दें।

अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया अपने विचार रखने के लिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आज का दिन सत्र का अंतिम दिन है। आज सत्र का अंतिम दिन होने के नाते, अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस सत्र में काफी तनाव भी रहे। इन तनावों के पीछे जो सबकी भावना थी, उससे आप अवगत हैं लेकिन इतना जरूर है कि पिछले सत्र का जो अंतिम दिन था, उससे आज तक दिन बदला हुआ है। शायद हम लोगों को आज यहां सत्र के अंतिम दिन बोलने का मौका भी न मिलता, सत्र के अंतिम दिन शायद हम अपनी बात कह भी न पाते लेकिन आपने और विरोधी दल के हमारे वरिष्ठ साथियों ने प्रयास करके, इस सत्र में जो तनाव था, उस तनाव के बीच एक नया रास्ता निकाला और उस रास्ते ने हम लोगों को फिर से सदन में वापस लाने का काम किया।

अध्यक्ष जी, फिर भी मैं इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सार्वजनिक सम्पत्ति का जो सवाल हमने उठाया या जिसके चलते हम लोग बाहर गये और आज वापस आये हैं, इस वापस आने में सबसे बड़ा प्रयास आपका था। आपने अथक प्रयास किया। आपको जब हम इस सदन में देखते हैं तो पूरे देश को जनता की, जो एक जिम्मेदार व्यवस्था है, उसे आपके रूप में देखते हैं। आपने बहुत प्रयास करके जो हमारी वापसी का काम किया, वह वापसी का काम अधूरा है क्योंकि अभी ए. टी. आर. रिवाइज रूप में यहां पेश होनी है।

इस मौके पर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं और मुझे भी यह महसूस होता है कि आज सत्र का अंतिम दिन है लेकिन यह जरूर है कि हम इस सदन में जितना समय गुजार रहे हैं, उतनी ही हिंदुस्तान की लाचरी, गुरबत और बेबसी बढ़ती जा रही है और फिर लूट भी बड़े पैमाने पर है, चाहे देहात हों, गांव हो, कस्बे हों, दिल्ली की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो और जब सरकारों की बात मैं कहता हूं .....(व्यवधान)..... भले ही बिहार की वह सरकार क्यों न हो, या यहां की हो, आज देश की सार्वजनिक सम्पत्ति की बाबत जो एक्शन टेकन रिपोर्ट थी, सीक्योरिटी स्कैम में जिस तरह इस देश की सार्वजनिक सम्पत्ति के हजारों करोड़ रुपये सट्टा-बाजार में डुबाने का काम हुआ, हमारे गांवों में किसी झगड़े को लेकर जब पंचायत होती है और पंचायत का फैसला आ जाता है तो उस फैसले पर कोई विवाद नहीं करता, उसी तरह से इस देश की सर्वोच्च पंचायत ने, इस संसद ने, आम-सहमति से, एक राय से जब कोई फैसला किया था तो उस पर तनाव पैदा हो गया। आज हम लोग यहां से वापस जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपके प्रयासों और सभी साथियों के प्रयासों को मद्देनजर रखते हुये, इस सदन में सद्भावना जरूर वापस आयी है, यह खुशी की बात है लेकिन यह सदन कोई सजावट की वस्तु नहीं है कि इसमें डीसेंसी और डैकोरम भर बना रहे भले ही इस देश में कोई कांड हो, कोई घपला हो, उसमें हम कभी किसी नतीजे पर ही न पहुंचे, उसका सिरा ही हमें पकड़ में न आये।

अध्यक्ष महोदय, उसका कोई सिरा हमको पकड़ में ही नहीं आए, उसकी कोई चीज हमको पकड़ में ही नहीं आए, तो यदि यह काम होता रहा, तो लोकशाही और प्रजातंत्र की जो सबसे बड़ी पंचायत यह संसद है, इसकी छत के नीचे खड़े होकर हम लोगों ने जो संविधान की रक्षा की कसम खाई है, हम उस कसम को अपने जीवन में तोड़ते रहे हैं, इसको हम सभी मानेंगे और आज सत्ता पक्ष भी यह

बात नहीं कह सकता कि हजारों करोड़ रुपये का घोटाला नहीं हुआ। घोटाला हो गया, लेकिन इस छत के नीचे खड़े हुए हम लोग, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, हम लोग हिन्दुस्तान की जनता को जवाब देने के काबिल नहीं हैं। भले ही यहां एक दूसरे की तारीफ करके, हम लोग यहां से जाना चाहें, तो चले जाएं। परन्तु मैं महसूस करता हूं क्योंकि मैं बरसों से यहां हूं, जब हम लोग अपने इलाकों में जाएंगे, तो जनता को क्या जवाब देंगे। .....(व्यवधान).....

चाहे आप कितना भी चिल्लाएं, मुझे बोलने से तो आप रोक नहीं सकते हैं। मैं बोलना तो नहीं छोड़ूंगा। आप धक्का देकर निकाल देंगे, तो भी मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा।

मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा अपने को टटोलें, महसूस करें। मैं कह रहा हूं कि इतने हजारों करोड़ रुपए चले गए, डूब गए, जिसको आप भी मानते हैं। जिन करोड़ों लोगों ने हमको यहां पहुंचाया, हम हिन्दुस्तान की उस जनता को यह नहीं बता पाए इस छत के नीचे संविधान की रक्षा की कसम खाने के बाद भी कि कौन लोग हैं जो इस कांड में लिप्त हैं, इसका फैसला अभी नहीं हो पाया है। इसके बाद शुगर का मामला आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इस आशा से कह रहा हूं कि जब हम अगली बार फिर मिलेंगे शरद कालीन सत्र में, तो निश्चित तौर पर इस छत के नीचे जो आज नहीं कर पाए हैं, वह आगे आने वाले दिनों में करेंगे। इस विश्वास के साथ हम आज यहां से विदा लेते हैं।

सदन में अकेला यही सवाल नहीं है, सिर्फ इतना भर नहीं है। बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। सदन में बहस बहुत बढ़िया हुई है। खास कर के तमिलनाडु के जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके बावत कानून बना, लेकिन इतिहास में सबसे पहले तमिलनाडु के आंदोलन के चलते देश भर के गरीबों को जो फायदा मिला था वह 1952 में मिला था परन्तु इस बार वह तमिलनाडु तक सीमित हो गया। मैं चाहता था कि इसका विस्तार हो।

अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत अच्छे काम किए और इलैक्शन रिफार्म्स का जो काम था, उसमें मैं मानता हूं कि तीन दिन के सत्र में हम कामयाब नहीं हुए। इसमें हमारे कुछ साथियों की भी ऐसी मंशा हो गई कि जो एक अच्छा मौका आया था उसका हम लाभ नहीं उठा पाए और उसको पूरा नहीं कर पाए।

अध्यक्ष जी, इस सत्र के दौरान आपने इस सदन को और इस सदन की व्यवस्था को और इसकी गरिमा को साक्षी बन कर और फिर हम लोगों को हर प्रकार से इकट्ठा करके हमको फिर से यहां वापस लाए और वापस लाकर हाउस को चलाने का काम हुआ, इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हालांकि इस सदन में कई बार तनाव हुआ, लेकिन मन-भेद नहीं था, मत-भेद था। मुल्क को बनाने की तबियत थी, आगे भी रहेगी। इस बार हम निश्चित तौर से खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन अगली बार यह सदन हमको खाली हाथ नहीं जाने देगा। हिन्दुस्तान की जनता के भीतर हम सिर उठाकर चल सकें, ऐसा काम आने वाले सत्र में हम जरूर करेंगे। और ऐसी ए० टी० आर० आएगी जिससे पूरा देश हम सब लोगों को कहेगा कि हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार या लूट का काम अब जारी नहीं रह सकता है, इसे बंद करना पड़ेगा तब हमारा चेहरा और सिर ऊंचा उठेगा।

अध्यक्ष जी, इस सदन में किसी तरह की बात हमारी तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से आपके मन को या सदस्यों को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए खेद महसूस करता हूं। वह बात दिल

से नहीं कही होगी बल्कि कभी तनाव होने पर तैश में कहीं होगी। इस सत्र के अंतिम दिन मैं आपके और सदन के सभी माननीय नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं।

इन्हीं बातों के साथ कि आपने मुझे कुछ कहने के लिए मौका दिया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं तथा आपके प्रयासों के लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से यह सत्र अद्वितीय रहा है। यह संभवतः इसलिए कि पहली बार सम्पूर्ण विपक्ष ने कुछ दिनों के लिए सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। महोदय, किंतु अपनी पार्टी के बारे में मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी पार्टी द्वारा यह अस्थायी बहिष्कार संसदीय लोकतन्त्र के सिद्धान्तों और मंत्री परिषद की जवाबदेही स्वीकार करने की हमारी निष्ठा की अभिव्यक्ति थी।

महोदय, हमारे द्वारा उठाया गया मुद्दा न्याय विरुद्ध नहीं था। यह बात अन्ततः सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार करने इसमें संशोधन करने, और पुनः प्रस्तुत करने के समझौते से प्रमाणित हो जाती है। महोदय जिस तरह से आपने लोक सभा और संसद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाये रखने का प्रयास किया है उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने का प्रयत्न किया उसके लिए यदि मैं आपके प्रति सच्चा आभार व्यक्त न करूं तो यह अपने कर्तव्य पूरा निर्वाह नहीं होगा। आज मैं इस बात को नहीं बताना चाहता कि यह गतिरोध कैसे उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है कि बिना आपके हस्तक्षेप और प्रयास के हम आज यहां नहीं होते और इस सदन का यह सत्र इस भावना से समाप्त नहीं होता। जिससे यह हो रहा है।

महोदय इस सदन में कुछ दिनों तक जो कुछ होता रहा और जिस तरह से यह समाप्त हुआ वह इस सदन और इस देश में संसदीय लोकतन्त्र की आन्तरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके पीछे इस संस्था को तोड़ने का उद्देश्य नहीं था। महोदय मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं और मुझे विश्वास है कि कभी-कभी हमारे रास्ते भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, हमारी कार्यप्रणाली को सभी पसन्द न करते हों किन्तु कम से कम आप इस बात से सहमत होने की उन दिनों जो कुछ भी विपक्ष ने करने का प्रयास किया वह इस प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रेरित था। कोई व्यक्ति हमसे सहमत नहीं हो सकता है किंतु हम उद्देश्य की ईमानदारी और हमारे संविधान के सिद्धान्तों के प्रति हमारी वचनबद्धता से प्रेरित थे।

महोदय, हम कुछ ही दिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सके। लेकिन इस थोड़ी अवधि में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और जिस तरह से आपने हमें विचार व्यक्त करने का अवसर दिया वह प्रशंसनीय था। यह इसलिए हो पाया कि कार्य सूची में सम्मिलित न किये गए कार्य के नाम पर आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति दी, मैं यहां असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करता।

किंतु इससे निश्चित रूप से हमें सहायता मिली क्योंकि नियम 193 और नियम 184 के अधीन नियमित चर्चा के लिए समय उपलब्ध न था।

किंतु जैसा हम सभी जानते हैं कि कई मुद्दे थे और मैं जानता हूं कि उन पर आप भी चर्चा करवाना चाहते थे जैसे आठवीं पंचवर्षीय योजना, जनसंख्या नीति, चुनाव सुधार जो बहुत महत्वपूर्ण थे और जिन पर उचित ढंग से पूरी चर्चा होनी ही चाहिए थी, हम उद्योगों की रुग्णता, मूल्य वृद्धि, नई आर्थिक नीति, दूरसंचार नीति आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक थे।

अन्तिम मुद्दा जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं था वह चीनी घोटाले पर चर्चा थी जोकि पूर्ण नहीं हुई थी। मुझे विश्वास है कि आगामी सत्र में हमें पूरा अवसर मिलेगा।

महोदय, आपका धन्यवाद किये बिना मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर सकता हूं और कुछ मंत्रियों से हमें कभी-कभी जो दिक्कतें हुई हैं और अन्ततः उन्होंने भी सहयोग की भावना प्रदर्शित की जिसके लिये मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

हमें बड़ी खुशी है कि हमने एक शाम दो घंटे सदन से बाहर प्रधानमंत्री के साथ बिताये और अन्ततः उन्होंने इसे मान लिया। मुझे विश्वास है कि उन्होंने अपने साथियों को समझाया है। जो कि इस मुद्दे पर कुछ कड़ा रुख अपना रहे थे। प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि यह रिपोर्ट सही नहीं है इसमें संशोधन करने और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि वे नयी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो सबको स्वीकार्य होगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि आवश्यक हो तो उसमें छोटा सा संशोधन करें कि इसे किसी दूसरे मंत्री पर न छोड़ें और इस प्रकार इस बात को दबा न दें।

इन शब्दों के साथ और इस आशा के साथ कि अगला सत्र अधिक सार्थक होगा और हम लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे और भारत के लोग हमसे जिस कार्य की अपेक्षा करते हैं कर सकें मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह वर्षाकालीन सत्र तनाव और टकराव से प्रारम्भ हुआ था लेकिन खुशी की बात है कि आज सद्भावना और सन्तोष के साथ समाप्त हो रहा है। यह हमारी संसदीय व्यवस्था का और सदन के कार्य संचालन का खुद ही शक्ति का प्रतीक है। इस सप्ताह में खास तौर से कई महत्वपूर्ण विधेयक कानून बने, कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं और कई जरूरत के काम, जो इस सदन को करने थे, बहुत खूबसूरती से पूरे किए गए।

जब सदन में तनाव पैदा हुआ था और हम सब लोग सदन के बाहर थे तब एक बात, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वह यह है कि उस तनाव के बीच में भी मैंने देखा की सत्ता पक्ष के सदस्यों में भी वह एक चिन्ता थी, उनको प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति अच्छा नहीं लगता था, वे केन्द्रीय कक्ष में या सदन के बाहर इस बात को बार-बार कहते थे कि इस समस्या का हल निकलना चाहिए। यह सदन दो पैर पर चलता है—सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। आपस में दोनों को सहयोग देना है। यह हमारी बहुत बड़ी जनता कि परम्परा है और हमें उसे बनाए रखना चाहिए।

मैं एक बात जोर देकर कहना चाहता हूं, जब हम अपने सत्र को समाप्त करते हैं तो हमें अपने मन में सोचना चाहिए, मन में मंथन चाहिये कि कहां हमारी गलतियां थी, कहां हमारी कमजोरी थी और कैसे उनसे सबक लेकर हम भविष्य में उनको दूर करें ? इससे सदन का काम सुव्यवस्थित ढंग से और समुचित रूप से चल सकेगा। सदन राष्ट्र के कामों में अपना योगदान देता है। जब भी देश पर संकट आया था चुनौतियां आईं तो हम सब ने सर्वसम्मति से, सद्भावना से निर्णय लिये। इसका असर लाजमी तौर पर देश पर पड़ा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम उनके दुख-दर्द, उनकी समस्यायें, उनकी अपेक्षायें, उनकी आशा और विश्वास को प्रतिबिम्बित करते हैं। इसलिये कभी-कभी इसमें तेजी आती है और विचारों में फर्क आते हैं। यह भी संसदीय व्यवस्था की एक शक्ति है।

हमारे सभी सहयोगियों ने यह कहा कि आपकी भूमिका इस सदन में कभी-कभी कठोर भी हो जाती है। सदन का काम सुचारु रुप से चले, आपको इस बात की चिन्ता रहती है। अपनी जिम्मेदारी को आपने प्रभावकारी ढ़ंग से पूरा किया है। आपकी चिन्ता के साथ हम अपने को पूरे तरीके से जोड़ते हैं। संकट के समय में आपने मधुर भाव से, बड़े संतुलित ढंग से उसका हल निकाला। पूरा सदन इसके प्रति आपका आभार प्रकट करता है। आपने ऐसा हल निकाला जिसको पूरे सदन ने एक राय से स्वीकार कर लिया। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रधान मंत्री जी ने भी इसमें बहुत योगदान दिया। जब आपने पहली बार बैठक बुलायी तो प्रधान मंत्री जी ने खुले दिल से सब बातों को कहा था और कुछ कमियों को स्वीकार भी किया था। उन्होंनें यह भी कहा था कि मैं सदन के और अध्यक्ष के हाथ में हूं, वह जो निर्णय करेंगे, उसको मैं स्वीकार करूंगा। इन सभी बातों से इस समस्या का हल निकल सका। विरोधी दल के लोगों ने भी जो समझदारी दिखायी, उसका भी असर पड़ा। मैं इस वक्त अन्य समस्याओं को नहीं उठाना चाहता। हमारे प्रशासन में कमजोरियां हैं। हम समाज और प्रशासन में बहुत सारी चुनौतियां का मुकाबला कर रहे हैं।

आतंकवाद जिस पर अभी बहस हो रही थी, यह राष्ट्र के लिये बहुत बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे काम में कैसे प्रगति हो और जनता की अपेक्षायें कैसे पूरी हों, इसको हमें देखना है। देश से गरीबी, बेरोजगारी समाप्त हो। न्याय, समता और सम्मान की बुनियाद पर हम समाज बनायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि यह संसद जनभावनाओं और आशाओं का प्रतीक बनी रहेगी। संसद के योगदान से हमारा प्रजातंत्र मजबूत होगा, देश को शक्ति मिलेगी और देश आगे बढ़ेगा।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय, सर्वप्रथम तमिलनाडु की जनता और अन्नाद्रमुक पार्टी की ओर से मैं तहे दिल से प्रधान मंत्री और प्रतयेक माननीय नेता चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, को धन्यवाद देता हूं।

संसद में यह मेरा दसवां साल है, प्रत्येक गांव में जहां मैं किसी शादी या अन्य कार्य के सिलसिले में जाता हूं मैंने पाया कि लोगों को संसद के बीच में घनिष्ठ संबंध हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि संसद उनके लिए क्या कर रही है। सदस्य संख्या 38 हो या 540 यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भारतीय संसद के प्रति लोगों की भावनायें और हमने इसे प्रमाणित कर दिया है।

हम तमिलनाडु के अपनी पार्टी के नेताओं की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा है कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है और हम सभी नेताओं को धन्यवाद देते हैं चाहे वे किसी भी पार्टी के हों।

इसलिए मैं संसद में सभी नेताओं को और विशेषरूप से प्रधानमंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें मात्र 1 करोड़ रुपया दिया है किन्तु हर आम आदमी की नजर संसद पर और विभिन्न योजनाओं जिनके अन्तर्गत करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गए हैं, पर टिकी है। इसलिए एक करोड़ रुपये की राशि लोगों के लिये हार्दिक प्रसन्नता लेकर आयी है और मैं प्रधानमंत्री को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं।

हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष प्रकृति हमारा साथ देगी और अच्छा मानसून रहेगा और अगले बजट में हमें 1 करोड़ रुपया और मिलेगा तमिलनाडु की जनता की ओर से मैं ईश्वर और प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय संसद और देश को शान्ति और सम्पन्नता दे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय तेलगुदेशम पार्टी की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक ऐसे गतिरोध को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किये जो लोक सभा के इतिहास में अभूतपूर्व था।

जैसा आपने उल्लेख किया कि हम कुछ महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा कर सकते थे, साथ ही अब हमें इस बात का असंतोष भी है कि हम जनसंख्या नीति, प्रारूप कृषि नीति और कुछ अन्य जैसे महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा नहीं कर सके, हमें आशा है कि ऐसे महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा जो बहुत आवश्यक है कम से कम आगामी सत्र में कर सकेंगे।

एक बार पुन: मैं आपके अथक प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बिना कोई कठिनाई महसूस किये कई बार बैठकें बुलायीं और अन्तत: सद्भाव कायम हो सका जो इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक होगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी के नेताओं की अनुपस्थिति में अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वर्षाकालीन सत्र में इस सदन में अच्छे कार्य हुए, अच्छे-अच्छे कानून बने। तमिलनाडु के गरीबों और दलितों के लिए सत्ता में भागीदारी के लिए हमने संविधान संशोधन किया और भी सारे कार्य हम लोगों ने किये।

साथ ही साथ एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो गई थी, जिस उलझन को आपने अपनी चतुराई से, मेहनत से समाप्त किया और इस सदन में लौटकर फिर संसद की कार्यवाही में हम लोगों ने भाग लिया। मैं इसके लिए प्रधान मंत्री और विरोधी दल के सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि यहां लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखा गया। हम लोगों ने जो सवाल उठाये थे, वह सवाल लोक हित में उठाये थे, लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाये थे। आज लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि फिर जो सवाल हमारे सामने आ गया है, हम चाहेंगे कि उसको हमारे प्रधान मंत्री अगले सत्र में सही ढंग से सुलझायें हमें लोकतंत्र में आस्था और विश्वास रखने वाले लोगों को आगे लाना चाहिए। इससे पूरा भारत समझेगा कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि इससे कोई अपराधी छूट नहीं सकता है, इससे कोई भाग नहीं सकता है।

यही कहकर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं कि जिनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, आने वाले सत्र में उनको मौका देंगे।

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) :

अध्यक्ष जी,
संसद के वर्षाकालीन सत्र का हो रहा अवसान,
कार्यवाही के दौरान, आये कई व्यवधान।
आये कई व्यवधान, सदन में,

जनसमस्याओं से, सरकार को अवगत कराया,
अध्यक्ष जी, आभारी हैं हम आपके,
जिस विधि सदन पुनः कार्य में आया।
धन्यवाद।
संसदीय क्षेत्र विकास निधि को सुनिश्चित करवाया।
इन पंक्तियों के साथ:
गाये स्नेह गीत, गीत से जले दीप,
दीप से दीप चलाये, अन्तर से अन्तर का,
अन्तर नहीं कुछ अन्तर रह जाय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण कृपया वन्देमातरम् के लिए खड़े हों।

6.54 म. प.

राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है।

6.56 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।]

पी० एस० एस०—48/35/24/94 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।